

#### अमाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] No. 03] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

### महिला और बाल विकास मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 3(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खंड (3) के साथ पठित धारा 68 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1945 (अ.) तारीख 17 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित बालकों के दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निरूपित निम्नलिखित दत्तकग्रहण विनियम अधिसचित करती है. अर्थात :—

### अध्याय- 1

### प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दत्तकग्रहण विनियम, 2017 कहा जाएगा।(2) ये 16 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **परिभाषाएं :-** इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (1) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है ;
- (2) "दत्तक सिमिति" से ऐसी सिमिति अभिप्रेत है जिसमें संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत पदाधिकारी, इसका आगंतुक चिकित्सक या सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी और जिला बालक संरक्षण एकक का एक अधिकारी समाविष्ट होंगे और बालक देखरेख संस्था का प्रतिनिधि, यदि दत्तक ग्रहण विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के अलावा किसी बालक देखरेख संस्था से होता है, भी शामिल होगा;
- (3) "दत्तकग्रहण फीस" से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा यथा विहित भावी दत्तक माता-पिता से सीधे, यदि वे भारत में निवास करते हैं, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त की जाएगी;
- (4) "बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली" से दत्तकग्रहण कार्यक्रम को सुकर बनाने, उसका मार्गदर्शन करने, उसकी निगरानी करने के लिए ऑनलाइन सूचना पद्धित अभिप्रेत है ;

33 GI/2017 (1)

- (5) "बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन सम्यक् जांच के पश्चात् अनुसूची 1 में उपबंधित प्रपत्र में समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है ;
- (6) "बालक अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें अनुसूची 2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार बालक के जन्म की तारीख और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित उसका ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है ;
- (7) "विच्छिन्न" से स्थानन के पश्चात् परन्तु दत्तकग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले, दत्तक ग्रहण कुटुम्ब के साथ बालक का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक कुटुम्ब से बालक का अमेल होना अभिप्रेत है;
- (8) "विघटन" से दत्तक ग्रहण के लिए न्यायालय से डिक्री प्राप्त होने के बाद, दत्तक कुटुम्ब में बालक का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक ग्रहण का विधिक रूप से बातिलीकरण अभिप्रेत है:
- (9) "साधारणतया निवास" से ऐसा आबाद आवास अभिप्रेत है जो व्यक्ति का कम से कम एक वर्ष से साधारणतया आवास नियत करता है।
- (10) "हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय" से बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय (1993) अभिप्रेत है ;
- (11) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार दत्तक माता-पिता का ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है, जिसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत, कौटुम्बिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण और वहां का वातावरण और स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होती है;
- (12) "देश के भीतर दत्तकग्रहण" से भारत के नागरिक द्वारा बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है ;
- (13) "स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट" से सम्यक रूप से अनुज्ञप्त चिकित्सक द्वारा अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में दिए गए प्रपत्र में बालक के स्वास्थ्य की स्थिति के बाबत दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है :
- (14) "अनापित प्रमाण पत्र" से प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें बालक को विदेशी या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की अनुज्ञा दी गई है ;
- (15) "लंबित दत्तकग्रहण" से ऐसे दत्तक ग्रहण मामले अभिप्रेत हैं, जिनमें भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पहले से ही रिजस्ट्रीकृत हैं अथवा जिन्होंने विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की मान्यता समाप्त होने, निलंबन अथवा प्रत्याहरण से पहले विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था से बालक के संप्रेषण को स्वीकार कर लिया हो ;
- (16) "दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख" से वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें सक्षम न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश लंबित होने तक, किसी बालक की अभिरक्षा भावी दत्तक माता-पिता को दे दी जाती है :
- (17) "निवासी भारतीय" से भारत में रह रहा भारतीय नागरिक अभिप्रेत है;
- (18) "नियम" से अधिनियम की धारा 110 के अधीन अधिसूचित नियम अभिप्रेत है ;
- (19) "अनुसूची" से इन दत्तकग्रहण विनियम से उपाबध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (20) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समाज कार्य या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बाल शिक्षा या बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री रखता है और जिसे बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा लगाया गया हो अथवा जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जिसे गृह अध्ययन रिपोर्ट, बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के पश्चात् सेवाएं प्रदान करने, और ऐसे व्यक्ति को समुनदेशित किसी अन्य कार्य को पूरा करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखता हो;
- (21) "विशेष जरूरतों वाला बालक" से जैसी कि अनुसूची 18 में व्याख्या की गई है, मानसिक या शारीरिक या दोनों रूपों से अक्षम बालक अभिप्रेत है :
- (22) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन उपनियमों में उपयोग किए गए हैं, परंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में उन्हें नियत किए गए हैं।

- 3. दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांत भारत में दत्तकग्रहण को शासित करने के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत होंगे, अर्थात्:-
  - (क) कोई भी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया करते समय, बालक के सर्वोत्तम हितों का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा ;
  - (ख) जहां तक संभव हो, बालक के अपने समाज-सांस्कृतिक पर्यावरण में स्थापन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, बालक को भारतीय नागरिकों के साथ दत्तकग्रहण करने को वरीयता दी जाएगी।
  - (ग) सभी दत्तकग्रहण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्राधिकारी द्वारा उनकी गोपनीयता रखी जाएगी।
- **4. दत्तकग्रहण के लिए पात्र बालक –** दत्तकग्रहण के लिए निम्नलिखित प्रात्र होंगे, अर्थात् :
- (क) कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक और बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया बालक ;
- (ख) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (52) के अधीन यथा परिभाषित नातेदार का बालक ;
- (ग) पूर्व विवाह से पति या पत्नी के बालक या बालकों को सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक।
- 5. भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड (1) भावी दत्तक माता-पिता को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से दृढ़; वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए; और उनकी जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए ;
- (2) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता, उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो अथवा नहीं हो, निम्नलिखित के अध्यधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकता है :-
  - (क) विवाहित दंपत्ति की दशा में, दत्तकग्रहण पति-पत्नी दोनों की सम्मति आवश्यक होगी।
  - (ख) एकल स्त्री किसी भी लिंग का बालक के दत्तकग्रहण कर सकती है।
  - (ग) एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है।
- (3) किसी भी बालक को एक दंपत्ति को तब तक दत्तकग्रहण में नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष पूरे न कर लिए हों।
- (4) पात्रता निर्धारित करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता की आयु की गणना रजिस्ट्रीकरण की तारीख को की जाएगी और विभिन्न आयु वर्ग के बालको के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

बालक की आयु	भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम संयुक्त आयु	एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु
4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 वर्ष से 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष से 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष

- (5) दंपति के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु मानी जाएगी।
- (6) बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।
- (7) नातेदार दत्तक ग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु का मानदंड लागू नहीं होगा।
- (8) तीन या तीन से अधिक बालकों वाले दंपतियों पर दत्तकग्रहण के लिए विनियम 2 के उप-विनियम (21) में यथा परिभाषित विशेष जरूरतों वाले बालक, पैरा (50) में यथा उल्लिखित कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक और नातेदार के बालक के दत्तकग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के अलावा विचार नहीं किया जाएगा।

### दत्तकग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

- 6. अनाथ अथवा परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया :- (1) अनाथ अथवा परित्यक्त बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रकिया से संबंधित उपाबंध अधिनियम की धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37 की उप धारा (1) के खंड (क) से (ग) और (ज) और धारा 40 के अतिरिक्त इसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों में निर्धारित किए गए हैं।
- (2) यदि किसी बालक देखरेख संस्था, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण सहित, द्वारा कोई परित्यक्त बालक बाल कल्याण सिमिति के आविष्टन के बिना प्राप्त किया जाता है, ऐसे बालक को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में दिए गए प्रपत्र 17 के अनुसार रिपोर्ट के साथ चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़ कर) बाल कल्याण सिमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, ऐसी रिपोर्ट की प्रति उसी समयाविध में स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत की जाएगी।
- 3) यदि बालक का उपचार चल रहा है या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं है, उक्त समयाविध में बाल कल्याण समिति के समक्ष केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और बाल कल्याण समिति रोगग्रस्त बालक का देखने जाएगी।
- (4) बालक कल्याण समिति, जांच लंबित होने पर, अधिनियम की धारा 37 की उप धारा (ग) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के 18 के उप नियम 26 उपबंधों के अनुसार बालक के अल्प कालीन स्थानन या उसकी अंतरिम देखरेख के लिए नियमों के प्रपत्र 18 में आदेश जारी करेगी।
- (5) बालक के प्रवेश पर, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धित पर उसका ब्यौरा और फोटो ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा, और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धित पर बालक के फोटो को प्रत्येक छह माह पर बदला जाएगा।
- (6) जैविक माता-पिता अथवा वैध संरक्षक(कों) का पता लगाने के लिए, बाल कल्याण सिमिति जोखिम के कारकों और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बालक को प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर के भीतर जिला बालक संरक्षण एकक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो का विज्ञापन देने और संबंधित बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा नोमोद्दिष्टित पोर्टल के खोया अथवा पाया स्तंभ में डाटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निदेश देगी।
- (7) ऐसे मामले में जहां बालक दूसरे राज्य से है, प्रकाशन बालक के मूल ज्ञात स्थान पर स्थानीय भाषा में किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा सुकर बनाया जाएगा।
- (8) जहां कहीं, जिला बालक संरक्षण एकक क्रियाशील नहीं हैं, ऐसा विज्ञापन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट जारी कराएगा ।
- (9) उप-विनियम (6) से (8) में विनिर्दिष्टित प्रयासों के बावजूद भी, यदि जैविक माता-पिता अथवा विधिक संरक्षकों का पता नहीं चलता है, जिला बाल संरक्षण एकक, तदनुसार, बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (10) बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के तीस दिन के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस रिपोर्ट में बालक द्वारा अल्पकालीन स्थापन के दौरान प्रकट की गई कोई भी सूचना और ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरा जिन्होंन बालक का दावा करने के लिए पहुंच की है, यदि कोई हो, सम्मिलित किया जाएगा।
- (11) परित्यक्त बालक की आयु दो या चार वर्ष से कम होने की दशा में, यदि स्थानीय पुलिस से जैविक माता-पिता अथवा विधिक संरक्षकों का पता न लगा पाने के संबंध में रिपोर्ट क्रमश: दो मास या चार मास में प्रस्तुत नहीं की जाती है, यह मान लिया जाएगा कि रिपोर्ट दे दी गई है।
- (12) बाल कल्याण समिति यह पता लगाने के लिए कि क्या परित्यक्त बालक या अनाथ बालक गुमशुदा बालक है, नोमोद्दिष्टित पोर्टल का उपयोग करेगी।

- (13) बालक कल्याण सिमिति, अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के अनुसार कार्रवाई करने के बाद, अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में पिरत्यक्त अथवा अनाथ बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगी और ऐसा आदेश बाल कल्याण सिमिति के किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। ऐसा आदेश दो वर्ष तक की आयु के बालक के मामले में बाल कल्याण सिमिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से दो माह की अविध के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में चार माह की अविध के भीतर पारित किया जाएगा।
- (14) अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच और अधिनियम की धारा 38 के अधीन बाल कल्याण समिति द्वारा परित्यक्त अथवा अनाथ बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश उसी जिले में, जिसमें प्रारंभ में बालक पाया गया था, अथवा उस जिले में जहां बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन उसे स्थानांतरित किया गया है, पूरा किया जाएगा।
- (15) अनाथ और परित्यक्त बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट क्रमश: अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रपत्र में तैयार की जाएगी और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाल दी जाएगी और ब्यौरा प्रत्येक छह मास पर अथवा जब कभी बालक में पर्याप्त शारीरिक परिवर्तन दिखाई दें, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अद्यतन किया जाएगा।
- (16) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएगी।
- (17) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करने की दशा में, जिला बालक संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को केयरिंग्स पर अपलोड करने में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की सहायता करेगा।
- (18) बाल कल्याण सिमिति द्वारा मानसिक रूप से नि:शक्त माता-पिता के बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मानसिक रोग के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के मानसिक रूप से नि:शक्तता दर्शाने वाले प्रमाणपत्र के आधार पर होगी।
- (19) सहोदर या जुड़वां बच्चों के मामले में, बाल कल्याण समिति सहोदर या जुड़वां बालकों के रूप में बच्चें की स्थिति विनिर्दिष्टित करेगी और एक ही आदेश में बालकों को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।
- 7. अभ्यर्पित बालक से संबंधित प्रक्रिया (1) यदि कोई माता-पिता या अभिभावक अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (1) के अधीन बालक को अभ्यपर्ति करने की इच्छा करता है, वह बाल कल्याण समिति को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में विहित प्ररूप 23 में आवेदन करेगा।
- (2) ऐसे माता-पिता या अभिभावक जो अशिक्षित होने या किसी अन्य कारण से आवेदन करने में अक्षम हैं, बाल कल्याण समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन करना सुकर बनाएगी।
- (3) अनुसूची 5 के अनुसार अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- (4) यदि अभ्यर्पित करने वाली माता एक अविवाहित माता है, अभ्यर्पण विलेख का निष्पादन बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य, अधिमानत: महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा।
- (5) यदि विवाहित दंपित से जन्मे बालक का अभ्यर्पण किया जाता है, माता-पिता दोनों अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों में किसी एक की मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत माता-पिता के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- (6) यदि विवाहित दंपित से जन्मे बालक का अभ्यर्पण जैविक माता अथवा पिता द्वारा किया जाना है और दूसरे माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया इन विनियमनों के पैरा 6 के अनुसार की जाएगी।
- (7) विवाह के परिणामस्वरूप जन्मे बालक की दशा में, केवल माँ ही बालक को अभ्यर्पित कर सकती है । यदि माँ अवयस्क है, अभ्यर्पण विलेख पर साथ आने वाले वयस्क द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
- (8) यदि अभ्यर्पण जैविक माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे न्यायालय द्वारा अभिभावक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया विनियम 6 के अनुसार की जाएगी।
- (9) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता अथवा व्यक्ति को दी जाए ।

- (10) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के समय से तीन कार्य दिवसों के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर उसके फोटो के साथ ब्यौरा ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा ।
- (11) जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण को हतोत्साहित करने के लिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति को माता-पिता द्वारा बालक को रखने की संभावना खोजने के प्रयास किए जाएंगे, जिनमें बालक को रखने के लिए माता-पिता को परामर्श देना और प्राधिकरण या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा स्थापित किए गए परामर्श केंद्र से उनका संपर्क कराने और यह स्पष्ट करना कि अभ्यर्पण की प्रक्रिया अप्रतिसंहरणीय होती है, अंतर्विष्ट होगा।
- (12) विशेषज्ञ बालक दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता अथवा विधिक संरक्षक को अवगत कराया जाएगा कि वे अभ्यर्पण की तारीख से केवल साठ दिन के भीतर ही बच्चे का पुन: दावा कर सकते हैं।
- (13) अभ्यर्पण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारियों और अभिकरणों द्वारा अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता और अभ्यर्पित बालक की निजता का उचित सम्मान करना चाहिए।
- (14) अभ्यर्पित बालक के मामले में कोई भी सार्वजनिक सूचना अथवा विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
- (15) यदि पुनर्विचार अवधि के दौरान अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता बालक को वापस लेने का दावा नहीं करते हैं, अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी।
- (16) जैविक माता-पिता के लिए पुनर्विचार की अवधि अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (3) में नियत की गई है और अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को कोई और सूचना जारी नहीं की जाएगी।
- (17) बालक कल्याण समिति, अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में अभ्यर्पित बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी।
- (18) अभ्यर्पित बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट दत्तकग्रहण इन विनियमों की क्रमश: अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रपत्र में विषेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर केयरिंग्स पर डाल दी जाएगी।
- (19) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अंग्रेजी में (स्थानीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी और यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिला बालक संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करने में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की सहायता करेगा।
- (20) जैविक माताओं-पिताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों के मामले में सख्ती से गोपनीयता बरती जाएगा जब तक कि अभ्यपर्ण करने वाले माताओं-पिताओं उसे प्रकट करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं।
- (21) अविवाहित माता द्वारा बाल कल्याण समिति की महिला सदस्य के समक्ष बालक का अभ्यपर्ण अधिनियम की धारा 35 के अधीन यथा परिकल्पित समिति के समक्ष अभ्यर्पण करने के समान माना जाएगा और उसकी निजता के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी।
- (22) बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक का अभ्यपर्ण बंद कमरे में किया जाएगा।
- (23) सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता बालक अथवा बालकों का अभ्यर्पण अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा के अधीन यथा परिकल्पित दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष अनुसूची 21 में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।
- 8. दत्तक ग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को जैसे ही दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है, ऐसे बालक को निवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की अनुमित दी जाए:

परंतु ऐसे बालक को अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में भी दिया जा सकेगा –

- (क) साठ दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से कम आयु का है;
- (ख) तीस दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से अधिक आयु का है अथवा भाई-बहन है;
- (ग) पंद्रह दिन के पश्चात, यदि बालक में अनुसूची 18 में सूचीबद्ध कोई मानसिक अथवा शारीरिक निशक्तता है।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि परंतुक में नियत समय सीमा का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा जिस तारीख को बाल कल्याण समिति द्वारा जारी बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र बालक दत्तकग्रहण संसाधन सुचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) अपलोड किया जाता है।

### निवासी भारतीयों के लिए दत्तकग्रहण की प्रक्रिया

- 9. भावी दत्तक माता-पिता का रिजस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन (1) भारतीय भावी दत्तक माता-पिता, उनके धर्म पर ध्यान दिए बिना, जो किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण का इरादा रखते हैं, अनुसूची 6 में यथा उपबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को आवेदन करेंगे और इस प्रकार सुसंगत दस्तावेज अपलोड करके भावी दत्तक माता-पिता के रूप में रिजस्टीकरण करेंगे।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता रजिस्ट्रीकरण के समय उन विशेष राज्यों का विकल्प देकर वांछित राज्य या राज्यों का चयन करेंगे।
- (3) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण उस राज्य या उन राज्यों के सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों में, जिनका विकल्प उन्होंने दिया है, रजिस्टीकरण माना जाएगा।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता की रजिस्ट्रीकरण संख्या उस राज्य या उन राज्यों के सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को, जिनका विकल्प उन्होंने दिया है, यथास्थिति, उपलब्ध हो जाएगी।
- (5) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के तुरंत बाद रजिस्ट्रीकरण पूरा होगा और भावी दत्तक माता-पिता को पुष्टि की जाएगी :

  परंतु दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन की नियत अवधि के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए; ऐसा करने पर भावी दत्तक माता-पिता को द्वारा से रजिस्टर करना होगा।
- (6) भावी दत्तक माता-पिता को अभिस्वीकृति पर्ची से उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या मिलेगी और वे अपने मामले की प्रगति को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे।
- (7) भावी दत्तक माता-पिता गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अपने सामान्य निवास के राज्य में अपने निवास के निकटवर्ती विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का चयन करेंगे।
- (8) भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट चयन किए गए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार कराई जाएगी और यदि वे नियत समयाविध में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में असमर्थ रहते हैं, वे राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक, यथास्थिति, द्वारा रखे जा रहे पैनल में से सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता लेंगे।
- (9) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा रखे जा रहे पैनल में से सामाजिक कार्यकर्ता गृह अध्ययन के दौरान भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श देंगे।
- (10) गृह अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अनुसूची **7** में दिए गए प्रपत्र में पूरी की जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही भावी दत्तक माता-पिता के साथ साझा जाएगी।
- (11) गृह अध्ययन रिपोर्ट, जैसे ही यह पूरी होती है, शीघ्र ही विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाली जाएगी।
- (12) गृह अध्ययन रिपोर्ट तीन वर्ष तक विधिमान्य रहेगी और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक के दत्तक ग्रहण का आधार होगी।
- (13) भावी दत्तक माता-पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट और समर्थक दस्तावेजों के आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा पात्र और उपयुक्त घोषित किया जाएगा और यदि किसी भावी दत्तक माता-पिता को पात्र और उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, इसके कारणों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अभिलिखित किया जाएगा।
- (14) भावी दत्तक माता-पिता अस्वीकृति के विनिश्चय के विरुद्ध प्राधिकरण के समक्ष विनियम 59 में यथा उपबंधित अपील कर सकते हैं।
- (15) उप–विनियम (14) में संदर्भित अपील का निस्तारण पंद्रह दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय बाध्यकारी होगा ।
- (16) जिला बालक संरक्षण एकक भावी दत्तक माता-पिता के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने, दस्तावेजों को अपलोड करने और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के सामने आ रही तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता करेगा।

- (17) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण, उनका रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद, उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
- 10. भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक संप्रेषण करना (1) बालक के संप्रेषण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर दस्तावेज अपलोड करने और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से होगी।
- (2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता-पिता को एक या अधिक संप्रेषणों में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से एक या एक से अधिक विषेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों में तीन बालकों तक के, उनके वरीयताक्रम में, ऑनलाइन विवरणिका अवलोकन करने का अवसर दिया जाएगा जिसमें फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट समाविष्ट होगी।
- (3) बालक अथवा बालकों की विवरणिका का अवलोकन करने के बाद, भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटों के भीतर संभावित दत्तकग्रहण के लिए एक बालक को आरक्षित कर सकते हैं और शेष बच्चों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक माता-पिता के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
- (4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथा परिभाषित दत्तक ग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए, मिलान के लिए मिलने का समय निश्चित करने के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता का ब्यौरा मिलेगा और दत्तकग्रहण समिति अनुसूची 27 में उपबंधित किए गए प्रपत्र के अनुसार बैठक के कार्यवृत्त तैयार करेगी।
- (5) दत्तकग्रहण समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का होगा और बालक देखरेख संस्था के बालक के दत्तकग्रहण के मामले में कोरम तीन सदस्यों का होगा यद्यपि जिला बालक संरक्षण एकक के अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (6) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता की बालक के साथ बैठक भी आयोजित करेगा ।
- (7) मिलान की पूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से अधिकतम बीस दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी ।
- (8) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता को, जब वे मिलान के लिए अभिकरण आते हैं, परामर्श देगा ।
- (9) बालक को स्वीकार करते समय, भावी दत्तक माता-पिता विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मुख्य कृत्यकारी की उपस्थिति में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) से डाउनलोड किया जा सकेगा, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता की स्वीकृति को केयरिंग्स में अभिलिखित करेगा।
- (10) यदि, दत्तक समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है, भावी दत्तक माता-पिता के नहीं चुने जाने के कारणों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अभिलिखित किया जाएगा।
- (11) यदि अस्वीकृति प्रणालीगत त्रुटि से होती है या गैर-न्यायोचित कारणों की वजह से पाई जाती है, भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता प्रतिधारित बनी रहेगी।
- (12) यदि भावी दत्तक माता-पिता आरक्षित किए गए बालक को स्वीकार नहीं करते हैं अथवा दत्तकग्रहण समिति भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त नहीं पाती है, तब भावी दत्तक माता-पिता उस तारीख की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएंगे, उन्हें नया मौका दिया जाएगा जब उनकी ज्येष्ठता आएगी और तत्पश्चात् के मौकों पर भी वही प्रक्रिया अनुसरित की जाएगी।
- (13) उप-विनियम (12) में निर्दिष्टित सभी मामलों में, बालक पर विचार न करने के कारणों का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- (14) भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक तीन वर्ष में गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्वैधीकरण के साथ बालक के दत्तकग्रहण तक जारी रहेगा।
- (15) भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तकग्रहण की उनकी स्वीकृति देने से पहले बालक की स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट का पुवर्विलोकन अपनी पसंद के चिकित्सक से भी करा सकते हैं।
- **11.** दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख (1) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर, अनुसूची 8 में उपबंधित प्रपत्र में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा।

- (2) भावी दत्तक माता-पिता विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अनुसूची 9 में यथा विनिर्दिष्टित दस्तावेजों की मूल प्रतियां या नोटेरी द्वारा सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।
- 12. विधिक प्रक्रिया (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक के मिलान की तारीख से और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची 11 में यथा विनिर्दिष्टित प्रासंगिक मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित न्यायालय में, जिसका उस स्थान पर अधिकारिता है जहां पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण स्थित है, आवेदन पत्र फाइल करेगा।
- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण दिए गए प्रपत्र में अनुसूची 28 या अनुसूची 29 के अनुसार, जो भी लागू हो, आवेदन फाइल करेगा।
- (3) यदि बालक किसी ऐसी बालक देखरेख संस्था से है जो विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है और दूसरे जिले में स्थित है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अभिकरण उस जिले के, जहां बालक अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण स्थिति है, संबंधित न्यायालय में याचिका फाइल करेगा और ऐसे मामले में, बालक देखरेख संस्था विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ सह-याचिकाकर्ता होगी और बालक देखरेख संस्था संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
- (4) सहोदर या जुड़वां बच्चों के मामले में, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय में एक ही आवेदन फाइल करेगा ।
- (5) चूंकि दत्तकग्रहण का मामला गैर-विरोधात्मक प्रकृति का होता है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन में किसी को प्रतिपक्ष या प्रत्यर्थी नहीं बनाएगा।
- (6) न्यायालय दत्तकग्रहण पर कार्यवाही बंद कमरे में करेगा और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका फाइल करने की तारीख से दो मास की अविध के भीतर, यथाउपबंधित अधिनियम की धारा 61 की उप धारा (2) में परिकल्पित है, मामले का निपटारा करेगा।
- (7) दत्तक माता-पिता से, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य समर्थक दस्तावेजों में उनकी मनो-सामाजिक विवरणिका और वित्तीय स्थिति पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है, कोई वचनबंध निष्पादित करने या बालक के नाम पर निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
- (8) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण, न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करेगा और इसे भावी दत्तक माता-पिता को दस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालेगा और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।
- (9) दत्तकग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार आज्ञापक नहीं है।
- (10) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता-पिता के रूप में दत्तक माता-पिता के नाम और दत्तकग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा और प्रमाण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र अधिमानत: आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
- (11) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण याचिका दायर करते समय न्यायालय में अनुसूची 23 में यथा उपबंधित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।
- 13. दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगित का अनुवर्तन (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है, भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तक-पूर्व देखरेख में स्थापन की तारीख से दो वर्ष तक छमाही आधार पर अनुसूची 22 में यथा उपबंधित प्रपत्र में दत्तकग्रहण पश्चातवर्ती अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगा और बालक के फोटो के साथ उसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा।
- (2) यदि दत्तक माता-पिता पुनर्स्थापित हो जाते हैं, वह उस अभिकरण को जिसने गृह अध्ययन किया है, और उस जिले के, जहां वे पुनर्स्थापित हए हैं. जिला बालक संरक्षण एकक को सुचित करेंगे।
- (3) वर्तमान जिले का जिला बालक संरक्षण एकक दत्तकग्रहण पश्चातवर्ती अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा ।
- (4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक, यथास्थिति, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के परामर्श की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य अभिकरण में स्थापित परामर्श केंद्र से जोड़ेगा।

- (5) यदि बालक को दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन में कोई समस्या होती है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण ऐसे दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य अभिकरण में स्थापित परामर्श केंद्र से जोड़ेगा।
- (6) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में बाधा के मामले में :
  - (क) याचिका फाइल करने से पहले दत्तकग्रहण पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करते हुए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा ;
  - (ख) न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद दत्तकग्रहण-पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करते हुए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा और संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण आवेदन वापस ले लिया जाएगा;
  - (ग) जहां दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान बालक को दूसरे राज्य में ले जाया गया है, वहां राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा उस राज्य से जहां बालक रह रहा है और उसके मूल राज्य से समन्वयन किया जाएगा।
- (7) विघटन के मामले में, उस न्यायालय में, जिसने दत्तकग्रहण आदेश जारी किया है, दत्तकग्रहण के बातिलकरण के लिए आवेदन किया जाएगा
- (8) दत्तक ग्रहण के यथास्थिति विच्छिन्न या विघटन हो जाने के बाद बालक की स्थिति को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त के रूप में अद्यतन किया जाएगा।

### अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया

- **14.** अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के समान मानना अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता को भारतीय अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्राथमिकता के मामले में भारत में रह रहे भारतीयों के समान माना जाएगा।
- 15. अंतर-देशीय दत्तकग्रहण हेतु भावी दत्तक माता-पिता का रिजस्ट्रीकरण और उनके लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (1) कोई भी अनिवासी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता, जो एक ऐसे देश में रहते हैं, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, और भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के इच्छुक हैं, वे अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपने रिजस्ट्रीकरण के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण से, यथास्थिति, पहुंच कर सकते हैं।
- (2) यदि, उनके सामान्य निवास करने वाले देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तब भावी दत्तक माता-पिता इस प्रयोजन के लिए उस देश के संबंधित सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेंगे।
- (3) संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित यथास्थिति सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनियक मिशन बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त पाए जाने के बाद, उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी कराएगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्टित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सुचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन का रजिस्टीकरण करेंगे।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने की तारीख से मानी जाएगी।
- (5) भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता अथवा उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्रधिकरण में इस अध्याय में निर्दिष्ट उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित किया जाएगा जहां दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र बालक उपलब्ध होंगे।
- (6) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) द्वारा दो बालकों तक की विवरणिकाएं, एक या दो रैफरलों में, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन, यथास्थिति, को भेजी जाएगी, जो ऐसी विवरणिकाओं को स्थानीय नियमों के अनुसार संबंधित भावी दत्तक माता-पिता को अग्रेषित करेंगे और विदेशी या विदेशी भारतीय नागरिकों के मामले में, बालकों की विवरणिकाएं भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्टित करेंगे।
- (7) भावी दत्तक माता-पिता छियानवे घंटे के भीतर निर्दिष्टित बालकों में से एक बालक को आरक्षित करेंगे और दूसरे बालक की विवरणिका स्वत: वापस ली गई मान ली जाएगी।

- (8) यदि भावी दत्तक माता-पिता छियानवे घंटे के भीतर संदर्भित बालकों में से किसी भी बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विवरणिकाएं अपने आप वापस ली गई मान ली जाएंगी।
- (9) भावी दत्तक माता-पिता को रैफरल भेजते समय, उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाएगा।
- (10) यदि भावी दत्तक माता-पिता दिखाए गए बालकों में से एक को चुनते हैं, उन्हें चुनने की तारीख से तीस दिन के भीतर बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके बालक को स्वीकार करना होगा।
- (11) बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और उसके फोटो की मूल प्रति विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा भारतीय राजनयिक मिशन को भेजी जाएगी।
- (12) यदि भावी दत्तक माता-पिता तीस दिन के भीतर निर्दिष्ट बालको में से किसी भी बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विवरणिकाएं बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में वापस ली गई मान ली जाएंगी और भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएगी, जिन्हें बालक का चयन करने और उसे स्वीकार करने का दूसरा अवसर जब उनकी बारी आएगी, तब दिया जाएगा बशर्ते कि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट विधिमान्य हो।
- (13) यदि भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकार करने से पहले बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण आने के इच्छुक हैं, ऐसी मुलाकात प्राधिकरण द्वारा उनका दत्तकग्रहण आवेदन अनुमोदित होने के बाद ही की जा सकती है और भावी दत्तक माता-पिता बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट का पुनर्विलोकन अपनी पसंद के चिकित्सक से भी करा सकते हैं।
- (14) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता के दस्तावेजों की मूल प्रति, अनुसूची 9 में यथा विनिर्दिष्ट, संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को उनकी संवीक्षा के लिए अग्रेषित करेगा।
- (15) गृह अध्ययन रिपोर्ट का भाग होने वाले सभी दस्तावेज नोटेरी द्वारा सत्यापित होंगे और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश के मामले में नोटेरी को प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, तथापि भारत से मूल रूप में तैयार किए गए दस्तावेज स्व-प्रमाणित होंगे।
- (16) यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तब मूल दस्तावेजों के साथ भावी दत्तक माता-पिता के आवास के देश में सत्यापन या प्रमाणन के लिए नामोदिष्टित अभिकरण या प्राधिकारण द्वारा सत्यापित उनका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होना चाहिए।
- 16. प्राधिकरण का निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख (1) प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार, जहां भी लागू हो, प्राप्तकर्ता देश द्वारा अनुमोदन या अनुमति पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर अनुसूची 10 में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में निरापेक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा; और निरापेक्ष प्रमाण-पत्र की एक प्रति सभी संबंधितों को पृष्ठांकित की जाएगी और तत्काल बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाली जाएगी।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा जब न्यायालय से आदेश लंबित हो, प्राधिकरण द्वारा निरापेक्ष प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद अनुसूची 8 में दिए गए प्रपत्र में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, बालक को भारत में अस्थायी अवधि के लिए दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक की अंतिमरूप से अभिरक्षा सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के बाद पासपोर्ट और वीजा जारी होने के तुरंत बाद दे दी जाएगी।
- **17.** विधिक प्रक्रिया (1) इस अध्याय के तहत अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में विनियम 12 के अनुसार विधिक प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अपनाई जाएगी।
- (2) यदि भावी दत्तक माता-पिता सामान्यत: विदेश में रहते हैं, और साथ ही अपनी ओर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से प्रतिनिधितव करने की इच्छा करते हैं, तो आवेदन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के दत्तकग्रहण प्रभारी जो मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, के पक्ष में मुख्तारनामा भी संलग्न होगा और ऐसे मुख्तारनामा में अटर्नी को भावी दत्तक माता-पिता की ओर से मामले में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
- 18. पासपोर्ट और वीजा, आप्रवास प्राधिकारियों को सूचना, पुष्टि प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र आदि (1) यदि प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, प्रधिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुसूची 11 में यथा उपबंधित प्रपत्र में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्देद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।

- (2) प्राधिकरण दत्तकग्रहण की पुष्टि के बारे में संबंधित आप्रवास प्राधिकारियों और यथास्थिति विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सुचित करेगा।
- (3) दत्तक बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (4) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने से संबंधित परिपत्रों के अनुसरण में, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करेगा।
- (5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर भावी दत्तक माता-पिता के नाम और दत्तकग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ दत्तक बालक के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करेगा।
- (6) दत्तक बालक विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड, यदि पात्र पाया जाता है, पाने का हकदार होगा।
- (7) दत्तक माता-पिता दत्तक बालक को अपने देश ले जाने के लिए दत्तक आदेश की तारीख से दो माह की अधिकतम अविध के भीतर भारत आएंगे।
- 19. अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता
  - द्वारा दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगित का अनुवर्तन (1) यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा भारतीय राजनियक मिशन अथवा संबंधित सरकारी विभाग प्राप्तकर्ता देश में दत्तक बालक के आगमन की तारीख से दो वर्ष तक, पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगित अनुसूची 12 में उपबंधित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा।
- (2) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह दौरों के दौरान प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग को बालक की दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- (3) यदि यह पाया जाता है कि बालक दत्तक कुटुम्ब में समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक कुटुम्ब में बच्चे का बना रहना बच्चे के हित में नहीं है, प्राप्तकर्ता देश में यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और भारतीय राजनयिक मिशन और प्राधिकरण के परामर्श से उसी देश में बालक को उपयुक्त अनुकल्पिक दत्तकग्रहण अथवा पोषण स्थानन में दिया जाएगा।
- (4) दत्तकग्रहण के विच्छेदन या विघटन के मामलें में, बालक उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय अनुसमर्थित देशों में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुसार देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का हकदार होगा।
- (5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेगा और यदि अपेक्षित हो, बालक के प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा ।
- (6) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, भारतीय दत्तक बालकों और उनके दत्तक माता-पिता का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करेगा और आयोजनों की रिपोर्ट केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा और भारतीय राजनयिक मिशन ऐसे मिलन समारोहों में सुकर करेंगे।
- (7) भावी दत्तक माता-पिता इस बारे में एक वचनबद्ध देंगे कि वह प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा यथास्थिति विदेशी केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों को दत्तक माता-पिता या कुटुम्ब में बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्षों की समयाविध तक व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देंगे।
- 20. विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में रह रहे हेग दत्तकग्रहण अभिसमय अनुसमर्थित देशों के विदेशी राष्ट्रिक द्वारा दत्तकग्रहण (1) यदि विदेशी भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रिक, जो एक ऐसे देश का नागरिक है जिसने हेग अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, और भारत का सामान्य निवासी है, दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में विनिर्दिष्टित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करके उसमें यथा विनिर्दिष्टित विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करेगा।

- (2) नोटेरी द्वारा सम्यक सत्यापित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, सिवाय भारत में मूल रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों के अलावा जो स्व-हस्ताक्षरित होंगे, आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को भेजेगा और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन रिपोर्ट को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सुचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करेगा।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटों के भीतर निर्दिष्ट किए गए बालकों में एक बालक को आरक्षित करेंगे और प्रक्रियाएं विनियम 15 के उप विनियम (9), (10), (12) और(13) और विनियम (16) से (19) के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।
- (4) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने की भूमिका, जैसा कि इन विनियमनों में अपेक्षित है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा निभाई जाएगी।
- (5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की तारीख से दो वर्षों की समयाविध में छमाही आधार पर दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची 12 में उपबंधित प्रपत्र के अनुसार बालक के फोटो के साथ उसका ब्यौरा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करके रिपोर्ट करेगा।
- (6) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह निरीक्षणों के दौरान विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को बालक की दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- (7) यदि अनुवर्तन के दौरान, यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को यह पता चलता है कि बालक दत्तक कुटुम्बके साथ समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक कुटुम्ब में बालक का बना रहना बालक के हित में नहीं है, विनियम 13 के उप-विनियम (5), (6) और (7) में यथा परिभाषित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
- (8) संबंधित राजनयिक मिशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तक डिक्री के बाद तुरंत ही अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की प्रति प्राधिकरण और संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी।
- (9) विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता-पिता इस प्रभाव का एक शपथपत्र देंगे कि वे दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की समयाविध में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमित देंगे।
- (10) विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता-पिता, जैसा भी मामला हो, इस प्रभाव का एक वचनबंध देंगे कि दत्तकग्रहण के बाद दो वर्ष पूरे होने से पहले यदि वे भारत के बाहर जाते हैं, वे अपनी गतिविधि के बारे में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सूचित करेंगे और अपना नया पता बताएंगे और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शेष अविध के लिए अपनी दत्तकग्रहण-पश्चातु प्रगति रिपोर्ट भेजना जारी रखेंगे।
- 21. विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में रह रहे हेग देशों के विदेशी राष्ट्रिक के मामले में दत्तकग्रहण प्रक्रिया (1) यदि भावी दत्तक माता-पिता में से कोई एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो ऐसे मामले को भारत में रह रहे भारतीयों के मामले के समान ही माना जाएगा।
- (2) यदि भावी माता-पिता दोनों ही विदेशी हैं, ऐसे मामलों में विनियम 20 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा ।
- 22. भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया (1) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की आवश्यक औपचारिकताएं प्रारंभ में उस देश की विधि और प्रक्रियाओं के अनुसार उसी देश में पूरी की जाएंगी।
- (2) प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (समर्थक दस्तावेजों सहित), बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता देश के रूप में भारत आ रहे बालकों के दत्तकग्रहण की दशा में, बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5 और 17 के अधीन यथा अपेक्षित, अनुमोदन जारी करेगा।
- (3) यदि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किसी ऐसे बालक का दत्तकग्रहण किया जाता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, और उस बालक को भारत आने के लिए भारतीय वीजा अपेक्षित है, संबंधित देश में भारतीय मिशन को वीजा के लिए आवेदन करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दत्तकग्रहण सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है, सभी सुसंगत दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी करेगा।
- (4) विदेश में दत्तकग्रहण किए गए बालक की आप्रवास अनुमित उस देश के भारतीय राजनियक मिशन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त करनी होगी।

### दत्तकग्रहण अभिकरणों की मान्यता, निरीक्षण और कृत्य

- 23. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता (1) कोई भी बालक देखरेख संस्था, जो अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में बालकों के स्थापन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आशय रखती है, निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 26 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करेगी अर्थात् :-
  - (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 12) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;
  - (ख) संस्था के संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपविधियों की प्रति;
  - (ग) बाल देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;
  - (घ) प्रबंधन समिति या कार्यकारिणी समिति या बोर्ड के सदस्यों की सूची यह दर्शाते हुए कि ऐसी समिति या बोर्ड के अधिकांश सदस्य भारतीय नागरिक हैं;
  - (ङ) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा सहित वार्षिक रिपोर्टें;
  - (च) अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों को दत्तक ग्रहण में स्थानन करने के विनिश्चय के समर्थन में अभिकरण का संकल्प;
  - (छ) बालक देखरेख संस्था के पत्रशीर्ष पर इसके मुख्य अधिकारी की प्रवृत्त सुसंगत नियमों और इन विनियमनों को पालन करने का वचनबंध;
  - (ज) बालक देखरेख संस्था के पत्रशीर्ष पर इसके मुख्य अधिकारी का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने और ऐसा करने की आवश्यक सुविधा रखने का वचनबंध;
  - (झ) समर्थक दस्तावेज जो यह दर्शाते हों कि संगठन बाल संरक्षण और कल्याण के क्रियाकलापों में संलग्न रहा है;
  - (ञ) संस्था में बालकों की सूची ; और
  - (ट) वृत्तिक और बालक देखरेख कर्मचारियों की सूची।
- (2) राज्य सरकार, यदि बालक देखरेख संस्था इस प्रयोजन के लिए संचालित निरीक्षण के आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में विचार करने के लिए उपयुक्त पाई जाती है, आवेदन की तारीख से तीन माह के भीतर बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगी
- (3) यदि कोई संगठन संस्थागत देखरेख में अंतग्रस्त नहीं है किंतु अपने पैनल पर प्रशिक्षित पोषण देखरेख दाताओं के माध्यम से शिशुओं और छोटे बालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण गैर-संस्थागत देखरेख सुनिश्चित करने की क्षमता और विशेषज्ञता रखती है, राज्य सरकार ऐसे संगठन को भी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता दे सकती है।
- (4) अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दोनों दत्तकग्रहणों में बालकों का स्थानन करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जब तक कि विनियम 25 में यथाउल्लिखित आधारों पर इस मान्यता का प्रतिसंहरण न कर लिया गया हो।
- **24. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीकरण के मानदंड और प्रक्रिया –** (1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीकरण करने से पहले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी अर्थात् :-
  - (क) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तक स्थानन में समाधानप्रद संपादन किया है ;
  - (ख) क्या उसने बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन किया है और इन विनियमनों में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के लिए विनिर्दिष्टित समय सीमा का पालन किया है ;
  - (ग) क्या उसने इन विनियमनों के उपबंधों के साथ-साथ राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण किया है ;
  - (घ) क्या वह किसी कदाचार में संलिप्त रहा है;
  - (ङ) क्या उसने दत्तकग्रहण फीस का उचित उपयोग किया है ; और
  - (च) क्या उसने अनुसूची 13 में यथा उपबंधित बाल देखरेख मानकों को बनाए रखा है।

- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित दस्तावेजों और सूचना के साथ अपनी मान्यता समाप्त होने से छह माह पहले आवेदन करेगा, अर्थात् :-
  - (क) पिछली मान्यता अवधि के दौरान जैविक माता-पिता, नातेदारों अथवा संरक्षकों को लौटाए गए बालकों के ब्यौरा के साथ उनकी संख्या:
  - (ख) पिछली मान्यता अवधि के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में स्थापन किए गए बालकों की संख्या और उनका ब्यौरा और उनके दत्तक-पश्चात् अनुवर्तन का ब्यौरा;
  - (ग) पिछली मान्यता अवधि के दौरान दत्तकग्रहण फीस की प्राप्ति और उसके उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा;
  - (घ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने की घोषणा का शपथपत्र: और
  - (ङ) यह कथित करते हुए शपथपत्र कि वह इन दत्तकग्रहण विनियमनों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करने के लिए सहमत है।
- (3) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता विद्यमान मान्यता समाप्त होने से पहले, इस प्रयोजन से संचालित किए गए निरीक्षण के आधार पर, पांच वर्ष की अविध के लिए नवीकृत की जाएगी, यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्दित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्टित दस्तावेज़ और सूचना प्रस्तुत करता है।
- (4) यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण ने मान्यता/नवीकरण के लिए राज्य सरकार का आवेदन कर दिया है और राज्य सरकार द्वारा आवेदन की तारीख से एक मास के भीतर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण अभिकरण को संचालित करने के लिए अधिकतम छह मास की अविध के लिए अनंतिम मान्यता माना जाएगा।
- (5) यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीकरण लंबित है, सभी लंबित मामलों को इन विनियमनों के अन्य सभी अनुबंध पुरे होने के अध्यधीन अग्रसर होने की अनुज्ञा होगी।
- 25. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का निलंबन अथवा प्रतिसंहरण (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण की सिफारिश पर या उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्टि किसी भी आधार पर किसी भी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निलंबित अथवा उसका प्रतिसंहरण कर सकती है।
- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निम्नलिखित कारणों में किसी एक अथवा अधिक कारणों से निलंबित किया जा सकता है, अर्थात् :-
  - (क) दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ इन दत्तकग्रहण विनियमनों का अतिक्रमण करना;
  - (ख) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण या संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को या बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर मिथ्या सूचना अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना;
  - (ग) बालक अथवा दत्तकग्रहण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के बारे में भावी दत्तक माता-पिता या बालक कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षण एकक को अधरी या मिथ्या सचना देना:
  - (घ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों को ऑनलाइन अद्यतन करने में विफल रहना;
  - (ङ) इन विनियमनों में विनिर्दिष्टित समय सीमा के भीतर रिपोर्टों या आंकड़ों को प्रस्तुत करने में विफल रहना;
  - (च) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्यकरण के बारे में, संबंधित राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण के निरीक्षण दल के प्रतिकृल निष्कर्ष;
  - (छ) यदि वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारिवृंद नियोजित नहीं किए गए हैं;
  - (ज) वित्तीय अनियमितता अथवा कदाचार अथवा भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक माता-पिता से वस्तु अथवा नकदी के रूप में कोई दान प्राप्त करना;
  - (झ) दत्तकग्रहण फीस अथवा सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग अथवा उस प्रयोजन से जिसके लिए वे प्राप्त हुए थे, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

- (ञ) अनैतिक पद्धतियां जिनमें एकल माताओं अथवा जैविक माता-पिता को अपने बालकों का त्याग करने के लिए उत्प्रेरित करना और बालकों को अवैध रूप से प्राप्त करना भी शामिल है;
- (ट) गोपनीयता का सिद्धांत का अतिक्रमण करते हुए जैविक माता या माता-पिता या दत्तक बालक के बारे में सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना;
- (ठ) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न करना; और
- (ड) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में बालकों का दुरुपयोग अथवा उनकी उपेक्षा करना ।
- (3) अभिकरण को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अवसर दिए बिना प्राधिकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
- (4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन के बाद, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण छह माह की अविधि के भीतर आवश्यक जांच कराएगा, और यदि आरोप सिद्ध होते हैं, संबंधित राज्य सरकार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का प्रतिसंहरण करेगी।
- (5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के प्रतिसंहरण के मामले में, संबंधित राज्य सरकार, तीस दिन के भीतर, उस गृह के बालकों के लिए, बालकों को दूसरे विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में स्थानांतरित करने सहित, अनुकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करेगी।
- (6) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबलन या प्रतिसंहरण की स्थिति में, उन मामलों को जिनमें भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं, दत्तकग्रहण संपन्न करने के लिए इन विनियमनों के सभी अन्य उपबंधों के अध्यधीन अनुमित दी जाएगी।
- **26. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का निरीक्षण** (1) संबंधित राज्य सरकार बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देने अथवा नवीकरण पर विचार करने से पहले उसका निरीक्षण करेगी।
- (2) संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दक्षतापूर्वक और इन विनियमनों में यथा अधिकथित मानकों का पालन कर रहे हैं, उनका वार्षिक निरीक्षण संचालित करेंगे और जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेंगे।
- (3) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का परिसर, उन स्थानों सिहत जहां बालक रह रहे होते हैं, और उसके सुसंगत अभिलेख केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल कल्याण सिमिति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अभिकरण अथवा व्यक्ति के लिए खुले होंगे और निरीक्षण का प्रपत्र अनुसूची 25 में यथा उपबंधित होगा।
- (4) जहां कहीं किसी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का निरीक्षण किया जाता है, निम्नलिखित की संवीक्षा अथवा परीक्षा की जाएगी, अर्थात् :-
  - (क) कि अभिकरण इन विनियमनों के उपबंधों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन और अपने कार्यों का पालन दक्षतापूर्वक कर रहा है;
  - (ख) कि दत्तकग्रहण को बालकों के हित में कल्याण क्रियाकलाप के रूप में संगठन द्वारा परिशीलन किया जा रहा है और वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं;
  - देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में वास्तव में स्थानन किए गए बालकों की कुल संख्या और ब्यौरा;
  - (घ) बालकों के दत्तकग्रहण से संबंधित अभिलेख, उनके प्रवेश से लेकर विधिक दत्तक ग्रहण डिक्री और अनुवर्ती प्रगति तक के साथ-साथ संबंधित रजिस्टर:
  - (ङ) क्या बालकों के दत्तक ग्रहण में स्थानन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शीघ्र और पर्याप्त प्रयास किए गए हैं:
  - (च) क्या अभिकरण ने नियमित रूप से और अनुबंधित समय के भीतर संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को वार्षिक रिपोर्टें, खातों का लेखापरीक्षित विवरण और दत्तकग्रहण आंकड़ों सहित मासिक रिपोर्टें केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए हैं;

- (छ) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों और रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है;
- (ज) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के पास इन विनियमनों के अधीन यथा अनुबंधित गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख सुविधाओं का रखरखाव कर रहा है और उन्हें प्रदान कर रहा है और बाल देखरेख के न्यूनतम मानक अनुसूची 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे;
- (झ) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भुगतान की गई फीस की प्राप्ति और दत्तकग्रहण फीस में अंशदान और उसके उपयोग सहित वित्तीय अभिलेख: और
- (ञ) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के विरुद्ध कदाचार का कोई वाद है।
- **27. सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों के अधीन अनुदानों की हकदारी -** विषेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों, उन स्कीम के अधीन निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, सहायतानुदान प्राप्त करने का हक है।
- 28. लेखाओं के रखरखाव के लिए अभिकरण.- (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दत्तकग्रहण फीस के रूप में प्राप्त निधि का उपयोग करेगा।
- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण फीस और सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों के अंतर्गत सरकारी अनुदान के उपयोग सिहत लेखाओं का उचित रखरखाव करेगा जिनकी लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी।
- (3) संगठन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ इसके लेखा परीक्षित खातों की अनुप्रमाणित प्रति, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (1976 का 49) के अनुसार एक रिपोर्ट भी प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से छह माह के भीतर संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
- 29. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कृत्य विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तक ग्रहण में स्थापन को सुकर बनाने के लिए इन विनयमनों के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात :-
- (1) बालकों के प्रति प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :-
  - (क) इसके प्रभार में रह रहे प्रत्येक बालक की देखरेख, संरक्षण और कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं; भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा; फुरसत और आमोद-प्रमोद संबंधी क्रियाकलापों का प्रबंध करेगा; किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, यथास्थिति समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा और प्रत्यावर्तन करेगा अथवा अनुवर्तन करेगा;
  - (ख) बालकों के प्रवेश, प्रत्यावर्तन, स्थानांतरण, मृत्यु और दत्तकग्रहण के सभी मामलों के अलावा संस्था से गुम हुए बच्चों के बारे में, यदि कोई हुआ हो, बालक कल्याण समिति, जिला बालक संरक्षण एकक, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति, गुमशुदा बच्चों के लिए नामोदिष्टित पोर्टल और पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट करेगा;
  - (ग) प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की प्रास्थिति को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति, जो www.cara.nic.in वेबसाइट पर सुगम है, प्रस्तुत करेगा;
  - (घ) बाल कल्याण समिति द्वारा जारी बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप मुक्त करने वाले प्रमाणपत्र को ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा:
  - (ङ) सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की बालक अध्ययन रिपोर्ट अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर उन पर अपलोड करेगा;
  - (च) ऐसे सभी बालकों की जिनको उनके गृह में प्रवेश दिया गया है, अनुसूची 4 में यथा उपबंधित चिकित्सा परीक्षा जांच की व्यवस्था करेगा और अपने शिशु रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण सिमिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालेगा;

- (छ) बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत और वरीयता के निम्नलिखित क्रम में देखरेख के विकल्पों अर्थात् :-
  - (i) जैविक कुटुम्ब और विधिक संरक्षक से प्रत्यावर्तन;
  - (ii) देश के भीतर दत्तकग्रहण;
  - (iii) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण;
  - (iv) पोषण देखरेख ; और
  - (v) संस्थागत देखरेख

का अनुसरण कर प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करेगा।

- (ज) स्मृति एलबम तैयार करेगा, जिसमें बालक की फोटो एलबम, बालकों के जीवन का इतिवृत्त और ब्यौरा (अभ्यपर्ण करने वाले माता-पिता के ब्यौरा का उल्लेख न किया जाए) और बालक की अभिरूचि शामिल की जाए, जिसे दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में भावी दत्तक माता-पिता को बालक को सौंपते समय बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के साथ-साथ दत्तक कृदम्ब को सौंपा जाएगा;
- (झ) ऐसे प्रत्येक बालक के दत्तकग्रहण में स्थानन का प्रयास करेगा, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया हो:
- (ञ) भावी दत्तक माता-पिता को बालक के संप्रेषण और इन विनियमों में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण से संबंधित विधिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ट) प्रत्येक दत्तकग्रहण योग्य बालक को दत्तक कुटुम्ब को अपनाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करेगा;
- (ठ) भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की अनन्योक्रिया, जहां कहीं अपेक्षित हो, को सुकर बनाएगा;
- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि जुड़वां बालकों अथवा सहोदर का, जहां तक संभव हो, एक ही कुटुम्ब में स्थानन हो;
- (ढ) दत्तकग्रहण के अभिलेख को इस प्रकार से परिरक्षित रखेगा कि ऐसे अभिलेख तक केवल प्राधिकृत व्यक्ति की ही पहुंच हो;
- (ण) विनियम 44 में यथा उल्लिखित रीति से दत्तकों द्वारा अपनी मूल परिवार की तलाश को सुकर बनाएगा ।
- (2) जैविक माता-पिता के प्रति कृत्य प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :-
  - (क) अभ्यर्पित बच्चे के माता-पिता के साथ पूरी दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान सम्मान और गरिमा के साथ बरताव करेगा;
  - (ख) अविवाहित माँ और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखेगा;
  - (ग) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को परामर्श देगा और उन्हें भविष्य में उनके बालक द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की संभावना के बारे में बताएगा;
  - (घ) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ-साथ बालक की पृष्ठभूमि और विकास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा;
  - (ङ) माता-पिता को अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की संभावना सहित अभ्यपर्ण की विवक्षा के बारे में बताएगा;
  - (च) यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यपर्ण और दत्तकग्रहण के लिए माता-पिता द्वारा सहमित किसी प्रपीड़न अथवा आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के बिना दी गई है:
  - (छ) बालक के जन्म से पहले बालक के दत्तकग्रहण के संबंध में जैविक माता-पिता के साथ कोई वचनबद्धता या करार नहीं करेगा:
  - (ज) माता-पिता को सूचित करेगा कि उनके पास अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की पुनर्विचारण अवधि होगी जिसके दौरान वे बालक को वापस ले जा सकते हैं।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता के प्रति कृत्य प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :-
  - (क) भावी दत्तक माता-पिता के साथ सम्मान के साथ बरताव करेगा और सम्यक शिष्टाचार, सहायता और सलाह देगा;
  - (ख) भावी दत्तक माता-पिता को, यदि उनके सामने कोई कठिनाई आ रही है, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण करने में सहायता करेगा;

- (ग) भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने और उसके लिए उनकी तैयारी का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सलाहकार के माध्यम से परामर्श देगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात् :-
  - (i) अपने कुटुम्ब को बनाने के एक अनुकल्पिक तरीके के रूप में दत्तकग्रहण की स्वीकृति;
  - (ii) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक हेतु अधिमान;
  - (iii) ऐसे बालक को दत्तक लेने के लिए भावात्मक तैयारी, जो उनका संबंधी नहीं है;
  - (iv) बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में सरोकार;
  - (v) पालन-पोषण और अनुशासन के प्रति रुख;
  - (vi) बालक को दत्तकग्रहण के तथ्य की जानकारी देना, जब वह बड़ा हो जाए;
  - (vii) दत्तक बालक द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज पर व्यवहार करना, जब वह बड़ा हो जाए;
  - (viii) कोई अन्य मुद्दा, जो पारस्परिक अनन्योंक्रिया के दौरान उठ सकता है।
- (घ) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता की, जिन्होंने उसके द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट का विकल्प चुना है, उनके रजिस्ट्रीकरण और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करेगा;
- (ङ) भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की वर्तमान प्रास्थिति और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक आरक्षित किए जाने के बाद पुरे दत्तकग्रहण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निरंतर अद्यतन करेगा;
- (च) भावी दत्तक माता-पिता को बालक की वीडियो क्लिप प्रदान करेगा और संप्रेषण के बाद बालक के साथ उनके वीडियो कॉल को सुकर बनाएगा;
- (छ) भावी दत्तक माता-पिता को बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के बारे में जानकारी देगा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के स्वास्थ्य की प्रतिस्थिति के बारे में भावी दत्तक माता-पिता को जानकारी देगा यदि ऐसा कोई बालक दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित है:
- (ज) बालक की खाद्य और सामाजिक आदतों सहित उससे संबंधित प्रतिरक्षण अभिलेख और हाल की नैदानिक रिपोर्टों के साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना, स्मृति एलबम भावी दत्तक माता-पिता को प्रदान करेगा;
- (झ) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की एक प्रति और जन्म प्रमाण-पत्र अथवा शपथपत्र, जब कभी उपलब्ध हो, भी भावी दत्तक माता-पिता को प्रदान किया जाएगा;
- (ञ) संप्रेषण पूरा होने पर और इन विनियमनों में यथा अभिकथित आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद बालक को दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में रखेगा:
- (ट) भावी दत्तक माता-पिता को, यदि अपेक्षित हो, परामर्श सहित दत्तकग्रहण-पश्चात् सेवाएं प्रदान करेगा;
- (ठ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित सन्नियमों में यथा विनिर्दिष्ट भुगतान के अलावा, कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा:
- (ड) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया समझने के लिए भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक कुटुम्बों से संपर्क करने की सलाह देगा ।
- (4) परामर्श से संबंधित कृत्य :- विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के परामर्श से संबंधित कृत्यों में निम्नलिखित कृत्य शामिल होंगे अर्थात् :-
  - (क) अभ्यर्पण की दशा में जैविक माता-पिता को परामर्श;
  - (ख) भावी दत्तक माता-पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और मिलान प्रक्रिया और प्राधिकरण या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक से संपर्क कराने के दौरान, जहां कहीं अपेक्षित हो, दत्तकग्रहण-पूर्व परामर्श;
  - (ग) अधिक आयु के बालकों को दत्तकग्रहण से पहले और दत्तकग्रहण के दौरान परामर्श;
  - (घ) दत्तक माता-पिता को, जब कभी अपेक्षित हो, परामर्श; और
  - (ङ) दत्तक बालकों को दत्तक-पश्चात् परामर्श, जब उनके द्वारा अपने मूल कुटुम्ब की खोज में संपर्क किया जाता है ।

- (5) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण परित्यक्त बालकों को प्राप्त करने के लिए अपना गृह स्थापित करेगा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों, अस्पतालों, परिचर्या गृहों, महिलाओं के लिए अल्पावास और स्वाधार गृहों शिशु पालना स्थल स्थापित करेगा।
- (6) प्रलेखीकरण और अभिलेख अनुरक्षण -
  - (क) प्राधिकरण का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) वेब पोर्टल डाटाबेस और रजिस्ट्रीकरण प्रणाली होगा जिसका दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए सभी राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बालक संरक्षण एककों और बालक देखरेख संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाना आज्ञापक होगा।
  - (ख) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक के लिए आयु और निम्नलिखित से संबंधित लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर 'व्यक्तिगत देखरेख योजना' तैयार करेगा अर्थात् :-
    - (i) स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकताएं :
    - (ii) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं ;
    - (iii) शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं ;
    - (iv) फुरसत, सृजनात्मकता और खेल ;
    - (v) लगाव और नातेदारी ;
    - (vi) सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और बुरे वर्ताव से संरक्षण ;
    - (vii) कुटुम्बके साथ पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखरेख सहित पुनर्वास ;
    - (viii) समाज की मुख्यधारा से जोड़ना ; और
    - (ix) पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्तन।
  - (ग) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक की मामला फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा अर्थात् :-
    - (i) बालक का मामला इतिवृत्त और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट;
    - (ii) अंतरिम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण हेतु वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश और बालक को त्यागने के मामले में अभ्यपर्ण विलेख;
    - (iii) बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और प्रतिरक्षण अभिलेख;
    - (iv) प्रत्येक छह माह के अंतराल पर लिए गए बालक के फोटो;
    - (v) भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन प्रपत्र, दस्तावेज़ और गृह अध्ययन रिपोर्ट;
    - (vi) दत्तकग्रहण याचिका, दत्तकग्रहण आदेश और बालक का जन्म प्रमाण-पत्र;
    - (vii) बालक की स्थानन पश्चात प्रगति रिपोर्टें।
  - (घ) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित अभिलेख रखेगा अर्थातु :-
    - (i) मास्टर प्रवेश रजिस्टर;
    - (ii) बालक की चिकित्सा और विकास फाइल;
    - (iii) बालक की मामला फाइल;
    - (iv) बालकों और कर्मचारिवृंद की उपस्थिति रजिस्टर;
    - (v) भावी दत्तक माता-िपता के ब्यौरे के साथ दत्तक बालकों का रिजस्टर (रिजस्ट्रीकरण की तारीख, गृह अध्ययन रिपोर्ट की तारीख, बालक अथवा बालकों के संप्रेषण की तारीख (तारीखें), न्यायालय के आदेश की तारीख, भावी दत्तक माता-िपता को बालक सौंपने की तारीख, आदि);
    - (vi) वाउचर्स, रोकड़ बही, खाता, जरनल और वार्षिक लेखे;
    - (vii) अनुदान और दत्तकग्रहण फीस की प्राप्ति और उपयोग रजिस्टर;

- (viii) स्टॉक रजिस्टर; और
- (ix) प्रबंधन समिति और दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख (अलग-अलग रखा जाए )।
- (7) अन्य कृत्य प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण:-
  - (क) दत्तकग्रहण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास क्रियाकलापों का आयोजन भी करेगा;
  - (ख) इन दत्तकग्रहण विनियमनों के बारे में अपने बालक देखरेख और वृत्तिक कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण भी देगा; और
  - (ग) यह भी सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता-पिता का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण का प्रत्येक मामले का आवेदन प्राप्ति की तारीख से प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, प्राधिकरी और राज्य अभिकरण की सहायता से अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में यथा अनुबंधित चार मास की अविध के भीतर निपटान कर दिया जाए।
- 30. प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के कृत्य प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-
  - (1) भारत से बालक का दत्तकग्रहण करने की अभिरूचि रखने वाले भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण करना और शीघ्र उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करना;
  - (2) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण आवेदन की अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना और उसकी मूल प्रति आबंटित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को अग्रेषित करना;
  - (3) प्राधिकरण से दत्तकग्रहण हेतु निरापेक्ष प्रमाण-पत्र मिलने के बाद शीघ्र दत्तकग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ अनुवर्तन करना;
  - (4) दत्तक बालक जिस स्थान का रहने वाला है, उस स्थान की संस्कृति अथवा भाषा अथवा खाद्य का अभिसंस्करण भावी दत्तक माता-पिता को देना:
  - (5) दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगति के दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन की प्रस्तुति सुनिश्चित करना और विनियम 19 में यथा उल्लिखित भंग के मामलों का निपटान करना;
  - (6) संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन की अंतग्रस्तता से समय-समय पर भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक कुटुम्बों के सम्मिलन समारोहों का आयोजन करना;
  - (7) दत्तक ग्रहण किए गए बड़े बालकों की अपने मूल परिवार की तलाश में सहायता करना; और
  - (8) मेजबान देश की विधिक अपेक्षाओं के साथ-साथ केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकार की निबंधन और शर्तों को परा करना।

### 31. विदेशी अभिकरणों के प्राधिकरण के मानदंड और प्रक्रिया -

- (1) भारतीय बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए विदेशी भावी माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के इच्छुक विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण उस देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग की सिफारिश के साथ भारतीय राजनियक मिशन के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन करेगा।
- (2) प्राधिकरण द्वारा विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को प्राधिकरण अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित होगा :-
  - (क) ज्ञापन अथवा उपविधियां, रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति की प्रतियां, अंतरराष्ट्रीय दत्तकग्रहण कराने के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अनुज्ञप्ति, बोर्ड या कार्यकारी सदस्यों की सूची, उन देशों की सूची जिनके साथ वह कार्य कर रहा है, प्रत्यायन प्रमाण-पत्र, और पिछले दो वर्षों की इसकी वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षित खाते;
  - (ख) यह कथित करते हुए कि अभिकरण इन विनियमनों के उपबंधों का अनुपालन कथन करेगा, संगठन के प्रमुख अथवा मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक वचनबंध;
  - (ग) अभिकरण द्वारा एक वचनबंध कि अवरोध वाले या दत्तक बालकों के संप्रत्यावर्तन की दशा में, वह भारतीय दत्तकग्रहण विनियमनों में अधिकथित विशिष्ट प्रावधानों का पालन करेगा:

- (घ) भारत से दत्तकग्रहण में स्थापन किए गए बालकों की प्रास्थिति पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अभिकरण द्वारा वचनबंध;
- (ङ) उनके देश की दत्तकग्रहण विधि या दत्तकग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांतों या दत्तक ग्रहण नियमों की प्रति;
- (च) अभिकरण के कर्मचारिवृंद की सूची, भारत में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश/प्राधिकरण:
- (छ) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन और प्राप्तकर्ता देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग से सिफारिश पत्र।
- (3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से उप-विनियम (1) और (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राधिकरण की तारीख समाप्त होने से नब्बे दिन पहले निम्नलिखत ब्यौरे के साथ अपने प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है अर्थात्:-
  - (क) ऐसे प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से दत्तकग्रहण में बालकों की नागरिकता की प्रास्थिति के साथ उनके स्थापन की सूची; और
  - (ख) अवरोध, यदि कोई हो।
- (4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण की दशा में, दत्तकग्रहण मामलों को सुकर बनाने के लिए भारत में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति अपेक्षित होगी, जिसके लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 32. प्राधिकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण -

वे आधार जिन पर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं:-

- (क) यदि अभिकरण भारत के दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है;
- (ख) यदि अभिकरण की अनुज्ञप्ति या मान्यता या प्रत्यायन उस देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दी जाती है या उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाता है;
- (ग) यदि अभिकरण समय-समय पर दत्तक ग्रहण के आवेदनों या दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्ती रिपोर्टों को अपलोड नहीं करता है।

#### अध्याय - 6

### सरकारी संगठन और प्राधिकरण के कृत्य

- 33. राज्य सरकार और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की भूमिका –
- (1) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की संरचना -
  - (क) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 के अधीन उपबंधों के अनुसार, प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण स्थापित करेगी।
  - (ख) विद्यमान राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अधिनियम के अधीन स्थापित माने जाएंगे।
  - (ग) संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रमुख दत्तकग्रहण से होंगे और अभिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :
    - (i) दत्तकग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग का निदेशक अभिकरण के सदस्य सचिव होंगे;
    - (ii) राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन विभाग के निदेशक :
    - (iii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष;
    - (iv) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का प्रतिनिधि;
    - (v) नागरिक समाज का एक सदस्य जो कम से कम दस वर्षों तक बाल कल्याण से जुड़ा रहा हो;
    - (vi) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य।

- (घ) शासी निकाय राज्य में दत्तकग्रहण कार्य की प्रगति के पुनर्विलोकन की समीक्षा करने और दत्तकग्रहण प्रक्रिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ-साथ संभारीय मुद्दों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिए आवश्यकतानुसार अंतराल पर और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।
- (ड़) जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों से व्यवहार कर रहे प्राधिकारियों को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
- (च) राज्य सरकार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए उसे पर्याप्त कर्मचारिवृंद, अवसंरचना और संचार सुविधाएं प्रदान करेगी ।
- (2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के कृत्य :- राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने, सुगम बनाने और निगरीनी या विनियम करने के लिए राज्य सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करेगा और इसके कृत्यों में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-
  - (क) प्रत्येक जिले में एक या अधिक से बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए अनुशंसा करना;
  - (ख) वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का संपर्क ब्यौरे प्रकाशित करना;
  - (ग) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के संतोषजनक अनुपालन के अध्यधीन प्रत्येक पांच वर्ष पर रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण;
  - (घ) दत्तकग्रहण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों की बैठकों का आयोजन करना और इन बैठकों के कार्यवृत्त को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करना;
  - (ङ) अपनी अधिकारिता में सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का निरीक्षण और निगरानी करना:
  - (च) ऐसी बालक देखरेख संस्थाओं को जिन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, परिलक्षित करना और अधिनियम की धारा 66 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ऐसी संस्थाओं में पात्र बालकों के दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए उन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से जोड़ना;
  - (छ) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के अधीन यथा परिकल्पित मानकों और उपायों का प्रवर्तन:
  - (ज) ऐसे विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों या बालक देखरेख संस्थाओं को, जिनके पास एचआईवी/एड्स से प्रभावित या संक्रमित और मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों सिहत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण देखरेख और उपचार प्रदान करने की क्षमता है, परिलक्षित करना और इन अभिकरणों में ऐसे बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाना;
  - (झ) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थानिक विकल्पों के माध्यम से बालकों के गैर-संस्थानीकरण में तेजी लाना;
  - (ञ) ज्ञान आधार का सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और प्रलेखीकरण, बालक खोज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, प्रचार और जागरूकता विकास, समर्थन और संसूचना, निगरानी और मूल्यांकन जैसे उपाय करना जो राज्य में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित हैं;
  - (ट) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (5) के अधीन उपबंधों के अनुसरण में, राज्य में बालक कल्याण समितियों द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आनलाइन दिए गए आंकड़ों को विधिमान्य करना:
  - (ठ) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों द्वारा दत्तकग्रहण विनियमनों में विनिर्दिष्टित प्रपत्र और समयाविध में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के सही आंकड़े और दस्तावेज देना सुनिश्चित करना;
  - (ड) अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (2) में यथाअपेक्षित बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों की विवरणिकाएं देना या अद्यतन करना;
  - (ढ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में जिला बालक संरक्षण एककों, बालक कल्याण समितियों और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के संपर्क ब्यौरों को नियमित आधार पर अद्यतन करना;

- (ण) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण योग्य बालकों, भावी दत्तक माता-पिता, अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों के राज्य-विशिष्ट डाटाबेस का रखरखाव;
- (त) सुनिश्चित करना कि राज्य में सभी दत्तकग्रहण स्थानन अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किए गए हैं;
- (थ) निम्नलिखित के लिए जिला बालक संरक्षण एकक, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण की सहायता से वृत्तिक योग्यता वाले या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का रखरखाव और परामर्श केंद्र की स्थापना करना :-
  - (i) भावी दत्तक माताओं-पिताओं को परामर्श देना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;
  - (ii) बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और जहां कही अपेक्षित हो, पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों को परामर्श देना:
  - (iii) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट, जहां कही अपेक्षित हो, तैयार करना;
  - (iv) अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहणों के मामलों में पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना;
  - (v) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चात् परामर्श;
  - (vi) मूल परिवार की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना।
- (द) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्य करना ।
- (3) राज्य सरकार, व्यतिक्रमी अभिकरण या संस्था या कार्मिक को पर्याप्त् अवसर देने के बाद, अधिनयम की धारा 32, धारा 41 (1), धारा 41 (5), धारा 65 (4), धारा 80 और धारा 81 के अधीन उपबंधो के उल्लंघन (उल्लंघनों) के मामलों में शिकायत मिलने पर या स्व-प्ररेणा से कार्रवाई करेगी।
- **34.** जिला बालक संरक्षण एकक अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अलावा अन्य सरकारी अधिसूचित स्कीमों में यथा परिकल्पित कृत्यों के अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण एकक निम्नलिखित कार्य करेगा -
- (1) जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता से, जहां कही अपेक्षित हो, दत्तकग्रहण के लिए उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कराना:
- (2) यह सुनिश्चित करना कि दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कराने की तारीख से दस दिन के भीतर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है;
- (3) दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए बालक देखरेख संस्थाओं को उसी जिले अथवा दूसरे जिले के विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के साथ जोड़े जाने को सुकर बनाना;
- (4) दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित प्रत्येक बालक के दत्तकग्रहण की प्रगति का पता लगाना और मामले में शीघ्रता लाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करना:
- (5) जिले से बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्रगति का पता लगाना और मामले में शीघ्रता लाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करना;
- (6) निम्नलिखित के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता से वृत्तिक योग्यता वाले या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का रखरखाव और परामर्श केंद्र की स्थापना करना :-
  - (क) भावी दत्तक माताओं-पिताओं को परामर्श देना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;
  - (ख) बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और जहां कही अपेक्षित हो, पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों को परामर्श देना;
  - (ग) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना;
  - (घ) अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहणों के मामलों में कुटुम्ब की पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना;

- (ङ) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चातु परामर्श; और
- (च) मूल कुटुम्ब की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना।
- (7) जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और मानीटरी करना;
- (8) यह सुनिश्चित करना कि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में समय पर और सही रीति से दत्तकग्रहण आंकड़े अद्यतन किए जा रहे हैं;
- (9) दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण की सहायता करना;
- (10) परित्यक्त बालक के प्रत्यावर्तन प्रयासों और समाचार पत्र में बालक की सूचना को प्रकाशित कराने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और पुलिस से नहीं खोज पाने की रिपोर्ट प्राप्त करने सिहत उसे वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने में, जहां कही अपेक्षित हो, बाल कल्याण समिति की सहायता करना;
- (11) दत्तक ग्रहण हेतु बालकों को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाले बाल कल्याण समिति के प्रमाणपत्र को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करना;
- (12) जिला बालक संरक्षण एकक दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 16 और 17 में यथा अनुबंधित अथवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन दिए गए प्रपत्र के अनुसार बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण संबंधी सूचना को अद्यतन करेगा।
- **35. बाल कल्याण समिति** बाल कल्याण समिति विनियम 6 और 7 में यथा उपबंधित कार्य करेगी।
- 36. जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी :- जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन अधिसूचित स्थानीय रिजस्ट्रार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा दत्तक माता-पिता द्वारा आवेदन करने पर दत्तकग्रहण किए गए बालक के पक्ष में जन्म प्रमाण-पत्र पांच कार्य दिवस के भीतर जारी करेगा जिसमें भारत के महारिजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तक माता-पिता का नाम और न्यायालय के दत्तकग्रहण आदेश में यथा उल्लिखित बच्चे की जन्म की तारीख सम्मिलित की जाएगी।
- **37. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण** :- प्राधिकरण अधिनियम की धारा 68 (1) में विनिर्दिष्टित कृत्यों के अलावा, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-
  - (1) देश के भीतर दत्तकग्रहण कार्यक्रम की निगरानी और विनियमन करना;
  - (2) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशों में रह रहे विदेशी नागरिकों के आवेदनों को प्राधिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकारण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से प्राप्त करना और अधिनयम की धारा 59 (5) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करना;
  - (3) भारत में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे विदेशी या विदेशी भारतीय नागरिक से, जो भारत से बालक का दत्तकग्रहण करने का हितबद्ध है, आवेदन प्राप्त करना और अधिनयम की धारा 59 की उप-धारा (12) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करना
  - (4) बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
  - (5) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अंतर-देशीय दत्तक के मामलों में पृष्टि प्रमाणपत्र जारी करना:
  - (6) अंतर देशीय दत्तकग्रहण के मामलों के बारे में भारत और प्राप्तकर्ता देश के अप्रवासन प्राधिकारियों को सूचना देना;
  - (7) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, जानकारी दौरों, परामर्शों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बालक संरक्षण एककों, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों और दत्तकग्रहण से संबंधित अन्य मामलों के पणधारियों का समर्थन और मार्गदर्शन करना;
  - (8) राज्य सरकारों अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों के साथ समन्वय करना और दत्तकग्रहण संबंधी मामलों में उन्हें सलाह देना;
  - (9) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक और सूचक स्थापित करना :-
    - (क) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों से संबंधित और नातेदारी दत्तकग्रहणों से भी संबंधित दत्तकग्रहण प्रक्रिया;

- (ख) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों और बालक देखरेख संस्थाओं में बालक देखरेख के गुणवत्ता मानक;
- (ग) सेवा प्रदाताओं की मानीटरी और पर्यवेक्षण;
- (घ) दत्तकग्रहण के मामलों में दस्तावेजों का मानकीकरण; और
- (ङ) निर्बाध दत्तकग्रहण सुकर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित रक्षोपाय और नीतिपरक पद्धतियां.
- (10) दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों में अनुसंधान संचालन, प्रलेखीकरण और प्रकाशन;
- (11) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित व्यापक केंद्रीयकृत डाटाबेस का रखरखाव;
- (12) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता से संबंधित गोपनीय केंद्रीयकृत डाटाबेस का रखरखाव;
- (13) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या तो स्वयं या अपने सहबद्ध निकायों द्वारा समर्थन, जागरूकता और सुचना, शिक्षा तथा संसूचना क्रियाकलाप चलाना;
- (14) विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ, जहां कहीं आवश्यक हो और हेग अभिसमय के अधीन यथा विनिर्दिष्ट द्विपक्षीय समझौते करना:
- (15) भारतीय बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के लिए अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करना.
- (16) निम्निलिखित के लिए अपने मुख्यालय में परामर्श केंद्र स्थापित करना और राज्य तथा जिला स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों की सहायता करना :-
  - (क) भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श:
  - (ख) पूर्व में दत्तकग्रहण किए बालकों को परामर्श, जहां कहीं अपेक्षित हो;
  - (ग) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना, जहां कहीं अपेक्षित हो;
  - (घ) दत्तकग्रहण किए गए बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चात् परामर्श; और
  - (ङ) 🛾 मूल कुटुम्ब की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना ।
- 38. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय :- न्यायालय द्वारा जारी किए गए दत्तकग्रहण आदेश के अनुसरण में, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किए गए आवेदन के आधार पर, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तकग्रहण किए गए बालक को पासपोर्ट जारी करेगा।
- 39. विदेशी क्षेत्रीय रिजस्ट्रीकरण कार्यालय या विदेशी रिजस्ट्रीकरण कार्यालय :- विदेशी क्षेत्रीय रिजस्ट्रीकरण कार्यालय दत्तक बालक को जिसके पास केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र और पुष्टि प्रमाणपत्र (केवल हेग अनुसमर्थित देशों के मामले में अपेक्षित) और सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण आदेश है, देश के बाहर जाने के लिए निकासी वीज़ा जारी करने से छूट देगा।
- **40. अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में भारतीय राजनयिक मिशन की भूमिका :-** भारतीय बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की निम्नलिखित भूमिका होगी, अर्थात् :-
- (1) अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण किए भारतीय मूल के बालकों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण अथवा दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केंद्रीय अथवा सरकारी प्राधिकारी से संपर्क बनाना;
- (2) अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों और केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ संवाद करना और दत्तकग्रहण किए गए बालकों और उनके माता-पिता के सम्मिलन समारोहों का आयोजन करना अथवा उनमें भाग लेना;
- (3) भारतीय बालकों के दत्तकग्रहण के लिए आवेदन प्रायोजित करने के प्रयोजन के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करने के प्रस्तावों की सिफारिश करना:

- (4) ऐसे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को जो दत्तकग्रहण में बालक को स्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा उनको आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, भारत में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक को व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ-साथ बाद में बालक को प्राप्त करने के लिए वीज़ा जारी करना;
- (5) विदेश में, जहां दत्तकग्रहण पर व्यवहार करने के लिए कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा सरकारी विभाग नहीं है, गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित दत्तक ग्रहण के आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल बनाना और उन्हें प्राधिकृत करना;
- (6) अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता और विदेशी भारतीय नागरिक के दत्तकग्रहण के आवेदनों को अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकृत करना और विनियम 19 के अनुसार दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्टों को अपलोड करना;
- (7) सीधे अथवा प्राधिकृत संगठन के माध्यम से प्राप्त दत्तकग्रहण आवेदनों पर कार्रवाई करने वाला भारतीय राजनयिक मिशन प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से पहले वर्ष तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष छमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजेगा और दत्तकग्रहण में अवरोध के मामले में, विनियम 19 में यथा उपबंधित कार्रवाई भी करेगा:
- (8) दत्तकग्रहण के भंग के मामलों में, अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण किए गए भारतीय मूल के बालकों के रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों से संपर्क करना और इस संबंध में प्राधिकरण को शीघ्र ही रिपोर्ट भी भेजेगा;
- (9) आवश्यक सहायता करेगा और यदि अपेक्षित हो, स्थानीय प्राधिकारियों, संबंधित दत्तकग्रहण अभिकरणों और प्राधिकरण के परामर्श से बालक के संप्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा;
- (10) भारतीय मूल के दत्तक बालक द्वारा अपने मूल कुटुम्बकी खोज को सुकर बनाना, यदि संपर्क किया जाए; और
- (11) प्राधिकरण को कोई भी रिपोर्ट अथवा टीका-टिप्पणी भेजना, जिसे वे अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण और सुसंगत समझें।

### प्रकीर्ण उपबंध

- **41. भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता –** (1) भावी दत्तक माता-पिता को एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर, जिसका रखरखाव रजिस्ट्रीकरण की तारीख से और इन विनियमों के अधीन यथा नियत अन्य मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, बालकों को रैफर किया जाएगा।
- (2) निवासी भारतीयों की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दस्तावेज, गृह अध्ययन रिपोर्ट के अलावा, प्रस्तुत करने की तारीख पर आधारित होगी।
- (3) अनिवासी भारतीयों या विदेशी भारतीय नागरिकों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख पर आधारित होगी।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता को रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर एक बार राज्य अधिमान बदलने की अनुमित होगी और यदि वे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य अधिमान बदलते हैं, उन्हें बदले हुए राज्य में ज्येष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा।
- (5) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता यदि अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया है और बाद में विवाह कर लेते हैं, नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से मानी जाएगी।
- (6) सामान्य बालक के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने वाले भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट जरूरत वाले बालक या कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक का उसी रजिस्ट्रीकरण से दत्तकग्रहण कर सकेंगे।
- 42. ऐसे देशों में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, निवास कर रहे भारतीय माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण
   (1) ऐसी स्थिति में जहां भारतीय माता-पिता में से एक भारत में रह रहा है और पित या पत्नी अस्थाई कार्य अनुज्ञापत्र पर ऐसे देश में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, देश में कार्य कर रहा है, माता-पिता उस स्थान के बारे में निर्णय करेंगे जहां वे अपना गृह अध्ययन कराएंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें देश में या विदेश में साथ-साथ रहना होगा।

- (2) यदि भारतीय भावी दत्तक माता-पिता ऐसे देश में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, प्रक्रिया शुरू कराना चाहते हैं, भारतीय मिशन गृह अध्ययन कराएगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में गृह अध्ययन रिपोर्ट और दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट अपलोड करने सहित दत्तकग्रहण प्रक्रिया को सुकर बनाएगा।
- (3) ऐसे देशों में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, निवास कर रहे भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए, भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 6 में यथा उपबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- **43. समय सीमा की अनुषक्ति -** दत्तकग्रहण प्रक्रिया में अंतग्रस्त सभी अभिकरण और प्राधिकारी अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन करेंगे ।
- 44. मूल कुटुम्ब की खोज (1) अनाथ अथवा परित्यक्त बालक के मामले में, उसके दत्तकग्रहण के बारे में सूचना, स्रोत और जिन परिस्थितियों में बालक को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में प्रवेश दिया गया, के साथ-साथ उसके दत्तकग्रहण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, दत्तक को बताया जाएगा!
- (2) पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज के मामले में, जब कभी भी कोई दत्तक बालक संपर्क करता है, तब संबंधित अभिकरण या प्राधिकारी (प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, भारतीय राजनयिक मिशन, प्राधिकरण, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण एकक अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण) उसके मूल कुटुम्ब की खोज को सुकर बनाएंगे।
- (3) अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जबिक अठारह वर्ष से कम आयु के बालक मूल कुटुम्बकी खोज को सुकर बनाने के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अपने दत्तक माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।
- (4) यदि जैविक माता-पिता ने अभ्यर्पण के समय उनके अनामत्व का विशिष्ट रूप से अनुरोध किया है कि तो सूचना प्रकट करने से पहले विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, जैविक माता-पिता की लिखित में सहमति ली जाएगी।
- (5) जैविक माता-पिता द्वारा मना किए जाने और माता-पिता को नहीं खोज पाने की दशा में, वे कारण और परिस्थितियां, उन कारणों और परिस्थितियों को जिनकी वज़ह से सचना नहीं दी जा रही है।
- (6) तीसरे पक्ष द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की अनुमित नहीं होगी और संबंधित अभिकरण अथवा प्राधिकारी जैविक माता-पिता, दत्तक माता-पिता या दत्तक बालक के बारे में कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं करेंगे।
- (7) दत्तक बालक के अधिकार के लिए जैविक माता-पिता के निजता के अधिकार का अधिलंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- **45.** दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता दत्तकग्रहण प्रक्रिया में अंर्तग्रस्त सभी अभिकरण या प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा अनुज्ञात के अलावा, बनाई रखी जाए और ऐसे प्रयोजन के लिए, दत्तकग्रहण न्यायालय का ओदश किसी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
- **46. दत्तक ग्रहण व्यय –** (1) भावी दत्तक माता-पिता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विहित दत्तकग्रहण हेतु व्यय वहन करेंगे।
- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विहित दत्तकग्रहण शुल्क प्राप्त करेंगे और राशि का उपयोग करेंगे।
- (3) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता से नकद अथवा वस्तुओं के रूप में, प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: रूप से कोई भी दान स्वीकार करने की अनुमित नहीं है।
- **47. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण की रिपोर्टिंग -** विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को साप्तिहक आधार पर अद्यतन करेंगे और अनुसूची 15 में दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक तिमाही के पहले सप्ताह में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को तिमाही रिपोर्ट भी भेजेंगे।
- 48. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों का दत्तकग्रहण (1) विशिष्ट जरूरतों वाले बालकों, जो बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होंगे, के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया संबंधित अभिकरणों अथवा प्राधिकारियों द्वारा यथासंभव शीघ्र पूरी की जाएगी:

- परंतु यह कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले **ऐसे बालक** दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के बाद विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के दत्तकग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करते समय विशेष देख-रेख की जाए ताकि भावी दत्तक माता-पिता को बच्चे को वास्तविक चिकित्सा स्थिति की जानकारी रहे और बालक को आवश्यक अतिरिक्त देखरेख या ध्यान प्रदान करने को तैयार रहें।
- (3) विशिष्ट जरूरतों वाले बालकों की श्रेणियां अनुसूची 18 में दी गई हैं जो दृष्टांत स्वरूप है और नि:शेष नहीं है; इन्हें www.cara.nic.in पर भी देखा जा सकता है और इस संबंध में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- (4) विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को, जिनका दत्तकग्रहण नहीं हो पाया है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा पर्याप्त देखरेख और संरक्षण प्रदान किया जाएगा और यदि उनके पास उनकी दीर्घकालीन देखरेख के लिए आवश्यक सुविधाएं और साधन नहीं हैं, ऐसे बालकों को किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किसी अन्य विशिष्ट संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।
- 49. अधिक आयु के बालकों और भाई-बिहन का दत्तकग्रहण (1) चूंकि अधिक आयु के बालकों का उन माता-पिता के साथ समायोजन स्थापित होने में समय लगता है, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि संस्था छोड़ने से पूर्व, बालक और भावी दत्तक माता-पिता को एक-दूसरे से सुपरिचित करा दिया जाए।
- (2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के मार्गदर्शन के अधीन, भावी दत्तक माता-पिता, बालक को अभिरक्षा में लेने से पहले भी, वीडियो कॉल्स अथवा किसी अन्य माध्यम से अधिक आयु के बालकों से अनन्योक्रिया कर सकते हैं और भावी दत्तक माता-पिता को संस्था छोड़ने से पूर्व बालक के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (3) भाई-बहन और अधिक आयु के बालकों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से ही निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (पति-पत्नी दोनों के भारतीय होने पर) द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाएगा और वे दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से तीस दिन के बाद भावी दत्तक माता-पिता की अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध माने जाएंगे।
  - स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, एक बालक, जो पांच वर्ष की आयु का हो चुका है, अधिक आयु का बालक माना जाएगा।
- 50. किठनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक विनियमनों 8, 48 और 49 के अधीन किए गए प्रयासों के अतिरिक्त, अपनी संचालन समिति के अनुमोदन से प्राधिकरण किठनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालकों के दत्तकग्रहण के लिए, जिन्हें बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से लंबे समय से कोई नामांकन करने वाला नहीं मिल रहा है, अतिरिक्त प्रयास करेगा।
- 51. देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण (1) भावी दत्तक माता-पिता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करेंगे और विनियम 55 में यथा उपबंधित विधिवत विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे।
- (1) जैविक माता-पिता की सहमति अथवा बाल कल्याण समिति की अनुमति, जैसा भी मामला हो, क्रमश: अनुसूची 19 या अनुसूची 22 में यथा उपबंधित अपेक्षित है।
- (2) बालक की सहमति, यदि वह पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का है, आज्ञापक है।
- (3) देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण के मामलों में अनुसूची 24 के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय और सामाजिक स्थिति के समर्थन में उनसे एक शपथपत्र अपेक्षित होगा।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता सक्षम न्यायालय में अनुसूची 30 में यथा उपबंधित आवेदन दायर करेंगे।
- 52. पूर्वतम विवाह से पित-पत्नी के बालकों का दत्तकग्रहण (1) दंपित्त (सौतेले माता-पिता अथवा जैविक माता-पिता में से कोई एक) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयिरंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित दस्तावेज़ों के साथ रिजस्ट्रीकरण करेंगे।
- (2) बालक अथवा बालकों का दत्त्कग्रहण करने वाले जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता की सहमित प्रक्रिया, दत्तकग्रहण की अनुसूची 20 में यथा उपबंधित अपेक्षित होगी (अनुसूची 20 के निर्देशों को देखें)।
- (3) बालक की अभिरक्षा के बारे में मुकद्दमा विचाराधीन होने की दशा में, दत्तकग्रहण प्रक्रिया संबंधित न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

- (4) जैविक और सौतेले माता-पिता कुटुम्ब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अनुसूची 32 के अनुसार आवेदन फाइल करेगा।
- (5) आवेदक संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करेंगे और एक प्रति बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे ।
- 53. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण (1) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिक, जो नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इच्छुक है, अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- (2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तो नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता उस देश के संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिक के मामले में) से संपर्क करेगा।
- (3) गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने पर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनियक मिशन (भारतीय नागरिक के मामले में), यथास्थिति, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र में भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन रिजस्ट्रीकृत करेगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को सक्षम न्यायालय के वैध आदेश के बिना विदेश ले जाता है या भेजता है या विदेश में दूसरे व्यक्ति को बालक की देखरेख या अभिरक्षा हस्तांतरित करने की किसी व्यवस्था में भागीदारी करता है, अधिनियम की धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा।
- 54. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन (1) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर प्राधिकरण, अनुसूची 21 में यथा उपबंधित, दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए उन्हें जिला बालक संरक्षण एकक को अग्रेषित करेगा।
- (2) जिला बालक संरक्षण एकक अपने सामाजिक कार्यकर्ता से पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कराएगा और एकक इस प्रयोजन के लिए, वह समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों में यथा नियत शुल्क ले सकेगा।
- (3) जिला बालक संरक्षण एकक बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जो उसे आगे प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या विदेश में भारतीय मिशन को भेजेगा।
- (4) नातेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण प्रस्तावित दत्तकग्रहण के समर्थन में अनुमोदन पूर्व-पत्र के साथ हेग अभिसमय के अनुच्छेद 15 और 16 में यथापेक्षित प्राप्तकर्ता देश को अग्रेषित करेगा।
- (5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण उप-विनियम (3) में यथा अनुबंधित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अधीन प्रमाणपत्र प्राधिकरण को भेजने की व्यवस्था करेगा।
- (6) ऐसे देशों के मामले में जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, भारतीय नागरिक के संबंध में, नातेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण का अनुमोदन पूर्व-पत्र प्राप्त उस देश के भारतीय मिशन को अग्रेषित किया जाएगा जो प्राधिकरण को अनुशंसा पत्र जारी करेगा।
- 55. विधिक प्रक्रिया (1) भावी दत्तक माता-पिता, जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (52) के अधीन यथा परिभाषित नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इरादा रखते हैं, दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक माता-पिता का सहमित पत्र और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अंतर्देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण या अंतर-देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में अधिनियम, की क्रमशः धारा 56 की उप-धारा (2) और धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर करेगा।
- (2) जैविक माता-पिता के बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण कर रहे जैविक माता-पिता अथवा सौतेले माता-पिता उस जिले के संबंधित न्यायालय में, जहां वे निवास करता हैं, अनुसूची 20 यथा उपबंधित जैविक माता-पिता और बालक या बालकों का दत्तकग्रहण कर रहे सौतेले माता-पिता के सहमति पत्र के साथ अनुसूची 22 में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण आवेदन और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेज दायर करेगा।

- (3) भावी दत्तक माता-पिता, अंतर-देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में, उस जिले में जहां बालक अपने जैविक माता-पिता या संरक्षक के साथ रहता है, अनुसूची 31 में यथा उपबंधित उस जिले के संबंधित न्यायालय में आवेदन करेंगे।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय में, यथास्थिति, आवेदन दायर करेंगे।
- (5) न्यायालय, दत्तकग्रहण आदेश पारित करने से पहले, अधिनियम की धारा 61 और विनियम 51 से 56 के अधीन, जैसा भी मामला हो, यथा अनुबंधित विभिन्न शर्तों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
- (6) भावी दत्तक माता-पिता न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अधिप्राप्त करेंगे और उसे केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए जिला बालक संरक्षण एकक को प्रस्तुत करेंगे।
- 56. प्राधिकरण का अनापित प्रमाण पत्र अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकरण जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा अग्रेषित दत्तकग्रहण आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर बालक के दत्तकग्रहण के पक्ष में अनापित प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।
- 57. पुष्टि प्रमाण-पत्र जारी करना केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यदि दत्तक बालक का प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची 10 में यथा उपबंधित प्रपत्र में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- 58. बालक देखरेख संस्था और इसका विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से संयोजन (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी बालक देखरेख संस्थाएं, जिन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता नहीं है, यह सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखरेख और संरक्षण के अधीन सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के बारे में रिपोर्ट की गई है, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अधिनियम की धारा 32, धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 66 की उप-धारा (1) के उपबंधों और दत्तकग्रहण विनियमों में यथा नियत प्रक्रिया के अनुसार समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
- (2) ऐसी रिपोर्ट में समाविष्ट होगा: नाम (यदि पता हो), जन्म की तारीख (यदि पता हो) अथवा आयु, बालक का फोटो और उसके स्वास्थ्य की स्थिति, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा (यदि कोई हो), उसका पता और स्रोत (यदि पता हो) और रीति और परिस्थितियां जिनमें बालक को संस्था लाया गया और प्रवेश दिया गया।
- (3) संबंधित जिला बालक संरक्षण एकक अधिनियम, उसके तहत निरूपित किए गए नियमों और इन विनियमनों के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्टित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार अनाथ,परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कराने के लिए बालक देखरेख संस्था को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।
- (4) जिला बालक संरक्षण एकक, जहां कहीं दत्तकग्रहण योग्य बालकों को अभिनिर्धारित कर लिया गया है, बालक देखरेख संस्थाओं को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से संयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) यदि बालक देखरेख संस्था उसी जिले में स्थिति है -
  - (क) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, पित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण के लिए अनुसूची 1 और 3 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार कराने सिहत अपेक्षित प्रलेखीकरण और औपचारिकताएं पूरी करेगा।
  - (ख) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र समाविष्ट होगा।
- (6) यदि बालक देखरेख संस्था और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण एक ही जिले में स्थिति नहीं हैं -
  - (क) जिला बालक संरक्षण एकक निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से बालक अध्ययन रिपोर्ट और बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमश: अनुसूची 1 और 3 के अनुसार तैयार कराएगा;
  - (ख) जिला बालक संरक्षण एकक बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र समाविष्ट होगा; और

- (ग) एक बार जब बालकों के दस्तावेज बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड कर दिए जाते हैं, संयोजित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण विनियमनों के अनुसार उनके दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए ऐसे बालकों की सूचनाओं तक अभिगम करेगा।
- (7) बालक देखरेख संस्था के साथ संयोजन के लिए जिले में एक से अधिक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण होने की दशा में, दोनों के बीच की दूरी, बालक की जरूरतों और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा।
- (8) दत्तकग्रहण समिति में सम्मिलित होंगे :-
  - (क) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता;
  - (ख) बालक देखरेख संस्था का शिशुरोग विशेषज्ञ या अतिथि चिकित्सक;
  - (ग) उस जिले के जिला बालक संरक्षण एकक का अधिकारी, जहां बालक देखरेख संस्था स्थिति है ; और
  - (घ) बालक देखरेख संस्था का प्रतिनिधि।
- (9) दत्तकग्रहण के ऐसे सभी मामलों में, दत्तकग्रहण याचिका बालक देखरेख संस्था को सह-याचिकाकर्ता बनाते हुए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर की जाएगी।
- (10) यदि बालक ऐसी बालक देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थिति है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दोनों जिलों में से किसी जिले के सक्षम न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका दायर की जाएगी।
- (11) दत्तकग्रहण फीस विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अनुपात में साझा की जाएगी।
- (12) संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अधिप्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति भावी दत्तक माता-पिता, बालक देखरेख संस्था, जिला बालक संरक्षण एकक को दी जाएगी और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड की जाएगी।
- (13) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक जहां तक संभव होगा, बालक देखरेख संस्थाओं को सुसज्जित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बनने के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- 59. प्राधिकरण को अपील (1) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता या बालक या उसकी ओर का कोई अन्य व्यक्ति, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की राय या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता से संबंधित मुद्दों या भावी दत्तक माता-पिता या बालक से संबंधित प्रलेखीकरण जैसे कि भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट या स्वास्थ्य स्थिति, बालक अध्ययन रिपोर्ट या चिकित्सा जांच रिपोर्ट के कारण दत्तकग्रहण के लिए चयन न किए जाने से व्यथित है, प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- (2) व्यथित व्यक्ति द्वारा उप-विनियम (1) में संदर्भित आवेदन राय अथवा निर्णय की तारीख से सात दिन के भीतर किए जाएंगे।
- (3) प्राधिकरण का विनिश्चय संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसकी सूचना आवेदक को लिखित में विनिश्चय से तीन कार्य दिवसों में देगा।
- (5) प्राधिकरण का निर्णय सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) प्रधिकरण, प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, निर्णय लेगा कि क्या संबंधित बालक को दत्तकग्रहण के लिए अन्य भावी दत्तक माताओं-पिताओं को आगे नामांकन करने से निरुद्ध किया जा सकता है।
- **60. शिथिल और निवर्चन की शक्ति -** (1) किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग के संबंध में इन विनियमनों के किसी उपबंध से शिथिलता और अपवाद देने की शक्ति प्राधिकरण में निहित होगी।
- (2) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और समिति में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विधि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला संचालन समिति का एक सदस्य होगा।
- (3) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति का कोई भी विनिश्चय किसी भी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता में परिवर्तन को प्रभावित नहीं रखेगा जब तक कि कारण लिखित में अभिलिखित न हों और बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (4) इन विनियमनों के निर्वचन में किसी अस्पष्टता की दशा में, प्राधिकरण का विनिश्चय और अभिभावी होगा ।

# अनुसूची 1 [ विनियम 2(5), 6(13) और 7(17) देखें ]

# बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला का प्रमाणपत्र

1.	•		•	,	ारा 38 के अधीन बालक		
		-	•		बके		
		•	•	*	ण/बालक देखरेख संस्था की		
	•	_ बालक जन्म तारी	ख को	ं निम्नलिखित के आधार	पर दत्तकग्रहण के लिए वैध	रूप से	
स्वतंत्र घ	ोषित किया जाता है:						
	परिवीक्षा अधिकारी/ बालक कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/केस कार्यकर्ता/कोई अन्य (यथास्थिति) की जाँच रिपोर्ट;						
	बालक के जैविक माता- अभ्यर्पण विलेख;	-पिता या विधिक सं	रक्षक द्वारा इस समिति के	समक्ष	(तारीख) को निष्पादित कि	या गया	
	जिला बालक संरक्षण एकक और बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई इस आशय की घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1), नियमों और दत्तकग्रहण विनियमनों के अधीन यथापेक्षित प्रत्यावर्तन प्रयास कर लिए हैं लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक किसी ने भी बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक होने का दावा करने के लिए अभिकरण से पहुंच नहीं की है।						
	अधिक आयु के बालक व	की सहमति, यदि ला	गू हो ।				
2.	यह प्रमाणित किया जा	ता है कि :					
	जैविक माता-पिता (माताओं-पिताओं) / विधिक संरक्षक से, जहां कहीं उपलब्ध हैं, परामर्श किया गया है और उन्हें बालक या बालकों के दत्तकग्रहण में स्थानन, जिसके परिणामस्वरूप बालक/बालिका के मूल कुटुम्ब से उसका विधिक संबंध समाप्त हो जाएगा, सहित उनकी सहमति के प्रभावों की सम्यक जानकारी दे दी गई है।						
	जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक ने अपेक्षित प्रपत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति दी है और यह सम्मति संदाय करके या किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देकर प्राप्त नहीं की गई है माता ने अपनी सम्मति (जहाँ लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी है।						
	मार्गदर्शक प्रणाली (केय	परिंग्स) में बालक के	फोटो और अन्य आवश्य	क ब्यौरे डलवाने की व्यव	क दत्तकग्रहण संसाधन सूच स्था करेगा/करेगी और ऐसे थानन कराएगा/ कराएगी ।		
[टिप्पणी	: उन बॉक्स(सों) को काट	ट दें, जो इस मामले मे	में सुसंगत नहीं हैं]				
[टिप्पण संरक्षण	: बालक के सर्वोत्तम हि एकक, जैसा भी मामला ह	हेत में दत्तकग्रहण व हो, को बालक दत्तव	•	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण आ र मार्गदर्शक प्रणाली (के	भेकरण या संबंधित जिला परिंग्स) में बालक का फोटो,		
तारीख ः	<b>गौ</b> र स्थान		बालक का फोटो		बाल कल्याण	समिति	
				J	किन्हीं तीन सदस्यों के ह	स्ताक्षर	
					तारीख औ	='	
. حد			- <del></del>				

प्रेषित : विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण / जिला बालक संरक्षण एकक को यह प्रमाणपत्र बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालने के लिए

प्रति प्रेषित : जिला बालक संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), जिला का नाम ।

### अनुसूची 2

## [ विनियम 2(6), 6(15), 7(18), 58(5)(क) और 58(6)(क) देखें ]

# बालक अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) रजिस्ट्रीकरण सं. :

### आधार कार्ड सं. :

# विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) / बालक देखरेख संस्था (सीसीआई) का नाम :

बालक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट में दस्तावेजों पर आधारित उसकी पहचान संबंधी जानकारी शामिल होगी। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद यथाशीघ्र बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

बालक का फोटो

संस्था का नाम और पता: -

### l. सामान्य सूचना:

- बालक का नाम ------ (जो नाम जैविक माता या माता-िपता या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण / बालक देखरेख संस्था या बालक कल्याण समिति द्वारा दिया गया हो)
- 2. वर्तमान आयु और जन्म की तारीख:
- 4. लिंग:
- 5. जन्म का स्थान:
- धर्म (यदि पता हो):
- 7. बालक का प्रकार : अनाथ / परित्यक्त / अभ्यर्पित
- 8. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था में बालक के प्रवेश की तारीख:
- 9. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख:
- 10. बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख :

#### II. सामाजिक आंकडे :

कृपया बालक के जैविक माता-पिता की पहचान संबंधी जानकारी न दें।

- 1. आपकी संस्था में बालक कैसे आया ?
  - (क) सीधे माता-पिता या किसी अन्य संरक्षक ने उसे संस्था में प्रवेश दिलाया :
  - (ख) सीधे बाल कल्याण समिति ने रखा:
  - (ग) किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर आया, यदि हाँ तो उस संस्था का नाम :
  - (घ) कोई अन्य स्रोत:
- 2. संस्था से संरक्षण मांगने के कारण :
- 3. अन्य बालकों के प्रति बालक का रुख, यदि लागू हो :
- 4. कर्मचारिवृंद और अपरिचितों सहित अन्य वयस्कों के प्रति बालक का व्यवहार और संबंध :

5.	सामान्य बुद्धिमता :				
6.	यदि बालक का स्कूल में नामांकन है, तो उसकी कक्षा, उपस्थिति, अध्ययन में उसकी साधारण रूचि, प्रगति, यदि कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट दें :				
7.	बालक का साधारण व्यक्तित्व और रूप-रंग का वर्णन :				
8.	खेलकूद क्रियाकलाप और कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभा : बालक की उपलब्धियाँ (18 मास से कम आयु के बालकों के संबंध में) । कृपया हाँ या ना में बताएं (आयोनुकूल प्रत्युत्तरों पर आधारित)।				
	कि क्या बालक :-				
	(क) मुस्कराता है				
	(ख) अपने दोनों तरफ घूमता है				
	(ग) अपना शीर्ष उठाता है				
	(घ) वस्तुओं को अपने हाथों से पकड़ता है				
	(ङ) अपने-आप से सरकता है				
	(च) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए बैठता है				
	(छ) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए खड़ा हो जाता है				
	(ज) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए चलता है				
9.	आहार संबंधी आदतें :				
	तरल खाद्य लेता है :				
	अर्ध-ठोस खाद्य लेता है :				
	ठोस खाद्य लेता है :				
10.	विकासात्मक मूल्यांकन (बोली जाने वाली भाषा, व्यवहार, बुनियादी खेल कौशल, शारीरिक कार्यकलाप और संचार और सामाजिक कौशल आदि):				
11.	सामाजिक पृष्ठभूमि : (इसमें बालक का सामाजिक इतिवृत्त अर्थात् उसके जैविक माता-पिता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वे परिस्थितियों जिनके कारण उस बालक का अभ्यर्पण या त्याग करना आवश्यक हो गया, शामिल होनी चाहिए। कृपया जैविक माता-पिता या उनके नातेदारों की पहचान दर्शाने वाली नाम व पते जैसी सूचना न दें।)				
12.	मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता/करती हूँ कि बालक के विषय में इस प्ररूप में दी				
गई जान	कारी सही है।				
	हस्ताक्षर:				
	नाम:				
	पदनाम:				
स्थान:					
तारीख:					
-	लिक अध्ययन रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार । इच्छुक हैं।				
(पुरुष अ	ावेदक के हस्ताक्षर)				
(पुरुष अ	ावेदक का नाम)				
स्थान अं	ौर तारीख: स्थान और तारीख:				

# अनुसूची 3

# [ विनियम 2 (13), 6(15), 7(18), 58(5)(क) और 58 (6)(क) देखें ]

# बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)

सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति-प्राप्त चिकित्सक को यह रिपोर्ट भरनी चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध न हो तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें।

(यदि बालक की आयु 1 वर्ष से कम है, उसकी जांच शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए)

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) रजिस्ट्रीकरण सं. :

स्वास्थ्य की स्थिति : सामान्य / विशेष जरूरतमंद

प्रवेश की तारीख:

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) का नाम:

बालक देखरेख संस्था (सीसीआई) का नाम:

### क. साधारण जानकारी

- 1. बालक का नाम :
- 2. जन्म की तारीख और वर्ष :
- 3. लिंग:
- 4. जन्म-स्थान:
- 5. राष्ट्रीयता:
- 6. वर्तमान संस्था का नाम: कब से इस संस्था में है:
- 7. जन्म के समय भार (प्रवेश के समय वजन कि.ग्रा. में): कि.ग्रा.
- शीर्ष की परिधि :
- 9. जन्म के समय लंबाई (प्रवेश के समय लंबाई सेंटीमीटर में): सेंटीमीटर
- 10. क्या गर्भावस्था और प्रसव सामान्य थे? हाँ या नहीं या अज्ञात
- 11. बालक कहाँ रहा है?

अपनी माँ के पास: से तक नातेदारों के पास: से तक निजी देखरेख में: से तक संस्था या अस्पताल में: से तक

(कृपया संबंधित संस्था या संस्थाओं के नाम आगे दर्शाएं)

टिप्पणी : नवजात बालकों की दशा में, अनुसूची 4 [पैरा (क) नवजात] में विभिन्न आयु वर्गों के लिए चिकित्सा जांच का अवलोकन करें।

### ख. चिकित्सा ब्यौरा

 क्या अतीत में बालक को कोई रोग हुआ है? (यदि हाँ तो कृपया प्रत्येक रोग और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समय बालक की आयु दर्शाएं)

हाँ या नहीं या अज्ञात

2. यदि हाँ तो:

बालक के साधारण रोग (खों-खों कर खाँसना, खसरा, चेचक, रुबेला, मम्प्स)

तपेदिक

कन्वल्ज़न (फेब्राइल कन्वल्ज़न सहित)

अन्य कोई रोग

संक्रामक रोग से अरक्षितता

3. क्या बालक को निम्नलिखित रोग से बचाव के टीके लगाए गए हैं:

हाँ या नहीं या अज्ञात

4. यदि हाँ तो:

तपेदिक (बी.सी.जी.)? टीका लगने की तारीख: टीका लगने की तारीख: डिफ्थीरिया? टीका लगने की तारीख: टिटनस? खों-खों कर खाँसना? टीका लगने की तारीख: दवा पिलाने की तारीख: पोलियो? हैपेटाइटिस ए? टीका लगने की तारीख: हैपेटाइटिस बी? टीका लगने की तारीख: एमएमआर (खसरा) ? टीका लगने की तारीख: टीका लगने की तारीख: अन्य प्रतिरक्षण ?

5. क्या अस्पताल में बालक का इलाज कराया गया है?

हाँ या नहीं या अज्ञात

- 6. यदि हाँ तो अस्पताल का नाम, इलाज के समय बालक की आयु, रोग के निदान और उपचार का ब्यौरा दें।
- 7. यदि संभव हो तो बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें।

(i) दृष्टि	बालक कब निश्चित करने में समर्थ हुआ?				
(ii) श्रवण संबंधी	बालक कब आवाज सुनकर अपना सिर घुमाने में समर्थ हुआ?				
(iii) शारीरिक	बालक कब अपने-आप बैठने में समर्थ हुआ?				
	बालक कब सहारा लेकर खड़ा होने में समर्थ हुआ?				
	बिना सहारा लिए कब चला?				
(iv) भाषा	बालक ने अस्पष्ट तरीके से बोलना कब शुरू किया?				
	बालक ने अलग-अलग शब्द बोलने कब शुरू किए?				
	बालक ने वाक्य बोलने कब शुरू किए?				
(v) संपर्क	बालक ने मुस्कराना कब शुरू किया?				
	बालक वयस्कों और अन्य बालकों से अपनी बात कैसे कहता है?				
	बालक अजनबियों को देखकर किस प्रकार व्यवहार करता है?				
(vi) भावात्मक	बालक अपनी भावनाएं (क्रोध, बेचैनी, निराशा, प्रसन्नता) किस प्रकार दर्शाता है?				

### ग. चिकित्सा परीक्षा का ब्यौरा:

- 1. चिकित्सा परीक्षा की तारीख
- 2. बालों का रंग:
- 3. आखों का रंग:
- 4. त्वचा का रंग:
- 5. मैंने बालक की पूर्ण नैदानिक परीक्षा में रोग, क्षति या अप्रसामान्यताओं के आगे दर्शाए गए साक्ष्य पाए हैं (यदि लागू हो) :
  - (i) सिर (खोपड़ी, हाइड्रोसेफलस, क्रैनियोटेब्स का आकार)
  - (ii) मुँह और ग्रसनी (हेअरलिप या क्लैफ्ट पेलेट, दाँत)
- (iii) आँखें (दृष्टि, भैंगापन, संक्रमण)
- (iv) कान (संक्रमण, बहना, कम श्रवण-शक्ति, विकृति)
- (v) कोई विकृति? यदि हां, तो विवरण दें
- (vi) छाती के अंग (हृदय, फेफड़े)
- (vii) लिम्फेटिक ग्लैंड (ऐडेनाइटिस)
- (viii) पेट (हर्निया, जिगर, स्प्लीन)
- (ix) जननांग (हाइपोस्पैडिया, अंडकोष, रिटेन्शन)
- (x) रीढ़ (काइफोसिस, स्कोलियोसिस)
- (xi) एक्सट्रीमिटी (पेस एक्किनस, वैल्गस, वेरस, पेस कैल्केनियोवेरस, फ्लेक्सेशन ऑफ हिप, स्पैस्टिसिटी, पेरेसिस)
- (xii) त्वचा (एक्ज़िमा, संक्रमण, परजीवी)
- (xiii) अन्य रोग?
- 6. क्या बालक में सिफिलिस के कोई लक्षण हैं? सिफिलिस के रिएक्शन के परिणाम (तारीख और वर्ष) : सकारात्मक या नकारात्मक या रिएक्शन नहीं किया गया
- 7. तपेदिक के कोई लक्षण? तपेदिक के परीक्षण के परिणाम (तारीख और वर्ष) : सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
- 8. हेपेटाइटिस बी के कोई लक्षण?
  एचबीएस एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
  एंटी-एचबीएस के परीक्षण का परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
  एचबीई एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
  एंटी-एचबीई के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
- 9. पांडु रोग और रुधिर आधान का कोई इतिवृत्त ? एचबीएसएजी की जांच का परिणाम (तारीख और वर्ष)? यदि पॉजीटिव है, क्या विशेषज्ञ से परामर्श किया गया (हां/नहीं, तारीख और वर्ष); और कोई आगे जांच कराई गई / उपचार कराया गया (दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)
- 10. एचआईवी जांच (**अनुसूची 4** में मानकीकृत चिकित्सा जांच निर्दिष्ट करें) एचसीवी (हैपेटाइटस सी) (**अनुसूची 4** में मानकीकृत चिकित्सा जांच निर्दिष्ट करें)

घ. बालक की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियों संबंधी रिपोर्ट (जहाँ कहीं अपेक्षित हो, वहाँ विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक, स्पीच थेरपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाए)

कृपया <u>प्रत्येक</u> शीर्ष पर निर्णय दें।	
(i) खिलौनों के साथ कार्यकलाप (आयोनुकूल यथा लागू) :	
1. बालक की नज़र अपने सामने चलते फिरते झुनझुनों या खिलौनों का पीछा करती है	
2. बालक किसी झुनझुने को पकड़ता है	
3. बालक झुनझुनों से खेलता है: उसे अपने मुँह में डालता है, हिलाता है, एक से दूसरे हाथ में लेता है आदि	
4. बालक क्यूबों को प्रत्येक अन्य के ऊपर रखता है	
5. बालक प्रयोजन के ढंग से खिलौनों से खेलता है: कारों को धकेलता है, गुड़ियाओं को बिस्तर पर रखता है, गुड़ियाओं को खिलाता-पिलाता है आदि	
6. बालक खिलौनों और अन्य बालकों के साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है	
7. बालक मानवों और पशुओं के चेहरों की स्पष्ट आकृतियाँ बनाता है	
8. बालक अन्य बालकों के साथ व्यवस्थित खेल (गेंद वाले खेल, कार्ड वाले खेल आदि) खेलता है	

(ii) उच्चारण या भाषा विकास (आयोनुकूल यथा लागू) :				
1. बालक देखरेखकर्ता के साथ बातें करता है				
2. बालक विभिन्न स्वर-व्यंजनों को दोहराता है (बा-बा, दा-दा, मा-मा आदि)				
3. बालक अपनी आवश्यकताओं के संचार के लिए एक-एक शब्द का उपयोग करता है				
4. बालक वाक्य बोलता है				
5. बालक प्रस्तावों को समझता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि				
6. बालक प्रस्तावों का प्रयोग करता है, जैसे : के ऊपर, नीचे, पीछे आदि				
7. बालक भूतकाल में बात करता है				
8. बालक अपना नाम लिख लेता है				
9. बालक सरल शब्द पढ़ लेता है				
10. कोई अन्य प्रेक्षण				
(iii) शारीरिक विकास (आयोनुकूल यथा लागू) :				
1. किस आयु से बालक अपनी पीठ से घूमकर अपने पेट के बल लेट पाता है :				
2. किस आयु से बालक बिना समर्थन के बैठ पाता है :				
3. किस आयु से बालक आगे की ओर सरक या हिल पाता है :				
4. किस आयु से बालक फर्नीचर के समर्थन से चल पाता है :				
5. किस आयु से बालक बिना समर्थन के स्वयं चल पाता :				
6. किस आयु से बालक समर्थन लेकर सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है :				
7. किस आयु से बालक बिना समर्थन के सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है :				
(iv) वयस्कों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू) :				
1. बालक अपने जाने पहचाने देखरेखकर्ता के संपर्क में मुस्कराता है				
2. बालक को जब उसका जाना-पहचाना देखरेखकर्ता थाम लेता है तो वह आसानी से शांत हो जाता है				
3. जब बालक का जाना-पहचाना देखरेखकर्ता कमरे से जाता है तब वह बालक रोता है या उसके पीछे-पीछे जाता है				
4. बालक जब परेशान हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तब वह अपने जाने-पहचाने देखरेखकर्ता को ढूंढता है।				

5. बालक वार्ड में आने वाले सभी वयस्कों को संपर्क करना चाहता है			
6. बालक देखरेखकर्ता को अपनी भावनाएं शब्दों में संचारित करता है			
(v) अन्य बालकों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू) :			
1. बालक अन्य बालकों के कार्यकलाप देखकर या उन पर मुस्कराकर उनमें अ	गपनी रूचि दर्शाता है		
2. बालक अन्य बालकों के साथ खेलकर प्रसन्न होता है			
3. बालक अन्य बालकों के साथ क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करता है			
(vi) कार्यकलापों का साधारण स्तर :			
1. सक्रिय 2. अत्यधिक सक्रिय 3. अधिक सक्रिय नहीं			
(vii) साधारण मनोदशा :			
1. शांत			
2. भावात्मक रूप से उदासीन			
3. उत्पाती, शांत करना कठिन है			
<ol> <li>प्रसन्न, संतुष्ट</li> <li>विशिष्ट जरूरतों वाले बालक के मामले में, बालक की श्रेणी विनिर्दिष्टत करें।</li> </ol>			
बालक का समग्र प्रेक्षण			
	परीक्षा करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर चिकित्सक के हस्ताक्षर		
	पदनाम और		
	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	मुहर तारीख		
ङ. भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की			
हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _ स्वीकार करने को इच्छुक हैं।	को अपने दत्तक बालक के रूप में		
• •	नेदक के हस्ताक्षर)		
(पुरुष आवेदक का नाम) (स्त्री अ	गवेदक का नाम)		
तारीख: ता	रीख:		
स्थान: स्थ	пन:		

### अनुसूची 4

### [विनियम 29 (1) (च) देखें]

### संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच

### (1) संस्था में प्रवेश दिए गए बालक की चिकित्सा परीक्षा को वृहत रूप में दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:

- (क) किसी रोग का निदान करना/उस स्थिति जिसमें विशिष्ट उपचार की जरूरत अपेक्षित हो, तथा इस प्रकार जांच बच्चे के स्वास्थ्य का जायजा लेने मे सहायता करेगी।
- (ख) किसी प्रकृति के रोग/स्थिति का निदान करना जो संकेत करती है कि सामान्य बच्चे की आवश्यकताओं से परे बच्चे को विशेष ध्यान(चिकित्सा और पैतृक) की अपेक्षा होगी तथा इसलिए वह कुटुम्बजो बालक/बालिका का दत्तकग्रहण करता है, उसकी स्थिति से विदित हो सके।

### (2) चिकित्सा परीक्षा करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :

- (क) बच्चे का हित महत्वपूर्ण है।
- (ख) यदि जांच परिणाम और अधिक जांच करने, विशिष्ट चिकित्सा अथवा विशेषज्ञों से परामर्श के आधार का औचित्य देता है, तो जहां बच्चा रह रहा है उस एजेंसी/संस्था द्वारा इन्हें किया जाना चाहिए।

### (3) विभिन्न आयु-वर्गों के लिए मानकीकृत चिकित्सा जांच:

#### क. नवजात:

- (क) समय से पूर्व जन्मे शिशुओं अथवा ऐसे नवजातों जिनका जन्म के समय वजन <2000ग्रा. रहा अथवा प्रवेश का, किसी नवजात विशेषज्ञ अथवा बाल चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन शिशुओं की अपरिपक्वता की रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
- (ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)।
- (ग) श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बी ई आर ए) ।
- (घ) जन्मगत गंभीर ह्रदय रोग की स्क्रीनिंग: पल्स ऑक्सीमिती।
- (ङ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष जरूरत के रूप में बच्चे की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए।

### ख. एक माह से एक वर्ष की आयु के बीच के शिशु:

- क. शिशुओं का बाल चिकित्सकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ख. थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)
- ग. श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्टी (बी ई आर ए)
- घ. कंप्लीट ब्लड कांउट, लीवर फंक्शन टेस्ट और रेन फंक्शन टेस्ट (सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी)
- ङ. 4-6 सप्ताह की आयु से बड़े बच्चों में एचआईवी जांच करना
- च. 3 माह की आयु से बड़े बच्चों की एचसीवी जांच करना
- छ. एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष जरूरत के रूप में बच्चे की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय **अनिवार्य** की जानी चाहिए।

### ग. 1-3 वर्ष की आयु के और 3 वर्ष से अधिक आयु वाले:

(क) अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों (भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों तथा जनजातीय आबादी)में, सिक्ल सेल रक्ताल्पता की स्क्रीनिंग की कंप्लीट ब्लड कांउट के तहत सलाह दी जाती है तथा या इन हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस अथवा हिमोग्लोबिन की सोल्युबिलिटी टेस्टिंग या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग अथवा हाई परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमट्रोग्राफी (एचपीएलसी) की । यदि स्क्रीनिंग में किसी बच्चे को बीटा थिलिसिमिया अथवा हंसिया सेल रक्ताल्पता का संवाहक/ट्रेट होना पाया जाता है, उस बालक अथवा बालिका की प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है अथवा उसको ट्रांस्फयुजन की अपेक्षा नहीं होती है, तथा इस प्रकार उसे विशेष जरूरतमंद नहीं समझा जाना चाहिए।

- (ख) 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में एचआईवी निदान प्रक्रिया :-
  - (i) 18 माह से अधिक आयु के बच्चों और वयस्कों में एचआईवी के निदान के लिए एचआईवी सेरोलोजिकल जांच का उपयोग किया जाता है।
  - (ii) सेरालोजिकल टेस्ट भरोसेमंद नहीं है और 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में पैसेज ऑफ एचआईवी एंटीबॉडी एक्रॉस द प्लेसेन्टा के कारण व्याख्या करना किठन है।
  - (iii) 18 माह से छोटे बच्चों में, एचआईवी संक्रमण का निदान जन्म के 4 से अधिक सप्ताह बाद लिए गए पृथक नमूनों पर निष्पादित द्वितीय वीरोलोजिकल टेस्ट द्वारा की गई पुष्टि एचआईवी के सकारात्मक वीरोलोजिकल टेस्ट अथवा इसके संघटकों( एचआईवी आरएनए अथवा एचआईवी डीएनए अथवा अल्ट्रासेंस्टीव [यूएस] एचआईवी पी24 एजी) पर आधारित है।
  - (iv) डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश सख्ती से अनुशंसा करते हैं कि सभी एचआईवी से ग्रस्त शिशुओं का 4-6 सप्ताह की आयु अथवा इसके बाद शीघ्रातिशीघ्र एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्टिंग हो।
  - (v) यदि कोई बच्चा 9 माह से बड़ा है, तो उसके लिए किसी वीरोलॉजीकल जांच से पूर्व एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है, तथा उनके लिए किसी प्रतिक्रियात्मक एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच के साथ एक वीरोलॉजीकल जांच की जानी चाहिए।
  - (vi) ऐसे शिशु जिसने स्तनपान नहीं किया है अथवा कभी स्तनपान न करने वाले शिशु में, 9 माह की आयु में अथवा इससे अधिक आयु में एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए किसी नेगेटिव सेरॉलाजीकल जांच परिणाम का उपयोग नहीं किया जा सकता।
  - (vii) प्रारंभिक पोजिटिव वीरोलॉजीकल जांच परिणाम वाले शिशुओं में, कड़ाई के साथ अनुशंसा की जाती है कि एंटीरिट्रॉवायरल थेरेपी(एआरटी) अविलम्ब प्रारंभ की जाए तथा, उसी समय, परिणाम की पुष्टि के लिए एक द्वीतीय नमूना एकत्र किया जाए।
  - (viii) जन्म के समय अथवा जन्म होने के करीब अथवा प्रथम प्रसवोत्तर दौरे (आमतौर पर 4-6 सप्ताह) पर, अथवा अन्य बाल स्वास्थय दौरे पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में देखे जा रहे अज्ञात अथवा अनिश्चित एचआईवी विवरण वाले सभी शिशुओं में एचआईवी विवरण स्तर अभिनिश्चित है।
  - (ix) यदि शिशु प्रसव उपरांत 72 घंटे से कम समय में देखा जाता है और एचआईवी होना अभिज्ञात किया जाता है, पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफेलक्सिस (पीईपी) में, सुरक्षित स्तनपान संबंधी परामर्श देना तथा 4-6 सप्ताह में एचआईवी वीरोलॉजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है।
  - (x) 4-6 सप्ताह में पहली बार देखे गए अथवा इसके बाद शीघ्र देखे गए तथा उन शिशुओं जिनमें एचआईवी विवरण प्रलेखीकृत है, के लिए एचआईवी वीरोलॉजीकल जांच की जाएगी तथा ऐसे शिशु की मां को सुरक्षित शिशु-आहार परामर्श प्राप्त करना चाहिए।
  - (xi) माँ में एक निगेटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी विवरण को स्वभावत: वर्जित नहीं करती है; इस गर्भावस्था के दौरान मां के हाल ही की संक्रमण घटना की संभावना को दिमाग में रखना चाहिए।
    - 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में, एक पोजिटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी होने की पुष्टि करती है परंतु निश्चित रूप से एचआईवी का निदान नहीं कर सकता । एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच का एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

### (ग) शिशुओं और बच्चों में एचसीवी निदान:-

- (i) हेपेटाइटिस सी संक्रमण(एचसीवी) लीवर का चिरकालिक विषाणु संक्रमण है जो 1-2 % वयस्कों और लगभग 0.15 से 0.4% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है ।
- (ii) बच्चों में, यह संक्रमण सर्वाधिक माताओं(वर्टिकल ट्रांस्मिशन) से होता है।
- (iii) स्क्रीनिंग रक्त में एचसीवी एंटीबॉडी की जांच है । माँ के एचसीवी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तथा 18 माह तक के शिशु के रक्त में रह सकते हैं । इस प्रकार, 18 माह से कम आयु के शिशुओं में एचसीवी की स्क्रीनिंग करने के लिए एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी जांच की जा सकती है ।
- (iv) अमेरिकन बाल चिकित्सक अकादमी (एएपी) अधिक जोखिम वाले बच्चों में 18 माह की आयु के बाद एंटीबॉडी जांच वाली जांच करने की अनुशंसा करती है । एचसीवी-पीसीआर द्वारा पॉजिटिव एंटीबॉडी जांच की पुष्टि की जानी चाहिए।

- (v) यदि शिशु का किसी ज्ञात एचसीवी पॉजिटिव माँ (अथवा दत्तकग्रहण गृहों में शिशुओं में) से जन्म हुआ है तो एचसीवी-पीसीआर वाली जांच की जा सकती है। यह 3 माह से कम आयु के शिशुओं में अस्थाई रूप से पॉजिटिव जांचों की उच्च दर के कारण 3 माह की आयु उपरांत की जा सकती है। कम से कम 2-3 माह से पृथक दो निगेटिव एचसीवी-पीसीआर जांचों की यह पुष्टि करने के लिए जरूरत होती है कि हेपेटाइटिस सी विषाणु वाला संक्रमण नहीं है।
- (घ) एचबीएसएजी
- (ड़) सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी

अनुसू	ची 5
[विनियम	7(3) देखें]
अध्यर्पण	का विलेख

		अभ्यपण का ।वलख
केस	न सं	
		धोहस्ताक्षरीके निवासीकुटुम्बनाम/प्रथम नाम(मों),, के कारण से तिथि केआयु के (नाम के )बच्चे का अभ्यर्पण करते हैं ।
2.	मुझ	से/हमसे
	(क)	निहितार्थ के बारे में परामर्श किया गया है और इसके बारे में सूचित किया गया है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60 दिनों के भीतर अपनी सहमति वापस ले सकते हैं जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अप्रतिसंहरणीय होगी तथा मैं/हम बच्चे अथवा बच्चों पर अपना दावा नहीं कर सकेंगे ।
	(ख)	अभ्यर्पण के निहितार्थों के बारे में जानकारी दी गई कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60 दिन के बाद, मेरे/हमारे बच्चे अथवा बच्चों तथा मेरे/हमारे बीच विधायी माता-पिता-बालक का रिश्ता समाप्त हो जाएगा  ।
	(ग)मैं/ह	म जानते हैं कि मेरा/हमारा बच्चा भारत में अथवा विदेश में रह रहे व्यक्ति(यों) द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए और इस प्रयोजन से मैं/हम सहमति देते हैं ।
	(ঘ)	मैं/हम जानते हैं कि मेरे/हमारे बच्चे का दत्तकग्रहण दत्तकग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता के रिश्ते का सृजन करेगा तथा तब हम फिर से बच्चे पर अपना दावा नहीं जता सकते हैं ।
1.		/हमारी इच्छा है/इच्छा नहीं है(कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) कि जब बालक/बालिका अपनी बुनियाद की खोज गैटे तो मेरी/हमारी पहचान और पता बच्चे को बताया जाए ;
2.	मैं/ह	म घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उक्त कथनों को सावधानी से पढ़ लिया है तथा इन्हें पूर्णरूपेण समझ लिया है ।
दि	नांक	कोपर किया गया
		[अभ्यर्पणकर्ता व्यक्ति(यों)के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान]
5.	गवाहों द्वार	त घोषणा
ह	म अधोहस्त	ाक्षरियों ने उक्त अभ्यर्पण की गवाही दी है ।
(क	5) प्रथम	गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता
<b>(</b> ख		ीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता 
		ण समिति का प्रमाणन
		े प्रमाणित करते हैं कि उक्त नाम के अथवा अभिनिर्धारित  व्यक्ति और गवाह(हों) इस तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए
-		प्रमाणित करते हैं कि उक्त साम के अवया आमार्गियारित ज्याक्त आर ग्याह्यहा) इत ताराख का मेर समझ प्रस्तुत हुए पस्थिति में इस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए ।
दिः	नांक	कोपर किया गया

सदस्यों/अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मोहर

# अनुसूची - 6 [ विनियम 9(1), 15(3), 20(1), 40(6), 42(3), 52(1) और 53(3) देखें ]

# ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्ररूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

रजिस्ट्रीकरण की तारीखः				
आवेदक प्रवर्ग :	भारत में रह रहे भारतीय, भावी दत्तक माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।			
	भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में सामान्यत: निवास कर रहे विदेशी राष्ट्रिक, भावी दत्तक माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा ।			
	नियमित रूप से विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकारी (सीए) या जिस देश में वे रह रहे हैं, उस देश का संबंधित सरकारी विभाग रजिस्ट्रीकरण कराएंगे। हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के मामले में, अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों पर भारतीय मिशन कार्रवाई कर सकता है।			
आवेदक की प्रास्थिति	एकल - अविवाहिता/विधवा/विधुर/विच्छन्न विवाह व्यक्ति / कानूनी रूप से पृथक हो चुके पति या पत्नी या विवाहित दंपत्ति (विवाह की तारीख, विवाह का स्थान)			
वैयक्तिक सूचना				
	पुरुष	स्त्री		
नाम				
जन्म की तारीख और आयु				
जन्म से राष्ट्रिकता				
वर्तमान राष्ट्रिकता/ नागरिकता				
वर्तमान आवासीय पता				
नगर/जिला				
राज्य				
देश				
जिप/पिन कोड				
फोन नं.				
मोबाइल नं.				
ईमेल				
उपजीविका का ब्यौरा				
उपजीविका का स्वरूप	सरकारी नौकरी / प्राइवेट नौकरी / सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी / कारोबार / अलाभकारी व्यवसाय/ परामर्श / पेशेवर / अन्य / गैर नियोजित			
कार्यस्थल				
वार्षिक आय				
जैव/दत्तक बालकों की सं.	कुल ( )	1		

माता-पिता के मामलों भी लागू होगा।

(4)

पासपोर्ट (भावी दत्तक माता)

पहचान का ब्यौरा	
पैन नंबर (यदि कोई हो)	
आधार कार्ड नं.	
ओसीआई कार्ड नंबर	
पासपोर्ट नंबर	
दत्तकग्रहण के लिए वरीयता	
लिंग	बालक / बालिका / कोई वरीयता नहीं
बालक का प्रवर्ग	सहोदर भाई या बहन / एकल
स्वास्थ्य की प्रास्थिति	साधारण/शारीरिक रूप से निशक्त /मानसिक रूप से निशक्त
आयु	0-2 वर्ष/2-5 वर्ष/5-8 वर्ष/ 8-11 वर्ष/11-14 वर्ष/14-18 वर्ष
राज्य संबंधी अधिमानता:	
गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अभिकरण का नाम	
अभिकरण का पता	
दत्तकग्रहण के लिए अभिप्ररण (अधिकतम 200 अक्षरों में)	
भारत में रह रहे निवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्वयं ही रजिस्ट्रीकरण करना होगा।	<ul> <li>रिजस्ट्रीकरण के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज</li> <li>1. देश के भीतर दत्तकग्रहण (भारत में रह रहे भारतीय)</li> <li>(1) कुटुम्ब का नवीनतम फोटो/ बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो</li> <li>(2) भावी दत्तक माता-पिता का पैन कार्ड</li> <li>(3) माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा)</li> <li>(4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पासपोर्ट/ बिजली का वर्तमान बिल/टेलिफोन का बिल)</li> <li>(5) पिछले वर्ष की आय का सबूत (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय</li> </ul>
विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। यह भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिकों या विदेशी भावी दत्तक	प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न) (6) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा) (7) विवाह प्रमाणपत्र / विवाह-विच्छेद डिक्री/ सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दिशा में जहां वैयक्तिक विधि द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां त्यजन की डिक्री आवश्यक नहीं है / पित या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो  2. अनिवासी भारतीय / विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में अंतर-देशीय दत्तकग्रहण (1) आवेदक (कों) के फोटो (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) (भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट रिजस्ट्रीकरण के बाद अपलोड की जाएगी) (3) पासपोर्ट (भावी दत्तक पिता)

- (5) भावी दित्त माता-पिता का विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड (यदि लागू हो)
- (6) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक पिता)
- (7) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक माता)
- (8) निवास का प्रमाण
- (9) पिछले वर्ष की आय का सबूत (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न)
- (10) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं।
- (11) भावी दत्तक पिता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापित प्रमाण-पत्र
- (12) भावी दत्तक माता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापित्ति प्रमाण-पत्र
- (13) विवाह प्रमाण-पत्र (दंपत्ति के मामले में)
- (14) विवाह-विच्छेद डिक्री विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दिशा में जहां वैयक्तिक विधि द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां त्यजन की डिक्री आवश्यक नहीं है।
- (15) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में वचनबंध (यदि लागू हो)
- (16) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, उनके राजदूतावास/ उच्चायुक्त से दत्तकग्रहण और भारत से भावी दत्तक माता-पिता के पुन:स्थापन के मामले में दत्कग्रहण के पश्चात् आश्वासन के लिए निरापेक्ष प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।
- (17) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित व्यक्ति का पहला संदर्भ पत्र
- (18) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित व्यक्ति का दूसरा संदर्भ पत्र

### नामांकन के बाद अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज

- (19) कुटुम्ब के अधिक आयु के बालक/बालकों (पांच वर्ष से अधिक आयु के) की सहमति
- (20) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति
- (21) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार (हेग अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देशों के मामले में) प्रापत्कर्ता देश की अनुमति
- (22) विदेश में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण विनियमनों में यथा अपेक्षित, बालक की प्रगति के अनुवर्तन के लिए, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमित देने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से वचनबंध।
- (23) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबंध।
- (24) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अविध के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमित देने के लिए वचनबंध।
- (25) कम से कम दो वर्ष की अवधि तक बालक की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और बाधा आने के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबंध।

### विदेश में रह रहे निवासी भारतीय और विदेशी भारतीय नागरिक भावी

### 3. देश के भीतर नातेदारी दत्तकग्रहण

दत्तक माता-पिता के मामले में, नातेदारी दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण के समय, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में यथा उपरिलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज़ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड किए जाएंगे [(1)-(15)]।

### अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज

- (1) जैविक कुटुम्ब के अधिक आयु के बालक/बालकों की (पांच वर्ष से अधिक आयु) की सहमति।
- (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति।
- (3) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अनुसमर्थित देश के मामले में लागू)।
- (4) दत्तक बालक का भावी दत्तक माता-पिता से नाता (कुटुम्ब वृक्ष)।
- (5) बालक, दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता के हाल ही में लिए गए फोटो
- (6) अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक कुटुम्ब की सहमित।
- (7) बाल कल्याण समिति से अनुसूची 22 में यथा उपबंधित नातेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमित (यदि लागू हो)।
- (8) जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा **अनुसूची 21** में यथा उपबंधित कुटुम्ब पृष्ठभूमि रिपोर्ट ।

देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता ऐसे दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करेंगे और प्रासंगिक दस्तावेजों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करने के लिए जिला बालक संरक्षक एकक (डीसीपीय) को सौंपेंगे।

### 4. देश के भीतर दत्तकग्रहण के किसी भी मामले में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

- (1) भावी दत्तक माता-पिता के निवास का प्रमाण।
- (2) ऐसे दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता के अधिक आयु के बालक की सहमति (केवल पांच वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में अपेक्षित)।
- (3) जैविक माता-पिता की सहमति (दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची 20** में यथा उपबंधित)।
- (4) बाल कल्याण समिति से **अनुसूची 23** में यथा उपबंधित नातेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमित (यदि लागू हो)।
- (5) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा उनकी नातेदारी, वित्तीय और सामाजित प्रास्थिति के समर्थन में दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची 24** में यथा उपबंधित शपपथपत्र।
- (6) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश।

सौतेले माता-पिता के बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में, जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करना होगा और अपेक्षित दस्तावेजों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से उनको अपलोड करेंगे।

### 5. बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में सौतेले माता-पिता द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

- (1) जैविक दत्तक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति या पत्नी के कानूनी विवाह के प्रमाणपत्र के साथ निवास का प्रमाण।
- (2) दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 20 में यथा उपबंधित जैविक माता-पिता, बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पित या पत्नी की सहमित ।
- (3) दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 20 में यथा अपेक्षित दस्तावेज़, यदि लागू हो।
- (4) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश।

### अनुसूची 7

### [ विनियम 2(11), 9(10) और 20(2) देखें ]

### निवासी भारतीय माता-पिता/भारत के विदेशी नागरिक/भारत में रह रहे विदेशी की गृह अध्ययन रिपोर्ट

श्री	 •••••	
सुश्री	 	

अनाथ / परत्यक्त / अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण पर कार्रवाई दत्तकग्रहण विनियमों में यथानिर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर की जा सकती है। सभी भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन पद्धति (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और प्राधिकृत संस्था से दत्त्कग्रहण करना होगा।

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली रजिस्ट्रीकरण सं.	-
रजिस्ट्रीकरण की तिथि	-
पैन कार्ड नं	
आधार कार्ड नं., यदि उपलब्ध हो -	
पासपोर्ट नं., यदि लागू हो -	
सामाजिक कार्यकर्ता का नाम -	
गृह के दौरे की तारीख -	

रिपोर्ट का भाग-1 भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाना होता है

गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के मजबूत प्रस्ताव को बनाने में सहायता करता है, तथा इसलिए, भावी दत्तक माताओं-पिताओं से उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सभी सूचना उपलब्ध कराने की आशा की जाती है । टैम्पलेट में उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रामाणिकता के लिए केवल भावी दत्तक माता-पिता जिम्मेदार होते हैं तथा उनसे भाग-1 के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है।

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) को दत्तकग्रहण में स्वयं की तैयारी करने में सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाताओं से सलाह लेने तथा जिसे वे दत्तकग्रहण करना चाहते हैं उस बच्चे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

टैम्पलेट का **भाग-2** विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में संलग्न व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना होता है।

गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध प्रत्येक बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त कुटुम्बखोजने में दत्तकग्रहण अभिकरण की मदद करता है। गृह अध्ययन के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के वित्तीय, रोजगार, स्वास्थ्य, जीवनशैली, गृह और आस-पास के माहौल; उनकी पैतुक शैली तथा रैवय्ये (रैवय्यों), दत्तकग्रहण की प्रेरणा; दत्तकग्रहण की प्रतिबद्ध्ता और दत्तकग्रहण करने के लिए समग्र तैयारी सह परिपक्वता का मूल्यांकन करता है।

### भाग-1

# दत्तकग्रहण से परिचय क. (यह भाग भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाए) 1. बच्चे के दत्तकग्रहण के पीछे आपकी अभिप्रेरणा क्या है 2. क्या आप किसी बड़े बच्चे, जो निराकरणीय चिकित्सा स्थिति में है अथवा विशेष जरूरतमंद बच्चे की सहायता करने में समर्थ होगे? हां/ नहीं 3. क्या आप किसी दत्तकग्राही कुटुम्ब अथवा वे बच्चे जिन्हें दत्तकग्रहण किया हो, से मिले हैं – यदि हां, तो आपका अनुभव और प्रतिक्रिया कैसी रही

4.	क्या कोई ऐसे क्षेत्र है उस बच्चे जिसे आप दत्तकग्रहण करना चाहते है की सहायता करने में ज् व्यावसायिक मदद करने में जरूरत हो?	जहा आपक	ो परामशे	देने अथवा
		_		
		_		
5	कृपया वर्णन करें कि भावी दत्तकग्रहण आपके साथ रह रहे अन्य सदस्यों तथा बच्चे के प्रति उ	- - रनकी सहा	यता पर	கீச் ரவுக
J.	हालेगा ।	- -	401 40	यहरा त्रमाप
		_		

### कौटुम्बिक पृष्ठभूमि की जानकारी:

सूचना का विवरण	पुरुष आवेदक	स्त्री आवेदक
पूरा नाम (कुटुम्ब का नाम रेखांकित करें)		
जन्म की तारीख और आयु		
जन्म का स्थान		
नागरिकता		
पता		
ई-मेल आईडी		
संपर्क नंबर और मोबाइल नम्बर		
धर्म		
घर पर बोले जाने वाली भाषा(एं)		
विवाह की तारीख		
पूर्ववर्ती विवाह की तारीख (यदि कोई हो)		
विवाह-विच्छेद की तारीख (यदि कोई हो)		
शैक्षिक अर्हता		
नियोजन/उपजीविका		
वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान		
का नाम और पता		
वार्षिक आय		
स्वास्थ्य की स्थिति		

भावी दत्तक माता-पिता का फोटो		

आवेदकों के बारे माता-पिता का ब्यौरा	पुरुष आवेदक		स्त्री आवेदक	
	पिता	माता	पिता	माता
पूरा नाम				
आयु				
राष्ट्रिकता/नागरिकता				
उपजीविका				
पूर्ववर्ती उपजीविका				
वर्तमान में भावी दत्तक माता-पिता के				
साथ रह रहे हैं (हाँ / नहीं में बताएं)				

(2) कृपया इस सारणी में अपने प्रत्येक बालक (दत्तक और जैविक) का नाम, उसके लिंग, शैक्षिक प्रास्थिति (किंडरगार्टन, प्रारंभिक आदि) और जन्म की तारीख का ब्यौरा भरें।

बालक का नाम	लिंग	जन्म की तारीख	शैक्षिक प्रास्थिति

(3) कृपया कुटुम्ब में रह रहे अन्य सदस्य(यों) की आयु, लिंग, उपजीविका और पारिवारिक नातेदारी के स्वरूप का ब्यौरा आगे दी गई सारणी में दर्शाया जाए।

नाम	नातेदारी की प्रकृति	आयु	लिंग	उपजीविका

(4)	कृपया गृह में रह रहे किन्ही अन्य गैर-संबं	धेत वयस्कों/बच्चों (	(अर्थात् गृह सहायक,	स्टाफ, बाह्य कार्मि	क आदि) का ब्यौरा	उपलब्ध
	कराएं:					

ग. उपजीविका/नियोजन संबंधी ब्यौरा (पिछले 5 वर्षों के वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा): कृपया आगे दी गई सारणी में अपने वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा भरें।

पुरुष आवेदक				
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा	कार्य उपाधि	से	तक
	(नाम और पता)			

स्त्री आवेदक				
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा	कार्य उपाधि	से	तक
	(नाम और पता)			

**घ.** वित्तीय स्थिति: (सभी स्रोतों से अपनी आय, बचतों, विनिधानों, व्यय और दायित्वों का संक्षिप्त वर्णन दें)। कृपया अपने अद्यतन कर बीजकों, बैंक विवरणों इत्यादि और कर-योग्य आय का ब्यौरा दें।

\_\_\_\_\_

क्या आप पर कोई ऋण बकाया है, आपने कुछ गिरवी आदि रखा हुआ है।

- क) यदि हाँ, तो कृपया अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें;
- ख) नहीं
- **ड. वर्तमान वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध की गुणवत्ता (यदि लागू हो)**: (विवाह, वैध पृथक्करण, यदि कोई पृथक्करण हुआ हो, ऐसे पृथक्करण के कारणों, वर्तमान वैवाहिक जीवन और विनिश्चय लेने की प्रक्रियाओं का ब्यौरा दें)।
  - 1) कृपया अपनी वैवाहिक प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करें:
  - (2) कृपया यह वर्णन करें कि आप और आपके साथी किसी विनिश्चय तक पहुँचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं।
- च. दादा-दादी या नाना-नानी/विस्तृत कुटुम्बके अन्य सदस्यों, अन्य नातेदारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्तमान दत्तकग्रहण के विषय में दृष्टिकोण: (बालक के प्राप्तकर्ता देश में पहुँचने पर उसके पालन-पोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दत्तकग्रहण के विषय में विचारों का संक्षिप्त विवरण दें।)
- छ. दत्तक बालक और कुटुम्ब में उसके पालन-पोषण के विषय में भावी दत्तक माता-पिता की प्रत्याशित योजनाएं:
  - (1) कृपया यह वर्णित करें कि आप दत्तक बालक के पालन-पोषण और देखरेख जैसी जीवन की अन्य अंगीकृत को कैसे संभालेंगे?
  - (2) जब आप कामकाज के लिए जाएंगे या घर से अनुपस्थित होंगे तब बालक की देखरेख की जिम्मेदारी कौन संभालेगा/संभालेगी (घरेलू नौकर/नौकरानी, दादा-दादी/नाना-नानी, पति/पत्नी)।
  - (3) कृपया आप बताएं कि यदि दत्तक बालक को कुटुम्ब में समायोजन में किठनाइयाँ आईं तो कुटुम्ब में उसके समायोजन को आसान बनाने के लिए आपने क्या उपाय करने की योजना बनाई है?
- ज. दत्तकग्रहण की तैयारी और प्रशिक्षण: (भावी दत्तक माता-पिता ने दत्तकग्रहण, बालकों की देखरेख, बालकों की जरूरतों के प्रबंधन इत्यादि के विषय में जिन परामर्श सत्रों में भाग लिया है, उन परामर्श सत्रों और उनकी क्षमता, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (यदि कोई हों) के पालन-पोषण के संबंध में भावी दत्तक माता-पिता के प्रशिक्षण और/या अनुभव का ब्यौरा दें)

दत्तकग्रहण प्रक्रिया के बारे में समझ:

संदर्भ सामग्रियों का पठन:

मित्रों/सगे-संबंधियों से सीखना:

दत्तकग्राही माता-पिता समूहों के साथ वार्तालाप:

उपजीविका में परामर्श करने के माध्यम से सीखना :

- झ. भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाने की दशा में बालक के लिए संभावित पुनर्वास योजना: (यदि आपके साथ कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक घटना हो जाए तो बालक की सुरक्षा की अपनी योजना का संक्षिप्त ब्यौरा दें। यदि आप अकेले संभावित दत्तक माता या पिता हैं तो कृपया अपने उस निकट संबंधी का संक्षिप्त ब्यौरा दें, जो बालक की सुरक्षा के लिए वचनबंध देगा।)
  - (1) क्या आपको कामकाज के लिए यात्रा करनी पड़ती है?
  - (2) आपकी अनुपस्थिति में बालक की देखरेख कौन करेगा/करेगी? कृपया उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसके नातेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें।
  - (3) यदि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बालक का विधिक संरक्षक बन सके? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें:
- ञ. स्वास्थ्य (भावात्मक और शारीरिक) की प्रास्थिति:
  - (1) (1) क्या आप या आपके पित/पत्नी किसी रोग से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो क्या आप उसका ब्यौरा देने की कृपा करेंगे?

- (2) क्या वर्तमान में आप या आपके पति/पत्नी का उपचार कोई मनोवैज्ञानिक या मनश्चिकित्सक कर रहे हैं?
- (3) क्या वर्तमान में आप कोई निर्धारित औषधि ले रहे हैं?
- (4) क्या वर्तमान में आपके कुटुम्ब में किसी/किन्हीं बालक/बालकों के किसी रोग का इलाज चल रहा है?
- (5) क्या आपके कुटुम्ब के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल में उपचार संबंधी बीमा सुरक्षा है?

### प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

### भावी दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर और तारीख

### भाग-2

(गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

# जहाँ तक संभव हो सके, गृह अध्ययन रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक मास में पूरी कर ली जानी चाहिए। टैम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्य अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखे जाएंगे।

टिप्पण: सामाजिक कार्यकर्ता को पहले भावी दत्तक माता-पिता से तैयारी संबंधी प्रश्न पूछकर उन्हें सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर झुकाने और हिलाने जैसे मौन संकेत यह दर्शाने के लिए देने चाहिए कि भावी दत्तक माता-पिता ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक प्रश्न के बाद भावी दत्तक माता-पिता को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दे। भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी उत्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता की मौखिक प्रतिक्रिया निष्पक्ष और अनिर्णायक होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रश्न पढ़ने और भावी दत्तक माता-पिता के उत्तर दर्ज करने के बीच के समय में समानुभूति दर्शाने के लिए यथासंभव भावी दत्तक माता-पिता से आँखें मिलानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को तभी भावी दत्तक माता-पिता को बीच में रोकना चाहिए जब वे किसी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते हैं।

#### तथ्यात्मक निर्धारण

(i) क्या आपने इस रूपद के भाग-। में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन किया है?

हाँ/नहीं

(ii) क्या आप दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों और साक्षात्कारों और दौरों के समय पाई गई वास्तविक स्थिति से समाधान हैं? हाँ/नहीं

### मनोवैज्ञानिक निर्धारण:

- 2.1 भावी दत्तक माता-पिता से बातचीत
  - (i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता से अलग-अलग और/या एकसाथ बातचीत की है?
  - (ii) क्या भावी दत्तक माता-िपता दत्तक ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अकेले भावी दत्तक माता या पिता के मामले में कृपया कौटुम्बिक सहायता व्यवस्था का उल्लेख करें।
  - (iii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने पालन-पोषण के लिए अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

### 2.2 गृह दौरे से प्राप्त निष्कर्ष

- (i) आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर का दौरा कब किया? आपके दौरे के समय कुटुम्ब के कौन से सदस्य उपस्थित थे?
- (ii) घर के दौरे के समय आपने किससे बातचीत की?
- (iii) क्या आप किसी पड़ोसी/संबंधी से मिले हैं? उस बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दें?
- (iv) क्या घरेलू वातावरण बालक के लिए अनुकूल है? यदि नहीं तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता को सलाह दी है?
- (v) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं?
- (vi) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने बातचीत के दौरान अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?
- (vii) क्या भावी दत्तक माता-पिता को पालन-पोषण संबंधी मुद्दों और अन्य मुद्दों के विषय में कोई शंका थी? क्या आपने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया है?

### 2.3 कुटुम्ब के सदस्यों से बातचीत

- (i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से बातचीत की है? प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में उनके क्या विचार हैं? क्या दत्तकग्रहण के विषय में उनकी सोच सकारात्मक है?
- (ii) क्या कुटुम्ब के ऐसे कोई अन्य सदस्य भी हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाई लेकिन प्रस्तावित दत्तकग्रहण में उनकी अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका हो सकती है? यदि हाँ तो आपने बातचीत कैसे की? क्या उनके विचार जानने की आपकी कोई योजना है?
- (iii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर में विद्यमान अपेक्षाकृत बड़े बालक/बालकों से बातचीत की है? यदि हाँ तो कृपया बातचीत का ब्यौरा दें।
- (iv) क्या आपने कुटुम्ब के सदस्यों की कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है? यदि हाँ तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर उन टिप्पणियों का कितना प्रभाव पड़ सकता है?

### 2.4 वित्तीय क्षमता

- (i) भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय स्थिति के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि वे अपने कुटुम्ब में एक और सदस्य का स्वागत कर सकते हैं?
- (ii) क्या आपने ऐसी वित्तीय स्थिति देखी है, जिसका उल्लेख रूपद में नहीं किया गया है?

### 2.5 शारीरिक और भावात्मक क्षमता

- (i) क्या भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक औरभावात्मक दशा इतनी अच्छी है कि वे बालक की देखरेख कर सकें?
- (ii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता या उनके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य में कोई ऐसी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्या पाई है, जिससे आने वाले बालक का जीवन प्रभावित होगा? यदि हाँ तो ब्यौरा दें।
- (iii) घर में कमरों की संख्या कितनी है तथा क्या घर में बच्चे की सहायता के लिए पर्याप्त स्थान है, इसका ब्यौरा दें।
- (iv) क्या भावी दत्तक माता-पिता बालक की देखरेख के लिए भावात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं?

### 3. दत्तकग्रहण की सिफारिश

- 3.1 क्या आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करते हैं? माता-पिता की उपयुक्तता सहित दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करने के लिए अपने विचार और औचित्य दर्शाएं।
- 3.2 यदि आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो ऐसे निर्णय के लिए उपयुक्त कारण बताएं। सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम

# अनुसूची 8 [ विनियम 11(1) और 16(2) देखें ]

### दत्तकग्रहण पूर्व पालन-पोषण वचनबद्धता (शपथपत्र के रूप में)

वर्तमान	में (विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता) की देखरेख में रह रहे को जन्मे
(बालक	का पूरा नया नाम) उर्फ (बालक का पुराना नाम) नामक बालक के प्रस्तावित दत्तक माता-पिता हम, श्री
	, आयुवर्ष, के नागरिक और श्रीमती, आयुवर्ष, की
नागरिक	, स्थायी रूप से के रहने वाले, वर्तमान पताहै, सत्यनिष्ठा से यह
घोषणा व	करते हैं कि:
(1)	हम उल्लिखित बालक को संबंधित न्यायालय के दत्तकग्रहण आदेश के लंबित रहने तक के लिए दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख में ले रहे हैं।
(2)	हम यह जानते हैं कि संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण का अंतिम आदेश प्राप्त होने तक उक्त बालक xxxx (विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम) के प्राधिकार और संरक्षण में रहेगा और हम उक्त बालक के केवल पालक माता-पिता रहेंगे।
(3)	हमारी देखरेख में रखे गए बालक को समस्त आवश्यक शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख, ध्यान, पोषण और अपेक्षित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
(4)	बालक के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाने पर हम उस घटना की जानकारी तत्काल विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को देंगे।
(5)	न्यायालय का अंतिम आदेश पारित होने तक बालक के विकास संबंधी जानकारी महीने में एक बार संस्था को दी जाएगी।

- (6) जब कभी हमें बुलाया जाएगा, हम विधिमान्य औपचारिकताओं और न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित होंगे।
- (7) हम बालक/बालकों को अपने स्वयं के बालक/बालकों के रूप पालन-पोषण करेंगे।
- (8) हम हमारे कुटुम्ब में बच्चे/बच्चों की भलाई और प्रगति अभिनिश्चित करने के लिए दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/ जिला बाल संरक्षण इकाई / राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के किसी प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को हमारे घर का दौरा करने की अनुमति देंगे।
- (9) हम दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को हमारे आवास के स्थान के किसी परिवर्तन की सूचना का वचन देते हैं (इस आवेदन में यथावर्णित के अलावा)।

श्री		श्रीमती
भावी दत्तक पि	ोता	भावी दत्तक माता
तारीखः		
साक्षी :		
	नाम:	नाम:
	हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
	पता:	पता:

### अनुसूची 9

### [ विनियम 12(1), 15(14) और 55(1) देखें ]

नोट : केवल नीच लिखे और यथा लागू प्रमणपत्र / दस्तावेज ही याचिका के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है । दत्तकग्रहण के किसी भी मामले में अनुर्वरता प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

### 1. देश के भीतर दत्तकग्रहण

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा भावी दत्तक माता-पिता(पीएपी) से प्राप्त किया जाए

- (1) वर्तमान कुटुम्बका फोटो / बालक का दल्त्कग्रहण करने वाले दंपत्ति या व्यक्ति के अद्यतन फोटो ।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता का पैन कार्ड।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का साक्ष्य।
- (4) निवास का सबूत (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/चालन अनुज्ञप्ति/बिजली का वर्तमान बिल/टेलिफोन बिल) ।
- (5) पिछले वर्ष की आय का सब्त (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न)।
- (6) चिकित्सक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तकग्रहण के लिए स्वस्थ हैं (दम्पत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र को अपलोड करें)।
- (7) विवाह प्रमाण-पत्र।
- (8) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में विवाह-विच्छेद डिक्री, विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश अथवा ऐसे मामलों में जहां विवाह विच्छेद समानान्तर कानून द्वारा दिया गया है, शपथ पर घोषणा, जहां पर विवाह विच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/पित या पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की प्रति ।
- (9) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या संबंधियों के दो संदर्भ।
- (10) दत्तकग्राही कुटुम्ब में बड़े बालक/बालकों की सम्मति की प्रति (यदि 5 वर्ष से अधिक हों)।

### विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किया जाए

- (11) बच्चे के अद्यतन फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक अध्ययन रिपोर्ट ।
- (12) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट।
- (13) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र ।
- (14) भावी दत्तक माता-पिता के कुटुम्ब के अद्यतन फोटो के साथ उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट ।
- (15) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।
- (16) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बड़े बच्चे/बच्चों की सम्मति ।
- (17) दत्तकग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में)।
- (18) बच्चे के दत्तकग्रहण के समर्थन में न्यायालय को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ पत्र ।
- (19) दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण का शपथ पत्र ।

### 2. विदेश में रह रहे एनआरआई/प्रवासी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण

प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) अथवा केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) अथवा सरकारी विभाग अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के विदेश में भारतीय मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाए

- (1) आवेदक(कों) के फोटो
- (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट
- (3) पासपोर्ट (पुरूष भावी दत्तकग्राही माता-पिता)
- (4) पासपोर्ट (स्त्री भावी दत्तकग्राही माता-पिता)
- (5) भावी दत्तक माता-पिता के प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड (यदि लागू हों)
- (6) भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का साक्ष्य
- (7) निवास का सबूत
- (8) पिछले वर्ष की आय का सबूत (उदाहरणार्थ सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/ आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न)
- (9) चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तकग्रहण के लिए स्वस्थ हैं
- (10) पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र (पुरूष भावी दत्तक माता-पिता)
- (11) पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र (स्त्री भावी दत्तक माता-पिता)
- (12) विवाह प्रमाण-पत्र (दम्पत्ति के मामले में)
- (13) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या संबंधियों के दो संदर्भ पत्र।
- (14) एकल भावी दत्त्क माता-पिता के मामले में विवाह-विच्छेद डिक्री/विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश अथवा ऐसे मामलों में जहां विवाह विच्छेद वैयक्तिक विधि के अधीन किया गया है, शपथ पर घोषणा, जहां पर विवाह विच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/पित या पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागु हो) की प्रति।
- (15) दत्तकग्राही कुटुम्ब में बड़े बालक/बालकों की सम्मति की प्रति(यदि 5 वर्ष से अधिक हों)।
- (16) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण का प्राधिकार प्रमाणपत्र (केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन के मामले में अपेक्षित नहीं)।
- (17) दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती रिपोर्ट भेजने और व्यवधान के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबद्धता (सीए अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन के मामले में अपेक्षित नहीं)।
- (18) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति
- (19) दत्तकग्रहण के पश्चात् अनुवर्तन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के गृह दौरों की अनुमति के लिए वचनबद्धता ।
- (20) न्यायालय में उनकी ओर से दत्तकग्रहण आवेदन को फाइल करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत कृत्यकारी के पक्ष में भावी दत्तकग्रहण माता-पिता से मुख्तारनामा ।

### विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किया जाए

- (21) बच्चे के अद्यतन फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक अध्ययन रिपोर्ट ।
- (22) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट।
- (23) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।
- (24) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति
- (25) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बड़े बच्चे/बच्चों की सम्मति
- (26) बच्चे के दत्तकग्रहण के समर्थन में न्यायालय को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ-पत्र
- (27) दत्तकग्रहणपूर्व पालन-पोषण का शपथ-पत्र(जहां कहीं अपेक्षित हो)
- (28) अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय नागरिक/भावी दत्तकग्रहण माता-पिता द्वारा किसी बच्चे के दत्तकग्रहण के पक्ष में कारा द्वारा जारी अनापित्त प्रमाण-पत्र। भारत में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिक/भारत में रह रहे विदेशी भावी दत्तकग्रहण माता-पिता के मामले में, प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए उनके राजदतावास/उच्चायक्त से अनापित्त प्रमाण-पत्र की प्रति।

### 3. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा उपदर्शित, जहां बच्चा जैविक माता-पिता अथवा संरक्षकों के साथ रहता है वहां भावी दत्तकग्रहण माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे ।

### 4. देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा-उपदर्शित, जहां बच्चा जैविक माता-पिता अथवा संरक्षकों के साथ रहता है वहां भावी दत्तकग्रहण माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे।

**टिप्पण :** केवल उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज, यथा-लागू, फाइल किया जाना अपेक्षित है। दत्त्कग्रहण के किसी भी मामले में संतानोत्पत्ति में असमर्थता का प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

> अनुसूची 10 [ विनियम 16(1) देखें ]

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला और बाल विकास मंत्रालय का स्वायत्त निकाय)

प्रमाण-पत्र संख्या:

तारीख :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

बालक और भावी दत्तक माता-पिता

प्रमाणित किया जाता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण नामक दत्तकग्रहण के मामलों से संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण को आगे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक/बालकों के दत्तकग्रहण पर 'कोई आपत्ति नहीं' है:

豖.	बालक का नाम	बालक का लिंग	जन्म की तारीख	भावी दत्तक माता-पिता के
सं.				नाम और पता
(i)				

- यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दत्तकग्रहण विनियम, 2017 और बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर 2. हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 17(ग) के अनुसार जारी किया जाता है।
- दत्तकग्रहण के इस मामले में कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण/संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/भारतीय राजनयिक मिशन को प्राधिकृत किया गया है।
- विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण सक्षम न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका फाइल करेगा। 4.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

और मुहरबंद

प्रेषित:

- (1) विशेषज्ञ दतुतकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।
- (2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण/राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।
- (3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/ भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।
- (4) भारत में प्राप्तकर्ता देश का राजनयिक मिशन।
- (5) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।
- विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)।

# अनुसूची 11 [ विनियम 18(1) देखें ]

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

तारीख: प्रमाणपत्र संख्या:

> बालक और दत्तक माता-पिता का फोटो

		-		7 0	_	-	` `	$\sim$		١.
1	तालक सरश्रण	आर	थतर.	.ट911	ा टट्टक्सारण की	त्रात्रत सरग	ाग पर ट	ग अधिमप्रग	1993 के अनुच्छेद 23 के अर्ध	1ਜ\
	91/17/1/917	VII \	91(1(-	*****	1 4 ((17) 28 6 71 74	919 (ID9	מידויו	न जागतान्य.	1000 1001 904 20 10 90	1.17

पुष्ट प्रमाणमन
(बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 23 के अधीन
1 – अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी :
<i>(</i> राज्य के सक्षम दत्तक ग्रहण प्राधिकारी का नाम और पता <i>)</i>
2 – प्रमाणित करता है कि बालक :
पारिवारिक नाम :
मुख्य नाम :
लिंग: पुरुष[] स्त्री[]
जन्म की तारीख : तारीख मास वर्ष
जन्म स्थान :
निगमित निवास

3	3 – का दत्तकग्रहण निम्नलिखित प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार था :
<del>[</del> 7	
	ातिम रूप से विनिश्चय पारित होने की तारीख:
	गातन रूप सापानस्पर्य पारित होने पेग तारिखिः यदि दत्तकग्रहण किसी प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार न होकर अन्यथा किया गया तो कृपया समतुल्य का ब्यौरा दें)
	म्नलिखित व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया :
	ह दत्तक पिता का पारिवारिक नाम:
_	ख्य नाम:
স	न्म की तारीख : तारीख मास वर्ष
<u>ज</u>	न्म स्थान:
द	त्तकग्रहण के समय नियमित निवास:
ख	🛾 दत्तक माता का पारिवारिक नाम:
म्	ख्य नाम:
স	न्म की तारीख : तारीख मास वर्ष
স	न्म <del>स</del> ्थान:
द	त्तकग्रहण के समय नियमित निवास:
	- - अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि दत्तकग्रहण, अभिसमय के अनुसार किया गया और करार अनुच्छेद 17, उप-
	रा ग के अनुसार निम्नलिखित द्वारा किया गया :
9	र मूल राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता:
व	रार की तारीख :
ख	🛾 प्राप्तकर्ता राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता :
व	रार की तारीख :
(6	6) -
	स्थान परतारीख को हस्ताक्षर किए गए।
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
	ु
	प्रेषित :
(1)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।
(2)	राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण / संबंधित राज्य सरकार के विभाग का नाम और पता।
(3)	प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) / संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/ भारतीय राजनयिक मिशन का नाम
, ,	और पता।
(4)	भारत में प्राप्तकर्ता देश का राजनयिक मिशन।
(5)	प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।
(6)	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)।

# अनुसूची 12

### [ विनियम 13(1), 19(1) और 20(5) देखें ]

### बालक की स्थानन-पश्चात् रिपोर्ट

$c \rightarrow c \rightarrow$	
रिपोर्ट सं.:	तारीख

बालक का कुटुम्ब के साथ फोटो

- पहचान संबंधी जानकारी :
  - (क) बालक का नाम (आंरभिक और बाद में दिया गया, यदि कोई हो)
  - (ख) उपनाम/ पारिवारिक नाम :
  - (ग) बालक के जन्म की तारीख:
- 2. दत्तक माता-पिता का संपर्कों का ब्यौरा
- 3. बालक का समंजन :
  - (क) वर्तमान लंबाई और भार
  - (ख) शारीरिक परीक्षाओं और चिकित्सक के दौरों से प्राप्त निष्कर्ष
  - (ग) खानपान और सोने संबंधी आदतें
  - (घ) भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास
  - (ङ) कुटुम्ब के सदस्यों से लगाव
  - (च) स्कूल में बालक का नामांकन (यदि लागू हो)
  - (छ) बोली जाने वाली भाषा(एं) (यदि लागू हो)
- 4. बालक के साथ दत्तक कुटुम्ब के सदस्यों का समंजन:
- कुटुम्ब की संरचना या सक्रियता में महत्त्वपूर्ण बदलाव, यदि कोई हों:
   (निवास, नियोजन, कार्य संबंधी दायित्वों, रोग इत्यादि में परिवर्तन)
- 6. सामाजिक कार्यकर्ता की संप्रेक्षण और सिफारिशें

(हस्ताक्षर)

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:

अभिकरण का नाम और तारीख

टिप्पण : स्थानन-पश्चात रिपोर्ट का ऑनलाइन अद्यतनीकरण आज्ञापक है।

### अनुसूची 13

### [ विनियम 24(1) (च) और 26(4) (ज) देखें ]

### विशेषज्ञ दत्तकगहण अभिकरणों में बाल देखरेख के मानक

1. अभिकरणों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि बच्चों को संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराई जाएं :

### (क) भौतिक सुविधाएं:

- (i) भौतिक परिवेश, जिसमें बालक की देखरेख की जाती है, स्वच्छ होना चिहिए । अभिकरण मे स्वच्छता और सफाई का रखरखाव पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि संस्था में अधिकांश बच्चे छोटे होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं । एक वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे एक कमरे में रखा जाना चाहिए जिससे स्नानघर और दूध पिलाने का कमरा लगा हुआ हो । 1-3 वर्ष की आयु के बालकों को स्नानघर से जुड़े हुए कमरे में रखा जाना चाहिए । बड़े बालकों को लड़के और लड़कियों के दो अलग-अलग कमरों में रखा जाना चाहिए ।
- (ii) इसमें बर्तन धोने का स्थान और बड़ा रसोईघर और बड़े बालकों के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए । इसमें अच्छी रोशनी, हवा के आने-जाने की जगह और पर्याप्त स्थान आवश्यक होना चाहिए ।
- (iii) गृह को, विशेषकर स्नानघर, शौचालय और रसोईघर को स्वच्छ, साफ होना चाहिए। दीवारें और आस-पास का परिवेश चमकदार और मनोहारी होना चाहिए। कक्षों को सजाने के लिए उनमें अच्छा रोगन होना चाहिए और खिलौने, जानवरों की तस्वीरें आदि लगी होनी चाहिए।

### (ख) चिकित्सा सुविधाएं:

नियमित चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए । जहां तक संभव हो, हर एकांतर दिन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए । शिशु रोग विशेषज्ञ जोखिमपूर्ण और अत्यधिक सुभेद्य बालकों का निदान और उपचार करने में सर्वोत्तम रूप से प्रशिक्षित होते हैं ।

- (i) शिशुओं और बच्चों को संस्थाओं में प्रवेश के समय अलग रखा जाए और कम से कम एक सप्ताह तक पर्यवेक्षण में रखा जाए।
- (ii) बच्चे के प्रवेश के समय उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ उसका भार, लंबाई और सिर के घेरे को लिखा जाना चाहिए ।
- (iii) चिकित्सा अभिलेख रखा जाना चाहिए और चिकित्सक को यथाशीघ्र, अधिमानत: बालक के प्रवेश के 24 घंटों के भीतर, उसका आकलन करना चाहिए।
- (iv) छह मास से कम आयु के प्रत्यके बालक की फोटो प्रत्येक मास, छह मास से तीन वर्ष तक हर तीन मास पर और उसके बाद हर छह मास पर ली जानी चाहिए।
- (v) नियमित प्रतिरक्षण दिया जाना चाहिए और इसकी निगरानी की जानी चाहिए।
- (vi) गृह में हर समय आपातकालीन किट उपलब्ध होनी चाहिए और बुलाने पर चिकित्सक के आने की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (vii) स्वास्थ्य के साधारण उपाय अर्थात् स्वच्छता, दांत और त्वचा की देखरेख और आहार का पर्यवेक्षण किया जाए ।
- (viii) बालक के समुचित विकास के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दिनचर्या में साधारण प्रेरणा तकनीकों को शुरू करके नर्सों, सहायकों में जागरूकता वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। यह भी सलाह दी जाती है कि फिजियोथैरेपिस्ट नियमित आधार पर बालकों की जांच करे।

### (c) कर्मचारिवृंद:

- (i) अभिकरण के पास बालकों की देखरेख के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद होने चाहिए, अधिमानत: एक वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 4:1, एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए 5:1 और बड़े बालकों के लिए 8:1 के अनुपात में कर्मचारिवृंद होने चाहिए।
- (ii) दत्तकग्रहण गृहों में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता होती है जो बालकों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें बालकों की देखभाल में "शिक्षित" किए जाने की जरूरत है। यह सिफारिश की जाती है कि नर्सों, सहायकों, देखरेख कर्ताओं और अन्य कर्मचारिवृन्द के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि वे उन बालकों की, जो उनकी देखरेख में है, विशेष प्रास्थिति को पहचानने में सक्षम बन सकें।
- (iii) क्योंकि प्रतिबद्धित कर्मचारिवृन्द अच्छी बाल देखरेख का अभिन्न अंग होता है, अत: कर्मचारिवृन्द की प्रेरणा का स्तर ऊंचा रखा जाए ।
- (iv) कर्मचारियों का भी प्रतिरक्षण किया जाए।

### (घ) **कपड़े**:

यह महत्वपूर्ण है कि गृह में रहने वाले बालक हर समय साफ, आरामदायक और अच्छी तरह रखे गए कपड़े पहनें, न कि दत्तक माता-पिता से मुलाकात के दौरान ।

### (ड़) भोजन:

संस्था का भोजन स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ, पोषक और स्वादिष्ट होना चाहिए। व्यंजन सूची में भिन्नता होनी चाहिए। विशिष्ट भोजन लेने वाले बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इससे गृह में आने वाले बालकों के सामने आ रही कुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। सूत्रों के संकेत वाला आहार चार्ट प्रदर्शित किया जाए और उसका अनुपालन किया जाए।

### (च) शिक्षा:

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अर्हित शिक्षक और विशेष शिक्षक के माध्यम से अथवा किसी ऐसे विद्यालय से जुड़ कर जो बालक अथवा बालकों को अस्थायी आधार पर लेगा, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

टिप्पण : सभी दत्तकग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों कर देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अंतर्गत यथा-विनिर्दिष्टित बालक देखरेख के मानकों का अनुपालन करेंगे ।

- 2. बालक देखरेख प्रदान करते समय, निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :
- (क) बालक का स्नायविक विकास उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले कुछ वर्षों में ही पूरा हो जाता है और उसके शेष जीवन भर मस्तिष्क की क्षमताओं का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त, बालक को संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए 3 वर्ष की आयु तक सकारात्मक अनुराग का अनुभन करने की जरूरत होती है। इसलिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को ऐसे बालकों के लिए वैकल्पिक कुटुम्ब तलाश ने में जल्दी बरतनी चाहिए ताकि उनमें शैशवास्था के दौरान ही अनुराग और उचित बंधन अनुभव विकसित हो सके।
- (ख) सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बालक के साथ बातचीत करना, आलिंगन करना, खेलना, कहानियां सुनाना और गीत गाना बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि यह कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए, इस कार्यकलाप को करने के लिए स्वयंसेवकों को भी प्रोत्साहित किया जाना उचित है।
- (ग) गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख) से पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख, प्रतिरक्षण, आहार और पोषण प्रदान करना, सुरक्षित वातवारण तैयार करना तािक शिशु और छोटे बालक अपने अभिजातों के साथ खेल सकें और सामाजिकीकरण कर सकें, स्कूल के लिए तैयारियों को बढ़ावा देना और बच्चों को प्राथमिक स्कूल के लिए तैयार करना और बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों के दौरान समग्र विकास पर ध्यान देना अभिप्रेत है।
- (घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि बालक, जब संस्था में रह रहा हो, के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की कोई घटना न हो।

# अनुसूची 14 [ विनियम 43 देखें ]

### संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा

### क. बालकों से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा:

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	6(2)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण किसी परित्यक्त बालक को उसके फोटो और विवरण के साथ बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	24 घंटे के भीतर (यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर)।
2.	6(5) और 7(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक के फोटो के साथ उसका ब्यौरा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन प्रविष्ट करेगा।	बालक प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर।
3.	6(6)	जिला बालक संरक्षण एकक परित्यक्त बालक का विवरण और फोटो दर्शाने वाला विज्ञापन ऐसे राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसे व्यापक जनसमुदाय पढ़ता हो और जहाँ कहीं स्थानीय केबल नेटवर्क मौजूद हो, वहाँ उस नेटवर्क पर भी यह विज्ञापन दर्शाएगा।	बालक प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर।

4.	6(9)	जिला बालक संरक्षण एकक परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक को खोजने के लिए किए गए अपने प्रयासों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करेगा, जिसमें समाचार-पत्रों में बालक के विवरण और फोटो के प्रकाशन के परिणामों का भी उल्लेख हो।	बालक कल्याण समिति के समक्ष इस प्रयोजन के लिए बालक को उपस्थिति करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
5.	6(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक को खोजने के लिए किए गए अपने प्रयासों के संबंध में रिपोर्ट बालक कल्याण समिति को प्रस्तुत करेगा।	बालक कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख के से ठीक 30 दिनों के पश्चात्।
6.	7(17)	जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित बालक पर पुनर्विचार की अवधि/पुनः दावा किया जाना।	अभ्यर्पण की तारीख से 60 दिन ।
7.	7(18)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को बालक के अद्यतन फोटो के साथ अपलोड करेगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8.	8(क)	05 वर्ष तक की आयु का साधारण बालक दत्तकग्रहण के लिए निवासी भारतीय (आरआई) और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भावी दत्तक माता-पिता को उपलब्ध होगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 60 दिनों तक।
9.	8(평)	05 वर्ष से अधिक आयु का अपेक्षाकृत बड़ा बालक और सहोदर भाई या बहन अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होगा/होंगे।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 30 दिन के बाद।
10.	8(ग)	मानसिक और शारीरिक रूप से नि:शक्त बालक अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 15 दिन के बाद।

# ख. निवासी भारतीयों के साथ-साथ भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशियों द्वारा दत्तकग्रहण की समय सीमा :

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	9(5)	भावी दत्तक माता-पिता अपने रजिस्ट्रीकरण के बाद दस्तावेज़ अपलोड करेंगे।	30 दिनों की निर्धारित समय सीमा में।
2.	9(10)	भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पूरी की जाएगी।	बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
3.	10(3)	भावी दत्तक माता-पिता एक बालक को आरक्षित करेंगे।	रैफर किए जाने की तारीख और समय से 48 घंटों के भीतर।
4.	10(6) और 10(7)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा आरक्षित किए गए बालक के मिलान की प्रक्रिया और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति।	बालक को आरक्षित किए जाने की तारीख से 20 दिनों के भीतर।
5.	12(1)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करेगा।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के मिलान की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर ।

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
6.	12(6)	न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण याचिका का निपटान ।	याचिका दायर किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर।
7.	12(8)	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके उसे भावी दत्तक माता-पिता को भेजेगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भी पोस्ट करेगा।	दत्तक ग्रहण आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8.	12(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर आवेदन करेगा और इसे पांच दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा।

# ग. अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण की समय सीमा :

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	15(7)	प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ केंद्रीय प्राधिकरण/सरकारी विभाग/ भारतीय मिशन के माध्यम से केयरिंग्स से भावी दत्तक माता-पिता द्वारा एक बालक को आरक्षित किया जाना।	96 घंटों के भीतर
2.	15 (10)	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को स्वीकार किया जाना	30 दिनों के भीतर
3.	16(1)	कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के लिए स्वीकृति सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने और केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) के अनुमोदन की तारीख से दस दिनों के भीतर।
4.	12(1) और 17(1)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका दायर करेगा।	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर।
5.	12(6)	न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण याचिका का निपटान	याचिका दायर किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर।
6.	12(8)	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके उसे भावी दत्तक माता-पिता को भेजेगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भी पोस्ट करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर।
7.	18(1)	कारा हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा ।	दत्तकग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर।
8.	18(3)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक के पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर।
9.	18(4)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बालक का पासपोर्ट जारी करेगा।	पासपोर्ट का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
10.	18(5)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक का जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर ।

# अनुसूची 15 [ विनियम 47 देखें ]

	वेशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) के दत्तकग्रहण आंकड़ों की तिमाही रिपोर्टिग के लिए रुपविधान
वित्तीय वर्ष	<u></u>
विशेषज्ञ दत्तव	हण अभिकरण (एसएए) का नाम :
पता	:
लैंडलाइन	:
मोबाइल	:
फैक्स	

ईमेल

भाग <b>I</b>	देश के भीतर दत्तकग्रहण में स्थानन किए गए बच्चें की संख्या ( दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख) *			न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए देश भीतर दत्तकग्रहण #		
	बालक	बालिका	<u>``</u> कुल	बालक	बालिका	कुल
पहली तिमाही			-			
(अप्रैल से जून)						
दूसरी तिमाही						
(जुलाई से सितम्बर)						
तीसरी तिमाही						
(अक्तूबर से दिसंबर)						
चौथी तिमाही						
(जनवरी से मार्च)						
कल						

भाग ॥	अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख *			न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए अंतरदेशीय दत्तकग्रहण #		
	बालक	बालक बालिका कुल			बालिका	कुल
पहली तिमाही						
(अप्रैल से जून)						
दूसरी तिमाही						
(जुलाई से सितम्बर)						
तीसरी तिमाही						
(अक्तूबर से दिसंबर)						
चौथी तिमाही						
(जनवरी से मार्च)						
कुल						

<sup>\*</sup> दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख से अभिप्रेत है, एक बालक जिसने सक्षम न्यायालय से दत्तकग्रहण न्यायालय के अंतिम आदेश लंबित होने की विशिष्ट अवधि के दौरान अपने दत्तक कुटुम्ब के साथ संस्था छोड़ दी है।

<sup>#</sup> दत्तकग्रहण पूर्ण से अभिप्रेत है, विशिष्ट अवधि के दौरान न्यायालय आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है।

# अनुसूची 16 [ विनियम 34(12) देखें ]

राज्य दत्तकग्रहण	संसाधन एजेंसी और केंद्रीय	- । दत्तकग्रहण संसाधन	- । प्राधिकरण को बा	लक कल्याण समिति (	ॅसीडब्ल्यूसी) की मासिक <b>रि</b>	रेपोर्ट
् जिले का नाम:	•			·		
रिपोर्ट का माह _	, वर्ष	रिपो	र्ट की तारीख:			

# भाग - क : दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों और विनिश्चय के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी।

बालक की	पिछले	माह से	वर्तमान	माह में	माह के दौरान		बालक कल्याण सर्	मेति के समक्ष लंबित	न मामलों की संख्या	
श्रेणी	लंबित ग	मामलों की	प्रस्तुत वि	केए गए			2 वर्ष से कम आयु के बालक		2 वर्ष से अधिक आयु के बालक	
	संख्या		मामलों की	संख्या	विधिक रुप	से मुक्त				
					घोषित किए गए					
					बालकों की वु	ल संख्या				
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	2 माह से	4 माह से	4 माह से अधिक	6 माह से अधिक
							अधिक समय से	अधिक समय से	समय से लंबित	समय से लंबित
							लंबित	लंबित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनाथ										
परित्यक्त										
अभ्यर्पित										
अन्य कोई										
(विनिर्दिष्ट										
करें)										
कुल										

### भाग - ख: \_\_\_\_\_माह के दौरान दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों की सूची

क्र.सं.	बालक	का	जन्म की	लिंग	सीडब्ल्यूसी के	बालक को प्रस्तुत	श्रेणी (अनाथ/	बालक को	बालक को	लंबित होने
	नाम		तारीख		समक्ष प्रस्तुत	करने वाले बालक	परित्यक्त/	दत्तकग्रहण के लिए	दत्तकग्रहण के	के कारण,
					किए जाने की	देखरेख संस्था	अभ्यर्पित)	विधिक रूप से मुक्त	लिए विधिक	यदि घोषित
					तारीख और	(सीसीआई) /	जम्यापत)	घोषित किए जाने	रूप से मुक्त	नहीं किए
					मामला संख्या	विशेषज्ञ		के लिए एसएए/	किए जाने की	गए हैं
						दत्तकग्रहण		सीसीआई से	तारीख	
						अभिकरण		सीडब्ल्यूसी को		
						(एसएए) का नाम		आवेदन प्राप्त होने		
						और पता		की तारीख		

टिप्पण: उपरोक्त सूचना संबंधित एसएए/डीसीपीयू द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की जाएगी और संबंधित डीसीपीयू, जहां कहीं अपेक्षित हो, भौतिक सत्यापन के माध्यम से रीयल टाइम आधार पर उसको आगे बाल कल्याण समिति को संप्रेषित करने के लिए वैद्यीकरण करेगी। डीसीपीयू आंकड़ों की सत्यता के लिए जिम्मेवार होगी।

# अनुसूची 17 [विनियम 34(12) देखें]

### दत्तकग्रहण के मामलों की रिपोर्ट का फार्मेट

	l :माह, वर्ष ण के मामलों की सूचना	के दौरान बालक	दत्तकग्रहण संसाधन सूचना औ	र मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में
न्यायाल	य का नाम	, जिला	, राज्य	
	धारा 5 <b>6</b> (2) के अधीन देश में	की धारा 58 के अधीन देश में		किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 60 के अधीन अंतरदेशीय नातेदारी
	1	2	3	4

# भाग -II: दत्तकग्रहण के मामलों का ब्यौरा:

		ı	1	T		1	T	T	
क्र.सं.	किए गए दत्तकग्रहणों	बालक का	दत्तकग्रहण करने	संबंधित विशेषज्ञ	संबंधित	दत्तकग्रहण	दत्तक ग्रहण	दत्तकग्रहण	
	की श्रेणी	नाम, लिंग	वाले माता-पिता	दत्तकग्रहण	न्यायालय	याचिका	याचिका दायर	आदेश	की
		और जन्म की	और बालक	अभिकरण / बालक		संख्या	करने की	तारीख	
		तारीख	दत्तकग्रहण	देखरेख संस्था और			तारीख		
			संसाधन सूचना	उऩका पता (जहां					
			और मार्गदर्शक	कहीं लागू हो)					
				कहालागूहा)					
			प्रणाली (केयरिंग्स)						
			में उनकी						
			रजिस्ट्रीकरण संख्या						
1	किशोर न्याय								
	अधिनियम, 2015								
	(2016 का 2) की								
	धारा 56(2) के								
	अधीन देश के भीतर								
	दत्तकग्रहण								
	कुल								
2	कुल किशोर न्याय								
4									
	अधिनियम, 2015				<u> </u>				
	(2016 का 2) की								
	धारा 5 <b>8</b> के अधीन								
	देश के भीतर								
	दत्तकग्रहण								
	कुल								
3	किशोर न्याय								
	अधिनियम (2016								
	का 2) की धारा 59								
	का <i>2)</i> का धारा 59 के अधीन अंतर								
	देशीय संबंधियों								
	द्वारा दत्तकग्रहण								
					1				
	कुल								
l						1			

4	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 60 के अधीन अंतरदेशीय दत्तकग्रहण नातेदारी (कुटुम्ब) दत्तकग्रहण				
	कुल				
	कुल-योग				
	कुल-योग (1+2+3+4)				

(टिप्पणी : स्तंभ 2 और 3 से संबंधित सूचना संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और पैरा 1 और 4 से संबंधित सूचना दत्तक माता-पिता द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन डाली जाएगी।

# अनुसूची 18 [विनियम 2(21) और 48(3) देखें ]

### दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेष जरूरतों वाले बालकों का वर्गीकरण

### क. शारीरिक

- 1. रिफ्रेक्टरी या गंभीर रिकेट (अस्थि)
- 2. ऐल्बिनिज्म (आनुवंशिकीय)
- 3. जन्मजात ऐस्फिक्सिया
- 4. दृष्टिहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन
- 5. रक्त संबंधी विकार (उदाहरणार्थ गंभीर रक्ताल्पता, जिसके लिए खून चढ़ाने की आवश्यकता हो)
- 6. मस्तिष्क को क्षति के परिणामस्वरूप शारीरिक/तंत्रिका संबंधी या संज्ञानात्मक दुर्बलता (शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित)
- 7. जलना (त्वचा)
- 8. कैंसर
- 9. मस्तिष्क पक्षाघात
- 10. क्रोमोज़ोम संबंधी अपसामान्यता (आनुवंशिकीय)
- 11. क्रोनिक अस्थमा
- 12. क्रोनिक ऐक्जीमा
- 13. क्लेफ्ट लिप-क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप
- 14. क्लब फीट
- 15. कॉलन ब्लॉक
- 16. कॉलस्टोमी
- 17. बधिर या आंशिक रूप से बधिर
- 18. मधुमेह
- 19. डिस्लोकेटिड हिप्स
- 20. बौनापन (आनुवंशिकीय)
- 21. एक्टोडर्मल डिस्प्लैसिया (कोई स्वीट ग्लैंड न होना)
- 22. ऐलिफैन्टाइटिस
- 23. घातक ऐल्कोहल सिन्डोम

- 24. अंगुलियों/पंजों का जुड़ा होना (सिंडैक्टाइली)
- 25. अंगुलियों-पंजों का न होना
- 26. ग्रोथ हार्मोन की कमी
- 27. हीमोफीलिया
- 28. हेयर लिप
- 29. गंभीर हृदय रोग
- 30. हैपेटाइटिस बी +
- 31. हर्निया
- 32. एचआईवी
- 33. हाइड्रोसिफेलस
- 34. हाइपरटोनिया
- 35. इक्टायोसिस (कौलोडियन बेबी) (त्वचा)
- 36. लिंग का अनिश्चित होना (आनुवंशिकीय)
- 37. सक्रिय कुष्ठ
- 38. अंग न होना
- 39. जन्म के समय वजन कम होना (1800 ग्राम से कम)
- 40. माइक्रोसिफेली (तंत्रिका संबंधी)
- 41. गुदा पथ न होना
- 42. कोई एक गुर्दा न होना शारीरिक
- 43. मूत्र-मार्ग संबंधी विसंगतियां शारीरिक
- 44. एक अंडकोश न होना
- 45. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया
- 46. अंग न होना
- 47. विकलांग व्यक्ति
- 48 पियरे रोबिन सिन्ड्रोम
- 49. पोलियो-शारीरिक
- 50. समय से पूर्व जन्मे बालक (34 सप्ताह से पूर्व)
- 51. रेटिना अलग होना
- 52. सीवियर डिस्फिगरिंग बर्थ मार्क्स
- 53. गंभीर अस्थि रोग होना
- 54. स्पीच डिस्फंक्शन-डिस्फेसिया
- 55. भेंगापन (गंभीर)
- 56. हकलाना (केवल गंभीर मामले)
- 57. रुक-रुक कर बोलना (केवल गंभीर मामले)
- 58. बीटा थैलासीमिया, थैलासीमिया मेजर
- 59. ट्यूमर

#### ख. मानसिक

- 1. पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित ऑटिज्म
- 2. मनश्चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता वाले बालक
- 3. बोलने संबंधी बाधाओं से ग्रस्त बालक
- 4. बौद्धिक रूप से विकलांग (पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित)
- 5. शिक्षण संबंधी गंभीर विकलांगता (पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित)
- 6. मानसिक रोग

### ग. स्नायविक

- 1. मल्टीपल स्लेरोसिस
- 2. लकवा
- 3. स्पाइनल बाइफीडा
- 4. मिर्गी / दौरे / कन्वल्जन्स (फैब्राइल कन्वल्जन्स को न छोड़ते हुए
- 5. तंत्रिका संबंधी रोग शिशु-चिकित्सक द्वारा प्रमाणित

### घ. कोई अन्य

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित विकलांगताओं से ग्रस्त अन्य कोई बालक

टिप्पण : इस अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों की श्रेणियां (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के पैनल की सहायता से संकलित) निदर्शी हैं, व्यापक नहीं।

# अनुसूची 19 [विनियम 51(2) और 55(1) देखें ] नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति

### क. मैंने/हमने, अधोहस्ताक्षरी ने

आगे दर्शाए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे/हमें अपनी सहमित के प्रभावों की जानकारी है और मैं/हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन को कह रहे हैं।

जैविक पिता	जैविक माता
पारिवारिक का नाम:	पारिवारिक का नाम:
प्रथम नाम:	प्रथम नाम:
जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष	जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष
स्थायी पता:	स्थायी पता:

$\mathbf{T}'$	ਟੁਧ

- (i) एतदद्वारा बालक से अपना विधिक संबंध समाप्त करता/करती हूँ /करते हैं।
- (ii) यह समझता/समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
- (iii) यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और हमारे संबंधी

( )	को दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के रूप में स्वीकार व	तरने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू हो)।					
(iv)	यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि हमारी यह सहग	मित भुगतान या किसी भी प्रकार के प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।					
(v)	अपने बालक/बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरे परिभाषा आने वाले अपने संबंधी को दत्तकग्रहण में देने के	ख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धरा 2 (52) की लिए सहमत हूँ/सहमत हैं ।					
बाल	ालक का पारिवारिक नाम:						
प्रथम	र नाम:						
लिंग	:पु.[] स्त्री.[]						
जन्म	की तारीख : तारीख माह वर्ष						
जन्म	स्थान:						
पता	:						
	मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।						
	मेंको हस्ताक्षरित						
(जैवि	क माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)						
जैविव	क पिता						
जैविव	क माता						
टिप्प	<b>ण</b> : यदि जैविक माता/पिता जीवित नहीं है, जैविक माता-ि	पेता का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।					
ख.	यदि बालक ने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उ	स बालक की सहमति					
	जैविक मात	ग-पिता के प्रतिहस्ताक्षर					
ग.	बालक/बालकों का दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक मात	ता अथवा पिता (माता-पिता)					
दत्तव	<b>त्रग्रहण करने वाला पिता</b>	दत्तकग्रहण करने वाली माता					
पारिवारिक नाम:		पारिवारिक नाम:					
प्रथम नाम:		प्रथम नाम:					
जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष		जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष					
स्थायी पता:		स्थायी पता:					
बालव	क के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध :	` `					

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी

- (i) ऊपर **क** पर उल्लिखित बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए मेरी/अपनी स्वेच्छा से मेरी/हमारी सहमति देता हूँ/ देते हैं।
- (ii) यह समझता/समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी एवं विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।
- (iii) मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त कथनों को भलीभांति सममझ लिया है।

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

घ . गवाहों द्वारा घोषणा	
मैं/हम अधोहस्ताक्षरी गवाह उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।	
(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता	
(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता	
मेंको हस्ताक्षरित	
(जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता/संरक्षकों और गवाहों के सामने चिपकाए और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।)	फोट

## अनुसूची 20 [ विनियम 52(2) और 55(2) देखें ]

किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए जैविक माता/पिता और सौतेले

### माता या पिता की सहमति

### क. मैं/हम अधोहस्ताक्षरी:

जैविक पिता	जैविक माता
पारिवारिक नाम:	पारिवारिक नाम:
प्रथम नाम:	प्रथम नाम:
जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष	जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष
स्थायी पता:	स्थायी पताः

(i)	मेरे/अपने बालक/बालकों (नाम, लिंग, जन्म की तारीख) से मेरा/अपना नैसर्गिक संबंध समाप्त/अभ्यर्पित करता/करती हूँ/करते हैं।
(ii)	यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता या पिता और जैविक माता या पिता के साथ माता/पिता और बालक का स्थायी एवं विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।
(iii)	यह प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि बालक/बालकों ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता/पिता को माता या पिता के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू न हों, काट दें)।
(iv)	यह प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी उक्त सहमति स्वतंत्ररूप से दी गई है और किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।
(v)	यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।
	मेंको हस्ताक्षरित
	(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
जैवि	के पिता जैविक माता
ख.	क (i) पर उल्लिखित बालक की बाल कल्याण समिति के समक्ष सहमति, यदि उसने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली है
	जैविक माता-पिता के प्रतिहस्ताक्षर
ग. ड	बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाला सौतेले माता/पिता और जैविक माता या पिता
पारि	रेवारिक नाम:
प्रथम	म नाम:
जन्म	ग तिथि: तारीख माह वर्ष
स्थाः	यी पता:
	हम, अधोहस्ताक्षरी
(i)	ऊपर क (i) पर उल्लिखित  बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए स्वतंत्ररूप से अपनी सहमति देता/देती हूँ।
(ii)	यह समझता/समझती हूँ कि इस दत्तकग्रहण से बालक/बालकों का मेरे साथ इस संबंध से जुड़े सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ स्थायी माता/पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
(iii)	मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।
	मेंको हस्ताक्षरित
	(सौतेले माता/पिता और जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
	सौतेले माता/पिता जैविक माता-पिता
घ. ग	वाहों द्वारा घोषणा
	् अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हूँ।
	पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता
` '	

1.7 कुटुम्ब में जन्म का क्रम:

मैं, अध	ोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रक्रिया के सार्क्ष	ो हूँ।		
(ख) पह	चान के साक्ष्य के साथ द्वितीय गवा	ह के हस्ताक्षर, नाम व पता		
	मेंको हस्ताक्षरित	•		
टिप्पणी				
(i)	यदि जैविक माता/पिता जीवित	नहीं है, उनका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न को	<sup>†</sup>	
(ii)		दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालव गवाहों के फोटो प्रपत्र में सामने चिपका	ь/उन  बालकों,  जैविक  माता-पिता,  बालक/बालकों  व ए और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।	ना
(iii)	यदि पति-पत्नी दोनों द्वारा अपने सहमति पत्र भरा जाएगा ।	-अपने पूर्व के विवाह से बालकों का परि	त्याग/अभ्यपर्ण किया जा रहा है, तो अलग-अलग	
(iv)	किसी भी बालक को एक दंपत्ति कम से कम दो वर्ष पूरे न कर लि		ाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के	
	जैविक माता-पिता का फोटा	बालक का फोटो	सौतेले माता-पिता का फोटो	
ड़. बाल	कल्याण समिति का प्रमाणपत्र			
			याण समिति (जिले का नाम) क ( <b>i</b> ) प या पिता) और(जैवि	
		लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करर्त		•
	मेंको हस्ताक्षरित	T		
बाल क	ल्याण समिति की मुहर	बाल कल्या	ण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर	
		अनुसूची 21		
		[ विनियम 54(1) देखें ]		
अंतरदेश	ीय नातेदार को दत्तकग्रहण के मा <b>ग</b>	ालों में बालक और जैविक माता-पिता र् <u>क</u>	ो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट	
<u>घर के द</u>	<u> गैरे की तारीख</u>			
1.	बालक का व्यक्तिगत ब्यौरा			
1.1	बालक का पूरा नाम:			
1.2	लिंग: □ पु. □ स्त्री			
1.3	जन्म की तारीख (बालक का जन्	न प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है):		
1.4	जन्म-स्थान:			
1.5	धर्म:			
1.6	बोली जाने वाली भाषा (यदि ल	ागू हो):		

1.8	मौजूदा शैक्षणिक स्थिति:											
1.9	क्या बालक अपने दत्तकग्रह	ण के विषय में अ	पनी भावनाएं/ि	वेचार व्यक्त क	र सकता/सकती है?	🗆 हां 🗆 नहीं						
1.10	यदि बालक की आयु 5 वर्ष का लिखित कथन/कथन का	_		र्गकर्ता को प्रस्त	गावित दत्तकग्रहण के लिए इ	भ्रंग्रेजी में बालक की सहमति						
1.11	विकलांगता/विशेष जरूरतें	(यदि कोई हों तो	। चिकित्सा जांच	ा रिपोर्ट में दश	र्गाई जाएं)							
	□ हां □ नहीं											
1.12	क्या बालक से दत्तकग्रहण	के प्रभावों के विष	य में पूर्ण परामः	मर्श किया गया है?								
	□ हां □ नहीं □ लागू नहीं (लागू नहीं यदि बालक की आयु 5 वर्ष से कम हो)											
1.13	क्या बालक यह जानता है विधिक रूप से समाप्त हो ज		त कारण उसका -	अपने जैविक	माता-पिता के साथ माता-	-पिता और बालक का संबंध						
	□ हां □ नहीं (लागू नहीं	यदि बालक की अ	॥यु 5 वर्ष से कम	म हो)								
1.14	बालक के साथ परामर्श कि	सने किया है?										
	□ माता-पिता □ संरक्षक □ दादा-दादी/नाना-नानी		ाण समिति □	सामाजिक का	र्यकर्ता 🛘 अध्यापक 🗘 अं	कल □ आंटी □ भाई/बहन						
	अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)											
1.15	बालक का सामान्य व्यक्तित	व और वर्णन:										
1.16	बालक की सामाजिक और	शैक्षिक पृष्ठभूमि:										
2.	बालक के जैविक माता-पित	ता या संरक्षक का	ब्यौरा, जैसी र्भ	ो स्थिति हो।								
पिता/संर	क्षिक का ब्यौरा			माता/संरक्ष	क का ब्यौरा							
जन्म की	तारीख और आयु			जन्म की ता	रीख और आयु							
धर्म				धर्म								
राष्ट्रीयत	Г			राष्ट्रीयता								
मौजूदा ३	और स्थायी पता			मौजूदा और	स्थायी पता							
शैक्षिक ३	<b>र्महता</b> एं			शैक्षिक अर्हताएं								
मौजूदा व	त्र्यवसाय			मौजूदा व्यवसाय								
कुल मा जाना है)	सिक आय (साक्ष्य दिया			कुल मासिव जाना है)	क आय (साक्ष्य दिया							
	सी रोग से पीड़ित हैं (यदि				रोग से पीड़ित हैं (यदि							
हां तो ब्य	गौरा दिया जाना है)			हां तो ब्यौरा	ा दिया जाना है)							
3.	जैविक माता-पिता/संरक्षक	के साथ रह रहे इ	<b>त</b> ुटुम्ब के अन्य स	दस्यों का ब्यौ	रा (अन्य व्यक्ति जो घर में <sup>:</sup>	या घर से बाहर रहते हैं)						
पूरा नाम	Г	आयु/लिंग	व्यवसाय का	ब्यौरा	वैवाहिक स्थिति	बालक से संबंध						

#### 4. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के विचार :

#### जिला बालक संरक्षण एकक की टिप्पणियां:

(जिला बालक संरक्षण एकक को जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के विषय में परामर्श प्रदान करना है, किसी नातेदार को बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव करने के कारण बताने हैं। इसके अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण एकक को यह उल्लेख करना है कि क्या दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता ने बालक से विचार-विमर्श किया है, यदि हां तो कब, तथा दत्तकग्रहण के कारण या उद्देश्य। जिला बालक संरक्षण एकक जैविक कुटुम्ब के घर का वर्णन भी करे तथा यह भी बताए कि क्या बालक/बालकों के माता-पिता भावी दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब के साथ बालक का फोटो इत्यादि।

### 6. क्या परिकल्पित दत्तकग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित में है:

जिला बालक संरक्षण अधिकारी के संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर पता:

#### रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- क) जैविक परिवार/संरक्षक के निवास का साक्ष्य
- ख) जैविक परिवार/संरक्षक की आय का साक्ष्य
- ग) जैविक परिवार/संरक्षक की जन्म-तिथि का साक्ष्य
- घ) यदि जैविक माता-पिता बीमार हों तो उनका चिकित्सा प्रमाणपत्र
- ङ) बालक के जन्म की तारीख का साक्ष्य
- च) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट

### अनुसूची 22

### [ विनियम 51(2) देखें ]

बालक के संरक्षक की उसके संबंधी द्वारा दत्तकग्रहण के लिए सहमति पर बालक कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों/सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)

I. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी आगे दर्शाई गई घोषणा बालक कल्याण समिति (जिला-----) के समक्ष करता/करती हूं/करते हैं:

पुरुष संरक्षक	महिला संरक्षक
नाम	नाम
उप नाम	उप नाम
सुपुत्र,	पत्नी/सुपुत्री,
जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष	जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष
स्थायी पता:	स्थायी पताः
मौजूदा पता:	मौजूदा पता:
घोषणा करते हैं कि:	
जो बालक (नाम)(उपनाम)	
तारीख माह वर्ष, जन्म स्थान	
	वह बालक अपने माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो जाने के कारण
मेरी/हमारी अभिरक्षा में है। उपर्युक्त बालक/बालकों के नैसर्गिक म	
विनिर्दिष्ट करें और समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)।	

4	/====	
н	/द्रम	

- (i) ------नामक बालक को दत्तकग्रहण के लिए मेरे/हमारे संबंधी को अभ्यर्पित किए जाने के लिए सहमति प्रदान करता/करती हूँ /करते हैं।
- (ii) एतदद्वारा उक्त बालक या बालकों के साथ संरक्षक-प्रतिपाल्य का विधिक संबंध समाप्त करता/करती हुँ /करते हैं।
- (iii) यह समझता/समझती हुँ /समझते हैं कि उक्त बालक का दत्तकग्रहण भारत या विदेश में रह रहे उनके संबंधी द्वारा किया जाएगा।
- (iv) यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि इस बालक के दत्तकग्रहण से उसका दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता–बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
- (v) मेरा/हमारा बालक पर कोई अधिकार नहीं होगा।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने	: उपर्युक्त कथनों को	ा ध्यानपूर्वक तरह	समझ लिया है।
मुझे/हमें अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है।			

मैं/हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन पर हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ / रहे हैं।

.....को हस्ताक्षरित

#### [संरक्षक/संरक्षकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

#### II. बालक का दत्तकग्रहण कर रहे बालक के संबंधी की स्वीकृति :

दत्तक पिता	दत्तक माता
पारिवारिक नाम :	पारिवारिक नाम :
पहला नाम :	पहला नाम :
जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष	जन्म की तारीख : तारीख माह वर्ष
स्थायी पता:	स्थायी पता:

मैं/हम

- (i) यह स्वीकार करता हूँ/करते हैं और समझता हूँ/समझते हैं कि इस बालक का दत्तकग्रहण हमारे साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध सृजित करेगा।
- (ii) प्रमाणित करता हूँ /करते हैं कि सहमित किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने उक्त कथन को पूर्णरूप से समझ लिया है।

<del>}`</del>	त्रो	<del></del>
н	का	हस्ताक्षारत

#### [दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

दत्तक पिता दत्तक माता

#### III. गवाहों द्वारा घोषणा

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी गवाह बालक/बालकों के संरक्षक को भली भांति जानता/जानती हूँ/जानते हैं और सहमति/अभ्यर्पण के उपर्युक्त कथन के साक्षी हूँ /हैं।

(क	) '	प्रश	भ	Ħ	1	9	Π	ह	के	,	ह	Ŧ	d	Π	8	7	र	,	7	Π	Ŧ	Ţ	q	Γ	Ч	d	Π						
									 							٠.												 		 	 		 

(ख	) द्विर्त	ोय गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पत			
		संरक्षक का फोटा	बालक व	<b>का फोटो</b>	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो
IV	•	बाल कल्याण समिति का प्रमाण	न		
ना	म:				
पद	नाम:				
		कल्याण समिति प से उपस्थित होकर हमारी उपन्ति			उपर्युक्त व्यक्ति और गवाह(हों) ने समिति के समक्ष
_		मेंको हस्ताक्षरित	Г		
		और मुहर			
-		ज्याण समिति ज्याण समिति			
			अर	नुसूची 23	
				<sub>ं</sub> म 12(11) देखें ]	
		बालक के दत्तकग्रहण के		• •	ग अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति
द्वा	रा प्रस	तुत किया जाने वाला शपथपत्र		`	5 2
1.		पर स्थित	में	के रूप में का	र्यरत का शपथपत्र
2		मैं शपथपूर्वक एतदद्वारा यह घोष	प्रणा करता/करती हूं कि	:	
	क)	•	i दर्ज कर दिया गया है	तथा इस बालक को	ऑनलाइन बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक
	ख)	कि बालक कल्याण समिति मुक्त घोषित किया है।	ने ब	ालक को	को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से
	ग)	रैफरल प्रणाली में प्रतीक्षारत भ	नावी दत्तकग्रहण माता )	-पिता को भेजा गया	णाली (केयरिंग्स) के माध्यम से ऑनलाइन चाइल्ड और बालक को मौजूदा भावी दत्तक माता-पिता ग्रमों के पैरा संख्या में यथा
	ঘ)	कि गई है।	द्वारा तैय	ार की गई भावी दत्त	क माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उपयुक्त पाई
	ङ)	कि दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा निर्णय लिया है और तदनुसार _	संख्या <u>-</u>	के अधीन गठित द ालय में दत्तकग्रहण आ	त्तकग्रहण समिति ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में विदन दायर किया गया है।
		3 -		या	
		कि अंतरदेशीय प्रस्तावित दत्तका	ग्रहण के लिए अनापत्ति		कग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने तारीख
		को जारी कर दिया है (ज			

च)		में अपनाई गई दत्तक और दत्त									5 <b>ক</b> ।
<del></del> /		 गठन	~				•			-	<del></del>
છ()		राज्य स	ारकार ने संख्या			. तारीख					ालए द्वारा
	मान्यता प्रदान	की है, जो कि तारीख		त	क विधिमान्य	`है।					
ज)	कि विशेषज्ञ	दत्तकग्रहण अभिक रुपए का दः	रण को केंद्रीय	दत्तकग्रह			ा द्वारा	यथा	निर्धा	रित	मात्र
झ)		ह वचनबद्धता व्यक्त क गा-पिता या उनके संब									
স)	-	य मेरी पूर्ण जानकारी त्य न पाए गए तो परि		-			ह घोषण	करत	ा/करती	हूं कि	यदि
			7	तत्यापन							
कि मैं _ सही हैं।		, उपर्युक्त अि	भेसाक्षी यह सत्या	पित करता.	/करती हूं कि	उपर्युक्त शप	थपत्र में उ	उल्लिबि	बेत तथ्य	सत्य	और
पर सत्य	ापित					अभिसाक्षी					
मेरे समक्ष	न शपथ ग्रहण की	गई और हस्ताक्षर कि	ए गए								
		को									
	स्थिति में।										
			217	0							
			প্	तुसूची 24							
				नुसूची 24 ोयम 51(4)	)]						
देश में न	ातेदार द्वारा दत्तव	कग्रहण के मामलों में ि	[ विनि	यम 51(4)		2 (52) में य	था परिभा	षित ब	ालक के	साथ	अपने
	र विनियम 51 वे	कग्रहण के मामलों में f के उप-विनियम 4 के व	[ विनि केशोर न्याय अधि	ोयम 51(4 <u>)</u> नियम, 20	15 की धारा						
संबंध औ शपथपत्र	र विनियम 51 <sup>वे</sup>	के उप-विनियम 4 के व	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ	ोयम 51(4) नियम, 20 <sup>.</sup> ार सामाजि	15 की धारा क स्थिति के	समर्थन में दर	तकग्रहण व	करने व	ाले मात	ा-पित	ताका
<b>संबंध औ</b> शपथपत्र नातेदार श्री	<b>र विनियम 5</b> 1 वे - कुटुम्ब श्री		[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ िनवा	तेयम 51(4) नियम, 20 <sup>:</sup> ार सामाजि सी	15 की धारा क स्थिति के	<b>समर्थन में द</b> न , से ब	<b>तकग्रहण</b> व ालक का	<b>करने व</b> दत्तकः	<b>ाले मात</b> ग्रहण कर	ा-पित ने के	<b>ता का</b> लिए
<b>संबंध औ</b> शपथपत्र नातेदार श्री विषय में	<b>र विनियम 5</b> 1 बे - कुटुम्ब श्री और श्रीम :शपथपत्र।	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती_	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ निवा ति	ोयम 51(4 <u>)</u> नियम, 20 <sup>.</sup> र सामाजि	15 की धारा क स्थिति के , का अपन	<b>समर्थन में द</b> र , से ब ो सामाजिक	<b>तकग्रहण</b> गलक का -आर्थिक	<b>करने व</b> दत्तकः	<b>ाले मात</b> ग्रहण कर	ा-पित ने के	<b>ता का</b> लिए
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम : शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती निवास	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ निवा ोमें रह रा है	तेयम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी इ रहा/रही/	15 की धारा क स्थिति के , का अपन	<b>समर्थन में द</b> र , से ब ो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक ः ।	<b>करने व</b> दत्तकः और वि	<b>गले मात</b> ग्रहण कर वेत्तीय प्र	<b>ा-पि</b> त चे के ास्थि	<b>गा का</b> लिए ति के
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम : शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती निवास वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ में रह रा में रह रा है ानदंडों की पूर्ति क	त्यम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी इ रहा/रही/ इ और किशो रता है। इपए है, जो	15 की धारा क स्थिति के , का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	<b>समर्थन में द</b> र , से ब ो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं क्कों की देखरे	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं	क <b>रने व</b> दत्तकः और वि रक्षण)	<b>गले मात</b> ग्रहण कर वेत्तीय प्र	<b>ा-पि</b> त जो के जस्थि यम, 2	<b>ता का</b> लिए ति के
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम : शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती निवास वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे ग्था उपबंधित संबंध म् री/हमारी कुल वार्षिक	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ में रह रा में रह रा है ानदंडों की पूर्ति क ज्ञाय र लिए युक्तियुक्त है	त्यम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी इ रहा/रही/ इ और किशो रता है। इपए है, जो	15 की धारा क स्थिति के , का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	<b>समर्थन में द</b> र , से ब ो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं क्कों की देखरे	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं	क <b>रने व</b> दत्तकः और वि रक्षण)	<b>गले मात</b> ग्रहण कर वेत्तीय प्र	<b>ा-पि</b> त जो के जस्थि यम, 2	<b>ता का</b> लिए ति के
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि कुटु	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य सभी स्रोतों से मे	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती निवास वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे ग्था उपबंधित संबंध म् री/हमारी कुल वार्षिक	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ नेवा ो में रह रा है ानदंडों की पूर्ति क ज्ञाय र लिए युक्तियुक्त है	तेयम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी र रहा/रही/ रता है। रुपए है, जो है।	15 की धारा क स्थिति के _, का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	समर्थन में दर , से ब तो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं क्कों की देखरे	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं	करने द दत्तकः और रि रक्षण)	ग्रहण कर वेत्तीय प्र अधिनिः अंधिनिः	<b>ा-पिर</b> ने के ास्थि	<b>ता का</b> लिए ति के 2015 हमारे
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि कुटु	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य सभी स्रोतों से मे म्ब में बालक का	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे ग्रथा उपबंधित संबंध म री/हमारी कुल वार्षिक पालन-पोषण करने के	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ नेवा ो में रह रा है ानदंडों की पूर्ति क ज्ञाय र लिए युक्तियुक्त है	तेयम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी र रहा/रही/ रता है। रुपए है, जो है।	15 की धारा क स्थिति के _, का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	समर्थन में दर , से ब तो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं क्कों की देखरे	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं स्थानीय	करने द दत्तकः और रि रक्षण)	ग्रहण कर वेत्तीय प्र अधिनिः अंधिनिः	<b>ा-पिर</b> ने के ास्थि	<b>ता का</b> लिए ति के 2015 हमारे
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि कुटु कि मैं/हम् सत्य और पर सत्या	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य सभी स्रोतों से मे म्ब में बालक का	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे ग्रथा उपबंधित संबंध म री/हमारी कुल वार्षिक पालन-पोषण करने के	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ नेवा तो में रह रा है तानदंडों की पूर्ति क ज्ञाय र लिए युक्तियुक्त है	तेयम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी र रहा/रही/ रता है। रुपए है, जो है।	15 की धारा क स्थिति के _, का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	समर्थन में दर्ज , से ब तो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं तकों की देखरे वासस्थान के	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं स्थानीय	करने द दत्तकः और रि रक्षण)	ग्रहण कर वेत्तीय प्र अधिनिः अंधिनिः	<b>ा-पिर</b> ने के ास्थि	<b>ता का</b> लिए ति के 2015 हमारे
संबंध औ शपथपत्र नातेदार श्री विषय में 1. कि 2. कि की 3. कि कुटु कि मैं/हम् सत्य और पर सत्या	र विनियम 51 वें - कुटुम्ब श्री और श्रीम शपथपत्र। मैं/हम दत्तकग्रहण के लि धारा 2(52) में य सभी स्रोतों से मे म्ब में बालक का	के उप-विनियम 4 के व और श्रीमती ती वर्ष से ए प्रस्तावित बालक मे ग्रथा उपबंधित संबंध म री/हमारी कुल वार्षिक पालन-पोषण करने के	[ विनि केशोर न्याय अधि अनुसार वित्तीय औ नेवा तो में रह रा है तानदंडों की पूर्ति क ज्ञाय र लिए युक्तियुक्त है	तेयम 51(4) नियम, 20 र सामाजि सी र रहा/रही/ रता है। रुपए है, जो है।	15 की धारा क स्थिति के _, का अपन रहे भारतीयः ार न्याय (बार	समर्थन में दर्ज , से ब तो सामाजिक नागरिक हूँ/हैं तकों की देखरे वासस्थान के	त <b>कग्रहण</b> व ालक का -आर्थिक । ख और सं स्थानीय	करने द दत्तकः और रि रक्षण)	ग्रहण कर वेत्तीय प्र अधिनिः अंधिनिः	<b>ा-पिर</b> ने के ास्थि	<b>ता का</b> लिए ति के 2015 हमारे

### अनुसूची 25 [ विनियम 26(3) देखें ]

### विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के निरीक्षण का प्रारुप

1.	सस्था के बारे में सूचना	
संस्थ	· का नाम:	-

संस्था का पता:	 	 	
टेलिफोन नंबर:			
ईमेल:			
राज्य का नाम:			

निरीक्षण टीम:-

निरीक्षण की तारीख: -

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

पिछले निरीक्षण की तारीख:

निरीक्षणकर्ता:

### 2. विधिक प्रास्थिति

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकरण/मान्यता की स्थिति	
i.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	सं. तारीख:
ii.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अधीन बालक देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण और उसकी विधिमान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :
iii.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65(1) के अधीन बालकों के दत्तकग्रहण के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :
iv.	विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम रजिस्ट्रीकरण सं. यदि कोई हो और उसकी विधिमान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :

### 3. कर्मचारिवृंद

### 3.1 विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कर्मचारी, यदि उसे आईसीपीएस के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हो रहे हो ।

स्वीकृत पद	कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	अर्हताएं और अनुभव
प्रबंधक/समन्वयकर्ता (1)			
सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (1)			
नर्स (1)			
डॉक्टर (अंशकालिक)			
आयाएं (6)			
चौकीदार (1)			
विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के वेतनपत्रक में शामिल अन्य कोई कर्मचारी			
स्वयंसेवी का नाम, यदि कोई हो			

### 3.2 विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कर्मचारी, यदि उसे आईसीपीएस के अंतर्गत अनुदान प्राप्त न हो रहे हो।

पद	कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	अर्हताएं और अनुभव

#### 4. स्थापित समितियां

समिति	पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित	निरीक्षण टीम की टिप्पणियां
	बैठकें	
प्रबंधक समिति/नियंत्रक निकाय		
दत्तकग्रहण समिति		
गृह प्रबंधन समिति		
अन्य कोई समिति		

### 5. दस्तावेज और अभिलेख रखरखाव (कृपया जहां कहीं अपेक्षित हो वहां √ चिह्न लगाएं)

दत्तकग्रहण विनियमनों के अनुसार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख/रजिस्टर	टिप्पणियां
i. मास्टर दाखिला रजिस्टर	
ii. बालकों का उपस्थिति रजिस्टर	

iii.	कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर	
iv.	वाउचर, रोकड़-बही, लैजर, जर्नल और वार्षिक लेखा	
٧.	अनुदान उपयोग रजिस्टर	
vi.	स्टॉक रजिस्टर	
vii.	प्रबंधक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख	
viii.	दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख	
	वेशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा रखी जाने वाली मामला फाइलों में दत्तकग्रः खेत दस्तावेज शामिल हैं और निरीक्षण टीम की टिप्पणियां?	हण विनियमों की <b>अनुसूची 8</b> में

#### 6. केयरिंग्स एवं बालकों की प्रास्थिति

### 6.1 बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालकों की प्रास्थिति (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक प्रास्थिति का मिलान कर सकती है)

अनाथ परित्यक्त और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में अभ्यर्पित और बालक देखरेख संस्था से संबद्ध बालक का नाम	बालक/ बालिका	जन्म की तारीख	दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक और मुक्त घोषित किए जाने की तारीख	प्रक्रिया में शामिल	

# 6.2 बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में विधिक रूप से मुक्त बालकों की स्थिति (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक प्रास्थिति का मिलान कर सकती है)

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण	फोटो	बालक	चिकित्सा जांच	बालक कल्याण	टिप्पणियां
अभिकरण में और बालक	अपलोड	अध्ययन	रिपोर्ट अपलोड	समिति के	
देखरेख संस्था से संबद्ध बालक	किए गए हैं	रिपोर्ट	की गई हैं	प्रमाणपत्र अपलोड	
		अपलोड की		किए गए हैं	
		गई है			

# 6.3 केयरिंगस में लंबित दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्ती रिपोर्टें (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक स्थिति का मिलान कर सकती है)

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में और बालक देखरेख संस्था से संबद्ध बालक	अपलोड किए गए न्यायालय के आदेश	लंबित अनुवर्तन	दत्तकग्रहण-पश्च	टिप्पणियां

### 6.4 पिछले तीन वर्षों में व्यवधान के मामले, यदि कोई हों

वर्ष	_	न्यायालय में याचिका दायर कर दिए जाने के बाद दत्तकग्रहण-पूर्व पालन- पोषण देखरेख के चरण में	_	टिप्पणियां

### 6.5 एक महीने से अधिक समय लंबित रहने वाली गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रास्थिति

रजिस्ट्रीकरण संपन्न होने की तारीख से एक महीने से	लंबित रहने की अवधि और लंबित रहने	निरीक्षण	टीम	की
अधिक समय से गृह अध्ययन रिपोर्ट लंबित रहने के	के कारण	टिप्पणियां		
मामले				

7	अवसरचना	

7	1	भवत
		मजग

(क) किराए का:अपना <i>:</i> यदि किराए का हो तो हर महीने भुगतान किए जाने वाले किराए का ब्यौरा और किर		 प्रति :	
(ख) क्या प्रवेश-द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं :	हां	नहीं	
(ग) क्या बालकों के लिए पर्याप्त स्थान है:	हां	नहीं	

#### 7.2 उपलब्ध स्थान:

कमरों/शयनशालाओं की संख्या	ब्यौरा
रूग्ण कक्ष/चिकित्सा इकाई का उपबंध	
परामर्श कक्ष	
बालकों के लिए मनोरंजन/कार्यकलाप कक्ष	
i. क्या केबल नेटवर्क के साथ टीवी सेट उपलब्ध है ?	हां नहीं
ii. आमतौर पर किस समय बालकों को टीवी देखने की अनुमति है?	शाम को या किसी भी समय
iii. क्या बालक इनडोर गेम खेलते हैं?	हां नहीं
iv. उन्हें कौन से खेल उपलब्ध हैं?	आयु के अनुसार खेल हैं या नहीं
v. क्या बालक आउटडोर गेम खेलते हैं?	हां नहीं
vi. क्या उनके पास खेलने के उपस्कर/सहायक सामग्री है?	हां नहीं
vii. क्या बालक पिकनिक/ सैर-सपाटे के लिए बाहर जाते हैं?	हां नहीं
viii. क्या उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता	हां नहीं
है? 	हां नहीं
ix. क्या बालकों को मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है?	

	,,,,					
रसोईघर	रसोईघर/खाना खाने के लिए कक्ष					
i.	क्या खाना पकाने का क्षेत्र और पैन्ट्री पृथक है?	हां	नहीं			
ii.	क्या बालकों को अपने लिए अलग प्लेटें, मग और गिलास इत्यादि	हां	नहीं			
	मिलते हैं?	हां	नहीं			
iii.	क्या खाना पकाने के बर्तन पर्याप्त और स्वच्छ हैं?	हां	नहीं			
iv.	क्या बालकों के लिए फ्रिज उपलब्ध है?	हां	नहीं			
V.	क्या बालकों के लिए ऑवेन उपलब्ध है?	हां	नहीं			
vi.	क्या रसोईघर में गैस स्टोव उपलब्ध है?	हां	नहीं			
vii.	क्या चिमनी उपलब्ध है?	बालकों से स्	पुरक्षित दूरी पर है या नहीं			
viii.	गैस सिलिंडर रखने की व्यवस्था क्या है?	हां	नहीं			
ix.	नहाने-धोने, खाना पकाने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति है?	हां	नहीं			
X.	पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है (आरओ)?	हाथों से या	मशीनों से			
xi.	खाना मशीनों से पकता है या रसोइया पकाता है?					
बालकों	के लिए शौचालयों या स्नानगृहों की संख्या					
i.	फ्लश काम कर रहा है	हां	नहीं			
ii.	वाशबेसिन के नल काम कर रहे हैं	हां	नहीं			
iii.	क्या फर्श फिसलन भरा है	हां	नहीं			
iv.	नालियां साफ हैं	हां	नहीं			
V.	नालियां भरी हुई हैं	हां	नहीं			
vi.	कपड़े/तौलिया टांगने के लिए फिटिंग लगी हुई है	हां	नहीं			
vii.	मकड़ियों के जाले साफ किए जाते हैं	हां	नहीं			
viii.	दरवाजे में कुंडी है	हां	नहीं			
ix.	दरवाजे में पीप होल हैं	हां	नहीं			
X.	किसी बालक को कितनी बार नहाने की अनुमति है	दिन में एक	बार			
xi.	पर्याप्त जल उपलब्ध है					
xii.	बालटियों और डिब्बों की संख्या पर्याप्त है	हां	नहीं			
xiii.	क्या व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री दी जाती है	हां	नहीं			
xiv.	क्या वॉशिंग पाउडर या साबुन दिया जाता है	हां	नहीं			
XV.	क्या बालक स्वयं अपने कपड़े धोते हैं	हां	नहीं			
xvi.	क्या कोई धोबी उपलब्ध है	हां	नहीं			
xvii.	क्या वाशिंग मशीन काम कर रही है	हां	नहीं			
	~ ~	हां	नहीं			
चारदीव	ारी से बाहर चलाए जाने वाले	टिप्पणियां:	<u> </u>			
	कार्यकलापों के लिए खुला स्थान					
कक्षाएं	·					

7.3	5	पारसर			
	क)	क्या गृह का इनडोर बालकों के लिए अनुकूल है?		हां	नहीं
	ख)	दिन में कितनी बार झाड़ू-पोंछा किया जाता है? दिन में व	रो या इससे	अधिक बार	
	ग)	क्या कक्षा के समय बालकों से सफाई कार्य कराए जाते हैं?	हां	नहीं	
	घ)	क्या बालकों के लिए कूलर/हीटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं?	हां	नहीं	
	ङ)	क्या दरवाजों और खिड़कियों का समुचित रखरखाव किया जाता है?	हां	नहीं	
	퍽)	क्या कमरों और शयनशालाओं में हवा की पर्याप्त आवाजाही है?	हां	नहीं	
	छ)	जब बिजली की आपूर्ति उपलब्ध न हो तब क्या लाइटें और पंखे चलाने	के लिए क		व्यवस्था है?
			हां	नहीं	
		क्या आउटडोर स्वच्छ, खुशनुमा और बालकों के अनुकूल है?	हां	नहीं	
7.4	बार	नकों को दिए जाने वाले कपड़े/बिस्तर/लॉकर/प्रसाधन सामग्री:			
	क)	क्या कपड़े आकार और मौसम के अनुसार दिए जाते हैं	हां	नहीं	
	ख)	किशोर अधिनियम, 2015 के अनुसार अंडरगार्मेंट का प्रावधान	हां	नहीं	
	ग)	नए कपड़े सिलवाए जाते हैं या सिले-सिलाए खरीदे जाते हैं सिलवाए	ुया सिले-	सिलाए खरी	दे जाते हैं
	घ)	क्या प्रत्येक बालक को मैट्रेस अलग से दिए जाते हैं	हां	नहीं	
	ङ)	क्या प्रत्येक बालक को अलग से तकिए दिए जाते हैं	हां	नहीं	
	च)	क्या मैट्रेस और तकिए साफ-सुथरे होत हैं	हां	नहीं	
	छ)	क्या बालकों के पास अलग-अलग अलमारियां हैं	हां	नहीं	
	ज)	क्या बेड शीट और खेस उपलब्ध कराए जाते हैं	हां	नहीं	
	झ)	क्या सर्दियों में कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं	हां	नहीं	
	ञ)	नए आने पर उपलब्ध कराए जाने वाले सेटों की संख्या	एक/दो/र्त	ोन/चार	
	ਟ)	नए कपड़े कितनी बार दिए जाते हैं	हर मही	ने/तीन महीने	ा में
	ਠ)	ये सेट एक ही रंग के होते हैं या अलग-अलग रंगों के होते हैं? एक ही रं	रंग/अलग-३	ग्लग रंगों के	
	ड)	क्या बालकों को अपना निजी सामान रखने के लिए व्यक्तिगत लॉकर ि	देए जाते हैं	हां	नहीं
		बालकों को दी जाने वाली अन्य वस्तुएं:			
7.5	;	बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं:			
	(ক)	चिकित्सीय सुविधाएं/स्वास्थ्य कार्डों का रखरखाव:			
	••••				
	(ख)	पोषण/विशेष आहार:			
	(ग	) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान:			
	(घ)	शिक्षा (औपचारिक शिक्षा/एनएफई और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्र	म) :		

(ङ) प्रदान की जाने वाली परामर्श/मार्गदर्शन सेवाएं:								
(च) बालकों को फीजियोथैंग	(च) बालकों को फीजियोथैरेपी सेवा उपलब्ध है?							
(छ) बालकों के लिए दत्तकर	 ।हण एउं	 जेंसी में उपलब्ध मनोरंष	जन सुविधाएं:					
7.6 बालकों की दिनचर्या:								
समय		कार्यकलाप/कार्यक्र	म					
सुबह								
दिन के समय								
दोपहर								
शाम								
देर शाम/रात								
10. वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त गृह अध्ययन और दत्तकग्रहा	निधियां		ा (केयरिंग्स) और ट्रैक चाइल्ड में व	प्राप्त हुआ अन्य कोई				
अनुवर्तन करने के लिए शुल्क			राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	दान/अनुदान				
11. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरा	न निधि	' यों/अनुदानों का उपयो	ग					
शीर्ष-वार किया गया व्यय धनराशि		वाउचरों, चैक या नकद प्राप्तियों तथा अन्य संगत रजिस्टरों की जांच के बाद निरीक्षणकर्ता टीम की टिप्पणियां						

- 12. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के बैंक ब्यौरे
- 13. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अपनाई गई कोई सर्वोत्तम पद्धति
- 14. दत्तकग्रहण प्रक्रिया में देरी, निधियों या दत्तकग्रहण से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दे।
- 15. निरीक्षणकर्ता टीम की टिप्पणियां और सिफारिशें

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

### अनुसूची 26 [ विनियम 23(1) देखें ]

### विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन

1. क	संस्था/संगठन का नाम			
1. ख	संगत अधिनियम के अधीन संस्था/संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण और उप-नियमों, संगम ज्ञापन के संगत दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं)			
1. ग	बालक देखरेख संस्था के रूप में संस्था/संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख <b>(</b> रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें <b>)</b>			
1. घ	बालक देखरेख संस्था के संचालन की विधिमान्यता की अवधि			
1. ङ	आवेदक/संस्था/संगठन का पूरा पता			
1. च	एसटीडी कोड/टेलिफोन नंबर			
1. छ	एसटीडी कोड फैक्स नंबर			
1. ज	ईमेल पता			
1. झ	यदि संगठन का स्वरूप अखिल भारतीय हो तो कृपया अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं के पते दें			
1. ञ	क्या पहले कभी बालक देखरेख संस्था को मान्यता प्रदान करने/ विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण से मना किया गया है? हां/नहीं यिद हां  i. उस आवेदन की संदर्भ संख्या, जिसके परिणामस्वरूप बालक देखरेख संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने से मना किया गया:  ii. मना करने की तारीख:  iii. किस विभाग ने मान्यता प्रदान करने से मना किया है:  iv. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने से मना करने का कारण:			

2.	अवसंरचना:
2. क	कमरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
2. ख	शौचालयों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
2. ग	रसोईघरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
2. घ	रूग्ण कक्षों की संख्या
2. ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति (भवन के अधिप्रमाणित नक्शे) संलग्न की जाए
2. च	अनपेक्षित आपदा से निपटने की व्यवस्था; की गई व्यवस्था के स्वरूप का
	भी उल्लेख करें:
	i) आग
	ii) भूकंप
	iii) अन्य कोई व्यवस्था
2. छ	पेयजल की व्यवस्था (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग से जारी
	प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए)
2. ज	स्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था:
	i. कीट नियंत्रण
	ii. अपशिष्ट निपटान
	iii. भंडारण क्षेत्र
	iv. अन्य कोई व्यवस्था
2. झ	किराया करार/भवन रखरखाव प्राक्कलन (जो कोई भी लागू हो)
	(किराया करार की प्रति संलग्न करें)
3.	संस्था/संगठन की क्षमता
	गृह में मौजूदा बालकों की संख्या (0-5, 5-11 और 11-18 वर्ष)
4.	बालकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं
4. क	शैक्षणिक सुविधा
4. ख	स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, जांच की बारंबारता, प्रस्तावित जांचों का स्वरूप
4. ग	बालक के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली अन्य कोई सुविधा
5.	कर्मचारी
5. क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची (संलग्न की जानी है)
5. ख	साझेदार संगठनों के नाम
6.	बालक देखरेख संस्था की पृष्ठभूमि की जानकारी
<b>6</b> . क	पिछले दो वर्षों में संगठन के प्रमुख कार्यकलाप
0. "	(पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
	LUSA SELLE SELECTION SELEC
6. ख	संलग्न रुपविधान में प्रबंधन समिति/नियंत्रक निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (दत्तकग्रहण एजेंसी चलाने के निर्णय के समर्थन में संस्था की कार्यकारिणी निकाय का संकल्प संलग्न करें)

6. ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची (संलग्न की जानी है)	
6. घ	क्या संगठन विदेशी अभिदाय (विनियम ) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अधीन रजिस्ट्रीकरण है? (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
6. ङ	पिछले दो वर्षों में प्राप्त विदेशी अभिदायों का ब्यौरा (सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)	
6. च	सहायतानुदान वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) और योजना/परियोजना का नाम, प्रयोजन, धनराशि इत्यादि।	
6. छ	एजेंसी के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या दर्शाए गए हों।	
6. ज	क्या संस्था प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
नियम, 20	्न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर 16 को पढ़ और समझ लिया है।	
-	णा करता/करती हूँ कि इस संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पूर्व में दोषी सिद्ध बाल श्रमिक को काम पर रखने में संलिप्त नहीं रहा है और न ही केंद्रीय या राः	
	(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की ाा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अ ण की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।	,
	दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में नियमित सुविधाएं स्थापित करने का वचन देता/देती हूँ।	रूप से अद्यतन आंकड़े अपलोड करने तथा इस
	य में केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दत्तकग्रहण विनियमों और अधिसूचन का वचन देता/देती हूँ ।	अों द्वारा निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तों की
प्राधिकृत ह	स्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:	

\*\*\*\*

नाम: पदनाम: पता: जिला: तारीख:

कार्यालय मुहर:

गवाह संख्या1: \_\_\_ गवाह संख्या 2: \_\_

हस्ताक्षर:

सदस्य 1

(नाम और पदनाम)

सदस्य 2

(नाम और पदनाम)

### अनुसूची 27 [ विनियम 10(4) देखें ]

### देश में दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का रूपविधान।

### विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता :

भारत स	गरकार द्वारा अ	ाधिसूचित दत्तकग्रह	ुण विनियम, 2010	6 के विनियम 1	0(4) के अनुसा	र दत्तकग्रहण समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
क्र.सं.	नाम					पदनाम
(1)						
(2)						
(3)						
-	_	अभिकरण – बाल नुसार होंगे] । समि			_	ग के मामले में सदस्य दत्तकग्रहण विनियमों के
2. (सत्यापि		अधोहस्ताक्षरी सदः ग्माणित) की जांच			गवेदन दायर <del>क</del>	रने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों
(1)	बालक का व	स्तकग्रहण करने वा	ले मौजूदा कुटुम्ब व	का फोटोग्राफ/व्य	ाक्ति का फोटोग्र	ाफ
(2)	माता-पिता	का पैन कार्ड				
(3)	माता-पिता अपलोड करें		ग/जन्म की तारीख	का प्रमाण (वि	वाहित दंपत्ति	के मामले में दोनों आवेदकों के जन्म प्रमाणपत्र
(4)	निवास का	प्रमाण (आधार काः	र्ड/मतदाता कार्ड/पा	ासपोर्ट/मौजूदा र्	बेजली बिल/टेन्	लेफोन बिल)
(5)	पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (वेतन पर्ची/सरकारी विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र/आयकर विवरणी)					
(6)	6) किसी चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी क्रोनिक, संक्रामक या घातक रोग से पीड़ित नहीं है और वे दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड करें)					
(7)	7) विवाह प्रमाणपत्र/विवाह-विच्छेद डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा अथवा स्वीय विधि द्वारा अभिशासित विवाह विच्छेद के बारे में, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ/ पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो					
(8)	दत्तकग्रहण	के समर्थन में परिचि	त्रेतों या संबंधियों वे	क दो संदर्भ पत्र।		
(9)	) विवाह विच्छेद के बारे में विवाह-विच्छेद डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा यदि विवाह विच्छेद स्वीय विधि द्वारा अभिशासित है, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ/ पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो , की प्रति।					
(10)	कुटुम्ब में अ	पेक्षाकृत बड़े बालक	<sub>/</sub> बालकों की सहम्	ोत की प्रति (यर्	दे आयु 5 वर्ष से	· अधिक हो)
जिनकी	केयरिंग्स रजि	निर्णय लिया है वि स्ट्रीकरण संख्या है, का	है, को	ा बालक		, (जन्म की तारीख), जिसकी
(ख) या	दे भावी दत्तक	माता-पिता को उप	ायुक्त नहीं समझा ग	गया तो उसके क	ारण :	
(	)		(	)	(	)

सदस्य 3

(नाम और पदनाम)

## अनुसूची 28

## [ विनियम 12(2) देखें ]

	<b></b>						~ ~		<b>~</b>		_
अनाथ अथवा पा	रत्यक्त अथवा	अभ्यर्पित बालक /	'बालका क म	ामल म दश	कि भातर	दत्तकग्रहण	कालए	न्यायालय व	हा प्रस्तत	ाकए ज	ान
											٠.
			वाला	मॉडल आवे	दन						

_		,				प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, के न्यायालय में, पर
कुटु+बन	यायालय या ।सावल			,		क न्यायालय म, पर
				न (एमसीए) सं		· · · · · ·
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	' और मार्गदर्शक प्रणार्ल	ा (कयारग्स) म राजस	ट्राकरण सख्या :
	_	ग अभिकरण का नाम	Γ			
	कृत कार्यालय का प					
इसके द	त्तकग्रहण प्रभारी/स	ामाजिक कार्यकर्ता (ग	नाम और आयु)	के माध्यम से		
_						आवेदक
(टिप्पण किया ज		ो बालक देखरेख संस	था से हो, तो य	हां सह-आवेदक के रूप	में ऐसी बालक देख	रेख संस्था के विवरण का उल्लेख
14/41	(11 <i>5)</i>			तथा		
1	о <del>П</del> — —	य भाग	2H9TH		-N-21111.	स्थायी निवास
1.		ત ઝાયુ <u></u>		थथ, गागारक	, व्यवसाय	स्थाया गिपास
2	. श्रीमती	पत्नी आय	लगभग	वर्ष. नागरिक	. व्यवसाय:	स्थायी निवास
					<u> </u>	
						भावी दत्तक माता-पिता
						<u>अधिनियम, 2015  (2016 का</u>
<u>2) की</u>	<u>धारा 58(3) के अर्ध</u>	<u>ोन बालक: (बालक/ब</u>	<u>ालिका, जन्मर्</u> व	ो तारीख : ) वे	<u> इत्तकग्रहण के विषय</u>	<u>। में आवेदन।</u>
आवेदव	<u> माननीय न्यायालय</u>	<u>य के समक्ष सविनय ि</u>	<u>नेवेदन करता है</u>	<u>;, जो इस प्रकार है</u> :-		
1.						"किशोर न्याय अधिनियम" कहा
						नेयम और दत्तकग्रहण विनियमों ा के लिए मान्यता-प्राप्त विशेषज्ञ
	दत्तकग्रहण अभिकर					
2.	कि सह-आवेदक रा	जेस्ट्रीकृत बालक देख	बरेख संस्था है,	जिसे बालक: (बालक	/बालिका; जन्म की त	ारीख :) की देखरेख और
						iध के अनुसार आवेदक विशेषज्ञ —— कै. कि—— — कै——
			•	कि माता-ापता का दत्त केज मामले में दायर वि	*	त्र्छुक है। <b>[टिप्पण</b> : इस पैरा का
3.		•			•	धारा 38 के उपबंधों के अनुसार
	बालक कल्याण सर्	मेति जिला	द्वारा दत्तकग्रह	ण के लिए विधिक रूप	। से मुक्त घोषित किय	ा गया है (आदेश की प्रति संलग्न
	~			` '		त्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ बालक
		• •	•			जिस्ट्रीकृत किया गया है।
4.						हे भारत-वासी हैं। भावी दत्तक रजिस्ट्रीकरण संख्या से
	रजिस्ट्रीकृत हैं। उन	नकी संलग्न गृह अध्य	यन रिपोर्ट के	आधार पर उन्हें किश	ोर न्याय अधिनियम	<sup>.</sup> की धारा 57 और दत्तकग्रहण
						करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया है। दत्तकग्रहण समिति के
	पाया गया हा दत्त विनिश्चय की सत्य		० ७ ७ २ थु सः व।	राम या ५ तकम्रहण क	रच का लए उपयुक्त	नाचा हा परायम्ब्रहण सामात क
		_				

- 5. िक उपर्युक्त बालक/बालकों का ब्यौरा उक्त भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से ऑनलाइन भेजा गया है और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बालक अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर ....... को हस्ताक्षर करके उक्त बालक/बालकों को स्वीकार किया है। िकशोर न्याय अधिनियम की धारा 58 (3) और दक्तकग्रहण विनियमों के विनियम 11(1) के उपबंधों के अनुसार, दक्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र (सत्य प्रति संलग्न) प्राप्त करने के बाद बालक/बालकों को ....... को उक्त भावी दक्तक माता-पिता की दक्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख में दिया गया है।
- 6. कि भावी दत्तक माता-पिता ने उक्त दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र में यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण /जिला बालक संरक्षण एकक/राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुसात देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58(5) की परिकल्पना के अनुसार)।
- 7. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे अपने निवास स्थान में किसी भी बदलाव (इस आवेदन में सूचित निवास स्थान से भिन्न) की सूचना आवेदक(कों), संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण तथा इस न्यायालय को देंगे, ताकि दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन किया जा सके।
- 8. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक/बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक/बालकों को अपने और बालक के समान प्रास्थिति / अधिकार / सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसा कि इस आवेदन के साथ संलग्न दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र में कहा गया है।
- 9. कि आवेदक/सह-आवेदक ने दत्तकग्रहण समिति की तारीख ....... को आयोजित बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय (प्रति संलग्न) के अनुसार बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में रखने का निर्णय लिया है।
- 10. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 11. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 12. आवेदक इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 58(3) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- 13. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 14. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दक्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।
- 15. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।
- 16. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:
- क) उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
- ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान:		आवेदक सं. 1
तारीख:		आवेदक सं. 2
बालक का	फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो

			सत्याप	<u> </u>			
घोषणा तः और सही	मैं/हम, (1) श्री/श्रीमती श्रीमती, आयु लगभग था सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं तथा इस आवेदन के साथ स्थान पर	<sup>-</sup> । हैं कि इस आवेद ग्रप्रस्तुत की गई	लगभग  , आवेदक संग् न में उल्लिखि जानकारी त	, आवेदक संख ख्या 2 के अधीक्ष त तथ्य मेरी/हम था दस्तावेज वा	तक/प्रबंधक/निदेशक), ारी पूर्ण जानकारी औ स्तविक हैं, जिनके स	एतदद्वारा शपथ र विश्वास के अर्	ापूर्वक यह नुसार सत्य
				~		आर्	वेदक सं. 1
						आ	वेदक सं. 2
			<u>अनुक्रमणि</u>	<u>का</u>			
क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अ जाने वाले दस्तावेज	ानुसूची 9 के उप	बंधों के अनुस	ार संलग्न किए	संदर्भ	पृष्ठ सं.	
			अनुसूची	29			
		[1	वेनियम 12 (				
अनाथ ३	ाथवा परित्यक्त अथवा अभ्यपि		ों के मामले मे वाला मॉडल		कग्रहण के लिए न्याया	लय को प्रस्तुत वि	केए जाने
श्री/सुश्री	, विद्वत् जिल	ा न्यायाधीश/अ <sup>,</sup>	पर जिला न	- यायाधीश, जिल्	ना न्यायालय/ प्रधाः	न न्यायाधीश/न	यायाधीश,
कुटुम्बन्यार	गालय या सिविल न्यायाधीश/ः	भ्रपर सिविल न्याय	ाधीश (सीनिय	पर डिविज़न), जैर	सी भी स्थिति हो, के न	यायालय में,	पर
		विविध सिविल अ	विदन (एमसी	ए) सं	_/ 2016		
	क माता-पिता की बालक दत्तक -	•	वना और मार्ग	दर्शक प्रणाली (के	व्यरिंग्स) में रजिस्ट्रीकर	ण संख्या:	
(संबंधित रि	वेशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण	का नाम)					
रजिस्ट्रीकृत	ा कार्यालय का पता:						
इसके दत्तव	न्ग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्य <sup>,</sup>	कर्ता (नाम और अ	यु) के माध्यम	से			
							आवेदक
(टिप्पणी: किया जाए	यदि बालक किसी बालक देखरे :)	रख संस्था से हो, त	गे यहां सह-अ	ावेदक के रूप में <sup>:</sup>	ऐसी बालक देखरेख सं	स्था के विवरण	का उल्लेख
			तथा				
	सुपुत्र ान का पता :		गभगव	र्ष, नागरिक	, व्यवसाय	:	स्थायी
	पत्नी		लगभग	वर्ष, नागरिव	क, व्यवसा	य:	स्थायी
निवास स्थ	ान का पता	<del></del>					
6 5		. , , , , ,	/		(-)	भावी दत्तक ग	
	<u>ाय (बालकों की देखरेख और स् र 17(1) के अधीन बालक: (ब</u>	•	•	•		-	<u> विनियम</u>
आवेदक म	<u> </u>	वेनय निवेदन करत	<u>ा है, जो इस</u>	<u>प्रकार है</u> :-			
न्य वि	आवेदक किशोर न्याय (बालक ाय अधिनियम" कहा गया है) नियम के उपबंधों के अनुसार शेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण है	 अनाथ, परित्यक्त ३					

2. कि सह-आवेदक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक: (बालक/बालिका; जन्म की तारीख :.....) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्यक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छक है।

[टिप्पण : इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में दायर किया जा रहा हो।]

- 3. बालक/बालकों..... (बालक/बालिका, जन्म की तारीख : ......) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति .......... जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या ...... द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
- 4. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई)/विदेशी हैं और फिलहाल ....................... (पूरा पता) में रह रहे हैं।
- 5. कि भावी दत्तक माता-पिता को प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएफए)/ केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) [नाम और पता] द्वारा उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा उस देश की विधि के अनुसार, जिस देश में उनका निवास स्थान है, दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है। भारत से किसी बालक का दत्तकग्रहण करने के भावी दत्तक माता-पिता के प्रस्ताव की सिफारिश उक्त प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण ने की है तथा संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
- 6. भावी दत्तक माता-पिता को उक्त प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण /केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में .......रिजस्ट्रीकरण संख्या से रिजस्ट्रीकृत किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 और दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 5 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा उन्हें पात्र पाया गया है।
- 7. िक उपर्युक्त बालक/बालकों का ब्यौरा उक्त भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण /केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन भेजा गया है और उक्त भावी दक्तक माता-पिता ने बालक अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर ...... को हस्ताक्षर करके उक्त बालक/बालकों को स्वीकार किया है।
- 8. कि केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में अनापत्ति प्रमाणपत्र .......... को जारी किया है।
- 9. कि भावी दत्तक माता-पिता ने संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण/सरकारी विभाग के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 59(11) की परिकल्पना के अनुसार)।
- 10. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक/बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक/बालकों को अपने और बालक के समान प्रास्थिति/अधिकार/सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- 11. कि आवेदक/सह-आवेदक उपर्युक्त बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देना चाहते हैं और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
- 12. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 13. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 14. उपर्युक्त बालक इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 59(7) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- 15. कि केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।
- 16. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 17. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।
- 18. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

19.	अतः.	आवेदक(	(कों)	का	निवेदन	है	कि	:

- उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त बालक/बालकों का माता-पिता घोषित करने तथा उक्त बालक/बालकों को उस देश ले जाने की अनुमति देने कृपा करें, जिस देश में उन माता-पिता का निवास स्थान है, तािक वे उक्त बालक/बालकों का पालन-पोषण अपने बालक की भांति कर सकें।
- जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (5) और ख) विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्य दिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।
- संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 18 उप- विनियम (4) और विनियम 38 के ग)

स्थान:				आवेदक सं. 1		
तारीख:				आवेदक सं. 2		
		बालक का फोटो	भावी दत्तव	मात-पिता का फोटो		
			<u>सत्यापन</u>			
رعـ ـد،		/श्रीमती, आयु लगभ 				
		लगभग, आ ष्टि करते हैं कि इस आवेदन में				
		के साथ प्रस्तुत की गई जान				
	स्थान पर	(तारीख), (म	माह) को हस्ताः	<del>प्</del> गर किए हैं।		
					आवेद	दक सं. 1
					आवेद	दक सं. 2
		<u>3</u>	<u>अनुक्रमणिका</u>			
क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियम् जाने वाले दस्तावेज	ों की अनुसूची 9 के उपबंधों	के अनुसार संलग्न किए	संदर्भ	पृष्ठ सं.	
	जान वाल दस्तावज					
						]
			अनुसूची 30			
		[ विनि	वियम 51(5) देखें ]			
देश के भी	तर नातेदार द्वारा दत्तव	- <sub>फ्राह</sub> ण के लिए न्यायालय को प्र	स्तुत किए जाने वाले मॉड	ल आवेदन		
		्र [ जिला और सत्र न्यायाधीश/अ	•		।/प्रधान जिला न्या	ायाधीश.
_		पाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश				
		विविध सिविल आवेदन	न (एमसीए) सं	_/ वर्ष		
भावी दत्त	क माता-पिता की बाल	क दत्तकग्रहण संसाधन सूचना	और मार्गदर्शक प्रणाली (के	यरिंग्स) में रजिस्ट्रीकर	ण संख्या:	
1.	श्री सुपुत्र	आयु लगभग	वर्ष, नागरिक	, व्यवसाय:	स्थायी	: निवास
स्थान	न का पता :	, थाना:	, जिला:	, राज्य:		
2.		आयु लगभग				निवास
	न का पता					

(भावी दत्तक माता-पिता)

	तथा
	3. श्री सुपुत्र आयु लगभग वर्ष, नागरिक, व्यवसाय : स्थार्य निवास स्थान का पता :
	4. श्री सुपुत्र आयु लगभग वर्ष, नागरिक, व्यवसाय : स्थायी निवास स्थान का पता :
	नैसर्गिक/जैविक माता-पिता
	क्ग्रहण विनियम के विनियम 51 और 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016
	2) की धारा 56 (2) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख : ) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।
	<u>दक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है</u> :-
1.	कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2(52) के अधीन बालक (बालक/बालिका) का भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।
2.	कि आवेदक बालक के चाचा/ताऊ या चाची/ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।
3.	कि आवेदक के निवासी हैं।
4.	कि बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने को जन्म दिया था और वे के निवासी हैं।
5.	कि जन्मदाता माता-पिता कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने को इच्छुक हैं।
	कि भावी दत्तक माता-पिता कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने को इच्छुक हैं।
7.	कि आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमित दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है। (यवि जन्मदाता माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमित से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।)
8.	कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता/सकती है।
	या
	कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदके को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।
9.	कि जन्मदाता माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे तथा उसे सभी अधिकार औरदायित्व प्राप्त होंगे।
10.	दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही जैविक माता पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।
11.	कि प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
12.	कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
13.	कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 वे उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
14.	कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।
15.	कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

16. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

### 17. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:

क) उन्हें उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

नैसर्गिक/जैविक माता-पिता

•		रुण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण ीं नें उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र		•
7	ऱ्थान:		आवेदक	
	तारीख:		ગાવવા	
_	क माता-पिता/संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-	पिता का फोटो
		सत्यापन		
मेरी/हमारी	ाता-पिता/संरक्षक, एतदद्वारा शपथ । पूर्ण जानकारी और विश्वास के अ	., आयु लगभग, आवेदक और मैं/ह गपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह गनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन गरस्थान पर	पुष्टि करते हैं कि इस आ के साथ प्रस्तुत की गई	वेदन में उल्लिखित तथ्य जानकारी तथा दस्तावेज
			नैस	र्गिक माता-पिता/संरक्षक
		<u>अनुक्रमणिका</u>		
क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसू जाने वाले दस्तावेज	वी 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए	संदर्भ	पृष्ठ सं.
- कुटुम्बन्याय	, विद्वत् जिला और सत्र न ालय या सिविल न्यायाधीश/अपर	अनुसूची 31 [ विनियम 55 (3)] । दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत वि त्यायाधीश/अपर जिला और सत्र न्यायार्ध सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जै ोध सिविल आवेदन (एमसीए) सं	ोश, जिला न्यायालय/प्र सी भी स्थिति हो, के न्या	धान जिला न्यायाधीश,
भावी दत्तव	माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण	ग संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (वे	ज्यरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण	संख्या:
का प		लगभगवर्ष, नागरिक, , जिला:, ः		_ स्थायी निवास स्थान
का प	•	_ लगभगवर्ष, नागरिक, प्राना:, जिला:		
•	•			आवेदक
		तथा		
	त्री सुपुत्र आयु_ स्थान का पता :	लगभगवर्ष, नागरिक _	,व्यवसाय:	स्थायी निवास
	श्रीमती पत्नी आयु ऱ्थान का पता	लगभगवर्ष, नागरिक 	, व्यवसाय:	स्थायी निवास

दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 53, 54 और 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 60(1) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख: ) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।

				$\sim$	A		
आवदक म	ाननीय न्यायाल	य क समक्ष	सावनय	ानवदन	करता है.	जा इस	प्रकार है:-

1.	·	ं की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय 2(52) के अधीन बालक (बालक/बालिका) का भावी दत्तक क माता-पिता के संबंधी हैं।
2.	कि आवेदक बालक हैं।	के चाचा/ताऊ या चाची/ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी
3.	कि आवेदक के निवासी हैं। कि	
		के निवासी हैं।
4.	कि नैसर्गिक माता-पिता	कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने को इच्छुक हैं।
5	कि भागी उसके गाउँ। गिरा	सारण से सायस सा उससामण सरने सो उस्कर मैं।

- 5.
- कि आवेदकों और जन्मदाता माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है. जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है। 6. (यदि जन्मदाता माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।)
- 7. कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता/सकती है।

कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छक है।

- 8. कि जन्मदाता माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे तथा उसे सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।
- 9. कि दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही जन्मदाता माता-पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।
- कि आवेदकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2(52) के अनुसार 10. संबंधी के बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है।
- कि जिला जिला बालक संरक्षण एकक (डीसीपीयू) से बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार कराई गई है, जहां बालक 11. सामान्यतः नैसर्गिक कुटुम्ब के साथ रहता/रहती है और जिला बालक संरक्षण एकक ने विनियम 54 (2) और (3) के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है।
- कि आवेदक सामान्यतः जिस देश में रहते हैं, उस प्राप्तकर्ता देश ने इस दत्तकग्रहण के लिए हेग अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के अनुच्छेद 12. 5/17 के अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र या अनुमति जारी कर दिए हैं, जो इस आवेदन के साथ संलग्न है ताकि विनियम 54 के उप-विनियम (5) के अनुसार दत्तकग्रहण कार्यवाही की जा सके।
- कि प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है। 13.
- 14. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकृल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं
- कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) 15. की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है। 16.
- कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और 17. जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 18. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

19.	अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :
	उस भारी दस्तर गारा गिरा को विधि

- उक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा
- जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की ii. तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।
- के iii.

			18 के उप-विनियम (4) और विनियम 38 के उ ग/के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की कृप
;	स्थान:		आवेदक
•	तारीख:		
	जैविक माता-पिता/संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो
		<u>सत्यापन</u>	
	-0.0		, आयु लगभग, आवेदक औ

जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके

<u>अनुक्रमणिका</u>

साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर ...... स्थान पर ..... (तारीख), ...... (माह), ..... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक

भावी दत्तक माता-पिता

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

8.

### अनुसूची 32 [ विनियम 52(4) और 55(2) देखें ]

#### सौतेले माता-पिता द्वारा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन

	, विद्वत् जिला और सत्र न्यायाधीश/अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय/प्रधान जि	
कुटुः	म्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय मे विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं/ वर्ष	r,पर
भार	विवायक स्तान जानकर (इससाइ) सः————————————————————————————————————	
	•	<del></del>
1.	श्री सुपुत्र आयु लगभगवर्ष, नागरिक , व्यवसाय: स्थायी <sup>†</sup> पता :, थाना:, जिला:, राज्य:	गयास स्थाग का
		आवेदक
	(जैविक पिता/बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण व <b>और</b>	रने वाला पिता)
2.	श्रीमती पत्नी आयु लगभगवर्ष, नागरिक, व्यवसाय: स्थान का पता :	_ स्थायी निवास
		आवेदक
	(जैविक माता/बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण क	रने वाली माता)
<u>(20</u> दत्त	<u>कग्रहण विनियमों के विनियम 52(4) और 55(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अ</u> 016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाएगा) <u>की धारा 56 के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म</u> कग्रहण के विषय में आवेदन।	-
<u>आवे</u>	<u>वेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है</u> :-	
1.	कि आवेदक <b>अनुसूची 20</b> में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बालक / बालकों के जैविक माता-पिता या सौतेले मात माता-पिता के/की विधिक रूप से विवाहित पति/पत्नी) हैं।	ता-पिता <b>(</b> जैविक
2.	कि आवेदक	
	के निवासी हैं।	
3.	कि (बालक/बालिका) और ज माता-पिता के निवासी हैं।	
4.	कि जैविक माता-पिता (आवेदक) बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति/पत्नी (आवेदक) को, उसने विवाह कर लेने के कारण और वह बालक (बालकों) का दत्त्कग्रहण करना चाहता/चाहती है, विधिक संबंध के इच्छुक हैं।	
5.	कि दूसरे जैविक माता/पिता की सहमति प्राप्त कर ली गई है/दूसरे जैविक माता/पिता मृत है। (जो लागू न हो उसे	काट दें)
6.	कि जैविक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौक्तेले माता-पिता (आवेदक) यह समझते हैं कि बालक के दत्तकग्रहण से उनके साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध हो जाएगा ।	
7.	कि दत्त्कग्रहण विनियम की <b>अनुसूची 20</b> के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए यथा अपेक्षित  सहमति इस आवेदन के स	ाथ संलग्न है/हैं।

व्यक्त नहीं कर सकता/सकती/सकते है/हैं।

9. कि किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61(1) में अभिनिर्धारित शर्तों का प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनुपालन

कि जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार

9. कि किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61(1) में अभिनिर्धारित शर्तों का प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनुपालन कर लिया गया है।

- 10. कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 56 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 112 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- 11. उक्त बालक/बालकों कोई अभिरक्षा के बारे किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं है।
- 12. कि आवेदकों ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।
- 13. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 14. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।
- 15. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:
- क) उपर्युक्त बालक/बालकों के माता-पिता के विधिक संबंध को दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता के साथ-साथ जैविक माता-पिता (आवेदक) को स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
- ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान:		आवेदक
तारीख:		
20		22_
जैविक माता/पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात/पिता का फोटो

#### <u>सत्यापन</u>

मै, श्री(जीविक पिता/बालक(बालको) का दत्तकग्रहण करने वाला सोतेला पिता), आयु लगभग, और मै	। श्रीमती
(जैविक माता/ बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण करने वाली सौतेली माता) आयु लगभग आवेदक एतदद्वारा श	पथपूर्वक
यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के	अनुसार
सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने	ं उन पर
स्थान पर (तारीख), (माह), को हस्ताक्षर किए हैं।	
	~ <del>~~</del>

आवेदक

(जैविक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता)

#### <u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

[फा. नं. 18-6/2014-बा.क.-II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2017

**G.S.R.** 3(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 68 read with clause (3) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), and in supersession of the Guidelines Governing Adoption of Children, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 17<sup>th</sup> July, 2015 vide notification number S.O. 1945 (E) dated the 17<sup>th</sup> July, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the following adoption regulations as framed by the Central Adoption Resource Authority.

#### CHAPTER - I

#### **PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called Adoption Regulations, 2017.
  - (2) They shall come into force on the 16th January, 2017.
- **2. Definitions.-** In these regulations, unless the context otherwise requires,- (1) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);
  - (2) "Adoption Committee" means the Committee comprising of the authorised office-bearer of the Specialised Adoption Agency concerned, its visiting doctor or a medical officer from a Government hospital and one official from the District Child Protection Unit; and shall also include a representative of the Child Care Institution, in case the adoption is from a Child Care Institution other than the Specialised Adoption Agency;
  - (3) "adoption fee" means the fee as prescribed by the authority to be received from the prospective adoptive parents directly, in case they are living in India and through Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department, as the case may be, in cases of inter-country adoptions;
  - (4) "Child Adoption Resource Information and Guidance System" means an online information system for facilitating, guiding and monitoring the adoption programme;
  - (5) "child legally free for adoption" means a child declared as such by the Committee as per the format provided in Schedule I, after making due inquiry under section 38 of the Act;
  - (6) "Child Study Report" means the report which contains details about the child, including his date of birth and social background as per the format provided in Schedule II;
  - (7) "disruption" means the child being unmatched from the adoptive family due to non-adjustment of the child with the adoptive family after placement, but prior to the completion of the legal process of adoption;
  - (8) "dissolution" means the annulment of the adoption legally, due to non-adjustment of the child with the adoptive family, after the court decree for the adoption has been obtained;
  - (9) "habitual residence" means a place of settled dwelling, which constitutes the ordinary residence of a person at least for a period of one year;
  - (10) "Hague Adoption Convention" means the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoption(1993);
  - "Home Study Report" means a report containing details of the prospective adoptive parents, which shall include social and economic status, family background, description of home and atmosphere therein and health status as per the format provided in Schedule VII;
  - (12) "in-country adoption" means adoption of a child by a citizen of India residing in India;
  - "Medical Examination Report" means the report in respect of health condition of a child given by a duly licensed physician in the format provided in Schedule III and Schedule IV;
  - "No Objection Certificate" means the certificate issued by the Authority permitting the child to be placed in adoption with foreign or overseas citizen of India or non-resident Indian prospective adoptive parents;
  - (15) "pending adoptions" means those adoption matters, where the prospective adoptive parents are already registered for adoption or who have accepted the referral of a child from a Specialised Adoption Agency or Child Care Institution before the expiry, suspension or withdrawal of recognition of such Specialised Adoption Agency or Child Care Institution;

- (16) "pre-adoption foster care" means a stage when the temporary custody of a child is given to prospective adoptive parents, till the adoption order is granted by the competent court;
- (17) "resident Indian" means an Indian citizen living in India;
- (18) "rules" means the rules notified under section 110 of the Act;
- (19) "Schedule" means a Schedule annexed to these regulations;
- (20) "social worker" means a person having either post graduate degree in social work or sociology or psychology or child development, or a graduate degree in child education or child development or child protection, and who is engaged by the Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or authorised by District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource Authority, and is having at least ten years' experience in preparing Home Study Report, Child Study Report, rendering post-adoption services or performing any other work assigned to such person;
- (21) "special need child" means a child who is mentally ill or physically challenged or both as specified in Schedule XVIII;
- (22) words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.
- **3. Fundamental principles governing adoption.-** The following fundamental principles shall govern adoptions of children from India, namely:-
  - (a) the child's best interests shall be of paramount consideration, while processing any adoption placement;
  - (b) preference shall be given to place the child in adoption with Indian citizens and with due regard to the principle of placement of the child in his own socio-cultural environment, as far as possible;
  - (c) all adoptions shall be registered on Child Adoption Resource Information and Guidance System and the confidentiality of the same shall be maintained by the Authority.
- **4. Child eligible for adoption.-** The following shall be eligible for adoption, namely:-
  - (a) any orphan or abandoned or surrendered child, declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
  - (b) a child of a relative defined under sub-section (52) of section 2 of the Act;
  - (c) child or children of spouse from earlier marriage, surrendered by the biological parent(s) for adoption by the step-parent.
- 5. Eligibility criteria for prospective adoptive parents.- (1) The prospective adoptive parents shall be physically, mentally and emotionally stable, financially capable and shall not have any life threatening medical condition.
- (2) Any prospective adoptive parents, irrespective of his marital status and whether or not he has biological son or daughter, can adopt a child subject to following, namely:-
  - (a) the consent of both the spouses for the adoption shall be required, in case of a married couple;
  - (b) a single female can adopt a child of any gender;
  - (c) a single male shall not be eligible to adopt a girl child;
- (3) No child shall be given in adoption to a couple unless they have at least two years of stable marital relationship.
- (4) The age of prospective adoptive parents, as on the date of registration, shall be counted for deciding the eligibility and the eligibility of prospective adoptive parents to apply for children of different age groups shall be as under:-

Age of the child	Maximum composite age of prospective adoptive parents (couple)	Maximum age of single prospective adoptive parent
Upto 4 years	90 years	45 years
Above 4 and upto 8 years	100 years	50 years
Above 8 and upto 18 years	110 years	55 years

- (5) In case of couple, the composite age of the prospective adoptive parents shall be counted.
- (6) The minimum age difference between the child and either of the prospective adoptive parents shall not be less than twenty-five years.
- (7) The age criteria for prospective adoptive parents shall not be applicable in case of relative adoptions and adoption by step-parent.
- (8) Couples with three or more children shall not be considered for adoption except in case of special need children as defined in sub-regulation (21) of regulation 2, hard to place children as mentioned in regulation 50 and in case of relative adoption and adoption by step-parent.

#### **CHAPTER II**

#### PROCEDURE RELATING TO CHILDREN FOR ADOPTION

- **6. Procedure relating to orphan or abandoned child.-** (1) The provisions relating to the process of declaring an orphan or abandoned child, as legally free for adoption are laid down in sections 31, 32, 36, clauses (a) to (c) and clause (h) of sub-section (1) of section 37 and section 40 of the Act, as well as under the relevant provisions of the rules made thereunder.
- (2) An orphan or abandoned child received by a Child Care Institution, including a Specialised Adoption Agency, directly without the involvement of Child Welfare Committee, shall be produced before the Child Welfare Committee within twenty-four hours (excluding the journey time) along with a report as per the format given in Form 17 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and a copy of such report shall be submitted by the Child Care Institution or the Specialised Adoption Agency, as the case may be, to the local police station within the same period.
- (3) If a child is under treatment or not in a condition to be produced before the Child Welfare Committee, only documents related to the child shall be produced before the Child Welfare Committee within the said timeline and the Child Welfare Committee may visit the ailing child.
- (4) The Child Welfare Committee, pending inquiry, shall issue an order in Form 18 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 for a short term placement or interim care of the child, as per the provisions of sub-section (c) of section 37 of the Act and the sub-rule 26 of rule 18 of the said rules.
- On admission of the child, his details and photograph shall be entered online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System in the prescribed format by the Specialised Adoption Agency within three working days of receiving the child, and the photograph of the child shall be changed by the Specialised Adoption Agency every six months in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (6) For tracing out the biological parents or the legal guardian(s), the Child Welfare Committee, after taking into account the risk factors, and in the best interest of the child, may direct the District Child Protection Unit to advertise the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in a national newspaper with wide circulation within three working days from the time of receiving the child and also ensure entry of data in the designated portal in its missing or found column by the concerned Child Care Institution or Specialised Adoption Agency.
- (7) In case where the child is from another State, the publication shall be done in the known place of origin of the child in the local language and such publications shall be facilitated by State Adoption Resource Agency concerned.
- (8) Wherever District Child Protection Unit is not functional, the District Magistrate concerned shall get such advertisement issued.
- (9) In case the biological parents or legal guardian cannot be traced, despite the efforts specified in sub-regulations (6) to (8), the District Child Protection Unit shall accordingly, submit a report to the Child Welfare Committee within thirty days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee.
- (10) The Child Care Institution or Specialised Adoption Agency shall submit a report to the Child Welfare Committee, immediately on completion of thirty days from the date of production of the child, before the Child Welfare Committee and the report shall include any information revealed by the child during his short term placement and details of person(s) whosoever approached for claiming the child, if any.
- (11) In case the report from the local police regarding the non-traceability of the biological parents or legal guardian is not submitted within two or four months in the case of an abandoned child less than two or four years of age respectively, such report shall be deemed to have been given.
- (12) The Child Welfare Committee shall use the designated portal to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child.
- (13) The Child Welfare Committee, after taking actions as per the provisions of the Act, rules made thereunder and these regulations shall issue an order signed by any three members of the Child Welfare Committee declaring

- the abandoned or orphan child as legally free for adoption in the format at Schedule I within a period of two or four months, from the date of production of the child before the Child Welfare Committee, in case of a child upto two or above two years of age respectively.
- (14) The inquiry under section 36 of the Act and the order declaring an abandoned or orphan child as legally free for adoption by the Child Welfare Committee under section 38 of the Act shall be completed in the district where the child was initially found, or in the district to which the child is shifted under orders of the Child Welfare Committee.
- (15) The Child Welfare Committee and Medical Examination Report of an orphan or abandoned child shall be prepared in the format at Schedule II and III respectively and posted in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency maximum within ten days from the date the child is declared legally free for adoption and the details shall be updated on Child Adoption Resource Information and Guidance System every six months or whenever appreciable physical changes are observed in the child.
- (16) The Child Welfare Committee and Medical Examination Report shall be made available in English, apart from the local language.
- (17) The District Child Protection Unit shall facilitate the Specialised Adoption Agency in uploading the Child Study Report and Medical Examination Report in Child Adoption Resource Information and Guidance System, in case the Specialised Adoption Agency is facing any technical difficulty.
- (18) The procedure for declaring a child of parents with mental disability as legally free for adoption by the Child Welfare Committee shall be done on the basis of a certificate reflecting mental disability of the parents from the medical board constituted by the Central Government or the State Government, as the case may be, as per guidelines for mental illness issued by the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment from time to time.
- (19) In case of siblings or twins, the Child Welfare Committee shall specify the status of the children as siblings or twins and declare the children as legally free in a single order.
- 7. **Procedure relating to a surrendered child.-** (1) A parent or guardian wishing to surrender a child under subsection (1) of section 35 of the Act, shall apply to the Child Welfare Committee in the Form 23 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016.
- (2) For parents or guardians who are unable to give an application, due to illiteracy or any other reason, the Child Welfare Committee shall facilitate the same through the legal aid counsel provided by the Legal Services Authority.
- (3) The Deed of Surrender shall be executed as per Schedule V.
- (4) If the surrendering parent is an unmarried mother, the Deed of Surrender may be executed in the presence of preferably any single female member of the Child Welfare Committee.
- (5) If a child born to a married couple is to be surrendered, both parents shall sign the Deed of Surrender and in case one of them is dead, death certificate is required to be furnished in respect of the deceased parent.
- (6) If a child born to a married couple is to be surrendered by one biological parent and the whereabouts of the other parent are not known, the child shall be treated as abandoned child and further procedures in accordance with regulation 6 of these regulations shall be followed.
- (7) In case of a child born out of wedlock, only the mother can surrender the child and if the mother is a minor, the Deed of Surrender shall be signed by an accompanying adult as the witness.
- (8) If the surrender is by a person other than the biological parents who is not appointed as a guardian by a court of law, the child shall be treated as abandoned child and further procedures in accordance with regulation 6 shall be followed.
- (9) The Specialised Adoption Agency and the Child Welfare Committee shall ensure that a copy of the Deed of Surrender is given to the surrendering parents or person.
- (10) The details of the child along with his photograph shall be entered online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency within three working days from the time of receiving the child.
- (11) To discourage surrender by biological parents, efforts shall be made by the Specialised Adoption Agency or the Child Welfare Committee for exploring the possibility of parents retaining the child, which shall include counselling or linking them to the counselling center set up at the Authority or State Adoption Resource Agency, encouraging them to retain the child and explaining that the process of surrender is irrevocable.

- (12) The Specialised Adoption Agency and the Child Welfare Committee shall ensure that the surrendering parents or the legal guardian is made aware that they can reclaim the surrendered child only within a period of sixty days from the date of surrender.
- (13) Due regard shall be given to the privacy of the surrendering parents and the surrendered child by the authorities and agencies involved in the process.
- (14) No public notice or advertisement shall be issued in the case of a surrendered child.
- (15) In case the surrendering biological parent has not claimed back the child during the reconsideration period, the same shall be intimated by the Specialised Adoption Agency to the Child Welfare Committee on completion of sixty days from the date of surrender.
- (16) The reconsideration period for the biological parents is specified in sub-section (3) of section 35 of the Act and no further notice shall be issued to the surrendering parents.
- (17) The Child Welfare Committee shall issue an order signed by at least three members declaring the surrendered child as legally free for adoption after the expiry of sixty days from the date of surrender, in the format at Schedule I.
- (18) The Child Study Report and Medical Examination Report of the surrendered child shall be prepared and posted in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency, within ten days from the date the child is declared legally free for adoption, in the format at Schedule II and Schedule III of these Regulations respectively.
- (19) The Child Study Report and Medical Examination Report shall be made available in English (apart from the local language) and the District Child Protection Unit shall facilitate the Specialised Adoption Agency in uploading the Child Study Report and Medical Examination Report in Child Adoption Resource Information and Guidance System, in case the Specialised Adoption Agency is facing any technical difficulty.
- (20) Strict confidentiality shall be maintained in cases of all documents pertaining to biological parents in all circumstances unless the surrendering parents have expressed their willingness for divulging the same.
- (21) The surrender of a child by an unwed mother before a single woman member of the Child Welfare Committee shall be considered as surrender of the child before the Committee as envisaged under section 35 of the Act, and her right to privacy has to be protected.
- (22) The surrender of a child before Child Welfare Committee shall be in camera.
- (23) The surrender of child or children by the biological parents for adoption by the step-parent shall be before the Child Welfare Committee, for adoption, on the ground of emotional and social factors as envisaged under subsection (1) of section 35 of the Act, in the format given at Schedule XXI.
- **8. Availability of child for adoption.-** As soon as a child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee, such child shall be allowed to be given in adoption to a resident Indian or non-resident Indian parents:

Provided that such child shall be allowed to be given in inter-country adoption.-

- (a) after sixty days, if the child is below five years of age;
- (b) after thirty days, if the child is above five years of age or is a sibling;
- (c) after fifteen days, if the child has any mental illness or physical disability as listed in Schedule XVIII.

**Explanation.-** For the purposes of this regulation, it is clarified that the time limits specified in the proviso shall be calculated from the date, the certificate issued by the Child Welfare Committee declaring the child as legally free for adoption, is uploaded in Child Adoption Resource Information and Guidance System.

#### **CHAPTER III**

#### ADOPTION PROCEDURE FOR RESIDENT INDIANS

- **9. Registration and home study of the prospective adoptive parents.** (1) The Indian prospective adoptive parents irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child, shall apply for the same to Specialised Adoption Agencies through Child Adoption Resource Information and Guidance System by filling up the online application form, as provided in Schedule VI, and uploading the relevant documents thereby registering themselves as prospective adoptive parents.
- (2) The prospective adoptive parents shall opt for desired State or States by giving option for those particular States at the time of registration.
- (3) Registration on Child Adoption Resource Information and Guidance System would be a deemed registration in all Specialised Adoption Agencies of the State or States they have opted for.

- (4) The registration number of prospective adoptive parents shall be available with all the Specialised Adoption Agencies in those State or States, as the case may be.
- (5) The registration shall be complete and confirmed to the prospective adoptive parents immediately on receipt of the completed application form and requisite documents on Child Adoption Resource Information and Guidance System:
  - Provided that the documents shall be uploaded within a period of thirty days from the date of registration failing which the prospective adoptive parents have to register afresh.
- (6) The prospective adoptive parents shall get their registration number from the acknowledgement slip and use it for viewing the progress of their application.
- (7) The prospective adoptive parents shall select a Specialised Adoption Agency nearest to their residence for Home Study Report in their State of habitual residence.
- (8) The Home Study Report of the prospective adoptive parents shall be prepared through the social worker of selected Specialised Adoption Agency and in case they are unable to conduct Home Study Report within stipulated time, they shall take the assistance of a social worker from a panel maintained by the State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit, as the case may be.
- (9) The Specialised Adoption Agency or the empanelled social worker of the State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit shall counsel the prospective adoptive parents during the home study.
- (10) The Home Study Report shall be completed in the format given in Schedule VII, within thirty days from the date of submission of requisite documents and shall be shared with the prospective adoptive parents immediately, thereafter.
- (11) The Home Study Report shall be posted in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency as soon as it is complete.
- (12) The Home Study Report shall remain valid for three years and shall be the basis for adoption of a child by the prospective adoptive parents from anywhere in the country.
- (13) The prospective adoptive parents shall be declared eligible and suitable by the Specialised Adoption Agency based upon the Home Study Report and supporting documents and in case any prospective adoptive parent is not declared eligible or suitable, the reasons for the same shall be recorded in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (14) The prospective adoptive parents may appeal against the decision of rejection to the Authority as provided regulation 59.
- (15) The appeal referred to in sub-regulation (14) shall be disposed of within a period of fifteen days and the decision of the Authority in this regard shall be binding.
- (16) The District Child Protection Unit shall facilitate online registration of application of prospective adoptive parents, uploading of their documents and also for addressing technical difficulties faced by the Specialised Adoption Agencies.
- (17) The adoption of a child by the prospective adoptive parents, after completion of their registration and Home Study Report, shall depend upon the availability of a suitable child.
- 10. Referral of a child from a Specialised Adoption Agency through Child Adoption Resource Information and Guidance System to prospective adoptive parents. (1) The seniority of the prospective adoptive parents for child referral shall be from the date of uploading of documents and completion of registration process in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- On the basis of seniority, the prospective adoptive parents shall be referred online profile of three children which will include the photographs, Child Study Report and Medical Examination Report, in their preference category, if any, from one or more Specialised Adoption Agencies through the Child Adoption Resource Information and Guidance System in one or more referrals.
- (3) After viewing the profile of the child or children, the prospective adoptive parents may reserve one child within a period of forty-eight hours for possible adoption and the rest of the children would be released by Child Adoption Resource Information and Guidance System for other prospective adoptive parents in the waiting list.
- (4) The Specialised Adoption Agency shall get the details of the prospective adoptive parents through the Child Adoption Resource Information and Guidance System for fixing an appointment with the prospective adoptive parents for matching, to assess the suitability of the prospective adoptive parents by an Adoption Committee as defined in sub-regulation (2) of regulation 2 and the Adoption Committee shall prepare the minutes of the meeting as per format provided in Schedule XXVII.

- (5) The quorum of the Adoption Committee shall be two members and the quorum of the Adoption Committee in case of adoption from a Child Care Institution shall be three members, while the presence of one official from the District Child Protection Unit would be mandatory.
- (6) The Specialised Adoption Agency shall also organise a meeting of the prospective adoptive parents with the child.
- (7) The entire process of matching shall be completed within a maximum period of twenty days from the date of reserving the child.
- (8) The Specialised Adoption Agency shall counsel the prospective adoptive parents when they visit the agency for matching.
- (9) While accepting the child, the prospective adoptive parents shall sign the Child Study Report and Medical Examination Report which may be downloaded from the Child Adoption Resource Information and Guidance System, in the presence of the social worker or chief functionary of the Specialised Adoption Agency and the Specialised Adoption Agency shall record the acceptance by the prospective adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (10) In case the prospective adoptive parents are not selected for the child by the Adoption Committee, the reason for non-selection of the prospective adoptive parents shall be recorded in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (11) If grounds of rejection are found to be due to systemic error or on non-justifiable reasons, seniority of the prospective adoptive parents shall be retained.
- (12) In case the prospective adoptive parents do not accept the reserved child or the Adoption Committee does not find the prospective adoptive parents suitable, then the prospective adoptive parents shall be relegated to the bottom of the seniority list, as on that date, who may avail a fresh chance when the seniority becomes due and the same procedure shall be followed in the subsequent chances.
- (13) In all cases referred to in sub-regulations (12), the reasons for not considering the child have to be clearly stated in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (14) The registration of prospective adoptive parents shall continue till child adoption, with revalidation of the Home Study Report in every three years.
- (15) The prospective adoptive parents may also get the Medical Examination Report of the child reviewed by a medical practitioner of their choice before giving their acceptance for adoption of the child.
- 11. **Pre-adoption foster care.-** (1) The child shall be taken in pre-adoption foster care by the prospective adoptive parents within ten days from the date of matching, after signing the pre-adoption foster care undertaking in the format provided in Schedule VIII.
- (2) The prospective adoptive parents shall provide original documents or notarized copy of the documents to the Specialised Adoption Agency as specified in Schedule IX.
- **Legal procedure.-** (1) The Specialised Adoption Agency shall file an application in the court concerned, having jurisdiction over the place where the Specialised Adoption Agency is located, with relevant documents in original as specified in Schedule IX within ten working days from the date of matching of the child with the prospective adoptive parents and in case of inter-country adoption, from the date of receiving No Objection Certificate from the Authority, for obtaining the adoption order from court.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall file an application in the given format as per Schedule XXVIII or XXIX, as applicable.
- (3) In case the child is from a Child Care Institution, which is not a Specialised Adoption Agency and is located in another district, the Specialised Adoption Agency shall file the application in the court concerned, in the district where the child or the Specialised Adoption Agency is located and in such a case, the Child Care Institution will be a co-petitioner along with the Specialised Adoption Agency and the Child Care Institution shall render necessary assistance to the Specialised Adoption Agency concerned.
- (4) In case of siblings or twins, the Specialised Adoption Agency shall file single application in the court.
- (5) Since an adoption case is non-adversarial in nature, the Specialised Adoption Agency shall not make any opposite party or respondent in the adoption application.
- (6) The court shall hold the adoption proceeding in-camera and dispose of the case within a period of two months from the date of filing of the adoption application by the Specialised Adoption Agency, as provided under subsection (2) of section 61 of the Act.
- (7) The adoptive parents shall not be asked in the adoption order to execute any bond or make investment in the name of the child, considering the fact that their psycho-social profile and financial status have already been ascertained from the Home Study Report and other supporting documents.

- (8) The Specialised Adoption Agency shall obtain a certified copy of the adoption order from the court and shall forward it to the prospective adoptive parents within ten days and it shall also post a copy of the order and update the relevant entries in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (9) Registration of an adoption deed shall not be mandatory as per the Act.
- (10) The Specialised Adoption Agency shall apply to the birth certificate issuing authority for obtaining the birth certificate of the child within three working days from the date of issuance of adoption order, with the name of adoptive parents as parents, and date of birth as recorded in the adoption order and the same shall be issued by the issuing authority within five working days from the date of receipt of the application.
- (11) The Specialised Adoption Agency shall submit an affidavit to the court while filing a petition as provided in Schedule XXIII.
- 13. Follow-up of progress of adopted child.- (1) The Specialised Adoption Agency which has prepared the Home Study Report, shall prepare the post-adoption follow-up report on six monthly basis for two years from the date of pre-adoption foster placement with the prospective adoptive parents, in the format as provided in Schedule XII and upload the same in Child Adoption Resource Information and Guidance System along with photographs of the child.
- (2) In case the adoptive parents relocate, they shall inform the agency which has conducted their home study and the District Child Protection Unit of the district where they relocate.
- (3) The District Child Protection Unit of the district of the current residence shall prepare the post-adoption followup report and upload the same in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (4) The Specialised Adoption Agency or the District Child Protection Unit as the case may be, shall arrange for counselling the adoptive parents and adoptee by social worker or link them to the counseling center set up at the Authority or State Agency, whenever required.
- (5) In case the child is having adjustment problem with the adoptive parents, the Specialised Adoption Agency shall arrange the required counseling for such adoptive parents and adoptees or link them to the counseling center set up at the Authority or State Agency, wherever required.
- (6) In case of disruption in in-country adoption.-
  - (a) at the stage of pre-adoption foster care before filing a petition, the child shall be taken back by the Specialised Adoption Agency concerned with information to District Child Protection Unit;
  - (b) at the stage of pre-adoption foster-care after the petition has been filed in the court, the child shall be taken back by the Specialised Adoption Agency and adoption application shall be withdrawn from the court concerned with intimation to District Child Protection Unit;
  - (c) where the child has been taken to another State during the adoption process, the repatriation of the child shall be coordinated by State Adoption Resource Agency in the State where the child is residing and the State of origin.
- (7) In case of dissolution, the application for annulment of adoption order shall be filed in the court which issued the adoption order.
- (8) After disruption or dissolution of adoption, as the case may be, the status of the child shall be updated as legally free for adoption in Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency.

# CHAPTER IV

# ADOPTION PROCEDURE FOR NON-RESIDENT INDIAN, OVERSEAS CITIZEN OF INDIA AND FOREIGN PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS

- **Non-Resident Indian to be treated at par with resident Indian.** Non-resident Indian prospective adoptive parents shall be treated at par with Indians living in India in terms of priority for adoption of Indian orphan, abandoned or surrendered children.
- 15. Registration and Home Study Report for prospective adoptive parents for inter-country adoption.- (1)

  Any Non-Resident Indian, Overseas Citizen of India or foreign prospective adoptive parents, living in a country which is a signatory to the Hague Adoption Convention and wishing to adopt an Indian child, can approach the Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority concerned, as the case may be, for preparation of their Home Study Report and for their registration in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (2) In case, there is no Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority in their country of habitual residence, then the prospective adoptive parents shall approach the Government department or Indian diplomatic mission concerned in that country for the purpose.

- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department or the Indian diplomatic mission concerned, as the case may be, on ascertaining the eligibility of the prospective adoptive parents for adopting a child, shall get their Home Study Report completed and register their application in Child Adoption Resource Information and Guidance System in the format along with the required documents as specified in Schedule VI.
- (4) The seniority of the prospective adoptive parents shall be counted from the date of their registration and uploading of requisite documents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (5) The Home Study Report and other documents of the prospective adoptive parents, referred to in this Chapter, shall be scrutinised at the Authority in order to determine their eligibility and suitability and be forwarded to the Specialised Adoption Agency where children legally free for adoption are available.
- (6) The profiles of two children, in one or two referral(s), shall be forwarded by Child Adoption Resource Information and Guidance System to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department or Indian diplomatic mission, as the case may be, which may further forward such profiles to the prospective adoptive parents concerned as per local rules and in case of a foreigner or Overseas Citizen of India, the profiles of children shall be referred to the prospective adoptive parents.
- (7) The prospective adoptive parents may reserve one of the referred children within ninety-six hours and the profile of the other child shall stand automatically withdrawn.
- (8) In case the prospective adoptive parents fail to reserve any of the children within ninety-six hours, then the profiles of both the children shall stand automatically withdrawn.
- (9) Preference of the prospective adoptive parents shall be taken into consideration when sending referrals to them.
- (10) If the prospective adoptive parents reserve one of the children shown, they shall accept the child by signing the Child Study Report and Medical Examination Report of the child within thirty days from the date of reservation.
- (11) The Child Study Report, Medical Examination Report and photograph of the child, in original, shall be sent by the Specialised Adoption Agency to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Indian diplomatic mission concerned.
- (12) In case the prospective adoptive parents fail to accept the reserved child within thirty days, then the profile of the child shall stand withdrawn by the Child Adoption Resource Information and Guidance System and the seniority of the prospective adoptive parents shall be relegated to the bottom of the list; and shall be given another opportunity to reserve and accept a child when their turn becomes due, provided that their Home Study Report remains valid.
- (13) If the prospective adoptive parents desire to visit the Specialised Adoption Agency to see the child in person, before accepting him for adoption, such visit may be made after their adoption application is approved by the Authority and the prospective adoptive parents may also get the Medical Examination Report of the child reviewed by a medical practitioner of their choice.
- (14) The Authorised Foreign Adoption Agency shall forward the original documents of the prospective adoptive parents, as specified in Schedule IX, to the Specialised Adoption Agency concerned for their scrutiny.
- (15) All documents forming part of the Home Study Report shall be notarised and the signature of the notary is to be apostilled by competent authority of the receiving country in cases of Hague Adoption Convention ratified countries, however the documents originating from India shall be self-attested.
- (16) If the documents are in any language other than English, then the originals must be accompanied by translations in English, duly attested by the agency or authority in the country of residence of the prospective adoptive parents designated for the purpose of attestation or apostille.
- **No Objection Certificate of Authority and pre-adoption foster care.-**(1) The Authority shall issue No Objection Certificate in favour of the proposed adoption in the format at Schedule X, within ten days from the date of receipt of the acceptance of the child by the prospective adoptive parents and letter of approval or permission of the receiving country as per Article 5 and Article 17 of the Hague Adoption Convention, wherever applicable; and a copy of the No Objection Certificate shall also be endorsed to all concerned and posted in Child Adoption Resource Information and Guidance System forthwith.
- (2) The prospective adoptive parents may take the child in pre-adoption foster care for a temporary period within India after issuance of No Objection Certificate by the Authority while the court order is pending, by furnishing an undertaking to the Specialised Adoption Agency in the format at Schedule VIII.
- (3) The prospective adoptive parents shall receive final custody of the child from the Specialised Adoption Agency as soon as the passport and visa are issued to the child after issue of adoption order from the competent court.
- **17. Legal Procedure.-** (1) The legal procedure as provided in regulation 12 shall, *mutatis mutandis* be followed in cases of inter-country adoption under this Chapter.

- (2) In cases of the prospective adoptive parents habitually residing abroad and wanting the Specialised Adoption Agency to represent on their behalf as well, the application shall also be accompanied by a Power of Attorney in favour of the social worker or adoption in-charge of the Specialised Adoption Agency which is processing the case and such Power of Attorney shall authorise a social worker to handle the case on behalf of the prospective adoptive parents.
- 18. Passport and visa, intimation to immigration authorities, Conformity Certificate, Birth Certificate, etc.

  (1) The Authority shall issue a Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in the format provided in Schedule XI within three working days from the date of availability of the adoption order in the Child Adoption Resource Information and Guidance System, in case the receiving country of the adopted child is a signatory to the Hague Adoption Convention.
- (2) The Authority shall inform the immigration authorities and the foreign registration office or the foreign registration office concerned, as the case may be, about confirmation of the adoption.
- (3) To obtain Indian passport for the adopted child, the Specialised Adoption Agency shall submit the application to the regional passport officer within three working days from the date of receipt of the adoption order.
- (4) The regional passport office shall issue passport for the adopted child within ten days from the date of receipt of application, in accordance with the circulars regarding issuance of passport to inter-country adopted children, issued by the Ministry of External Affairs of the Central Government from time to time.
- (5) The Specialised Adoption Agency shall approach the birth certificate issuing authority for obtaining birth certificate of the adopted child, with the name of adoptive parents, as parents, and date of birth as recorded in the adoption order within a period of three days of obtaining of the certified copy of the adoption order.
- (6) The adopted child shall be entitled to receive Overseas Citizen of India card, if found eligible.
- (7) The adoptive parent(s) shall come to India for taking the adopted child to their country within a period of two months from the date of adoption order.
- 19. Follow-up of progress of adopted child by Non-Resident Indian, Overseas Citizens of India and foreign prospective adoptive parents.- (1) The Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or Indian diplomatic mission or Government department concerned, as the case may be, shall report the progress of the adopted child for two years from the date of arrival of the adopted child in the receiving country, on a quarterly basis during the first year and on six monthly basis in the second year, by uploading online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System in the format provided in Schedule XII along with photographs of the child.
- On the basis of the progress report or in course of post-adoption home visits, if an adjustment problem of an adoptee with the adoptive parents comes to the notice of the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department concerned in the receiving country, necessary counseling shall be arranged for the adoptive parents and for the adoptee, wherever applicable.
- (3) If it is found that the adoptee is unable to adjust in the adoptive family or that the continuance of the child in the adoptive family is not in the interest of the child, the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department in the receiving country or Indian diplomatic mission concerned, as the case may be, shall withdraw the child and provide necessary counseling and shall arrange for suitable alternate adoption or foster placement of the child in that country, in consultation with the Indian diplomatic mission and the Authority.
- (4) In case of disruption or dissolution of adoption, the child shall be entitled to receive care, protection and rehabilitation through the child protection services of that country and as per Hague Adoption Convention for the Hague Adoption Convention ratified countries.
- (5) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned shall contact Indian diplomatic mission to render necessary help and facilitate the repatriation of the child, if required.
- (6) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned, may organise annual get-together of Indian adoptees and their adoptive parents and forward a report of the event to the Authority and the Indian diplomatic missions shall facilitate such get-togethers.
- (7) The prospective adoptive parents shall furnish an undertaking to the effect that they would allow personal visits of the representative of Authorised Foreign Adoption Agency, the foreign Central Authority or Government department concerned, as the case may be, to ascertain the progress of the child with the adoptive parents or family at least for a period of two years from the date of arrival of the child in the receiving country.

- **20.** Adoption by Overseas Citizen of India or foreign national of Hague Adoption Convention ratified countries living in India.- (1) An Overseas Citizen of India or foreign national, who is a citizen of a country that has ratified the Hague Convention and is a habitual resident, shall apply for adoption online in prescribed format as specified in Schedule VI along with the required documents specified therein by uploading in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (2) On receipt of the application, along with the required documents duly notarised, except those documents originating from India which may be self-attested, the Authority shall refer the case to a Specialised Adoption Agency for preparing the Home Study Report in the format given at Schedule VII and the Specialised Adoption Agency shall upload the Home Study Report in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (3) The prospective adoptive parents may reserve one of the referred children within forty-eight hours and the procedures shall be followed as per the provisions of sub-regulations (9), (10), (12) and (13) of regulation 15 and regulations 16 to 19.
- (4) The role of preparing Home Study Report and uploading progress report as required under these Regulations shall be done by the Specialised Adoption Agency concerned.
- (5) The Specialised Adoption Agency shall report the progress of the child on six monthly basis for a period of two years from the date of pre-adoption foster care by uploading the details in the Child Adoption Resource Information and Guidance System as per the format provided at Schedule XII along with photographs of the child.
- (6) If any adjustment problem of the adoptee with the adoptive parents comes to the notice of the Specialised Adoption Agency through the progress report or in the course of post-adoption home visits, counselling shall be arranged for the adoptive parents and the adoptee, wherever applicable.
- (7) During the follow-up, if the Specialised Adoption Agency finds that the adoptee is unable to adjust in the adoptive family or the continuance of the adoptee in the adoptive family is not in the best interests of the child, the procedure as provided in sub-regulations (5), (6) and (7) of regulation 13 shall be followed.
- (8) The diplomatic mission concerned shall also ensure that the adopted child acquires citizenship of the country of his parents immediately after adoption decree and a copy of the passport of the child from the country of the nationality of the prospective adoptive parents shall be forwarded to the Authority and the Specialised Adoption Agency concerned.
- (9) An Overseas Citizen of India or foreign prospective adoptive parents living in India, are required to give an affidavit to the effect that they would allow personal visits of the representative by the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency, as the case may be, for a period of at least two years from the date of adoption.
- (10) An Overseas Citizen of India or foreign prospective adoptive parents living in India, as the case may be, shall give an undertaking to the effect that if they move out of India before completion of two years after adoption, they shall inform to the Authority about their movement, furnish their new address, and continue to send their post-adoption progress report to the Authority for the remaining period.
- 21. Adoption procedure in case of Overseas Citizen of India or foreign national of Hague Adoption Convention ratified countries living in India.- (1) If one of the prospective adoptive parents is foreigner and other is an Indian, such case shall be treated at par with Indians living in India.
- (2) If both the prospective adoptive parents are foreigner, such case shall be treated in accordance with the provisions of regulation 20.
- **22. Procedure for adoption of a child from a foreign country by Indian citizens.-** (1) Necessary formalities for adoption of a child from a foreign country by Indian citizens shall initially be completed in that country as per their law and procedure.
- (2) On receiving Home Study Report of the prospective adoptive parents (including supporting documents), Child Study Report and Medical Examination Report of the child, the Authority shall issue the approval, as required in the cases of adoption of children coming to India as a receiving country under Articles 5 and 17 of the Hague Adoption Convention.
- (3) A child adopted abroad by the Indian citizens, having a foreign passport, and requiring the Indian visa to come to India, shall apply for visa to the Indian mission in the country concerned, who may issue entry visa to the child after checking all the relevant documents so as to ensure that the adoption has been done following the due procedure.
- (4) The immigration clearance for the child adopted abroad shall be obtained from the Central Government in the Foreigners' Division, Ministry of Home Affairs, through the Indian diplomatic mission to that country.

#### **CHAPTER V**

#### RECOGNITION, INSPECTION AND FUNCTION OF ADOPTION AGENCIES

- **Recognition of Specialised Adoption Agency.-** (1) Any Child Care Institution, intending to be recognised as Specialised Adoption Agency to place children in in-country and inter-country adoption, shall submit application as per Schedule XXVI, along with the following documents to the State Government concerned, namely:-
  - (a) a copy of the registration certificate under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) or any other corresponding law for the time being in force;
  - (b) a copy of its Memorandum of Association, rules, regulations and bye-laws;
  - (c) a copy of the registration certificate as Child Care Institution;
  - (d) a list of management committee or executive committee or board members showing that the majority of the members of such committee or board are Indian citizens;
  - (e) annual reports including audited accounts for the last three years;
  - resolution by the agency supporting the decision for placing orphan, abandoned or surrendered children in adoption;
  - (g) undertaking of the chief functionary of the Child Care Institution in its letter head to abide by the relevant rules inforce in respective States and these Regulations;
  - (h) undertaking of the chief functionary of the Child Care Institution in its letter head to regularly update data on Child Adoption Resource Information and Guidance System and to have necessary facilities for the same;
  - supporting documents indicating that the organisation has been engaged in child protection and welfare activities;
  - (j) list of children in the institution; and
  - (k) list of professional and child care staff.
- (2) The State Government shall issue a certificate of recognition to a Child Care Institution as a Specialised Adoption Agency within three months from the date of application, if the Child Care Institution is found fit to be considered as a Specialised Adoption Agency, based upon inspection conducted for the purpose.
- (3) If an organisation is not involved in institutional care but has the capacity and expertise to ensure quality non-institutional care for infants and young children through trained foster care givers on their panel, the State Government may also recognise such organisation as a Specialised Adoption Agency.
- (4) The recognition to a Specialised Adoption Agency to place children both in in-country and inter-country adoption shall be for a period of five years, unless it is revoked earlier on the grounds as mentioned in regulation 25.
- **24. Criteria and procedure for renewal of recognition of Specialised Adoption Agency.-** (1) The State Government shall take into consideration the following factors before renewal of recognition of a Specialised Adoption Agency, namely:-
  - (a) whether the Specialised Adoption Agency has satisfactorily performed in adoption placement;
  - (b) whether it has regularly updated data on Child Adoption Resource Information and Guidance System and meeting the timelines specified for Specialised Adoption Agency in these Regulations;
  - (c) whether it has followed the provisions of these regulations as also instructions issued by the State Government, State Adoption Resource Agency and the Authority in handling matters related to adoption;
  - (d) whether it indulged in any malpractice;
  - (e) whether it made proper utilisation of the adoption fee; and
  - (f) whether it maintains the standards of child care as provided in Schedule XIII.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall apply six months before the expiry of its recognition for renewal with the following documents and information, namely:-
  - (a) number of children restored to biological parents, relatives or guardians during the period of last recognition with details;
  - (b) number and details of children placed in in-country and inter-country adoption and details of postadoption follow-up thereof during the period of last recognition;
  - (c) details of year wise receipt of adoption fee and its utilisation during the period of last recognition;

- (d) an affidavit declaring that it has been regularly updating the data on Child Adoption Resource Information and Guidance System; and
- (e) an affidavit stating that it agrees to abide by these regulations as also the instructions issued by the State Government or State Adoption Resource Agency or the Authority from time to time.
- (3) The recognition to a Specialised Adoption Agency shall be renewed by the State Government before the expiry of existing recognition, for a period of five years, if the Specialised Adoption Agency is found fulfilling the eligibility factors specified in sub-regulation (1) and furnishing the documents and information specified in sub-regulation (2), and on the basis of inspection conducted for the purpose.
- (4) In case the Specialised Adoption Agency has applied for recognition or renewal with the State Government and the provisional registration certificate has not been issued by the State Government within one month from the date of application, the proof of receipt of application for registration shall be treated as provisional recognition to run the agency for a maximum period of six months.
- (5) In case the renewal of recognition of a Specialised Adoption Agency is pending, all the pending adoption cases shall be allowed to proceed subject to all other provisions of these regulations being fulfilled.
- **25**. **Suspension or revocation of recognition of Specialised Adoption Agency.-** (1) The State Government, shall act upon, *suo-motu* or on the recommendation of State Adoption Resource Agency or the Authority, either suspend or revoke the recognition granted to a Specialised Adoption Agency on any of the grounds specified in subregulation (2).
- (2) The recognition of a Specialised Adoption Agency may be suspended on any one or more of the following grounds, namely:-
  - (a) violation of any of the provisions of these Act or the rules made thereunder, relating to adoption as well as these regulations;
  - (b) furnishing false information or forged documents to State Adoption Resource Agency or the State Government or the Authority or in Child Adoption Resource Information and Guidance System;
  - (c) incomplete or false information to prospective adoptive parents, Child Welfare Committee or District Child Protection Unit about the child or any adoption related process;
  - (d) failure to update data online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
  - (e) failure to submit reports or data within the time limits specified in these regulations;
  - (f) adverse findings of the inspection team of the Central Government, the Authority, State Government or State Adoption Resource Agency concerned, regarding the functioning of the Specialised Adoption Agency;
  - (g) if professional social worker and qualified child care staff are not employed;
  - (h) financial irregularities or malpractices or receiving any donation whether in kind or cash from prospective adoptive parents or adoptive parents;
  - (i) misuse or diversion of adoption fee or grant received from the Government for the purposes other than the purposes for which they were received;
  - (j) unethical practices which may also include inducing single mothers or biological parents to relinquish their child or illegally sourcing the child;
  - (k) divulging information of biological mother or parents or adoptee to public in violation of the principles of confidentiality;
  - (1) non-compliance of instructions issued from time to time by the Authority, State Government concerned or the State Adoption Resource Agency; and
  - (m) abuse or neglect of children in the Specialised Adoption Agency.
- (3) No order for suspension or revocation of authorisation shall be passed without giving an opportunity to the agency to offer its explanation.
- (4) After suspension of recognition of a Specialised Adoption Agency, the State Government or the State Adoption Resource Agency concerned shall conduct necessary enquiries within a maximum period of six months, and if charges are proven, the State Government concerned shall revoke the recognition of the Specialised Adoption Agency.
- (5) In case of revocation of recognition of a Specialised Adoption Agency, the State Government concerned shall prepare an alternate rehabilitation plan for the children in that home, including shifting them to another Specialised Adoption Agency, within thirty days.

- (6) In the event of suspension or revocation of recognition of the Specialised Adoption Agency, the cases where referrals have been accepted by the prospective adoptive parents shall be allowed to proceed for final adoption, subject to all other provisions of these regulations being fulfilled.
- **26. Inspection of Specialised Adoption Agencies.-** (1) The State Government concerned shall inspect the Child Care Institution before considering its recognition or renewal as a Specialised Adoption Agency.
- (2) The State Government or State Adoption Resource Agency concerned shall conduct annual inspections of Specialised Adoption Agencies to ensure that they are performing efficiently and as per norms laid down in these regulations and shall also take necessary remedial measures, wherever required.
- (3) The premises of Specialised Adoption Agency including the places where the children are staying and its relevant records shall be open to inspection by the Central Government, the Authority, the State Government, State Adoption Resource Agency, Child Welfare Committee concerned and any other agency or person authorised by respective State Government and the format for inspection shall be as provided in Schedule XXV.
- (4) Whenever inspection is conducted in a Specialised Adoption Agency, the following shall be scrutinised or examined, namely:-
  - that the agency is discharging its role and performing its functions efficiently in accordance with the provisions of these regulations;
  - (b) that adoption, is being pursued by the organisation as a welfare activity in the interest of children, and not as a commercial activity;
  - (c) total number and details of children actually placed in in-country and inter-country adoption;
  - (d) records pertaining to adoptions of children, starting from their admission up to the legal adoption decree and follow-up progress as well as the related registers;
  - (e) whether expeditious and sufficient efforts have been made by the Specialised Adoption Agency to place children in adoption;
  - (f) whether the agency has submitted annual reports, audited statements of accounts and monthly reports including the adoption data to the State Government or State Adoption Resource Agency concerned and the adoption data to the Authority regularly and within the stipulated time;
  - (g) whether the Specialised Adoption Agency is regularly updating data and reports in the Child Adoption Resource Information and Guidance System on time;
  - (h) whether the Specialised Adoption Agency is maintaining and providing quality child care facilities in the institution as provided under these regulations and the minimum standards of child care shall be as specified in Schedule XIII;
  - (i) financial records including receipt of fees paid by the prospective adoptive parents and utilisation of the adoption fee; and
  - (j) whether there is any instance of malpractice against the Specialised Adoption Agency.
- **27. Entitlement to grants under other Government notified schemes.** A Specialised Adoption Agency is entitled to receive grants-in-aid under other Government notified schemes, subject to the fulfillment of terms and conditions under such scheme.
- **28. Agencies to maintain accounts.-** (1) The Specialised Adoption Agency shall utilise funds received as adoption fee in accordance with norms as may be prescribed by the Authority from time to time.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall maintain proper accounts including utilisation of adoption fee and Government grant under other Government notified schemes to be audited by a chartered accountant every year.
- (3) An attested copy of the audited accounts of the organization alongwith its audit report, a copy of the annual report and report in accordance with the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act (49 of 1976) shall be furnished by every Specialised Adoption Agency within six months from the date of closing of the financial year to State Adoption Resource Agency or the State Government concerned.
- **29. Functions of Specialised Adoption Agencies.-** The Specialised Adoption Agency shall perform the following functions, in addition to those assigned to them under these regulations, to facilitate placement of orphan, abandoned and surrendered children in adoption, namely:-
- (1) Function towards children: Every Specialised Adoption Agency shall:-
  - (a) be responsible for the care, protection and well-being of every child in its charge and shall cater to their health needs; emotional and psychological needs; educational and training needs; leisure and recreational activities; protection from any kind of abuse, neglect and exploitation; social mainstreaming and restoration or as the case may be and follow-up;

- (b) report all cases of admissions, restorations, transfers, death and adoption of children, as well as about children missing from the institution, if any to the Child Welfare Committee, District Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency and the Authority through Child Adoption Resource Information and Guidance System, designated portal for missing child and police;
- (c) submit the status of every orphan, abandoned and surrendered child on the Child Adoption Resource Information and Guidance System, which is accessible on the website www.cara.nic.in;
- (d) shall upload the certificate, issued by the Child Welfare Committee, declaring the child legally free for adoption in Child Adoption Resource Information and Guidance System within forty-eight hours from the receipt of such certificate;
- (e) prepare the Child Study Report of all orphan, abandoned and surrendered children, through its social worker, and upload them in Child Adoption Resource Information and Guidance System, within seven days from the date such children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
- (f) arrange medical tests, as provided in Schedule IV, for all children admitted into its home and prepare the Medical Examination Report through its pediatrician or doctor for uploading the same in Child Adoption Resource Information and Guidance System, within seven days from the date such children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
- (g) prepare individual care plan for each child following the principle of the best interests of the child and the care options in the following order of preferences:-
  - (i) restoration to the biological family or legal guardian;
  - (ii) in-country adoption;
  - (iii) inter-country adoption;
  - (iv) foster care; and
  - (v) institutional care;
- (h) create a memory album, which shall include a photo album of the child, history and details of the child's life (details of surrendering parents not to be mentioned), and interests of the child, which shall be handed over to the adoptive family along with the medical history of the child at the time of handing over the child to the prospective adoptive parents in pre-adoption foster care;
- (i) make efforts to place each child in adoption, who has been declared legally free for adoption by Child Welfare Committee;
- (j) be responsible to complete referral process of a child to prospective adoptive parents and the legal procedure related to adoption as provided in these regulations;
- (k) prepare every adoptable child psychologically for his assimilation with the adoptive family, wherever required;
- (l) facilitate interaction of the child with prospective adoptive parents, wherever required;
- (m) ensure that siblings and twins are placed in the same family, as far as possible;
- (n) preserve adoption records in a manner, that such record is accessible to authorised persons only;
- (o) facilitate root search by adoptees in the manner as mentioned in regulation 44.
- (2) Functions towards biological parents: Every Specialised Adoption Agency shall:-
  - (a) treat biological parents of a surrendered child with respect and dignity throughout the surrender process;
  - (b) maintain confidentiality of unmarried mother and biological parents;
  - (c) counsel the surrendering parents and inform them about a possible root search, in future by their child;
  - (d) encourage the biological parents surrendering a child to provide maximum information about the background and development of the child as well as their own health;
  - (e) explain to the parents implication of surrendering their child including possibility of intercountry adoption;
  - (f) ensure that the consent for surrender and adoption is given by the parents without any coercion or monetary or material consideration;
  - (g) have no commitment or agreement with biological parents regarding adoption of a child prior to his birth;
  - (h) inform the parents that they would have a re-consideration period of sixty days from the date of surrender during which they may take back the child.

- (3) Functions towards prospective adoptive parents: Every Specialised Adoption Agency shall:-
  - (a) treat prospective adoptive parents with respect and extend due courtesy, assistance and advice;
  - (b) facilitate registration of prospective adoptive parents in Child Adoption Resource Information and Guidance System in case they face any difficulty;
  - (c) counsel the prospective adoptive parents, through an authorised professional social worker or counsellor, to make them aware of the process of adoption and to ascertain the level of their preparedness for the same which include the following, namely:-
    - (i) acceptance of adoption as an alternative way of building their family;
    - (ii) preference for child to be adopted;
    - (iii) emotional readiness to adopt an unrelated child;
    - (iv) concerns about the social background of the child and genetic factors;
    - (v) attitude towards parenting and disciplining;
    - (vi) sharing the fact of adoption with the child, when the child grows up;
    - (vii) dealing with root search by the adopted child, when the child grows up;
    - (viii) any other issue that might emerge during the interactions;
  - (d) complete the Home Study Report of prospective adoptive parents who have opted for the home study by them, within one month from the date of their registration and submission of required documents;
  - (e) continuously update the prospective adoptive parents of the current status and procedure to be followed during the entire adoption process after the child has been reserved by the prospective adoptive parents;
  - (f) provide video clips of the children to prospective adoptive parents and facilitate their video calls to children after referral;
  - (g) provide information to prospective adoptive parents about the medical history of the child and the health status of a special need child, if such a child is proposed for adoption;
  - (h) provide the immunisation record and recent diagnostic reports as well as any vital information relating to child including his food and social habits and memory album to the prospective adoptive parents;
  - (i) a copy of the adoption order from the court and the birth certificate or affidavit shall also be provided to the prospective adoptive parents as and when available;
  - place a child in pre-adoption foster care on completion of referral and after observing necessary procedural formalities as laid down in these regulations;
  - (k) extend post adoption services including counselling to the prospective adoptive parents, if required;
  - (l) not receive any payment, other than as specified in the norms prescribed by the Authority from time to time;
  - (m) advise the prospective adoptive parents to contact adoptive families to understand the process of adoption.
- (4) Functions relating to counseling: The functions of the Specialised Adoption Agency in respect of counselling shall include the following, namely:-
  - (a) counselling of biological parents in case of surrender;
  - (b) pre-adoption counselling of prospective adoptive parents during preparation of Home Study Report and matching process and linking them to the counseling center at the Authority or State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit, wherever required;
  - (c) counselling of older children before and during adoption;
  - (d) counselling of adoptive parents whenever required; and
  - (e) post-adoption counselling of the adoptees, when contacted by them in search of their roots.
- (5) Every Specialised Adoption Agency shall set up at its own home to receive abandoned children and may set up cradle baby points at primary health care centers, hospitals, nursing homes, short-stay and Swadhar Homes for Women.
- (6) Documentation and record keeping:
  - (a) The Child Adoption Resource Information and Guidance System web portal of the Authority shall be the database and registration system which shall be mandatorily used by all State Adoption Resource Authorities, District Child Protection Units, Specialised Adoption Agencies and Child Care Institutions for the purpose of adoption.

- (b) Every Specialised Adoption Agency shall prepare an individual care plan for each child, based on age and gender specific needs in respect of the following, namely:-
  - (i) health and medical needs;
  - (ii) emotional and psychological needs;
  - (iii) educational and training needs;
  - (iv) leisure, creativity and play;
  - (v) attachments and relationships;
  - (vi) protection from all forms of abuse, neglect and maltreatment;
  - (vii) rehabilitation including reunion with family, adoption and other non-institutional care;
  - (viii) social mainstreaming; and
  - (ix) follow-up after rehabilitation or restoration.
- (c) Every Specialised Adoption Agency shall keep the following documents in the case file of each child, namely:-
  - (i) case history and social investigation report of the child;
  - (ii) interim care order as well as the order declaring the child legally free for adoption by the Child Welfare Committee and the Deed of Surrender in case of a relinquished child;
  - (iii) Child Study Report, Medical Examination Report and immunization record of the child;
  - (iv) photographs of the child taken at intervals of every six months;
  - (v) application form, documents and Home Study Report of the prospective adoptive parents;
  - (vi) adoption petition, adoption order and birth certificate of the child;
  - (vii) post-placement progress reports of the child.
- (d) Every Specialised Adoption Agency shall maintain the following records namely:-
  - (i) master admission register;
  - (ii) medical and development file of the child;
  - (iii) case file of the child;
  - (iv) attendance register of the children and staff;
  - register of adopted children with details of adoptive parents (date of registration, date of Home Study Report, date(s) of referral of child or children, date of court order, date of handing over of the child to prospective adoptive parents, etc.);
  - (vi) vouchers, cashbook, ledger, journal and annual accounts;
  - (vii) grant and adoption fees receipt and utilization register;
  - (viii) stock register; and
  - (ix) record of minutes of meetings of the management committee and Adoption Committee (to be maintained separately).
- (7) Other functions: Every Specialised Adoption Agency shall also:-
  - (a) organise training and orientation activities to spread awareness about adoption programme;
  - (b) train its childcare and professional staff about the procedures provided in the provision of these Regulations; and
  - (c) ensure that each case of inter-country adoption of prospective adoptive parents is disposed of within four months from the date of receipt of application with the assistance of Authorised Foreign Adoption Agency, Authority and State Agency as provided in sub-section (2) of section 62 of the Act.
- **30. Functions of Authorised Foreign Adoption Agency.** The Authorised Foreign Adoption Agency shall perform the following functions, namely:-
- (1) register the prospective adoptive parents interested to adopt children from India and to complete their Home Study Report expeditiously;

- upload attested copies of the adoption application of the prospective adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System and forward the original of the same to the allotted Specialised Adoption Agency;
- (3) follow-up with Specialised Adoption Agency for ensuring early adoption after receipt of No Objection Certificate for the adoption from the Authority;
- (4) give orientation to the prospective adoptive parents on culture, language and food of the place to which the adopted child belongs;
- (5) ensure the submission of post-adoption follow-up of the progress of adopted children and to address the cases of disruption, as specified in regulation 19;
- (6) arrange get-togethers of children of Indian origin and their adoptive families from time to time with the involvement of the Indian diplomatic mission concerned;
- (7) facilitate root search by older adoptees; and
- (8) fulfill the legal requirements of the host country as well as the terms and conditions of the authorisation given by the Authority.
- 31. Criteria and procedure for authorisation of foreign agencies.- (1) A foreign adoption agency desirous of sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application to the Authority along with the recommendation of the Central Authority or Government department concerned of that country, through the Indian diplomatic mission.
- (2) The authorisation to foreign adoption agency may be given by the Authority for a maximum period of five years and the documents required to be attached with the application shall be as under:-
  - (a) memorandum or bye-laws, copies of registration status, latest license issued by the Government department concerned to undertake international adoptions, list of board or executive members, list of countries it is working with, accreditation certificate and its annual reports or financial statements for last two years;
  - (b) an undertaking signed by the head or chief executive of the organisation stating that the agency will abide by the provisions of these regulations;
  - (c) an undertaking by the agency that in case of disruption or repatriation of the adopted children, it shall abide by the specific provisions laid down in these regulations;
  - (d) an undertaking by the agency to send an annual report to the Authority in the month of April every year on the status of children placed in adoption from India;
  - (e) copy of adoption law or adoption regulations or adoption rules of their country;
  - (f) a list of staff of the agency, recommendation or authorisation from the Central Authority or competent authority to work with India;
  - (g) recommendation letter from Indian diplomatic mission abroad and the Central Authority or Government department of the receiving country.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency is required to apply for renewal of its authorisation, ninety days prior to expiry of its authorisation, as per the procedure given at sub-regulations (1) and (2) alongwith the following details, namely:-
  - (a) list of children placed in adoption through the Authorised Foreign Adoption Agency alongwith their citizenship status; and
  - (b) disruption, if any.
- (4) In case an Authorised Foreign Adoption Agency requires to appoint a representative in India for facilitating its adoption cases, it shall obtain prior approval of the Authority.
- **32. Suspension or revocation of authorisation.-** The grounds of suspension or revocation of the authorisation of an Authorised Foreign Adoption Agency shall be as follows:-
  - (1) if the agency violates or fails to abide by the provisions of these regulations;
  - (2) if the license or recognition or accreditation of the agency is suspended or revoked by the appropriate authority of that country;
  - (3) if the agency fails to upload adoption applications or the post-adoption follow-up reports in the Child Adoption Resource Information and Guidance System from time to time.

#### **CHAPTER VI**

#### FUNCTIONS OF GOVERNMENT ORGANISATIONS AND AUTHORITY

- 33. Roles of State Government and State Adoption Resource Agency.-
- (1) Structure of State Adoption Resource Agency:
  - (a) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of Authority, as per the provisions of section 67 of the Act.
  - (b) The existing State Adoption Resource Agencies shall be deemed to be set up under the Act.
  - (c) The State Adoption Resource Agency shall be headed by Principal Secretary or Secretary of the department of the State Government dealing with adoption and the Governing Body of the agency shall have following members:-
    - (i) Director of the department of the State Government dealing with adoption who shall be the Member Secretary;
    - (ii) Director of the Department of Health or Hospital Administration of the State Government;
    - (iii) Chairperson of a Child Welfare Committee;
    - (iv) representative of a Specialised Adoption Agency;
    - (v) one member from the civil society involved in child welfare and protection for at least ten years;
    - (vi) one member from the State Legal Services Authority.
  - (d) The Governing Body shall meet as frequently as required and at least once in every quarter to review the progress of adoption work and to address the operational as well as logistic issues and bottlenecks in the adoption process or system in the State.
  - (e) The authorities dealing with issuance of birth certificate, passport and other related matters may be invited as special invitees to attend the meetings of the State Adoption Resource Agency.
  - (f) The State Government shall provide adequate staff, infrastructure and communication facilities to State Adoption Resource Agency for efficient performance of its functions.
- (2) **Functions of State Adoption Resource Agency:** The State Adoption Resource Agency shall function as the executive arm of the State Government for promotion, facilitation, monitoring and regulation of the adoption programme in the State, and its functions shall include to:-
  - (a) recommend for recognition to one or more of the Child Care Institutions as Specialised Adoption Agencies in each district;
  - (b) publish the contact details of Specialised Adoption Agency in the State at least once in a year;
  - (c) recommend renewal of recognition to Specialised Adoption Agency every five years subject to satisfactory performance;
  - (d) conduct meetings of Specialised Adoption Agencies on quarterly basis for addressing issues related to adoption and uploading the minutes of such meetings in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
  - (e) inspect and monitor adoption programme and activities of all Specialised Adoption Agencies within its jurisdiction;
  - (f) identify Child Care Institutions which are not recognised as Specialised Adoption Agencies and link them to Specialised Adoption Agencies for enabling and facilitating adoption of eligible children in such institutions, in pursuance of the provisions under section 66 of the Act;
  - (g) enforce standards and measures for the adoption of orphan, abandoned and surrendered children, as envisaged under the Act or the rules made thereunder and these regulations;
  - (h) identify Specialised Adoption Agencies or Child Care Institutions which have the capacity to provide quality care and treatment on a long term basis to special need children including children affected or infected by HIV/AIDS and mentally or physically challenged children, and facilitate transfer of such children to these agencies;
  - (i) expedite de-institutionalisation of children through adoption and other non-institutional alternatives;
  - take measures that are required for expansion of the adoption programme in the State, such as, strengthening the knowledge base, research and documentation, strengthening child tracking system,

- training and capacity building activities, publicity and awareness activities, advocacy and communication, monitoring and evaluation;
- (k) validate the data furnished online in the Child Adoption Resource Information and Guidance Systemby the Child Welfare Committees in the State, in pursuance of the provisions of sub section (5) of section 38 of the Act;
- (1) ensure furnishing of correct adoption data and documents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency, in the format and periodicity as specified in these regulations and validating the same;
- (m) furnish or update in the Child Adoption Resource Information and Guidance System, the profile of the Specialised Adoption Agency as required under sub section (2) of section 65 of the Act;
- (n) update the contact details of the District Child Protection Units, Child Welfare Committees and State Adoption Resource Agency online in the Child Adoption Resource Information and Guidance Systemon regular basis;
- (o) maintain a State-specific database in Child Adoption Resource Information and Guidance System of adoptable children, prospective adoptive parents, children given in in-country and inter-country adoptions;
- (p) ensure that all adoption placements in the State are done in accordance with the relevant provisions of the Act, rules made there under and these regulations;
- (q) maintain a panel of professionally qualified or trained social workers and set up a counselling centre with the support of Authority at State-level to assist District Child Protection Unit, Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, wherever required, for:-
  - (i) counselling and preparation of the Home Study Report of the prospective adoptive parents;
  - (ii) preparation of the Child Study Report and counselling of older children, wherever required;
  - (iii) preparing post-adoption follow-up report, wherever required;
  - (iv) preparing family background report in cases of inter-country relative adoptions;
  - (v) post adoption counselling to adopted children and adoptive parents;
  - (vi) assisting and counselling older adoptees in root search.
- (r) carry out such other functions as assigned by the Authority from time to time.
- (3) The State Government shall take appropriate action on the receipt of a complaint or *suo-motu*, in the cases of violation of the provisions under section 32, sub-sections (1) and (5) of section 41, sub-section (4) of 65, 80 and 81 of the Act, after giving due opportunity to the defaulting agency or institution or functionary.
- **34. District Child Protection Unit.-** In addition to the functions as envisaged in the Act and rules made thereunder, as well as under other Government notified schemes, the District Child Protection Unit shall:-
- identify orphan, abandoned and surrendered children in the district and get them declared legally free for adoption by Child Welfare Committee with the help of Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, wherever required;
- (2) ensure that the Child Study Report and Medical Examination Report are uploaded in the Child Adoption Resource Information and Guidance System by the Specialised Adoption Agency within ten days from the date a child is declared legally free for adoption;
- (3) facilitate the linkage of Child Care Institution with Specialised Adoption Agency in the same or other districts to facilitate adoption;
- (4) track the progress of adoption of each child declared legally free for adoption and take necessary actions for expediting the case, wherever required;
- (5) track the progress of application of each Prospective Adoptive Parent registered in Child Adoption Resource Information and Guidance System for adopting a child or children from the district and take necessary actions for expediting the case wherever required;
- (6) maintain a panel of professionally qualified or trained social workers and set up counseling centre with support of State Adoption Resource Agency or the Authority to assist Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, wherever required, for:-
  - (a) counselling and preparation of the Home Study Report of the prospective adoptive parents;
  - (b) preparation of the Child Study Report and counselling of older children;
  - (c) preparing post-adoption follow-up report;

- (d) preparing family background report in cases of inter-country relative adoptions;
- (e) post adoption counselling to adopted children and adoptive parents; and
- (f) assisting and counselling of older adoptees in root search;
- (7) supervise and monitor adoption programme in the district;
- (8) ensure that data is being updated by Specialised Adoption Agency in the Child Adoption Resource Information and Guidance System on time and in correct manner;
- (9) assist State Adoption Resource Agency and the Authority in all matters related to adoption;
- (10) assist the Child Welfare Committee in the restoration effort and in completing the process for declaring the abandoned children legally free for adoption, including publishing information of the child in the newspaper, obtaining the social investigation report from the probation officer and non-traceable report from police with the help of Specialised Adoption Agency, wherever required;
- (11) upload the certificate of Child Welfare Committee declaring children legally free for adoption in Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (12) District Child Protection Unit shall update adoption related information on Child Adoption Resource Information and Guidance System, as specified in Schedule XVI and XVII or as given in the format online by the Authority.
- **35. Child Welfare Committee.-** The Child Welfare Committee shall take actions as provided in regulations 6 and 7.
- **36. Birth certificate issuing authority.-** The local registrar notified under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) shall issue birth certificate within five working days in favour of an adopted child on an application filed by the Specialised Adoption Agency or adoptive parents, incorporating the names of the adoptive parents as parents and the date of birth of the child as mentioned in the adoption order of the court, in accordance with circulars issued from time to time by the Registrar General of India.
- **37. Central Adoption Resource Authority.-** The Authority shall perform the following functions, in addition to the functions specified in section 68 (1) of the Act, namely:-
- (1) monitor and regulate the procedure for in-country adoption;
- (2) receive applications of an Non-Resident Indian or Overseas Citizens of India or a foreigner living abroad through authorised adoption agency or Central Authority or the Government department or the Indian diplomatic mission concerned and process the same in terms of section 59 (5) of the Act;
- (3) receive and process applications received from a foreigner or an Overseas Citizen of India residing in India for one year or more, and who is interested in adopting a child from India in terms of sub-section (12) of section 59 (12) of the Act;
- (4) issue No Objection Certificate in all cases of inter-country adoptions;
- (5) issue Conformity Certificate in the inter-country adoption cases under Article 23 of the Hague Adoption Convention in respect of inter-country adoption;
- (6) intimate the immigration authorities of India and the receiving country of the child about the inter-country adoption cases;
- (7) provide support and guidance to State Adoption Resource Agencies, District Child Protection Units, Specialised Adoption Agencies and other stakeholders of adoption in related matters, through trainings, workshops, exposure visits, consultations, conferences, seminars and other capacity building programmes;
- (8) coordinate with State Governments or the State Adoption Resource Agencies and advise them in adoption related matters:
- (9) establish uniform standards and indicators, relating to:-
  - (a) adoption procedure related to orphan, abandoned and surrendered children and also related to relative adoptions;
  - (b) quality child care standards in Specialised Adoption Agency and Child Care Institution;
  - (c) monitoring and supervision of service providers;
  - (d) standardization of documents in cases of adoptions; and
  - (e) safeguards and ethical practices including online applications for facilitating hassle-free adoptions;
- (10) conduct research, documentation and publication on adoption and related matters;
- (11) maintain a comprehensive centralised database relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption in Child Adoption Resource Information and Guidance System;

- (12) maintain a confidential centralised database relating to children placed in adoption and adoptive parents in the Child Adoption Resource Information and Guidance System;
- (13) carry out advocacy, awareness and information, education and communication activities for promoting adoption and other non-institutional child care services either by itself or through its associated bodies;
- enter into bilateral agreements with foreign Central Authorities as prescribed under the Hague Adoption Convention, wherever necessary;
- authorise foreign adoption agencies to sponsor applications of Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India or foreign prospective adoptive parents for inter-country adoption of Indian children;
- (16) set-up counselling Centre in its Head Quarters and support State Adoption Resource Agencies for setting-up of counseling centre at State and District level for:-
  - (a) counselling of the prospective adoptive parents;
  - (b) counseling of older children, wherever required;
  - (c) preparing post-adoption follow-up report, wherever required;
  - (d) post adoption counselling of adopted children and adoptive parents; and
  - (e) assisting and counselling of older adoptees in root search.
- **38. Regional passport officer.-** Based upon an application made along with required documents, pursuant to the adoption order issued by the court, the regional passport officer shall issue a passport to an adopted child within ten days from the date of receipt of such application, in accordance with circulars issued by the Central Government in the Ministry of External Affairs regarding issuance of passport to inter-country adopted children, from time to time.
- **39. Foreigner regional registration office.** Foreigner regional registration office may exempt issue of exit visa to the adopted child travelling out of the country having No Objection Certificate and Conformity Certificate (required only in cases of Hague Adoption Convention ratified countries) from the Authority and adoption order from the competent court.
- **40. Role of Indian diplomatic missions in inter-country adoption.-** Indian diplomatic missions abroad shall have the following role in inter-country adoption of Indian children, namely:-
- (1) liaise with Central or public authorities concerned to ensure safeguards of children of Indian origin adopted by Non-Resident Indian, Overseas Citizen of India or foreign parents against neglect, maltreatment, exploitation or abuse;
- (2) interact with the authorised foreign adoption agencies and Central Authorities within their jurisdiction and organise or participate in the get-togethers of the adopted children and their parents;
- (3) recommend proposals for authorisation of foreign adoption agencies for the purpose of sponsoring applications for adoption of Indian children;
- (4) issue visa to foreign prospective adoptive parents who wish to see a child in person at a Specialised Adoption Agency in India, before accepting him for adoption, after their adoption application is approved by the Authority, and also for attending the court proceedings as well as for receiving the child thereafter;
- (5) empanel and authorise social workers to complete adoption application formalities including Home Study Report in a foreign country, where there is no Authorised Foreign Adoption Agency or a Government department to deal with adoption;
- (6) register the adoption applications of Non-Residence Indian Prospective Adoptive Parents or Overseas Citizen of India in Child Adoption Resource Information and Guidance System alongwith requisite documents as specified in Schedule VI and upload post-adoption follow-up reports as in regulation 19;
- (7) the Indian diplomatic mission processing the adoption application, either directly or through the authorised organization, shall send progress report of the child on quarterly basis in the first year and on six monthly basis in the second year, from the date of arrival of the child in the receiving country and in case of disruption of adoption, shall take actions as provided in regulation 19;
- (8) contact the Central Authority or other authorities in the receiving countries to ensure safeguards of children of Indian origin adopted by Non-Resident Indian or Overseas Citizen of India or foreign parents and in case of disruption of adoption, a report in this regard shall also be sent to the Authority at the earliest;
- (9) render necessary help and facilitate the repatriation of the child in case required, in consultation with the local authorities, adoption agency concerned and the Authority;
- (10) facilitate root search by an adoptee of Indian origin, if contacted; and
- (11) communicate any report or observation, which it may consider as important and relevant in the matter of intercountry adoptions to the Authority.

#### **CHAPTER VII**

# MISCELLANEOUS PROVISIONS

- **41. Seniority of the prospective adoptive parents.-** (1) The prospective adoptive parents shall be referred children on the basis of a single seniority list, which shall be maintained from the date of registration and other criteria as stipulated under these regulations.
- (2) The seniority of resident Indians shall be based on the date of online registration and submission of the documents, except for Home Study Report, in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (3) The seniority of Non Resident Indian or Overseas Citizen of India or foreign prospective adoptive parents shall be based on the date of online registration and submission of the requisite documents alongwith Home Study Report in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (4) Prospective adoptive parents shall be allowed to change the State preference once within sixty days from the date of registration and in case they change the State preference after sixty days from the date of registration, they shall be placed at the bottom of the seniority list in the changed State.
- (5) Seniority of prospective adoptive parents registered as single, but married later shall be counted from the date of registration as single after receipt of fresh Home Study Report.
- (6) Prospective adoptive parents registered for normal child, shall be able to adopt a special need child or hard to place child with the same registration.
- 42. Adoption by Indian parents residing in countries which are not signatory to Hague Adoption Convention.

  (1) In a situation where one of the Indian parents is residing in India and the spouse is working in a country which is not signatory to the Hague Adoption Convention on temporary work permit, the parents have to decide the place where they have to conduct their home study and for such purpose, they have to be together, either within the country or abroad.
- (2) In case Indian prospective adoptive parents desire to initiate the process in a country which is not signatory to the Hague Convention, the Indian Mission may conduct the home study and facilitate adoption process including uploading of Home Study Report and post-adoption follow-up report on Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (3) For adoption by prospective adoptive parents residing in a country which is not signatory to the Hague Convention, the prospective adoptive parents have to provide documents as stipulated in Schedule VI.
- **43. Adherence to time line.-** All agencies and authorities involved in the adoption process shall adhere to the time limits as specified in Schedule XIV.
- **Root search.-** (1) In case of an orphan or abandoned child, information about his adoption, including the source and circumstances in which the child was admitted into the Specialised Adoption Agency, as well as the process followed for his adoption, may be disclosed to the adoptee by the Specialised Adoption Agency or the Child Welfare Committee, as the case may be.
- (2) In cases of root search by older adoptees, the agencies or authorities concerned (Authorised Foreign Adoption Agency, Central Authority, Indian diplomatic mission, Authority, State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency), whenever contacted by any adoptee, shall facilitate his root search.
- (3) Persons above eighteen years can apply independently online while children below eighteen years shall apply jointly with their adoptive parents to the Authority seeking facilitation of root search.
- (4) If the biological parents, at the time of surrender of the child, have specifically requested anonymity, then the consent in writing of the biological parent(s) shall be taken by the Specialised Adoption Agency or Child Welfare Committee, as the case may be, before divulging information.
- (5) In case of denial by the biological parents or the parents are not traceable in surrendered cases, the reasons and the circumstances under which the information is not being made available shall be disclosed to the adoptee.
- (6) A root search by a third party shall not be permitted and the agencies or authorities concerned shall not make any information public relating to biological parents, adoptive parents or adopted child.
- (7) The right of an adopted child shall not infringe the right to privacy of the biological parents.
- **45. Confidentiality of adoption records.-** All agencies or authorities involved in the adoption process shall ensure that confidentiality of adoption records is maintained, except as permitted under any other law for the time being in force and for such purpose, the adoption court order may not be displayed in any public portal.
- **46. Adoption fees.-** (1) The prospective adoptive parents shall bear the expenses for adoption, as prescribed by the Authority from time to time.

- (2) The Specialised Adoption Agency and the Authority may receive adoption fee from the prospective adoptive parents and utilise the funds in accordance with norms prescribed by the Authority from time to time.
- (3) The Specialised Adoption Agency is not permitted to accept any donation in cash or kind, directly or indirectly, from the prospective adoptive parents for adoption of a child.
- **47. Reporting of adoptions by Specialised Adoption Agency.** The Specialised Adoption Agency shall update data on Child Adoption Resource Information and Guidance System on weekly basis and also send quarterly report in the format given at Schedule XV to State Adoption Resource Agency in first week of every quarter, for onward submission to the Authority.
- **48. Adoption of children with special needs.-** (1) The adoption process for children with special needs shall be completed as expeditiously as possible by the agencies or authorities concerned, who shall be available for adoption by resident Indians and Non-Resident Indians from the date they are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee:
  - Provided that such children with special need shall be available for adoption by Overseas Citizen of India or foreign adoptive parents, after fifteen days from the date they are declared legally free for adoption.
- (2) Special care shall be taken while processing the cases for adoption of children with special needs, so that the prospective adoptive parents are aware of exact medical condition of the child and are ready to provide extra care and attention that the child needs.
- (3) The types of children with special needs are available in Schedule XVIII, which is illustrative and not exhaustive; the same may also be accessed from www.cara.nic.in, and the decision of the Authority shall be final in this regard.
- (4) The children with special needs who were not adopted shall be provided due care and protection by the Specialised Adoption Agency and if they do not have necessary facilities and the means for their long term care, such children shall be shifted to any other specialised institutions run by any Government or non-Government organisation.
- **49. Adoption of older children and siblings.-** (1) Since it takes time for an older child to adjust with unrelated parents, it is important that the child and the prospective adoptive parents are made familiar to each other, before leaving the institution.
- (2) Under the guidance of Specialised Adoption Agency or Authorised Foreign Adoption Agency, the prospective adoptive parents may have interactions with older children through video calls or by any other means, even before taking custody and the prospective adoptive parents may be encouraged to spend some quality time with the child before leaving the institution.
- (3) The siblings and older children shall be deemed to be available for adoption by resident Indians and Non-Resident Indians (both the couple being Indian citizens) from the date they are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee and they shall be available for adoption by other categories of prospective adoptive parents after thirty days from the date they are declared legally free for adoption.
  - Explanation:- For the purposes of this regulation, a child, who has completed five years of age, shall be considered as an older child.
- **50. Adoption of hard to place children.-** Over and above the efforts made under regulations 8, 48 and 49, the Authority with the approval of its Steering Committee, may make additional efforts for adoption of hard to place children, who are not getting any referral for long time, through Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- **51. In-country relative adoptions.-** (1) The prospective adoptive parents shall register in Child Adoption Resource Information and Guidance System and follow due legal procedure as provided in regulation 55.
- (2) Consent of biological parents or permission of the Child Welfare Committee, as the case may be, shall be required as provided in Schedule XIX or Schedule XXII respectively.
- (3) The consent of the child shall be obtained, if he is five years of age or above.
- (4) Affidavit of adoptive parent(s) is required in cases of in-country relative adoptions in support of their financial and social status as per Schedule XXIV.
- (5) The prospective adoptive parents shall file an application in the competent court as provided in Schedule XXX.
- **Adoption by step-parent.-** (1) The couple (step-parent and one of the biological parents) shall register in Child Adoption Resource Information and Guidance System with the required documents as mentioned in Schedule VI.
- (2) Consent of the biological parent(s) and the step-parent adopting the child or children shall be as provided in the Schedule XX (refer instructions in Schedule XX).

- (3) In case the custody of the child is under litigation, the adoption process shall be initiated only after the finalisation of the case by the court concerned.
- (4) The biological parent and the step-parent shall file an application in the Family Court or District Court or City Civil Court as the case may be, as per format given at Schedule XXXII.
- (5) The applicants shall obtain a certified copy of the adoption order from the court concerned and furnish a copy of the same online to the Authority through Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- **53. Inter-country relative adoptions.-** (1) A Non-Resident Indian or an Overseas Citizen of India, interested to adopt a relative's child, may approach an Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority in the country of residence for preparation of their Home Study Report and for online registration in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (2) In case there is no Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority in their country of residence, then the prospective adoptive parents interested to adopt a relative's child shall approach the Government department concerned or Indian diplomatic mission (in cases of Indian citizens) in that country.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the department concerned or the Indian diplomatic mission (in cases of Indian citizens), as the case may be, on completion of the Home Study Report, shall register the application of the prospective adoptive parents in Child Adoption Resource Information and Guidance System along with the required documents as mentioned in Schedule VI.
- (4) Any person, who takes or sends a child to a foreign country or takes part in any arrangement for transferring the care and custody of a child to another person in a foreign country without a valid order from the competent Court, shall be punishable as per the provisions of section 80 of the Act.

#### 54. Prior approval for inter-country relative adoption from Authority.-

- (1) On receipt of all requisite documents on Child Adoption Resource Information and Guidance System, the Authority shall forward the same to District Child Protection Unit for obtaining family background report of the child proposed for adoption, as provided in Schedule XXI.
- (2) The District Child Protection Unit shall get the family background report conducted by its social worker and for this purpose, it can charge a fee as stipulated in the norms prescribed by the Authority from time to time.
- (3) District Child Protection Unit shall forward a copy of the family background report of the child and the biological family to the Authority for onward submission to Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Indian Mission abroad.
- (4) On receiving family background report of the relative's child, the Authority shall forward the same to the receiving country as required under Articles 15 and 16 of the Hague Adoption Convention along with a preapproval letter supporting the proposed adoption.
- (5) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority, on receiving requisite documents as stipulated in sub regulation (3), shall arrange to forward a certificate under Article 5 or Article 17 of the Hague Adoption Convention to the Authority.
- (6) In case of countries which are not signatories to Hague Adoption Convention, in respect of Indian citizens, family background report of the relative's child and prior approval letter from the Authority shall be forwarded to the Indian Mission of that country which will issue a recommendation letter to the Authority.
- **Legal Procedure.-** (1) The prospective adoptive parents, who intend to adopt the child of a relative as defined in sub-section (52) of section 2 of the Act, shall file an application in the competent court under sub-section 2 of section 56 or sub section (1) of section 60 of the Act in case of in-country relative adoption or inter-country relative adoption, respectively, alongwith a consent letter of the biological parents as provided in Schedule XIX and all other documents as provided in Schedule VI.
- (2) The biological parent and the step-parent, who intend to adopt the child or children of the biological parent, shall file the adoption application as provided in Schedule XXXII, in the court concerned of the district where they reside, along with consent letter of the biological parents and the step-parent adopting the child or children, as provided in the Schedule XX and all other documents as provided in Schedule VI.
- (3) The prospective adoptive parents, in case of inter-country relative adoption, shall file the adoption application in the court concerned of the district, where the child resides with biological parents or guardians as provided in Schedule XXXI.
- (4) The prospective adoptive parents shall file an application in Family Court or District Court or City Civil Court, as the case may be.
- (5) Before issuing an adoption order, the court shall satisfy itself of the various conditions stipulated under section 61 of the Act, and regulations 51 to 56, as the case may be.

- (6) The prospective adoptive parents shall obtain a certified copy of the adoption order from the court and furnish a copy of the same to the District Child Protection Unit for online submission to the Authority.
- **No Objection Certificate of Authority.-** In case of all inter-country adoptions, the Authority shall issue No Objection Certificate in favour of the adoption of the child within ten days from the date of receipt of adoption order forwarded by the District Child Protection Unit and a copy of the same shall be forwarded to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority concerned.
- **Issue of Conformity Certificate.-** The Authority shall issue a Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in the format provided in Schedule X within three working days from the date of availability of the adoption order in the Child Adoption Resource Information and Guidance System, in case the receiving country of the adopted child is a Hague Adoption Convention signatory.
- **58. Child Care Institution and its linkage with Specialised Adoption Agency.** (1) All Child Care Institutions registered under this Act, which may not have been recognised as Specialised Adoption Agencies, shall ensure that all orphan or abandoned or surrendered children under their care and protection are reported, produced and declared legally free for adoption, by the Child Welfare Committee as per the provisions of section 32, subsection (2) of section 38 and sub section (1) of section 66 of the Act and the procedure laid down in these regulations.
- (2) Such report shall include the name (if known), gender, date of birth (if known) or age, photograph and health condition of the child, language spoken by the child (if any), address or source (wherever known) and the manner and circumstances in which the child was brought and admitted to the institution.
- (3) The District Child Protection Unit concerned shall render all necessary assistance to the Child Care Institution concerned in getting an orphan, abandoned or surrendered child declared legally free for adoption as per the procedure and time frame stipulated under the provisions of the Act, rules framed thereunder and these regulations.
- (4) The District Child Protection Unit shall be responsible for linking the Child Care Institution where adoptable children have been identified with Specialised Adoption Agency.
- (5) If the Child Care Institution is located in the same district:-
  - (a) the Specialised Adoption Agency shall complete the documentation and formalities required for the adoption of an orphan, abandoned or surrendered child including preparation of Child Study Report and Medical Examination Report of the child as per Schedule II and III respectively; and
  - (b) the Specialised Adoption Agency shall upload the profile of the child in Child Adoption Resource Information and Guidance System, which includes photograph, Child Study Report, Medical Examination Report of the child and certificate from Child Welfare Committee declaring the child legally free for adoption.
- (6) In case the Child Care Institution and the Specialised Adoption Agency are not located in the same district:-
  - (a) the District Child Protection Unit shall conduct Child Study Report through a social worker and Medical Examination Report of the child as per Schedule II and III respectively;
  - (b) the District Child Protection Unit shall upload the profile of the child in Child Adoption Resource Information and Guidance System, which includes photograph, Child Study Report, Medical Examination Report of the child and certificate from Child Welfare Committee declaring the child legally free for adoption; and
  - (c) once documents of children are uploaded in Child Adoption Resource Information and Guidance System, the linked Specialised Adoption Agency shall access information of such children for facilitating their adoption as per the provisions of these regulations.
- (7) In case there is more than one Specialised Adoption Agency in the district for linking the Child Care Institution, the distance between the two, the needs of the child and the capacity of the Specialised Adoption Agency shall be taken into consideration.
- (8) The Adoption Committee shall include:-
  - (a) adoption in-charge or social worker of the Specialised Adoption Agency;
  - (b) paediatrician or visiting doctor of the Child Care Institution;
  - (c) official from the District Child Protection Unit of the district where Child Care Institution is located; and
  - (d) representative of the Child Care Institution.
- (9) In all such adoption cases, adoption petition shall be filed in the competent court by the Specialised Adoption Agency, making the Child Care Institution as a co-petitioner.

- (10) In case the child is from a Child Care Institution which is located in another district, the Specialised Adoption Agency shall file the adoption petition in the court concerned of either of the districts.
- (11) The adoption fee shall be shared between Specialised Adoption Agency and Child Care Institution in the ratio as may be prescribed by the Authority.
- (12) The Specialised Adoption Agency concerned shall obtain a certified copy of the adoption order from the court and furnish a copy of the same to the prospective adoptive parents, Child Care Institution, District Child Protection Unit and upload it in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
- (13) The State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit shall as far as possible, provide training to Child Care Institutions to enable them to become well-equipped Specialised Adoption Agencies.
- **59. Appeal to Authority.-** (1) Any prospective adoptive parents or child or any person on his behalf, aggrieved due to non-selection for adoption because of the opinion of Specialised Adoption Agency or issues related to eligibility of the prospective adoptive parents or of the child to be adopted or regarding the documentation relating to the prospective adoptive parents or the child, such as, Home Study Report or health status of the prospective adoptive parents, the Child Study Report and Medical Examination Report, may approach the Authority.
- (2) The application referred to in sub-regulation (1) shall be made by the aggrieved within seven days from the date of opinion or decision.
- (3) The decision of the Authority shall be taken by a committee constituted by the Chairperson of its Steering Committee.
- (4) The Authority shall take decision on the application within thirty days from the date of receipt of the application and the same shall be communicated to the applicant in writing within three working days of the decision.
- (5) The decision of the Authority shall be binding on all concerned.
- (6) The Authority may decide, on the merits of each case, whether the child concerned can be blocked from further referral to any other prospective adoptive parents for adoption.
- **60. Power to relax and interpretation.-** (1) The power of relaxation and grant exception to any provision of these regulations in respect of a case or class of cases shall be vested with the Relaxation Committee of the Authority.
- (2) Relaxation Committee of the Authority shall be chaired by the chairperson of Steering Committee of the Authority and two members consisting of its Chief Executive Officer and a member of Steering Committee having experience in law as members.
- (3) No decision of the Relaxation Committee of the Authority shall ordinarily have the effect of altering the seniority of any prospective adoptive parents unless reasons are recorded in writing and the primary consideration being the best interests of the child.
- (4) In case of any ambiguity in interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Authority shall prevail.

#### SCHEDULE I

[See regulations 2 (5), 6 (13) and 7 (17)]

# CERTIFICATE DECLARING THE CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

Inquiry report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Social Worker / Case Worker/any other (as the case may be);

Deed of surrender executed by the biological parent(s) or the legal guardian of the child before this Committee on (date);

Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialized Adoption Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under sub section (1) of section 40 of the Act, the rules framed thereunder and the Adoption Regulations, but, nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration.

Consent of older child, in case applicable.

#### 2. This is to certify that:

The biological parent(s)/legal guardian, wherever available, has/have been counselled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or children in adoption which would result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin.


The biological parents/legal guardian have given their consent freely, in the required form, and the consent have not been induced by payment or compensation of any kind and the consent of the mother (where applicable), has been given only after the birth of the child.

The Specialized Adoption Agency/Child Care Institution to which the aforesaid child is entrusted shall arrange to post the photograph and other essential details of the child in the Child Adoption Resource Information and Guidance System and shall place such child in adoption as per the procedure laid down in the Act and Adoption Regulations.

[Note: strike out the box(es) which are not relevant to the case]

[Note: Only one certificate may be issued in case of siblings or twins stating the relationship.]

[Note: To facilitate adoption in the best interest of the child, the Specialized Adoption Agency or District Child Protection Unit concerned, as the case may be, is permitted to post the profile of the child, including photograph, Child Study Report, Medical Examination Report and this certificate in the Child Adoption Resource Information and Guidance System]



Child Welfare Committee

Date and Place

Signature of any three members

Date and Stamp

To: Specialised Adoption Agency/ District Child Protection Unit – to post this certificate in Child Adoption

Resource Information and Guidance System (CARINGS).

Copy to: District Child Protection Officer (DCPO), Name of the District.

#### **SCHEDULE II**

[See regulations 2(6), 6(15), 7(18), 58(5)(a) and 58(6)(a)]

#### CHILD STUDY REPORT

Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

**Registration No:** 

**Aadhar Card No:** 

#### Name of the Specialised Adoption Agency (SAA)/Child Care Institution (CCI):

The detailed report on the child shall include identifying information supported by documents. Child Study Report should be prepared as soon as the child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee.

Photograph of the child

Name and address of the Institution:-

#### I. GENERAL INFORMATION:

- 1. Name of the Child. ----- (given by biological mother or parents or by the Specialised Adoption Agency/Child Care Institution or Child Welfare Committee)
- 2. Present age and date of birth:
- 4. Sex:
- 5. Place of Birth:
- 6. Religion (if known):
- 7. Type of child: Orphan/ abandoned/ surrendered
- 8. Date of admission of the child to the Specialised Adoption Agency/Child Care Institution:
- 9. Date of production before Child Welfare Committee:
- 10. Date declared as legally free for adoption by the Child Welfare Committee:

#### II. SOCIAL DATA:

Please do not give identifying information about the natural parent.

- 1. How did the child come to your institution?
  - (a) Admitted directly by parent or any other guardian:
  - (b) Placed by Child Welfare Committee directly:
  - (c) Transferred from any other institution, if so name of the institution:
  - (d) Any other source:
- 2. Reasons for seeking protection in the Institution:
- 3. Attitude of the child towards other children, if applicable
- 4. Behaviour and relationship of the child towards staff and other adults including strangers:
- 5. General intelligence:
- 6. If the child is enrolled in school, give a detailed report about his or her standard, attendance, general interest in studies, progress, if any:
- 7. General personality and description of the child:
- 8. Play activity and any specific talent: Milestones of the child (for children below 18 months). Please mark Yes or No (based on age appropriate responses)

Does the child:-

(a)	)	Smile

(b) Turn on his sides

(c) Lift its head

(d) Grasp objects in its hand

(e) Crawl on its own

(f) Sit with full support or Sit without support
(g) Stand with support or Stand without support

(h) Walk with support or Walk without support

9. Dietary Habits:

Intake of liquid food:

Semi-solid food:

Solid food:

- 10. Developmental Assessment (language spoken, behaviour, basic play skills, physical activity and communication and social skills etc.):
- 11. Social Background: (This should include his social history i.e. brief background of the birth parents and circumstances necessitating the child's surrender or abandonment, etc. Please do not give identifying information such as name and address of birth parents or relatives.)

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भा	रत का राजपत्र : असाधारण	131
12. Is	Social Worker hereb	by certify that the information	n given in this form about child i
			Signature:
Place:			Name:
Date:			Designation:
We have read and understo adoptive child.	od the contents of	the Child Study Report and	d are willing to acceptas ou
(Signature of the male applic	ant) (Signature	of the female applicant)	
(Name of the male applicant)	(Na	me of the female applicant)	
Place and Date:	Plac	e and Date:	
		SCHEDULE III	
	[See regulations 2	2(13), 6(15), 7(18), 58(5)(a) a	and 58(6)(a)]
	_	MINATION REPORT OF T	
A duly registered physician sho			ot available, please state "Not Available".
(if the child is below 1 year, he	_		,,,
Child Adoption Resource Info			
Registration No.	of mation and Guid	ance System (CARINGS)	
S	-1 NT J		
Health Status: Normal/Specia	ii Need		
Date of Admission:			
Name of the Specialised Adop			
Name of the Child Care Instit	tution:		
A. General Information			
1. Name of the child:			
2. Date and year of birth	:		
3. Sex:			
4. Place of birth:			
5. Nationality:	-41441	DI 4	
<ul><li>6. Name of the present in</li><li>7. Weight at birth (in kg.</li></ul>		Placed since: kg.	
8. Head Circumference:	at admission).	ĸg.	
9. Length at birth (in cm.	at admission):	cm.	
		es or No or Do not know	
11. Where has the child be With his or her mother: from			
With his or her mother: from With relatives: from			
In private care: from			
In institution or hospital: from	om to		
(Please state the name of the Note: In case of new born ch Born].			oups in <b>Schedule IV</b> [paragraph (A) New
B. Medical Details			
			te the age of the child in respect to each
disease, as well as any compl	neauon). 1 es or	No or Do not know	
2. If yes: Children's ordinary diseases Tuberculosis:	(whooping cough, m	neasles, chicken-pox, rubella,	, mumps):

Convulsions (incl. Febrile convulsions): Any other disease: Exposure to contagious disease: Has the child been vaccinated against any of the following diseases: Yes or No or Do not know If yes: Tuberculosis (B.C.G.) Date of immunisation: Diphtheria Date of immunisation: Tetanus Date of immunisation: Whooping cough Date of immunisation: Poliomyelitis Date of immunization: Hepatitis A Date of immunisation: Hepatitis B Date of immunisation: MMR (Measles) Date of immunization: Other immunizations Date of immunisation: Has the child been treated in hospital? Yes or No or Do not know If yes state name of hospital, age of child, diagnosis, and treatment: 6. Give, if possible, a description of the mental development, behaviour and skills of the child. (i) Visual When was the child able to fix? When was the child able to turn its head after sounds? (ii) Aural (iii) Motor When was the child able to sit by itself? When was the child able to stand with support? When was the child able to walk without support? (iv) Language When did the child start to speak monosyllables? When did the child start to say single words? When did the child start to speak sentences? (v) Contact When did the child start to smile? How does the child communicate with adults and other children? How does the child react towards strangers? (vi) Emotional How does the child show emotions (anger, uneasiness, disappointment, joy)?

	Madical	Examination	Datailas
( :	. Medical	Examination	Details:

- 1. Date of the Medical Examination
- 2. Colour of hair:
- 3. Colour of eyes:
- 4. Colour of skin:
- 5. Through my complete clinical examination of the child I have observed the following evidence of disease, impairment or abnormalities (in case applicable):
  - (i) Head (form of skull, hydrocephalus, craniotabes )
  - (ii) Mouth and pharynx (harelip or cleft palate, teeth)
- (iii) Eyes (vision, strabismus, infections)
- (iv) Ears (infections, discharge, reduced hearing, deformity)
- (v) Any dysmorphic facies? If yes, describe
- (vi) Organs of the chest (heart, lungs)
- (vii) Lymphatic glands (adenitis)
- (viii) Abdomen (hernia, liver, spleen)
- (ix) Genitals (hypospadia, testis, retention)
- (x) Spinal column (kyphosis, scoliosis)
- (xi) Extremities (pes equines, valgus, varus, pes calcaneovarus, flexation of the hip, spasticity, paresis)
- (xii) Skin (eczema, infections, parasites)
- (xiii) Other diseases?
- 6. Are there any symptoms of syphilis in the child? Result of syphilis reaction made (date and year): Positive or Negative or Not done
- 7. Any symptoms of tuberculosis?

Result of tuberculin test made (date and year): Positive or Negative or Not done

8. Any symptoms of Hepatitis B?

Result of tests for Hbs Ag (date and year): Positive or Negative or Not done Result of test for anti-HBs (date and year): Positive or Negative or Not done Result of tests for HBeAg (date and year): Positive or Negative or Not done Result of tests for anti HBe (date and year): Positive or Negative or Not done

9. Any history of Jaundice and blood transfusion?

Results of tests for HBsAG (date and year)?

If positive, whether specialist consultation taken (yes/ no, date and year); and further tests/ treatment undertaken (attach a copy of the documents)

10. HIV Test (refer to Standard Medical Test at **Schedule IV**) HCV (Hepatitis C) (refer to Standard Medical Test at **Schedule IV**)

134	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PAR	T II–	—SEC. 3(i)]
11.	Does the urine contain: Sugar? Albumen? Phyenylketone?		
12.	Stools (diarrhoea, constipation):		
Exa	amination for parasites: Positive or Negative or Not done		
13.	Is there any mental disorder or retardation of the child?		
14.	Give a description of the mental development, behaviour and skills of the child.		
15. Not	Any additional comments?  te:  1. Refer to Infants between 1 month to 1 year of age in Section 'B' of Medical Test in <b>Schedule IV</b> 2. Refer to Age 1-3 years and more than 3 years of Medical Test in <b>Schedule IV</b> [paragraph (C)].	, .	
	Report concerning the psychological and social circumstances of the child (wherever required, taken from special educator, physiotherapist, speech therapist and the social worker)	assis	stance may
Ple	ase decide on each heading.		
(i) A	Activity with toys (age appropriate as applicable):		
1. 7	The child's eyes follows rattles or toys, that are moved in front of the child		
2. 7	The child holds on to a rattle		
3. 7 etc.	The child plays with rattles: putting it in the mouth, shaking it, moving it from one hand to the other		
4. Т	The child puts cubes on top of each other.		
5. 7	The child plays purposely with toys: pushes cars, puts dolls to bed, feeds dolls etc.		

6. The child plays role-play with toys with other children.

1. The child vocalizes in contact with caregiver

7. The child draws faces, human beings or animals with distinct features.

(ii) Vocalization or language development (age appropriate as applicable):

8. The child cooperates in structured games with other children (ballgames, card games etc).

2.	The child repeats different vowel-consonant combinations (ba-ba, da-da, ma-ma etc.)	
3.	The child uses single words to communicate	
4.	The child speaks in sentences	
5.	The child understands prepositions as: on top of, under, behind etc.	
6.	The child uses prepositions as: on top of, under, behind etc.	
7.	The child speaks in past tense	
8.	The child writes his own name	
9.	The child reads simple words	
10.	Any other observation	
(iii)	Motor development (age appropriate as applicable):	
1.	The child turns from back to stomach from age:	
2.	The child sits without support from age:	
3.	The child crawls or moves forward from age:	
4.	The child walks with support of furniture from age:	
5.	The child walks alone from age:	
6.	The child climbs up and down stairs with support from age:	
7.	The child climbs up and down stairs without support from age:	
(iv)	Contact with adults (age appropriate as applicable):	
1.	The child smiles in contact with known caregiver	
2.	The child is more easily soothed when held by known caregiver	
3.	The child cries or follows known caregiver, when the caregiver leaves the re-	oom
4.	The child actively seeks known caregiver when he or she is upset or has hur	t him or herself
5.	The child seeks physical contact with all adults, that come into the ward	

6.	The child communicates his feeling in words to caregivers				
(v)	Contact with other children (age appropriate as applicable):				
1.	The child shows interest in other children by looking or smiling at their activity				
2.	The child enjoys playing beside other children				
3.	The child engages actively in activities with other children				
(vi)	General Level of Activity:				
1. A	ctive 2. Overactive 3. Not Very Active				
(vii) (	General mood :				
1. S	ober				
2. E	Emotionally indifferent				
3. F	Sussy, difficult to soothe				
	Happy, content see of special needs child, specify the category of the child.				
Over	all Observation of the child:				
	Signature of the Examinee Physician Designation and Registration No. Stamp				
E. Ac	Date exceptance of Medical Examination Report by Prospective Adoptive Parent(s)				
	ave read and understood the contents of the <b>Medical Examination Report</b> and are willing to accept as doptive child.				
(Sign	nature of the male applicant) (Signature of the female applicant)				
(Nam	e of the male applicant) (Name of the female applicant)				
Date: Place					

#### SCHEDULE IV

#### [See regulation 29(1)(f)]

#### MEDICAL TEST FOR CHILDREN ADMITTED INTO INSTITUTIONS

- (1) Medical test for a child admitted into an institution can be broadly divided into two categories:
- (a) To diagnose an illness/ condition that requires specific treatment, and thus testing would help in restoring the health of the child.
- (b) To diagnose an illness/ condition of a nature that implies that the child will require special attention (medical and parental) beyond what a normal child needs, and therefore the family that adopts him/ her should be aware of the condition.
- (2) Following shall be considered while conducting the medical test:
- (a) The interest of the child has to be foremost.
- (b) If the test results warrant further testing, specific therapy or consultation with specialists, should be undertaken by the agency/ institution where the child is staying.
- (3) Medical Tests for different age groups:

#### A. Newly born:

- (a) Preterm newborns or those newborns weighing <2000g at birth or admission should be evaluated by a specialist neonatologist or paediatrician. These babies should undergo screening for Retinopathy of prematurity.
- (b) Screening for hypothyroidism by thyroid function test (T4,TSH)
- (c) Hearing screening: Otoacoustic Emissions (OAEs) or Brain stem evoked response audiometry (BERA)
- (d) Screening for critical congenital heart disease: Pulse oximetry
- (e) HBsAg

If any of these screening tests is abnormal, further confirmatory tests and specialists' opinion should be **mandatory**, before labelling the child as special need.

#### B. Infants between 1 month to 1 year of age

- (a) Infants should be evaluated by a pediatrician
- (b) Screening for hypothyroidism by thyroid function test (T4,TSH)
- (c) Hearing screening: Otoacoustic emission (OAE) or Brain stem evoked response audiometry (BERA)
- (d) Complete blood count, liver function test and renal function test (CBC, LFT and RFT)
- (e) HIV testing in children older than 4-6 weeks of age
- (f) HCV testing in children older than 3 months of age
- (g) HBsAg

If any of these screening tests is abnormal, further confirmatory tests and specialists' opinion should be **mandatory**, before labelling the child as special need.

#### C. Age 1-3 years and more than 3 years

(a) In high risk areas (central and western states of India and tribal populations), screening for sickle cell anaemia is advised by complete blood count and either of these-haemoglobin electrophoresis or solubility testing for haemoglobin S or isoelectric focusing or high-performance liquid chromatography (HPLC).

If a child is found to be a carrier/trait for beta thalassemia or sickle cell anaemia on screening, he or she is unlikely to be affected or have transfusion requirement, and hence should not be considered as special need.

- (b) HIV Procedure for diagnosis in infants and children below 18 months of age:-
  - (i) HIV serological testing is used for the diagnosis of HIV in adults and children above 18 months of age.
  - (ii) Serological tests are not reliable and difficult to interpret in infants and children below 18 months of age because of passage of maternal HIV antibody across the placenta.
  - (iii) In children younger than 18 months, diagnosis of HIV infection is based on: a positive virological test for HIV or its components (HIV RNA or HIV DNA or ultrasensitive [Us] HIV p24 Ag) confirmed by a second virological test performed on a separate specimen taken more than 4 weeks after birth.

- (iv) The WHO guidelines strongly recommend that all HIV-exposed infants have HIV virological testing at 4–6 weeks of age or at the earliest opportunity thereafter.
- (v) If the child is older than 9 months, an HIV serological test is recommended prior to any virological testing, and a virological test should be performed for those with a reactive HIV serological test.
- (vi) In the non-breastfed or never-breastfed infant, a negative serological test result at or above the age of 9 months can be used to rule out HIV infection.
- (vii) In infants with an initial positive virological test result, it is strongly recommended that antiretroviral therapy (ART) be started without delay and, at the same time, a second specimen collected to confirm the result.
- (viii) All the infants with unknown or uncertain HIV exposure being seen in health-care facilities at or around birth or at the first postnatal visit (usually 4–6 weeks), or other child health visit, have their HIV exposure status ascertained.
- (ix) If the infant is seen <72 hrs after the delivery and HIV exposure is identified, post-exposure prophylaxis (PEP), counselling on safe breastfeeding and an HIV virological test at 4-6 weeks is recommended.
- (x) For infants first seen at 4-6 weeks or the earliest thereafter and in whom HIV exposure is documented, HIV virological testing should be performed and the mother should receive safe infant-feeding counselling.
- (xi) A negative HIV serological test in the mother does not per se exclude HIV exposure; the possibility of very recent incident infection of the mother during this pregnancy should be kept in mind.

In infants and children less than 18 months of age, a positive HIV serological test confirms HIV exposure but cannot definitively diagnose HIV. HIV serological testing can be used to exclude HIV infection.

- (c) HCV diagnosis in infants and children:-
  - (i) Hepatitis C infection (HCV) is a chronic viral infection of the liver that affects 1-2% of adults and about 0.15 to 0.4% of children and adolescents.
  - (ii) In children, the infection is mostly acquired from mothers (vertical transmission).
  - (iii) Screening is by testing for HCV antibody in blood. The mother's HCV antibody crosses the placenta and can stay in the blood of an infant for up to 18 months. Thus the anti-HCV antibody test cannot be done to screen for HCV in infants <18 months of age.
  - (iv) The American Academy of Pediatrics (AAP) recommends testing with antibody test after 18 months of age in high-risk children. Positive antibody test should be confirmed by HCV-PCR.
  - (v) If the baby is born to a known HCV positive mother (or in babies in adoption homes), testing with the HCV-PCR can be done. This should be done after 3 months of age due to a high rate of temporarily positive tests in infants under 3 months of age. Two negative HCV-PCR tests separated by at least 2-3 months are needed to confirm that there is not an infection with the hepatitis C virus.
- (d) HBsAg
- (e) CBC, LFT and RFT

# SCHEDULE V

# [See regulation 7 (3) ]

# DEED OF SURRENDER

Case 1	Vo							
In Re.								
1.	I/We,			, surrender				
	Aged	,	having date of		on o			ercion, compulsion
2.	I/we ha	ave been	counselled and	informed:				
	(a)			n that I/we can w t will be irrevocal				surrender deed after d or children.
	(b)	day fro	om date of the					et that after the 60 <sup>th</sup> character or child or
	(c)		stand that my/c consent for thi		e adopted by p	person(s) resi	iding in India o	r abroad and give
	(d)			adoption of my/or and then cannot			nent parent-chile	d relationship with
3.				e tick whichever rns for root search		my/our ident	ity and address	to be disclosed to
4.	I/we de	eclare tha	t I/We have rea	ad the above state	ments carefully	and have ful	ly understood the	e same.
Done	at	on						
								humb Impression of rendering person(s)]
5.	Declar	ation by V	Witnesses					
We th	e undersig	gned have	e witnessed the	above surrender.				
	(a)	Signatu	re, Name and A	Address of the first	st witness			
	(b)	Signatu	are, Name and	Address of the se	cond witness			
6.	Cortifi		child welfare c	ommittaa				
					named or iden	tified above	anneared before	me this date and
			our presence.	i the withess(es)	named of iden	tiffed above	appeared before	me uns date and
Done	at	on						
				Signature a	and Seal of Me	mbers/		
				Chairperso	n Child Welfa	re Committe	ee	

# SCHEDULE VI

[See regulations 9(1), 15(3), 20(1), 40(6), 42(3), 52(1) and 53(3)]  $\qquad \qquad \text{ONLINE REGISTRATION FORM}$ 

# AND LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED

Date of Registration:	
Applicant category:	Indians living in India, the prospective adoptive parents will have to register themselves.
	In case of overseas citizen of India or a foreign national habitually residing in India, the prospective adoptive parents have to register themselves.

	In cases of non-resident Indian, overseas citizen of India or a foreign prospective adoptive parents habitually residing in a foreign country, registration shall be done by Authorized Foreign Adoption Agency (AFAA) or Central Authority (CA) or Foreign Government department concerned in the country of residence.			
	In case of non-Hague countries, Indian mission abroad can process the applications of non-resident Indian prospective adoptive parents.			
Applicant status:	Single-unmarried/widow/widower/di	vorcee/ legally separated		
		or		
	Married couple			
	(Date of marriage, place of marriage)	)		
Personal Information:				
	Male	Female		
Name				
Date of Birth				
Nationality by Birth				
Current Nationality/Citizenship				
Current residential address				
City/District				
State				
Country				
Zip/Pin code				
Phone no.				
Mobile no.				
Email				
Occupation Details				
Nature of occupation	Govt. job/private job/ public sector job/ Business /Non-profit Organisation/ consultant/ professional/ Others/ Not Working			
Place of Work				
Annual Income				
No. of Biological/ Adopted Children	Total ( )			
Identification Details (as applicable)	):			
PAN Number				
Aadhar Card Number				
Overseas Citizens of India Card Number				
Passport Number				
Preference for Adoption:				
Gender	Boy/Girl/No Choice			
Child Category	Sibling/Single			
Health Status	Normal/Physically Challenged/Me	ntally Challenged		

Age	0-2 years/2-4 years/4-6 years/6-8 years/8-10 years/10-12 years/ 12-14 years/14-18 years
Preference for State:	
Name of the Agency for Home Study Report	
Address of the Agency	
Motivation for Adoption	
(Max 200 characters)	
In case of Resident Indians, Overseas	Documents to be uploaded at the time of registration
Citizens of India/Foreign prospective adoptive parents residing in India, the	1. In-country Adoption (Indians residing in India)
prospective adoptive parents shall	(1) Current family photograph/ Photograph of person adopting a child
have to register themselves with all relevant documents.	(2) PAN Card of the prospective adoptive parents
	(3) Birth certificate/Proof date of birth of the parents (In case of married couple, upload Birth Certificate of both the applicants)
	(4) Proof of residence (Aadhar card/ voter card/ passport/current electricity bill/telephone bill)
In case of NRI/ Overseas Citizens of	(5) Proof of income of last year (salary slip/income certificate issued by Govt. department/income tax return)
India/Foreign prospective adoptive parents residing abroad, registration will be done by the concerned authority, i.e. Authorised Foreign	(6) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal disease and they are fit to adopt (In case of married couple, upload Medical Certificate of both the applicants)
Adoption Agency (AFAA) or Central Authority (CA) or Government department or Indian Mission (in cases of Indian citizens) only after completion of Home Study Report.	(7) Marriage certificate/Divorce Decree/ Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory/Death certificate of spouse whichever is applicable.
This is also applicable in case of Overseas Citizen of India or foreign	2. Inter-country Adoption in cases of NRI/Overseas Citizens of India and Foreign prospective adoptive parents
prospective adoptive parents residing in India	(1) Photograph of the applicant(s)
	<ul><li>(1) Photograph of the applicant(s)</li><li>(2) Home Study Report of Overseas Citizens of India and foreign prospective</li></ul>
	adoptive parents residing in India to be uploaded later after registration)
	(3) Passport (Male prospective adoptive parent)
	(4) Passport (Female prospective adoptive parent)
	(5) Overseas Citizen of India card of the prospective adoptive parents (if applicable)
	(6) Birth Certificate (Male prospective adoptive parent)
	(7) Birth Certificate (Female prospective adoptive parent)
	(8) Proof of Residence
	(9) Proof of income of last year (e.g. salary slip/income certificate issued by Government department /Income tax return)
	(10) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal decease and they are fit to adopt.
	(11) Police Clearance certifying the antecedents of male prospective adoptive parent.
	(12) Police Clearance certifying the antecedents of female prospective adoptive parent.

- (13) Marriage Certificate (in case of couple)
- (14) Copy of divorce decree/Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory/death certificate of the spouse (if applicable).
- (15) Undertaking from the relative in case of single PAP (if applicable).
- (16) In case of Overseas Citizens of India/Foreign prospective adoptive parents living in India, a copy of No Objection Certificate from their Embassy/ High Commission for adoption and assurance for post adoption follow up in case the prospective adoptive parents relocate from India (if applicable).
- (17) 1st Reference Letter from a respected member of the society known to the PAPs
- (18) 2nd Reference Letter from a respected member of the society known to the PAPs.

#### Other documents to be uploaded after referral

- (19) Consent of the older child/children in the family(more than five years of age)
- (20)Consent of the older child to be adopted
- (21)Permission of the receiving country as per Article 5 or 17 of the Hague Adoption Convention (applicable in case of Hague ratified country).
- (22)In case of prospective adoptive parents residing abroad, undertaking from the prospective adoptive parents to allow personal visits by the representative of the Authorised Foreign Adoption Agency (AFAA) or CA (Central Authority) or concerned Government department or Indian Mission, as the case may be, for follow-up of the progress of the child as required under the Adoption Regulations.
- (23)In case of Overseas Citizen of India/foreign prospective adoptive parents living in India, undertaking from the concerned Specialised Adoption Agency to provide post adoption follow-up.
- (24)In case of Overseas Citizen of India/foreign prospective adoptive parents living in India, undertaking to allow personal visits of the representative of the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency at least for a period of two years from the date of adoption.
- (25)Undertaking from the Authorised Foreign Adoption Agency to provide progress report of the child for a period of two years and make alternate arrangement in case of disruption.

In case of NRI and Overseas Citizen of India prospective adoptive parents residing abroad, registration will be done by the concerned authority, i.e. Authorised Foreign Adoption Agency (AFAA) or Central Authority (CA) or Government department or Indian Mission (in cases of Indian citizens) for the purpose of relative adoption only after completion of Home Study Report.

### 3. Inter-country Relative Adoption

At the time of registration, all requisite documents to be uploaded in Child Adoption Resource Information and Guidance System as stated above in cases of inter-country Adoption[(1)-(15)].

### Other documents to be uploaded after referral

- (1) Consent of the older child/children in the biological family (more than five years).
- (2) Consent of the older child to be adopted.
- (3) Permission of the receiving country as per Article 5 or 17 of the Hague Adoption Convention (applicable in case of Hague ratified country).
- (4) Relationship of the prospective adoptive parents to the relative child (family tree)

	(5)	Recent family photographs of the child, adoptive parents and biological parents.
	(6)	Consent of the biological family as provided in Schedule XIX.
		Permission from the Child Welfare Committee to the legal guardian to surrender the child in adoption with the relative as provided in <b>Schedule XXII</b> (if applicable).
	(8)	Family background report by District Child Protection Unit as provided in <b>Schedule XXI.</b>
In case of In-country Relative	4. D	ocuments to be uploaded in any case of In-country Relative Adoption
Adoption, the prospective adoptive parents have to register for such	(1)	Proof of residence of the prospective adoptive parents.
adoptions in Child Adoption Resource Information and Guidance	(2)	Consent of the older child of the prospective adoptive parents for such adoption (required only in case the child is more than 5 years.)
System and handover relevant documents to District Child Protection Unit to upload in Child	(3)	Consent of the biological parents (as provided in <b>Schedule XIX</b> of the Adoption Regulations)
Adoption Resource Information and Guidance System	(4)	Permission from the Child Welfare Committee to the legal guardian to surrender the child in adoption with the relative as provided in <b>Schedule XXII</b> (if applicable).
	(5)	Affidavit by prospective adoptive parents in support of their relationship, financial and social status as provided in <b>Schedule XXIV</b> of the Adoption Regulations.
	(6)	Adoption order from court.
In case of Adoption of child/children by step-parent, the biological and step	5.	Documents to be uploaded in case of Adoption of child/children by step-parent
parents have to register in Child Adoption Resource Information and Guidance System and provide	(1)	Proof of residence of the biological parent and spouse adopting the child/children along with the proof of them being legally wedded.
relevant documents by uploading the same online through CARINGS.	(2)	Consent of the biological parent(s), spouse adopting the child/children as provided in <b>Schedule XX</b> of the Adoption Regulations.
	(3)	Documents as required to be attached with $\bf Schedule~XX$ of the Adoption Regulations, in case applicable.
	(4)	Adoption order from court.

#### SCHEDULE VII

[See regulations 2(11), 9 (10) and 20 (2)]

# HOME STUDY REPORT OF RESIDENT INDIAN PARENT/ OVERSEAS CITIZEN OF INDIA/FOREIGNER LIVING IN INDIA

MR	
MS	

Adoption of orphan/abandoned/surrendered children can be processed by following procedures as laid down in Adoption Regulations. All prospective adoptive parents are required to register in Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) and adopt from authorised institutions.

CARINGS REGISTRATION NO.		-
DATE OF REGISTRATION		-
PAN CARD NO		-
AADHAR CARD NO, IF AVAILABLE	-	
PASSPORT NO, IF APPLICABLE		-
NAME OF THE SOCIAL WORKER	-	
DATE OF HOME VISIT		-

Part-1 of the report is to be filled up by the Prospective adoptive parents.

The Home Study Report helps build a strong proposal for the prospective adoptive parent (s) to adopt, and therefore, prospective adoptive parents are expected to provide all information to the best of their knowledge. The prospective adoptive parents are solely responsible for the authenticity of the information provided in the template and are required to sign below on each page of Part 1.

The prospective adoptive parent(s) are encouraged to seek advice from the social worker and Counsellors in preparing themselves for adoption and for supporting the child that they wish to adopt. Any difficulty faced by the prospective adoptive parents in filling up Part 1 may be shared with the Social Worker during the home visit.

**Part-2** of the template is to be filled up by the Professional Social Worker engaged by the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource Authority (CARA).

The Home Study Report helps the adoption agency in finding the family best suited for each child that is available for adoption. During the home study, the social worker will assess the financial, employment, health, lifestyle, home and neighbourhood environments of the prospective adoptive parent (s); their parenting styles and attitude(s); motivation for adoption; commitment towards adoption and their overall readiness-cum-maturity to adopt.

Part – 1	
Familiarity with Adoption	
(This section can be filled up by either of the prospective adoptive parent)	
What is your motivation behind adopting a child	
Will you be able to support an older child, a child with an addressable medical condition	or a child with special
need?	
Yes/No	
Have you met any adoptive families or children who were adopted – if yes, how was response	your experience and
Are there any areas where you may need counselling or professional help in supporting	the child you wish to

5. Please describe how the prospective adoption would affect other members residing with you and their support to the child.

#### B. Family background information:

Particulars	Male Applicant	Female Applicant
Name (underline Family name)		
Date of birth		
Place of birth		
Citizenship		
Address		
Email ID		
Contact Phone No. and Mobile No.		
Religion		
Language(s) spoken at home		
Date of Marriage		
Date of Earlier Marriage (if any)		
Date of divorce (if any)		
Educational Qualification		
Employment/		
Occupation		
Name and Address of the present Employer/Business concern		
Annual Income		
Health Status		
	Photograph of	the

Photograph of the	
prospective adoptive parents	

#### (1) Provide following information about your parents.

Details about Parents of the Applicants	Male Applicant		Female Applicant	
	Father	Mother	Father	Mother
Name in full				
Age				
Nationality/Citizenship				
Occupation				
Previous occupation				
Presently residing with prospective adoptive parent (Indicate Yes/No)				

	Please provide y	our most recent tax invoices, ban	k statements	etc. of both of you	u.	
D.	<b>Financial Position:</b> (Give a short description of your income from all sources, savings, investments, expenditures and liabilities).					
Organ	isation	Employer Details (Name ar Address)	Job 7	Title	From	То
Fema	le Applicant					
Organ	isation	Employer Details (Name and Address)	Job T	itle	From	То
	Applicant					
C.		mployment Details (Professiona with details relating to your profe			rs): Please comp	lete the
(4)	Please provide d personnel etc):	letails of any other non-related ad	ults/children	living in the home	e (e.g. house hel	p, staff, outside
	Name	Nature of Relationship	Age	Gender	Occu	pation
(3)	Please provide a prospective adop	age, gender, occupation, and naturative parents.	re of the rela	ationship of other	family member	(s) residing wit
				ate of Birth	Educatio	nal Status

(b) No

If yes, please provide supporting documentation;

(a)

- **E. Current marital relationship and quality of marital relationship (if applicable)**: (Give details about the marriage, legal separation, if any, reasons for such separation, present marital life and decision making procedures).
- (1) Please specify your marital status: \_\_\_\_\_
- (2) Please describe the procedures you and your spouse use to reach a decision.
- F. Attitude of grandparents/extended family members, other relatives and significant others towards the present adoption: (Give a short description about the opinion of other important persons towards adoption who would have impact in the child rearing process when the child arrives in the receiving country.)
- G. Anticipated Plans of the prospective adoptive parents for adopted child and rearing in the Family:
- (1) Please describe how you will manage caring for the adopted child and other life commitments such as work.
- (2) Who will be responsible for caring for the child when you are at work, or absent from the familial home (domestic help, grandparents and spouse).
- (3) In case the adopted child demonstrates adjustment difficulties, please describe the steps that you plan to take to ease his/her transition into the family?
- **H. Preparation and Training for Adoption:** (Give details about the counselling if undergone on adoption, child care, handling of needs of children, prospective adoptive parents training and/or experiences in parenting children having special needs, if any)

Understanding about adoption procedure:

Reading of reference materials:

Learning from friends/relatives:

Interaction with adoptive parents groups:

Learning through counselling from professional:

- I. Possible Rehabilitation Plan for the child in case of any eventuality with prospective adoptive parent(s): (Give a short description about your plan for the security of the child in case you face any short or long term eventuality. In case you are a single prospective adoptive parent, please give a short description about the close relative who would be giving undertaking for the security of the child).
  - (1) Does your work require you to travel?
  - (2) Who would care for the child in your absence? Please provide a brief description including his/her age, gender, occupation and relationship:
  - (3) In the event of unforeseen misfortune do you have someone who could take legal guardianship of child? If so, Please provide a brief description including his/her age, gender, occupation and relationship and contact details:
- J. Health Status (Emotional and Physical):
- (1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so, would you please provide details?
- (2) Are you or your spouse currently being treated by a psychologist or psychiatrist?
- (3) Are you currently taking any prescribed medication?
- (4) Are there currently any child(ren) in your house being treated for a severe medical condition?
- (5) Does your family have health and hospitalization insurance coverage for all family members?
- K. Certified that the above information is true to best of our knowledge

Name and signature of the prospective adoptive parents

#### **PART - 2**

(To be filled up by the Social Worker preparing the Home Study Report)

### As far as possible, the Home Study Report has to be completed within a period of one month from the date of registration.

The social worker should attempt to put the prospective adoptive parents at ease by opening the conversation with a warm-up question. The social worker should employ non-verbal cues such as inclining the head and nodding to indicate that the prospective adoptive parents are actively listening. After each question, the social worker may provide the prospective adoptive parents with sufficient time to respond. Any verbal response by the social worker to an answer by the prospective adoptive parents should be neutral and non-judgmental. The social worker should attempt to establish eye contact as much as possible between reading the question and jotting down the response of the prospective adoptive parents to demonstrate empathy. The social worker should try to avoid interrupting the prospective adoptive parents unless they do not understand a response.

(The information/facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies /authorities.)

#### 1. Factual Assessment:

(i) Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I of the template?

Yes/No

(ii) Are you satisfied about the facts mentioned in the documents vis-à-vis observation during interviews and visits?

Yes/No

#### 2. Psycho-social Assessment:

- 2.1 Interaction with the prospective adoptive parents
  - (i) Have you interacted with the prospective adoptive parents individually and/or jointly?
  - (ii) Are the prospective adoptive parent(s) well prepared for adoption? In case of single prospective adoptive parent, please mention about family support system.
  - (iii) Do you think that prospective adoptive parents have expressed their genuine feeling for parenting?
- 2.2 Home visit findings:
  - (i) When did you visit the home of the prospective adoptive parents? Who were the members present during your visit?
  - (ii) Whom did you interact during the home visit?
  - (iii) Have you met any neighbour/relative? Give a detailed description about the interaction?
  - (iv) Whether the home environment is conducive for the child? If no, what steps can be taken to improve the situation? Have you advised the prospective adoptive parents?
  - (v) Are the prospective adoptive parent(s) well prepared for adoption?
  - (vi) Do you think that prospective adoptive parent(s) have expressed their genuineness during the interaction?
  - (vii) Did the prospective adoptive parent(s) have any doubt about parenting issues or any other issues? Have you cleared their doubts?
- 2.3 Interaction with the family members:
  - (i) Have you interacted with other family members of the prospective adoptive parents? What is their opinion about the proposed adoption? Are they positive about the adoption?
  - (ii) Are there any other family member(s) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed adoption? If so, how did you do their assessment? Did you take their views subsequently?
  - (iii) Have you interacted with older child(ren) present in the home of the prospective adoptive parents? If yes, please give details.
  - (iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members? If so, how far those remarks may have an impact on the adoption process?
- 2.4 Financial capacity:
  - (i) What is your opinion about the financial status of the prospective adoptive parent(s)? Are they financially sound to welcome another member into their family?
  - (ii) Have you observed any financial situation which is not disclosed in Part-I?

- 2.5 Physical and emotional capacity:
  - (i) Are the prospective adoptive parents(s) in a good physical and emotional state to take care of a child?
  - (ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective adoptive parent(s) or any other family member that is going to affect the life of the upcoming child? If so, give details.
  - (iii) Provide details of number of rooms in the house and if there is adequate space for the child to be supported.
  - (iv) Are the prospective adoptive parent(s) emotionally equipped enough to take care of a child?

#### 3. Recommendation for adoption.

Address:

- 3.1 Do you recommend the prospective adoptive parent(s) for adoption? Put your views and rationale for recommending the prospective adoptive parents for adoption including the parent(s) suitability. (Attach additional sheets, if required)
- 3.2 In case you do not recommend the prospective adoptive parents for adoption, appropriate reasons for taking such decision must be given in detail.

Signature, name, designation of Social Worker

#### SCHEDULE VIII

[See regulations 11(1) and 16(2)]

## PRE-ADOPTION FOSTER CARE UNDERTAKING (IN THE FORM OF AN AFFIDAVIT)

		(III THE FORM OF MINITIN		
We,	Mr, aged	years, citizen of	and Mrs.	aged
	years, citizen of	, permanently	esiding at	
	present (new full name) @	address being	proposed A	dopters of child
	(new full name) @ (nan	(Old name) be	orn on presently	in the care of
	(nan bllows:	le and address of the specialised	Adoption Agency), do solemin	y nereby deciare
(1)		ationed child in pre-adoption foste	r agra panding the adoption or	dar by the Court
(1)	concerned.	tioned clind in pre-adoption roste	care, pending the adoption of	der by the Court
(2)		final adoption order from the Cou		
	and we shall only remain the	ianship of foster parents of the child.	(name of Specialised A	doption Agency)
(2)	•	be given all necessary education,	modical care attention nutriti	on and treatment
(3)	required.	be given an necessary education,	medical care, attention, nutriti	on and treatment
(4)	In case of any untoward inciding immediately.	dent with the child, we will repor	t the same to the Specialised A	Adoption Agency
(5)	The institution will be kept in issued.	formed about the development of t	he child once a month till the fi	nal court order is
(6)	We shall attend to the legal fo	ormalities and court hearing when c	alled upon to do to.	
(7)	We undertake to bring-up the	•	•	
(8)	We shall allow the authoris Protection Unit/State Adoption	ed social worker/functionary of to on Resource Agency to visit our h ll-being of the child/children in our	ome for undertaking post-adop	
(9)		m any change of place of our residency, District Child Protection Toost adoption follow-up.		
Mr.		Mrs		
Pros	spective Adoptive Father	Prospective Adopti	ve Mother	
Date	: :	•		
	ness:			
	Name:	Name:		
	Signature:	Signature:		

Address:

#### **SCHEDULE IX**

#### [See regulations 12(1), 15(14) and 55(1)]

#### LIST OF (ATTESTED/NOTARISED) DOCUMENTS

#### TO BE FILED ALONG WITH THE ADOPTION PETITION IN THE COURT

#### 1. In-country Adoption

To be obtained from the Prospective adoptive parents(PAPs) by the Specialised Adoption Agency

- (1) Current family photograph/ photograph of the couple or person adopting a child
- (2) PAN Card of the prospective adoptive parents
- (3) Birth certificate/Proof of date of birth of the prospective adoptive parents
- (4) Proof of residence (aadhar card/ voter card/ passport/current electricity bill/telephone bill)
- (5) Proof of income of last year (salary slip/income certificate issued by Govt. department/income tax return)
- (6) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal disease and they are fit to adopt (In case of married couple, upload Medical Certificate of both the applicants)
- (7) Marriage certificate
- (8) Divorce Decree/Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory/Death certificate of spouse in case of single prospective adoptive parent (if applicable).
- (9) Two reference letters from acquaintances or relatives in support of adoption.
- (10) Consent of the older child/children in the adoptive family (if more than 5 years)
  - To be arranged by the Specialised Adoption Agency
- (11) Child Study Report signed by the prospective adoptive parents along with recent photograph of the child.
- (12) Medical Examination Report of the child signed by the prospective adoptive parents.
- (13) Certificate of Child Welfare Committee declaring the child 'legally free for adoption'.
- (14) Home Study Report of the prospective adoptive parents along with their recent family photograph.
- (15) Recognition certificate of the agency as Specialised Adoption Agency.
- (16) Consent of the older child/children to be adopted.
- (17) Decision of the Adoption Committee (only in case of In-country adoption).
- (18) Affidavit by the Chief Functionary of the Specialised Adoption Agency to Court in support of adoption of child.
- (19) Pre-adoption foster care affidavit.

## 2. Adoption by NRI/Overseas Citizen of India/Foreign prospective adoptive parents residing in a foreign country

To be provided by the Authorised Foreign Adoption Agency(AFAA) or Central Authority(CA) or Government department or Indian Mission abroad to the Specialised Adoption Agency

- (1) Photograph of the applicant(s)
- (2) Home Study Report
- (3) Passport (Male prospective adoptive parent)
- (4) Passport (Female prospective adoptive parent)
- (5) Overseas Citizen of India card of the prospective adoptive parents (if applicable)
- (6) Birth certificate/Proof of date of birth of the prospective adoptive parents
- (7) Proof of Residence
- (8) Proof of income of last year (e.g. salary slip/income certificate issued by Government department /Income tax return)
- (9) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal decease and they are fit to adopt.
- (10) Police Clearance Certificate (Male prospective adoptive parent)
- (11) Police Clearance Certificate (Female prospective adoptive parent)

- (12) Marriage Certificate (in case of couple)
- (13) Two reference letters from acquaintances or relatives in support of adoption.
- (14) Divorce Decree/Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory/Death certificate of spouse in case of single prospective adoptive parent (if applicable).
- (15) Consent of the older child/children in the adoptive family (if more than 5 years)
- (16) Authorisation Certificate of Authorised Foreign Adoption Agency (not required in case of Central Authority or Government department or Indian Mission)
- (17) Undertaking from the Authorised Foreign Adoption Agency concerned for furnishing post adoption follow-up report and for necessary action in case of disruption (not required in case of CA or Government department or Indian Mission)
- (18) Permission of the receiving country as per Article 5/17 of the Hague Adoption Convention.
- (19) Undertaking for permitting home visit to the social worker during post-adoption follow-up.
- (20) Power of Attorney from the prospective adoptive parents in favour of the authorized functionary of the Specialised Adoption Agency to file the adoption application on their behalf in the court.
  - To be arranged by the Specialised Adoption Agency
- (21) Child Study Report signed by the prospective adoptive parents along with recent photograph of the child.
- (22) Medical Examination Report of the child signed by the prospective adoptive parents.
- (23) Certificate of Child Welfare Committee declaring the child 'legally free for adoption'.
- (24) Recognition certificate of the agency as Specialised Adoption Agency
- (25) Consent of the older child/children to be adopted
- (26) Affidavit by the Chief Functionary of the Specialised Adoption Agency to Court in support of adoption of child.
- (27) Pre-adoption foster care affidavit (wherever required)
- (28) NOC issued by CARA in favour of adoption of a child by a Non-Resident Indian/Overseas Citizen of India/Foreign prospective adoptive parents. In case of Overseas Citizen of India/Foreign prospective adoptive parents living in India, a copy of **No Objection Certificate** from their Embassy/ High Commission for the proposed adoption.

#### 3. Inter-country Relative Adoption

As indicated in **Schedule VI** of the Adoption Regulations, the prospective adoptive parents shall file the adoption application in the court concerned of the district through their power of attorney, where the child resides with biological parents or guardians.

#### 4. In-country Relative Adoption

As indicated in **Schedule VI** of the Adoption Regulations, the prospective adoptive parents shall file the adoption application in the court concerned of the district where the child resides with biological parents or guardians.

**NOTE:** Only the above mentioned list of certificates/documents as applicable are required to be filed. Infertility certificate is NOT required in any case of adoption.

#### SCHEDULE X

[See regulation 16(1)]

#### CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

(A Statutory Body of Ministry of Women and Child Development)

**Certificate Number:** 

Date:

#### NO OBJECTION CERTIFICATE

Photograph of the child and the prospective adoptive parents

Certified that the Central Adoption Resource Authority (CARA), the Central Authority of India on adoption matters, under the Ministry of Women and Child Development, Government of India, has 'NO OBJECTION' to the adoption of the child/children with the prospective adoptive parents as per the details mentioned below:

Ser No	Name of the Child	Sex of Child	Date of Birth	Name and Address of the Prospective Adoptive Parent(s)
(i)				

- 2. This NOC is issued as per Adoption Regulations, 2017 and Article 17 (c) of the Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country Adoption, 1993.
- 3. The Specialised Adoption Agency and the Foreign Adoption Agency/Central Authority/concerned Foreign Government department/Indian Diplomatic Mission have been authorized to process this adoption case.
- 4. The Specialised Adoption Agency shall file the adoption application in the competent court.

Signature and Seal of

**Authorized Signatory** 

To:

- (1) Name and address of the Specialised Adoption Agency.
- (2) Name and address of the State Adoption Resource Agency / concerned State Government department.
- (3) Name and address of Authorized Foreign Adoption Agency (AFAA)/concerned Foreign Government department/Indian Diplomatic Mission.
- (4) Diplomatic Mission of the Receiving Country in India.
- (5) Central Authority of the Receiving Country.
- (6) Foreigners' Regional Registration Officer (FRRO).

#### **SCHEDULE XI**

[See regulation 18(1)]

#### CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

**Certificate Number:** 

Date:

Photograph of the child and the prospective adoptive parents

#### **CONFORMITY CERTIFICATE**

(Under Article 23 of the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of inter-country Adoption, 1993)

1.	The undersigned authority:			
	(Name and address of the competent authority of the State of adoption)			
2.	Hereby certifies that the child:			
	Family name:			
	First name(s):			
	Sex: Male [] Female []			
	Date of birth: day month year			
	Place of birth:			
	Habitual residence:			

3.	Was adopted according to the decision of the following authority:						
		Date of the decision:					
		at which the decision became final:					
		e adoption was made otherwise than by a decision of an authority, please specify the	e equivalent details)				
4.	By the	e following person(s):					
	(a)	Family name of the adoptive father:					
		First name(s):					
		Date of birth: day month year					
		Place of birth:					
		Habitual residence at the time of the adoption:					
	(b)	Family name of the adoptive mother:					
		First name(s):					
		Date of birth: day month year					
		Place of birth:					
		Habitual residence at the time of the adoption:					
5.		ndersigned authority certifies that the adoption was made in accordance with the C ments under Article 17, sub-paragraph $c$ , were given by:	Convention and that the				
	(a)	Name and address of the Central Authority of the State of origin:					
		Date of the agreement:					
	(b)	Name and address of the Central Authority of the receiving State:					
		Date of the agreement:					
6.	The a	doption had the effect of terminating the pre-existing legal parent-child relationship.					
Done a	t	, on					
			Signature and Seal of				
			Authorized Signatory				
Го:							
(1)	Name	and address of the Specialised Adoption Agency.					
(2)	Name	and address of the State Adoption Resource Agency/State Government concerned of	lepartment.				
(3)		and address of Authorized Foreign Adoption Agency (AFAA)/concerned ment/Indian Diplomatic Mission.	ed Foreign Governmen				
(4)	Diplomatic Mission of the Receiving Country in India.						

(5)

(6)

Central Authority of the Receiving Country.

Foreigners' Regional Registration Officer (FRRO).

#### SCHEDULE XII

#### [See regulations 13(1), 19(1) and 20(5)]

#### POST- PLACEMENT REPORT OF THE CHILD

REPORT NO: DATE:

Photograph of the child with family

- 1. IDENTIFYING INFORMATION:
  - (a) Child's Name(initial and given. if any):
  - (b) Surname/family name:
  - (c) Child's date of birth:
- 2. CONTACT DETAILS OF THE ADOPTIVE PARENTS:
- 3. CHILD'S ADJUSTMENT:
  - (a) Current height and weight
  - (b) Results of physical examinations or doctor visits
  - (c) Eating and sleeping habits
  - (d) Emotional, physical and social development
  - (e) Attachment to family members
  - (f) Child's enrolment in school (if applicable)
  - (g) Language(s) spoken (if applicable)
- 4. ADJUSTMENT BETWEEN ADOPTIVE FAMILY AND THE CHILD:
- 5. SIGNIFICANT CHANGES IN FAMILY STRUCTURE OR DYNAMICS, IF ANY:

(Change of residence, employment, work responsibilities, illness, etc.)

6. OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS OF SOCIAL WORKER

(Signature)

Social Worker's Name:

**Agency Name and Date** 

**Note:** Online updating of post-placement report is mandatory

#### SCHEDULE XIII

[See regulations 24(1)(f) and 26(4)(h)]

#### STANDARDS OF CHILD CARE IN SPECIALISED ADOPTION AGENCIES

- 1. The agencies are required to ensure that the following facilities are provided to the children in the institution:
- (a) Physical facilities:
  - (i) Physical surroundings in which the children are cared for must be clean. Sanitation and hygiene maintained at the agency must be adequate since a majority of children at the institution are small and suffer from numerous ailments. Children below the age of 1 year should be in a room with an attached bathing room and milk room. Children between the age of 1 3 years should be kept in a room with an attached bathing and bathroom. The older children need to be separated into two boy's room and girls room. Each room must have attached baths, and toilets.
  - (ii) There should be a separate washing area and a large kitchen and dining hall for the older children. Good lighting, ventilation and adequate space must be mandatory.
  - (iii) The home should be neat, clean, particularly bathrooms, toilets and kitchen. Walls and surroundings must be bright and stimulating. For visual stimulation the rooms should be well painted and decorated with toys, animal cut outs, etc

- (b) Medical facilities: Regular medical inspection must be done. Preferably every alternate day by a registered medical practitioner. The child specialist is best trained to diagnose and treat children who are at risk and highly vulnerable.
  - (i) Infants and children on admission to institutions should be in quarantine and observation for a week at least.
  - (ii) Weight, height and head circumference may be noted along with any other details available on the child at admission.
  - (iii) A medical record should be maintained and a doctor must assess the child as soon as possible, preferably within 24 hours of his or her admission.
  - (iv) Each child below the age of six months should be photographed every month, from six months to 3 years every three months and thereafter, every six months.
  - (v) Immunization should be regularly given and monitored.
  - (vi) Emergency kits should be available at all times in the Home and there should be a doctor on call.
  - (vii) General health measures viz hygiene, dental, skin care and diet to be supervised.
  - (viii) Stimulation is very important for the proper development of the child. This could be achieved by increasing awareness amongst the nurses, helpers by introducing simple stimulation techniques in the daily routine. It is also advised to have a physiotherapist visit the children on a regular basis.

#### (c) **Staff**:

- (i) The agency must have adequate staff for child care, preferably in the ratio of 4:1 for children below 1 year, 5:1 for children in the age group 1 to 3 years and 8:1 for older children.
- (ii) Adoption Homes need personnel who are sensitized to the issues of the children. They need to be "educated" in caring for the children. It is recommended to conduct workshops for nurses, helpers, care takers and other staff to enable them to recognize the special status of these children who are under their care.
- (iii) As committed staff is an integral part of good child care, the motivational levels of the staff should be kept high.
- (iv) Staff to be immunized as well.
- (d) **Clothing**: It is important that the children in a home are dressed in clean, comfortable and well-kept clothes at all times, not just during the visit of the adoptive parents.
- (e) Food: The food in the institution should be hygienically cooked, nourishing and tasty. The menu should be varied. The need of children on a special diet should be attended to. This will help overcome the problems of malnutrition faced by children entering a home. Feeding charts with indication of the formulas may be displayed and followed.
- (f) **Education**: The Specialised Adoption Agency should be able to provide informal education through a qualified teacher, and a special educator, or tie up with a school that will take the child or children on a temporary basis.

**Note**: All adoption agencies shall adhere to the standards of child care prescribed under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016.

- 2. While providing child care, the following issues are important:
- (a) A child's neurological growth is complete within the first few years of his or her early childhood and determines the brain's capabilities throughout the rest of his or her life. Moreover, a child needs to have experienced positive attachment by the age of 3 in order to develop cognitively, physically, socially, and psychologically. Hence, every effort shall be made by the Specialised Adoption Agency to expeditiously find alternate family for such children so that they develop attachment and proper bonding experiences during infancy itself.
- (b) It is very essential to talk, hug, hold, play, tell stories and sing to the child to give it a sense of security. Though this should be done regularly by the staff, it is also advisable to encourage volunteers to take up this activity.
- (c) Quality child care (early childhood care) means providing adequate health care, immunization, feeding and nutrition, creating a safe environment so that infants and young children can play and socialize with their peers, promoting school readiness and preparing children for primary school and focusing on total development during early years of childhood.
- (d) It should be ensured that there is no instance of child abuse and neglect while the child is in the institution.

#### SCHEDULE XIV

#### [See regulation 43]

#### TIMELINE FOR AUTHORITIES CONCERNED AND AGENCIES

#### A. Timeline for the processes relating to children:

Ser No	Regulation	Action	Time
1.	6(2)	Specialised Adoption Agency to produce an abandoned child before the Child Welfare Committee along with a report containing his photograph and particulars.	Within 24 hours (excluding journey period).
2.	6(5) and 7(10)	Specialised Adoption Agency to enter the details of the child along with his photograph online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.	Within three working days from the time of receiving the child.
3.	6(6)	District Child Protection Unit to advertise the particulars and photograph of an abandoned child in a state level newspaper having wide circulation and local cable networks, wherever existing.	Within three working days from the time of receiving the child.
4.	6(9)	District Child Protection Unit to submit a report to the Child Welfare Committee on the efforts made by it for tracing out the biological parents/legal guardian of an abandoned child, including the outcome of the particulars and photograph of the child in the newspapers.	Within 30 days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee for the same.
5.	6(10)	Specialised Adoption Agency to submit a report to the Child Welfare Committee regarding the efforts made by it to trace the biological parent(s) or legal guardian of the abandoned child.	Immediately after 30 days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee.
6.	7(17)	The reconsideration period/reclaiming of the surrendered child by the biological parent/legal guardian.	60 days of the date of surrender.
7.	7(18)	Specialised Adoption Agency to upload the Child Study Report and Medical Examination Report along with latest photograph of the child.	Within ten days from the date of declaration of the child as legally free for adoption by Child Welfare Committee.
8.	8(a)	A normal child up to 05 years of age to be available for adoption by a Resident Indian (RI) and NRI prospective adoptive parents.	For 60 days from the date the child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee.
9.	8(b)	An older child above 5 years of age and siblings to be available for inter-country adoption.	After 30 days from the date the child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee.
10.	8(c)	A mentally and physically challenged child to be available for inter-country adoption.	After 15 days from the date the child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee.

#### B. Timeline for Adoption by Resident Indians as well as Overseas Citizens of India/Foreigner living in India:

Ser No	Regulation	Action	Time
1.	9(5)	The prospective adoptive parents should upload documents after their registration.	Within a stipulated period of thirty days.
2.	9(10)	Home Study Report of the prospective adoptive parents to be completed by the social worker.	Within 30 days from the date of submission of required documents in Child Adoption Resource Information and Guidance System.
3.	10(3)	Prospective adoptive parents to reserve one child	Within 48 hours from the date and time of referral.
4.	10(6) and 10(7)	Process of matching of the reserved child by the Specialised Adoption Agency and acceptance by prospective adoptive parents	Within 20 days from the date of reserving the child.
5.	12(1)	Specialised Adoption Agency to file application in the Court for obtaining adoption order from the Court	Within ten working days from the date of matching of the child by the prospective adoptive parents.
6.	12(6)	Disposal of the adoption petition by the Court	Within two months from the date of filing of the petition.
7.	12(8)	Specialised Adoption Agency to obtain a certified copy of the adoption order from the Court, to forward the same to the prospective adoptive parents and also to post the same in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.	Within ten days from the date of adoption order.
8.	12(10)	Specialised Adoption Agency shall apply for the birth certificate and obtain the birth certificate of the child from the issuing authority.	Specialised Adoption Agency shall apply within 3 days from the date of issuance of the adoption order and it shall be issued by the authority within five days.

## C. Timeline for Adoption from India by Non-Resident Indian/Overseas Citizen of India/Foreign prospective adoptive parents:

Ser No	Regulation	Action	Time
1.	15(7)	Reservation of one child by the prospective adoptive parents from Child Adoption Resource Information and Guidance System through the Authorised Foreign Adoption Agency/Central Authority /Government department/Indian Mission	Within 96 hours
2.	15(10)	Acceptance of the child by the prospective adoptive parents	Within 30 days
3.	16(1)	No Objection Certificate by CARA	Within ten days from the date of receipt of requisite documents including acceptance of the child by the prospective adoptive parents and approval of the Central Authority (CA).

Ser No	Regulation	Action	Time
4.	12(1) & 17(1)	Specialised Adoption Agency to file adoption petition in the Court	Within ten days from the date of receipt of No Objection Certificate from Central Adoption Resource Authority
5.	12(6)	Disposal of the adoption petition by the Court	Within two months from the date of filing of the petition.
6.	12(8)	Specialised Adoption Agency to obtain a certified copy of the adoption order from the Court, to forward the same to the prospective adoptive parents and also to post the same in the Child Adoption Resource Information and Guidance System.	Within ten days from the date of adoption order.
7.	18(1)	CARA shall issue conformity certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention.	Within three working days from the date of availability of adoption order.
8.	18(3)	Specialised Adoption Agency to submit application to the Regional Passport Officer (RPO) for the passport to the child.	Within three working days from the date of availability of adoption order.
9.	18(4)	Regional Passport Officer to issue the passport to the child	Within ten days from the date of receipt of application for the same.
10.	18(5)	The Specialised Adoption Agency shall approach the birth certificate issuing authority for birth certificate of the adopted child	Within a period of three days of obtaining of the certified copy of the adoption order.

#### SCHEDULE XV

[See regulation 47]

## FORMAT FOR QUARTERLY REPORTING OF ADOPTION DATA ${\bf BY\ SPECIALISED\ ADOPTION\ AGENCY\ (SAA)}$

FINANCIAL YEAR:

Address	:
Landline	:
Mobile	:
Fax	:
Email	:

Name of the Specialised Adoption Agency:

Part I	No of children placed in In-country Adoption(pre-adoption foster care)*			In-country Adoptions finalised by the Court #			
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	
1st Quarter (April– June)							
2nd Quarter (July – Sept)							
3rd Quarter (Oct – Dec)							
4th Quarter (Jan – March)							
Total							

Part II	Pre-Adoption Fo	ester Care in case	Inter-country Adoptions finalised by the Court #			
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1st Quarter						
(April– June)						
2nd Quarter						
(July – Sept)						
3rd Quarter						
(Oct – Dec)						
4th Quarter						
(Jan – March)						
Total						

<sup>\*</sup>Pre-adoption foster care means, a child who has left the institution with his/her adoptive family during the particular period pending finalisation of adoption court order from the competent court.

#### SCHEDULE XVI

[See regulation 34 (12)]

## MONTHLY REPORT OF THE CHILD WELFARE COMMITTEE (CWC) TO THE STATE ADOPTION RESOURCE AGENCY AND CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

Name of the District:		, State	
Reporting Month	, Year	Date of Report:	

PART-A: Information about children declared legally free for adoption and number of cases pending for decision.

Child Category	No.	of	No of	new	Total nu	mber	Break-up of	pendency be	fore CWC		
	pend from prev mon	ling 1 rious	cases produc during curren month	the t	of childr declared legally fr adoption during the month	ree for	Children below 2 yrs of age		Children above 2 yrs of age		
	M	F	M	F	M	F	Pending for > 2 months	Pending for > 4 months	Pending for > 4 months	Pending for > 6 Months	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Orphan											
Aband-oned											
Surre-ndered											
Any other (specify)											
Total										_	

<sup>#</sup> Adoptions completed means, adoption court order finalised during the particular period.

PART-R.	List of chi	ldren declared	l legally fr	ree for ador	ntian during	the month of	
I AKI-D.	List of Cili	iui cii ucciai cc	i icgany n	iccioi auoj	յուսու սաւ ույչ	the month of	

Ser No	of the of	oate Gender f Firth	produc before CWC		Specialis Adoption (SAA) w	n Agency	Category abandoned/s	(orphan/ urrendered)	from CCI/SA for declarin	WC A g hild free	Date on which declared legally free for adoption	Reasons for pending, if not cleared	
-----------	-----------	---------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---	---	--

[Note: The above information shall be entered online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) by the respective SAA/DCPU and the DCPU concerned shall validate the same in the CARINGS on real time basis, through physical verification wherever required for further transmission to Child Welfare Committee). The DCPU shall be responsible for the data integrity].

#### SCHEDULE XVII

[See regulation 34(12)]

#### FORMAT FOR REPORTING OF ADOPTION CASES

	Part-I: Information regarding Adoption Cases in Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) during the Month, Year										
Name of the Court		, District	, Sta	ate							
Ser No	•	under section 58 of Juvenile	adoptions under	No. of inter-country relative adoptions under section60 of Juvenile Justice Act, 2015							
	1	2	3	4							

#### Part-II: Details of Adoption cases:

Ser No	Type of Adoptions done	Name of the child with gender and date of birth	Adoptive Parents with Child Adoption Resource Information and Guidance System Registration No.	Specialised Adoption Agency /Child Care Institution concerned and their address (wherever applicable)	Court concerned	Adoption petition Number	Date of filing of adoption petition	Date of adoption order
1	In-country adoptions under Section 56(2) of Juvenile Justice Act, 2015 (2 of 2016)							
	Total							

2.	In-country adoptions under				
	Section 58 of Juvenile Justice				
	Act, 2015 (2 of 2016)				
	(2 01 2016)				
	Total				
3.	Inter-country adoptions under				
	Section 59 of Juvenile Justice Act, 2015 (2 of 2016)				
	Total				
4.	Inter-country relative				
	(family) Adoptions under				
	Section 60 of				
	Juvenile Justice Act, 2015 (2 of				
	2016)				
	Total				
	Grand Total				
	(1+2+3+4)				

**Note:** Information at column 2 and 3 shall be posted by the Specialised Adoption Agency concerned and information related to paragraph 1 and 4 shall be posted by the adoptive parents online in the Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS).

#### **SCHEDULE XVIII**

[See regulations 2 (21) and 48(3) ]

## CLASSIFICATION OF SPECIAL NEEDS CHILDREN FOR THE PURPOSE OF ADOPTION

#### A. Physical

- 1. Refractory or Severe Rickets (Bones)
- 2. Albinism (Genetic)
- 3. Birth Asphyxia
- 4. Blind or Partially Blind
- 5. Blood disorders (e.g., severe anaemia requiring blood transfusion)
- 6. Brain Lesions resulting in physical/ neurological or cognitive impairment (certified by paediatrician)
- 7. Burns (Skin)
- 8. Cancer
- 9. Cerebral Palsy
- 10. Chromosomal Abnormality (Genetic)
- 11. Chronic Asthma

- 12. Chronic Eczema
- 13. Cleft Lip-Cleft Palate or Cleft Lip
- 14. Club Feet
- 15. Colon Block
- 16. Colostomy
- 17. Deaf or Partially Deaf
- 18. Diabetes
- 19. Dislocated Hips
- 20. Dwarfism (Genetic)
- 21. Ectodermal dysplasia (no sweat glands)
- 22. Elephantitis
- 23. Fetal Alcohol Syndrome
- 24. Fingers/ toes joined (syndactyly)
- 25. Fingers-toes missing
- 26. Growth Hormone Deficiency
- 27. Haemophilia
- 28. Hare lip
- 29. Heart conditions of a severe nature
- 30. Hepatitis B+
- 31. Hernia
- 32. HIV
- 33. Hydrocephalus
- 34. Hypertonia
- 35. Ichthyosis (Collodion baby) (Skin)
- 36. Indeterminate sex (Genetic)
- 37. Leprosy Active
- 38. Limbs Missing
- 39. Low Birth Weight (under 1800 gms)
- 40. Microcephaly (Neurological)
- 41. No Anal Tract
- 42. Absence of one kidney– Physical
- 43. Urinary Tract Anomalies– Physical
- 44. One Testicle Missing
- 45. Chronic otitis media
- 46. Organs Missing
- 47. Person with disability
- 48. Pierre Robin Syndrome
- 49. Polio Physical
- 50. Premature Birth (less than 34 weeks)
- 51. Retinal Detachment
- 52. Severe disfiguring birth marks
- 53. Severe Orthopaedic conditions
- 54. Speech dysfunction-dysphasia
- 55. Squint (Severe)
- 56. Stammering (only severe cases)

- 57. Stuttering (only severe cases)
- 58. Beta thalassemia, Thalassemia Major
- 59. Tumour

#### B. Mental

- 1. Autism certified by a paediatric neurologist or child psychologist
- 2. Child requiring psychiatric treatment
- 3. Speech impaired
- 4. Intellectual disability (certified by a paediatric neurologist or child psychologist)
- 5. Severe learning disability (certified by a paediatric neurologist or child psychologist)
- Mental illness.

#### C. Neurological

- 1. Multiple Sclerosis
- 2. Paralysis
- 3. Spinal bifida
- 4. Epilepsy/ Seizures/Convulsions (not excluding febrile convulsions)
- 5. Any other neurological disorders as certified by paediatrician.
- **D. Any other.** Any other child with disabilities as defined in The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

**Note:** The categories of ailments listed in this Schedule (compiled with the help of panel of doctors, All India Institute of Medical Sciences) are illustrative and not exhaustive.

#### Schedule XIX

#### [See regulations 51(2) and 55(1)]

#### CONSENT FOR THE PURPOSE OF RELATIVE ADOPTION

**A.** I/We the undersigned have read the following statements carefully and I/we have information about the effects of my/our consent and I/we am/are making the statement without coercion or threat and without receiving any payment or compensation of any kind.

Biological Mother
Family name:
First name:
Date of birth: daymonthyear
Permanent
Address:
I I

#### I/We

- (i) hereby terminate the natural relationship with the child.
- (ii) understand that the adoption of this child will create a permanent and legal parent-child relationship with the adoptive parent(s).
- (iii) certify that the child has given his/her consent for the said adoption and willing to accept our relative as adoptive parents (wherever applicable).
- (iv) certify that our consent has not been induced by payment or compensation of any kind.
- (v) agree to place our child/children in adoption with our relative falling under the definition of section 2 (52) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016).

Fami	ly name (	of the	child:		
------	-----------	--------	--------	--	--

Dinot a	20002(2):				
	name(s):	•••••			
	nale [] female []				
Date of birth: daymonthyear					
	of birth:				
	SS:				
	eclare that I/we have fully und	lerstood the above sta	ements.		
Signed	at on				
	(Signatur	e or Thumb Impres	sion of the biological parent(s))		
	ological Father		logical Mother		
		_	hed in case he/she is not alive.		
В.	Consent of the child, if he	has completed five y	ears of age		
			Biological Parent(s)		
C.	Prospective Adoptive Pare	ent(s) Adopting the C	hild/Children		
Adon	tive Father		Adoptive Mother		
	name:		Family name:		
•	ame(s):		First name(s):		
	` '		• •	••••	
	f birth: daymonthyear		Date of birth: daymonthyear		
Permai			Permanent		
Addres	SS:	••	Address:		
		a a 191	D. 1		
Pre-ac	loption relationship wi	th the child:	Pre-adoption relationship with	the child:	
I/Wo t	he undersigned:				
(i)	*	at the child/children m	entioned at part A above, out of my/our free	wi11	
(ii)	understand that the adoption		•		
(11)			ies associated with such relationship.	parent-child	
(iii)	declare that I/we have fully	-	_		
` ′	gned at on				
DI,		Thumh Impression	of the prospective adoptive parent(s))		
	(Dignature of	munio impression	of the prospective adoptive parent(s))		
	Adoptive Father		Adoptive Mother		
Photog	raph of biological parents	Photograph of chil	l Photograph of prospecti	ve adoptive	
	2-nF		parents		
D.	Declaration by Witnesses		-		
υ.	I/We the undersigned have v	vitnessed the above			
(a)	Signature, Name and Address		with ID proof		
(a)			with 1D proof		
	•••••				
(b)	Cianatura Nama and Addra		occ with ID proof		
(b)	Signature, Name and Addre		288 WITH TO PLOOF		
C: 1					
Signed	at on	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and a first manufacture of the state of the		

(Photographs of the child/children to be adopted, the biological parents/guardians and the witnesses are required to be pasted and attested in front.)

#### Schedule XX

[See regulation 52(2) and 55(2)]

# CONSENT OF BIOLOGICAL PARENT(S) ALONG WITH STEP-PARENT TO OBTAIN THE PERMISSION OF CHILD WELFARE COMMITTEE FOR ADOPTION OF CHILD/CHILDREN BY BIOLOGICAL PARENT AND THE STEP-PARENT

#### A. I/We the undersigned:

Biological Father		Biological Mother		
Famil	y name:	Family name:		
First n	name:	First name:		
Date of	of birth: daymonthyear	Date of birth: daymonthyear		
Perma	nent	Permanent		
Addre	ss:	Address:		
(i)	hereby relinquish/surrender my/our natural right/cl (name, gender, date of birth).	aim with my/our child/children		
(ii)	understand that the adoption of this child will creastep-parent & the biological parent adopting the ch	te a permanent and legal parent-child relationship with the ild.		
(iii)		er/their consent for the said adoption and is/are willing to as father/mother (strike out which is not applicable).		
(iv)	certify that my/our consent above is given our compensation of any kind.	t of free will and has not been induced by payment or		
(v)	declare that I/we have fully understood the above s	statements.		
Signed	at on			
	(Signature or Thumb Impress	ion of the biological parent(s))		
	D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	D. 1 . 114 .		
<b>D</b>	Biological Father	Biological Mother		
В.	Consent of the child /children at A (i), if comple	ted five years of age before Child Welfare Committee.		
	Consent of the child /children at A (i), if comple  Countersigned by E	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
В. С.	Consent of the child /children at A (i), if comple  Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
	Consent of the child /children at A (i), if comple  Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting to Family name:	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
	Consent of the child /children at A (i), if comple  Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting to Family name:  First name(s):	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting to Family name:	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear  Permanent  Address:	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)		
C.	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting to Family name:	ted five years of age before Child Welfare Committee. Biological Parent(s) he Child/Children.		
C. (i)	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear  Permanent  Address:  We, the undersigned: give our consent to adopt the child/children mention	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  and at A (i) above, out of our free will.		
(i) (ii)	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear  Permanent  Address:  We, the undersigned: give our consent to adopt the child/children mention understand that the adoption of the child/children with all the rights and duties associated with such in the counters of the child/children with all the rights and duties associated with such in the counters of the child/children with all the rights and duties associated with such in the counters of the child/children with all the rights and duties associated with such in the counters of the child/children with all the rights and duties associated with such in the counters of the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the child/children with all the rights and duties associated with such in the children with all the rights and duties associated with all the children with all the	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  The child/Children are the child welfare committee.  The child/Children are the child welfare committee.  The child/Children are the child welfare committee.		
(i) (ii) (iii)	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  The child/Children are the child welfare committee.  The child/Children are the child welfare committee.  The child/Children are the child relationship the child relationship.		
(i) (ii) (iii)	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear  Permanent  Address:  We, the undersigned: give our consent to adopt the child/children mention understand that the adoption of the child/children with all the rights and duties associated with such a declare that we have fully understood the above stat	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  The child/Children are a permanent parent-child relationship relationship.  attements.		
(i) (ii) (iii)	Consent of the child /children at A (i), if completed Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  The Child/Children.  The Child/Children one of the child will above, out of our free will.  The child relationship of the child relationship relationship.  The step-parent & the biological parent)		
(i) (ii) (iii)	Consent of the child /children at A (i), if complete Countersigned by E  Step Parent & the Biological Parent Adopting the Family name:  First name(s):  Date of birth: daymonthyear  Permanent  Address:  We, the undersigned: give our consent to adopt the child/children mention understand that the adoption of the child/children with all the rights and duties associated with such a declare that we have fully understood the above stat	ted five years of age before Child Welfare Committee.  Biological Parent(s)  the Child/Children.  The child/Children are a permanent parent-child relationship relationship.  attements.		

1.8

Present educational status:

D.	Declaration by Witness	es		
	We, the undersigned have	e witnessed the above.		
(a) Signature, Name and Address of the first Witness with ID proof				
(b)	Signature, Name and Add	dress of the second Witness with	ID proof	
U	d at on			
Note:				
(i)		iological parent to be attached in		
(ii)		children to be adopted, the biological to be pasted and attested in the f		at(s), spouse adopting the child/children and
(iii)		g relinquished/surrendered by bo nsent forms shall be filled up.	th the spor	uses from their respective earlier marriage
(iv)	As per regulation 5 (3), stable marital relations.	no child shall be given in adopti	on to a co	uple unless they have at least two years o
	ograph of biological	Photograph of child		Photograph of step parent
Taure	er/mother			
E.	Certification of Child W		s the Ch	ild Welfare Committee
	(name of the District) h		n mentione	ed at A (i) as legally free for adoption by
Signe	d at on			
Seal o	of Child Welfare Committee		Signa	ture of three members of
		Child Welfare Committee		Welfare Committee
		SCHEDULE X	XI	
		[See regulation 5	4(1) <del>]</del>	
FA	MILY BACKGROUND R	EPORT OF THE CHILD AND INTER-COUNTRY RELATI		DLOGICAL PARENTS IN CASES OF PTIONS
DATI	E OF HOME VISIT:			
1.	Personal particulars ab	out the child		
1.1	Full name of the child:			
1.2	Sex: ☐ Male ☐ Fema	le		
1.3	Date of birth (Birth Certi	ficate of the child to be attached):		
1.4	Place of birth:			
1.5	Religion:			
1.6	Language spoken (if appl	icable):		
1.7	Order of birth in the fami	ly:		

child

#### 4. Opinion about the proposed adoption by each member of the family

#### 5. Remarks of District Child Protection Unit:

(The District Child Protection Unit is required to provide counselling to the biological parents about the effects of adoption, give reasons for proposing the child in adoption to a relative. Further, the District Child Protection Unit has to mention if the adoptive parents have already interacted with the child, if yes when, reason/s or motivation/s for adoption. District Child Protection Unit may also describe about home of the biological family, whether the parents of the child/ren are in touch with the prospective adoptive parents, and description of living accommodation and photograph of the child with adoptive family, etc.

#### 6. Whether the envisaged placement is in the best interests of the child:

Signature with Stamp of the officer concerned from District Child Protection Officer Address:

#### Documents to be attached with the Report

- (a) Proof of residence of the biological family/guardian
- (b) Proof of income of the biological family/guardian
- (c) Proof of date of birth of the biological family/guardian
- (d) Medical certificate in case the biological parent(s) have any medical condition
- (e) Proof of date of birth of the child
- (f) Medical Examination Report of the child to be adopted

#### SCHEDULE XXII

[See regulation 51(2)]

PERMISSION BY CHILD WELFARE COMMITTEE TO THE CONSENT GIVEN BY THE GUARDIAN OF THE CHILD FOR ADOPTION BY HIS/HER RELATIVE (WHERE BIOLOGICAL PARENTS ARE NOT ALIVE/NOT ABLE TO GIVE CONSENT)

I. I/We, the undersigned give the following declaration before the Child Welfare Committee (District-----):

Male Guardian	Female Guardian			
Name	Name			
Surname	Surname			
Son of,	Wife/daughter of,			
Date of birth: DayMonth Year	Date of birth: Day Month Year			
Permanent Address	Permanent Address			
Present Address:	Present Address:			
declare that:				
The child (name)				
(i) give consent to the surrender of the child named	to my/our relative for adoption;			
(ii) hereby terminate the legal guardian-ward relation	aship with the said child or children;			
(iii) understand that the said child shall be adopted by	his/her relative residing in India or abroad;			
(iv) understand that the adoption of this child will adoptive parent(s);	understand that the adoption of this child will create a permanent parent-child relationship with the adoptive parent(s);			
(v) shall have no claim over the child;				
(vi) declare that I/we have fully understood the a	declare that I/we have fully understood the above statements carefully;			

(vii)	h	have information about the effects of my/our consent;					
(viii)	am/are making the statement without coercion or threat and without receiving any payment or compensation of any kind.						
Signed	Signed at on						
		[Sign	nature or Thumb Impressi	on of the Guar	rdian(s)]		
II.	Acceptance of child's relative adopting the child.						
Adopt	ive Fath	ier	Ac	doptive Mothe	er		
Family	name:		Fa	mily name:			
1							
Date o	f birth: c	laymonthyear	Da	ate of birth: day	monthyear		
Perma				ermanent			
Addres	ss:		A	.ddress:			
I/We							
(i)	accen	t and understand tha	t the adoption of this child v	vill create a ner	manent parent-child relationship with us.		
(ii)	_		ve not been induced by pays	_			
(iii)			y understood the above state		isution of any kind.		
, ,		on	y understood the above state	ements.			
Signed	ı aı		atura or Thumh Impressio	on of the adopt	ivo norant(c)]		
		[Sign	ature or Thumb Impression	m or the adopt	ive parent(s)]		
	Adop	tive Father		Adopt	tive Mother		
III.	Decla	ration by Witnesse	s				
		he undersigned knowsent or surrender.	w the guardian of the child/	children very w	rell and have witnessed the above statemen		
	(a)	Signature, Name	and Address of the first Wi	tness			
				····			
				····			
	(b)	Signature, Name	and Address of the second	Witness			
Photog	graph of	the guardian	Photograph of child		Photograph of prospective adoptive parents		
137	Conti	fication of Child W	olfono Committoe				
IV.		fication of Child W					
		e (s):					
				analar C	that the manager and the and the A		
					that the person and the witness (es) named ar presence.		
Signed	above appeared before the Committee and signed this document in our presence.  Signed at						

Signature and Seal Child Welfare Committee

#### SCHEDULE XXIII

#### [See regulation 12(11)]

	AVIT BY THE CHIEF CY TO COURT IN SUP					ED ADOPTION
1.	Affidavit ofat	workin	g as		in	located
2.	I do hereby state of sole	nn affirmation as und	er:			
(a)	That details of the child (Name, gender and DOB) have been entered into the online Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS). The unique registration number assigned to the child through Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) is					
(b)	That the Child Welfare	Committee	has declare	ed the child as	s legally fre	e for adoption on
(c)	That the child was refer Child Adoption Resour- prospective adoptive pa- procedure as provided in	ce Information and G	buidance System and the	e child has be	een accepte	d by the present
(d)		Study Report of is found to	of the prospective o be suitable.	adoptive	parents,	prepared by
(e)	That the Adoption Comtaken decision in favour Court	of the proposed adop				
			Or			
	That No Objection Certification Resource Authority (CA					Central Adoption
(f)	That the adoption proce (Care and Protection of	dure followed in this Children)Act 2015 and	case complies Section _ d paragraph	of the	of the	Juvenile Justice Regulations.
(g)	That our organization which is va	to run as a Sp	ecialised Adoption Age			
(h)	That the Specialised Ad by Central Adoption Res			·	(	only as stipulated
(i)	That I commit myself not to receive any donation in any form from the adoptive parents or their relatives of through their sponsoring agency during the adoption process or after completion of the adoption process.					
(j)	That facts stated above at the facts mentioned above					clare that in case
		VE	RIFICATION			
That I _ correct.	, th	ie deponent above, do	hereby verify that the c	ontents of the	above affic	lavit are true and
Verified				Deponent		
Sworn a	and signed before me			-		
On						
In my p	resence					

#### SCHEDULE XXIV

[See regulation 51(4)]

## AFFIDAVIT OF PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENT(S) IN CASES OF IN-COUNTRY RELATIVE ADOPTIONS

#### IN SUPPORT OF THEIR RELATIONSHIP, FINANCIAL AND SOCIAL STATUS $\,$

#### AS PER SUB-REGULATION 4 of REGULATION 51

	lavit of Mr			, resident of						
the	relative family Mr.			s to adopt the child from, residing at						
			and iviis.	, residing at						
1.	That I/we am/are Indian r	ationals residing in	since	years.						
2.		be adopted is myvenile Justice (Care and Pro		e relationship criteria as provided 2015.						
3.		income from all sources is ing standards where we reside		h is adequate to raise the child in						
		VERIFICA	ATION							
		, the deponent above, do	hereby verify that the co	ontents of the above affidavit are						
	and correct. Fied at		Danasa	4						
	ned at n and signed before me on	:	Depone	ent						
SW0L	in and signed before the on	in my presence								
		Schedule	XXV							
		[See regulati	ion 26(3)]							
	FORMAT FO	R INSPECTION OF SPEC	CIALISED ADOPTION	AGENCIES						
1.	Information abo	ut the Institution								
	Name of the Institution:		Address of th	e Institution:						
	Telephone Number:									
	Telephone Number:			E-mail:						
	•									
	•									
	E-mail:									
	E-mail: Name of the State:									
	E-mail: Name of the State: Date of inspection:									
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:	Name	Designation	Office						
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:  Ser. No.	Name	Designation	Office						
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:  Ser. No. (a)	Name	Designation	Office						
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:  Ser. No.	Name	Designation	Office						
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:  Ser. No. (a)	Name	Designation	Office						
	E-mail: Name of the State: Date of inspection: Inspection Team:  Ser. No. (a) (b)	Name	Designation	Office						

Date of previous Inspection:

Done by:

#### 2. Legal Status

Ser. No.	Registration / Recognition Status	
(a)	Registration No under Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or Indian Trusts Act; 1882 (2 of 1882) or Companies Act; 2013(18 of 2013) or Income Tax Act; 1961 (43 of 1961).	No. Date:
(b)	Registration as a Child Care Institution under Section 41 (1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 and its validity.	No. Validity period :
(c)	Recognition as a Specialised Adoption Agency for placing children in adoption under Section 65(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015.	No Validity period:
(d)	Foreign Contribution Regulation Act Registration No. if any and its validity	No. Validity period:

#### 3. Staff

#### 3.1 Staff of the Specialised Adoption Agency if getting grants under ICPS

Sanctioned Position	Name of the Staff	Date of joining	Qualifications and Experience
Manager/Coordinator (1)			
Social Worker cum Early Childhood Educator (1)			
Nurse (1)			
Doctor (Part time)			
Ayas (6)			
Watchman (1)			
Any other staff in the payroll of the Specialised Adoption Agency			
Name of the volunteer if any			

#### 3.2 Staff of the Specialised Adoption Agency if not getting grants under ICPS

Position	Name of the Staff	Date of joining	Qualifications and Experience

#### 4. Committees in place

Committee	Meetings held during last financial year	Observations of the Inspecting Team
Managing Committee/Governing Body		
Adoption Committee		
Home Management Committee		
Any other Committee		

#### 5. Documents and record keeping (Please put $\sqrt{\text{mark wherever required}}$ )

Records/Registers to be maintained by the Specialised Adoption Agency as per Adoption Regulations	Observations
(a) Master admission register	
(b) Attendance register of the children	
(c) Attendance register of the staff	
(d) Vouchers, cashbook, ledger, journal and annual accounts	
(e) Grant utilization register	
(f) Stock register	
(g) Record of minutes of meetings of the Management Committee	
(h) Record of minutes of meetings of the Adoption Committee	
Whether the case files maintained by the Specialised Adoption Agency <b>Schedule VIII</b> of the Adoption Regulations and Observation of the Inst	*

#### 6. CARINGS & Status of Children

## 6.1 Status of children in Child Adoption Resource Information and Guidance System (The Team may match actual status with the online data during the visit)

Name of the adoptable child in Specialised Adoption Agency and linked Child Care Institution	Male/ Female	DOB	Legally free for adoption with date	Adoptions in process	Pendency in Court for more than 2 months

## 6.2 Status of legally free children in Child Adoption Resource Information and Guidance System (The Team may match actual status with the online data during the visit)

No. of Children in Specialised Adoption Agency and the linked Child Care Institution	. 1	Photo uploaded	Child Report uploaded	Study	Medical Examination Report uploaded	Child Welfare Committee Certificate uploaded	Remarks

## 6.3 Pending post-adoption follow-up reports in Child Adoption Resource Information and Guidance System (The Team may match actual status with the online data during the visit)

Children in Specialised Adoption Agency and the linked Child Care Institution	Court uploaded	order	Post-adoption follow-up pending	Observations

#### 6.4 Cases of disruptions if any during last three years

Year	At the stage of pre-adoption foster care before filing a petition	At the stage of pre- adoption foster-care after the petition has been filed in the court	After the adoption order is issued	Observations

#### 6.5 Pending status of Home Study Report beyond one month

Cases where Home Study Report is pending beyond one month from the date of completion of registration	Reasons for the same	Observations of the Inspection Team

7.	Infrastructure

/.1 Bullaing:	7.1	Building:
---------------	-----	-----------

(a)	Rer	nted:		(	Owned	l:								
	If	rented,	give	details	of	rent	paid	per	month	and	copy	of	rent	agreement
				••••••	•••••	••••••	••••••	••••••	••••••	•••••	••••••••••			
(b)	CCTV cameras installed at the entrance:							Yes	No					
(c)	Sufficient space to accommodate the children:							Yes	No					

#### 7.2 Space available

No. of rooms/dormitories	
Provision of sick room / medical unit	
Counselling room	
Recreational/activity room for	
Children	
(a) Is there a TV set available with Cable network?	Yes No
(b) How often are children allowed to view TV?	in the evenings or any time
(c) Are children playing games indoors?	Yes No
(d) What games are available to them?	Age appropriate games or not
(e) Are children playing games outdoors?	Yes No
(f) Do they have equipments/ accessories to play?	Yes No
(g) Do children go for picnics/excursions?	Yes No
(h) Do they have interactions with eminent personalities?	Yes No
(i) Is there a recreation room available to children?	Yes No
(j) Kitchen/Dining Room?	Yes No
(k) Is the cooking area and pantry separate?	Yes No
(l) Do children get individual plates, mugs glasses?	Yes No
(m) Are cooking utensils adequate and clean?	Yes No
(n) Is there a fridge available for children?	Yes No
(o) Is there an Oven available for children?	Yes No
(p) Is there a Gas stove available in kitchen?	Yes No
(q) Is there a chimney available?	safe/away from children or not
(r) What is the arrangement to keep the gas cylinders?	Yes No
(s) Adequate water supply for washing, cooking?	Yes No
(t) Adequate drinking water available	Manual or mechanical
(u) (RO)?	Yes No
(v) Is cooking done by machines or by cook?	Yes No
(w) Number of toilets and bathrooms for Children	Yes No
(x) Flush is working	Yes No
(y) Taps in the wash basin are functioning	Yes No
(z) Is the floor slippery	Yes No

Class rooms	
Open space for outdoor activities	Observations:
(nn) Is the washing machine in functional	Yes No
(mm) Is there a washer man available	Yes No
(ll) Do children wash their own clothes	Yes No
(kk) Is washing powder or soap given	Yes No
(jj) Personal toiletries are provided	Yes No
(ii) Adequate numbers of buckets and mugs	Yes No
(hh) Water is adequately available	Yes No
(gg) Frequency of bath a child is allowed	once or more in a day
(ff) Door has peep holes	Yes No
(ee) Door has a latch	Yes No
(dd) Cow webs are removed	Yes No
(cc) Fittings for hanging clothes/ towels in place	Yes No
(bb) Drains are clogged	Yes No
(aa) Drains clean	Yes No

#### 7.3 **Premises** (a)

	(a)	Does the home have a child friendly indoors?	Yes	No
	(b)	How often is the sweeping, swabbing done? Twice a day or more		
	(c)	Are the children involved in cleaning exercise during class hours?	Yes	No
	(d)	Are the facilities of coolers/ heaters available for children?	Yes	No
	(e)	Are the doors and windows maintained properly?	Yes	No
	(f)	Are the rooms and dormitories well ventilated?	Yes	No
	(g)	Is there an alternate provision for lights and fans when there is no electricity as	vailable? Yes	No
	(h)	Are the outdoors clean, pleasant and child friendly?	Yes	No
7.4	Cloth	ing/Bedding/Lockers/Toiletries provided to the children:		
	(a)	Are the clothes provided as per size and season	Yes	No
	(b)	Provisioning of undergarments as per JJ Rule 2016	Yes	No
	(c)	New clothes are stitched or bought stitched or bought		
	(d)	Are the mattresses given individually	Yes	No
	(e)	Are pillows given individually	Yes	No
	(f)	Are the mattress and pillows clean	Yes	No
	(g)	Do children have separate cupboards	Yes	No
	(h)	Are bed sheets and Khes available	Yes	No
	(i)	Are blankets available in winters	Yes	No
	(j)	Number of sets provided on arrival	one/two	o/three/four
	(k)	Frequency of providing new clothes	Monthl	y/ Quarterly
	(1)	Are these sets of same colour or different colours? Same/different		
	(m)	Are children provided with individual lockers to keep their personal items?	Yes	No

(n)	Other article	es provided to	the children:							
Servi	ices provided t	o the childre	en:							
(a) (b)	Medical faci	ilities/Mainte	nance of Health Card	ls:						
							•••••			
,	_									
(c)			g water:							
(d)	Education	(Formal	Education/NFE	and	Life	Skill	Training	Programme		
(e)			ervices provided:							
						•••••				
(f)			ailable to children?	••••••						
(g)	Recreational facilities available in the adoption agency for children:									
		•••••								
ъ п										
Daily	Routine of Ch	uldren:								
Tim	e	Acti	vities / Schedule							
Mor	rning									
Davi	Time									
Day	Time									
Afte	ernoon									
Eve	ning									
Late	e evening/									
Nigl										
Linka		: d	. /1							
Linka	iges developed v	with other age	encies/departments:							
	•••••			•••••	•••••	•••••		•••••		
					•••••	•				
	nectivity and sta al for missing cl		l Adoption Resourc	e Inforn	nation ar	nd Guidar	nce System an	nd designated		
	•••••									
								••		

#### 10. Funds /Grants received during last financial year:

Fees for conducting Home Study and Post-adoption follow-up	Adoption fee	Grants from State Govt. under ICPS	Any other donations/ grants received

#### 11. Funds/Grants utilized during the last financial year

Head-wise incurred	expenditure	Amount	Observations of the Inspecting Team after examining vouchers, cheque or cash receipts and
			other relevant registers

- 12. Bank details of the Specialised Adoption Agency.
- 13. Any best practice followed by the Specialised Adoption Agency.
- 14. Issues raised by the Specialised Adoption Agency related to delays in the adoption process, funds or any other issue related to adoption.
- 15. Observations and Recommendations of the Inspecting Team.

#### Signature of the Inspecting Officer

(Name and Designation)

Signature of the Inspecting Officer Name and Designation Signature of the Inspecting Officer Name and Designation Signature of the Inspecting Officer Name and Designation

#### SCHEDULE XXVI

[See regulation 23(1)]

## APPLICATION FROM A CHILD CARE INSTITUTION FOR RECOGNITION AS A SPECIALIZED ADOPTION AGENCY

1.	About the Institution:	
1.1	Name of the Institution / Organization	
1.2	Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act (Relevant documents of registration and bye-laws, memorandum of association to be annexed)	
1.3	Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization as a Child Care Institution (Annex copy of the Registration Certificate)	
1.4	Period of validity to run the Child Care Institution	

1.5	Complete address of the Applicant/ Institution/organization	
1.6	STD code/ Telephone No.	
1.7	STD code Fax No.	
1.8	E-mail address	
1.9	If the organization is of all India character, give address of its	
1.9	branches, in other states.	
1.10	If the Child Care Institution had been denied recognition/registration as a Specialised Adoption Agency earlier? Yes/No  If Yes  (a) Ref. No. of application which resulted in denial of recognition as Child Care Institution:	
	(b) Date of denial:	
	(c) Which department has denied the recognition:	
	(d) Reason for denial of recognition as Specialised Adoption	
	Agency:	
2.	Infrastructure:	
2.1	No. of Rooms (mention with measurement)	
2.2	No. of toilets (mention with measurement)	
2.3	No. of Kitchen (mention with measurement)	
2.4	No. of sick room	
2.5	Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building) to be attached	
2.6	Arrangement to deal with unforeseen disaster; also mention the kind of arrangement made:	
	(a) Fire	
	(b) Earth quake	
	(c) Any other arrangement	
2.7	Arrangement of drinking water (certified from Public Health Engineering department to be annexed).	
2.8	Arrangement to maintain sanitation and hygiene:	
	(a) Pest Control	
	(b) Waste disposal	
	(c) Storage area	
	(d) Any other arrangement	
2.9	Rent agreement/building maintenance estimate (whichever is applicable)	
	(Annex: copy of Rent agreement)	
3.	Capacity of the Institution/Organization	
	No. of children (0-5, 5-11 and 11-18 years) present in the home	

4.	Facilities Available for children	
4.1	Educational facility	
4.2	Health Check-up arrangement, frequency of check-up, type of check-ups proposed to be done	
4.3	Any other facility having impact on the overall development of the child	
5.	Staffing	
5.1	Detailed staff list(to be annexed)	
5.2	Name of partner organizations	
6.	Background information about the Child Care Institution	
6.1	Major activities of the organization in last two years	
	(Annex copy of Annual Report for last two years)	
6.2	An updated list of members of the management committee/governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency)	
6.3	List of assets/infrastructure of the organization (to be Annexed)	
6.4	If the organization registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)  (Certificate to be annexed)	
6.5	Details of foreign contribution received last two years (Annex: relevant documents)	
6.6	List of other sources of grant-in-aid funding (if any) with the name of the scheme/project, purpose amount, etc.	
6.7	Details of existing bank account of the agency indicating branch code account number.	
6.8	Whether the institution agrees to open a separate bank account for the grant proposed	

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015(2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

(Name of the Organization/Institution) has complied with all the requirements to be registered as a Specialized Adoption Agency under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

#### SCHEDULE XXVII

#### [See regulation 10(4)]

## FORMAT OF MINUTES OF THE ADOPTION COMMITTEE IN CASE OF IN-COUNTRY ADOPTION

#### Name and Address of the Specialised Adoption Agency:

Witness no.2:

1. Following are the members of the Adoption Committee as per sub-regulation 4 of regulation 10 of the Adoption Regulations notified by Central Government.

Ser No	Name	Designation
(1)		
(2)		
(3)		

[In case of adoption through Specialised Adoption Agency-Child Care Institution linkage, the members would be in accordance with regulation 58 (8) of the Adoption Regulations. The quorum of the Committee shall be as per para 10 (5) of the regulations]

- 2. The undersigned members of the Committee have scrutinised all requisite documents (attested/notarised) required for filing adoption application in the Court as mentioned below:
- (1) Current family photograph/Photograph of person adopting a child.
- (2) PAN Card of the parents.
- (3) Birth certificate/Proof date of birth of the parents (In case of married couple, upload Birth Certificate of both the applicants).
- (4) Proof of residence (aadhar card/ voter card/ passport/current electricity bill/telephone bill).
- (5) Proof of income of last year (salary slip/income certificate issued by Govt. department/income tax return).
- (6) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal disease and they are fit to adopt (In case of married couple, upload Medical Certificate of both the applicants).
- (7) Marriage certificate/Divorce Decree/Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory/Death certificate of spouse whichever is applicable.
- (8) Two reference letters from acquaintances or relatives in support of adoption.

(9)		decree/Declaration from the compe ned by personal law where decree of			
(10)	Copy of consent	of the older child/children in the fan	nily (if more than 5 years).		
3.	Decision of the	Adoption Committee.			
(1)		led by the Committee that the Prospe			
	have been consid	dered suitable to adopt the child ion No			
(2)	In case the prosp	ective adoptive parents are not consi	idered suitable, reasons for	the same:	
(	)	() (	)		
Mei	nber 1	Member 2	Member 3		
(Namo	e and Designation)	(Name and Designation) (Nam	ne and Designation)		
		SCHEDUL	E XXVIII		
		[See regulat	tion 12(2)]		
		ON IN CASE OF ORPHAN OR A OUNTRY ADOPTION	ABANDONED OR SURF	RENDERED CH	HILD(REN)
		Ld. District Judge/Addl. Distr l. Civil Judge(Senior Division),as the			
Misc.	Civil Application (	MCA) No/Year			
Child	Adoption Resource	Information and Guidance System I	Regd. Number of prospecti	ve adoptive pare	nts:
Name	of the Specialised	Adoption Agency concerned:			
Regist	tered Office at:				
Throu	gh its Adoption In-	charge/Social Worker (name and age	e)		
			,		Applicant
(Note:	: In case the child	is from a Child Care Institution, t	the particulars of such Ch	ild Care Institu	
	oned here as co-app				·
		AND			
1.	Mr			years,	
		, Occupation:	Permanent	Residential	address:
2.	Mrs.	W/o	 Aged about	years,	Citizen of
	,	Occupation:	Permanent	Residential	Address:
		·			
			Pr	ospective Adop	tive Parents
		r of adoption of the child:			
	n 58 (3) of the Juve the Adoption Regu	nile Justice (Care and Protection of Clations.	Children) Act, 2015 (2 of 2	016) read with r	egulation 12
The A	applicant most resp	pectfully submits before this Hon't	ole Court as under:-		
1.	(Care and Prote	ant is a recognised Specialised Adortion of Children), 2015 (hereinafte	er referred to as "Juvenile	Justice Act")	by the State
2.	child: (male/f adoptive parents the Juvenile Just		e this child in adoption to t Adoption Agency as per th	he above named e provision of S	prospective ection 66 of
	[ <b>Note</b> : This paracase.]	agraph would be mentioned in case	e the Adoption Application	n is being filed	in a linkage

- 3. The child/children...... (male/female, DOB:.........) has/have been declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee (Child Welfare Committee), .......... District (copy of order annexed), as per the provisions of section 38 of the Juvenile Justice Act and the said child is registered in the Child Adoption Resource Information and Guidance System with the Registration No......., for the purpose of adoption as envisaged in section 56 (1) of the Juvenile Justice Act.
- 5. That the above named child/children has/have been referred to the said prospective adoptive parents online through Child Adoption Resource Information and Guidance System and has been accepted by the said prospective adoptive parents by signing the Child Study Report and Medical Examination Report on ........

  The child/children has/have been given in pre-adoption foster care to the said prospective adoptive parents on ......, after obtaining a Pre-adoption Foster Care Affidavit (true copy annexed), as per the provisions of Section 58 (3) of Juvenile Justice Act and regulation 11 (1) of the Adoption Regulations.
- 6. That the prospective adoptive parents have undertaken in the said Pre-adoption Foster Care Affidavit that they will allow the authorised social worker/functionary of the Specialised Adoption Agency/District Child Protection Unit/State Adoption Resource Agency to visit their home for undertaking post-adoption follow up to ascertain the progress and well-being of the child in the adoptive family [as envisaged under Section 58 (5) of Juvenile Justice Act].
- 7. That the prospective adoptive parents have further undertaken to inform that any change in the place of their residence (other than as stated in this application), to the Applicant(s), State Adoption Resource Agency concerned and to this Court for the purpose of post adoption follow-up.
- 8. That the prospective adoptive parents have also undertaken to up-bring the said child/children as their own and to accord the same status/rights/privileges to the child/children at par with the natural born child as provided in pre-adoption foster care affidavit annexed with the Application.
- 9. That the Applicant/Co-applicant have decided to place the child/children in adoption as per decision of the Adoption Committee vide its meeting dated......(copy Annexed).
- 10. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied with in this adoption case.
- 11. That the giver (s) and taker (s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child/children.
- 12. The applicant (s) are within the jurisdiction of this Hon'ble Court and hence this Hon'ble Court has jurisdiction to pass Adoption Order as per the provisions of section 2 (23), 58 (3) and 61 of the Juvenile Justice Act.
- 13. That the Applicants understand that the adopted child shall become the lawful child of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.
- 14. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other Court of Law.
- 15. That the prescribed court fees have been paid and affixed on this Application.
- 16. The Applicant(s), therefore, pray that :
- (a) That the above named Prospective Adoption Parents may please be given the said child/children in adoption and be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue Birth Certificate for the said child/children within five working days from the date of application, as per the provisions of regulation 36 of the Adoption Regulations.

Place: APPLICANT NO. 1
Date: APPLICANT NO. 2

Photograph of the child	Photograph of the adoptive parent(s)
-------------------------	--------------------------------------

						1,73
		VERIFICATIO	)N			
Mr/Mrs oath and and belie	, aged aboutsolemnly affirm that the co	about, Adoption In _, Superintendent/Manager/Dontents of this Application ard ocuments presented with the	Director of the true and co	e Applicant No. 2 orrect to the best	2), do hereby so of my/our known	tate on vledge
					Applicar	t No.1
					Applican	t No. 2
		<u>Index</u>				
Ser No	Documents to be annexed Adoption Regulations	d as provided in Schedule IX	of the	Reference	Page No.	
		SCHEDULE	XXIX		<b>.</b>	
		[See regulation				
	APPLICATION IN CASTON IN CASTON INTER-COUNTRY	SE OF ORPHAN OR ABA	· · · <del>-</del>	OR SURRENDI	ERED CHILD	(REN) TO
		, Ld. District Judge/Add ivil Judge(Senior Division),a				
Misc. Ci	vil Application (MCA) No	/2	016			
Child Ad	option Resource Information	n and Guidance System Rego	d. Number of	f prospective adop	otive parents:	
Name of	the Specialised Adoption A	gency concerned:				
Registere	ed Office at:					
Through	its Adoption In-charge/Soci	al Worker (name and age)				
						Applicant
	case the child is from a Cho-applicant)	nild Care Institution, the part	iculars of su	ch Child Care Ins	stitution may be	mentioned
		AND				
1.	Mr	S/oPermanent Residential	_ Aged abou	it years, C	itizen of	<del>,</del>
	_	W/o				
	Occupation:	Permanent Residential				, 
				Pros	spective Adopt	ive Parents
		n of the child: (male/fe			ion 59(7) of the	ne Juvenile
	_	ns 12(2) and 17(1) of Adoption	-			
		ibmits before this Hon'ble				·: (C
	and Protection of Children Government of, for	ognised Specialised Adoption ), 2015(2 of 2016) (hereina r rehabilitating orphan, aba ons of the Juvenile Justice Ad	fter referred ndoned and	to as "Juvenile surrendered chil	Justice Act") b	y the State
	(male/female; DOB:)	registered Child Care Institu intends to give this child i ant Specialised Adoption Ag	n adoption	to the above nar	ned Prospectiv	e Adoption
	[Note: This paragraph woul	d be mentioned in case the A	doption App	lication is being f	filed in a linkag	e case.]

3. The child/children..... (male/female, DOB:......) has/have been declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee, .........District (copy of order annexed), as per the provisions of section 38 of the Juvenile Justice Act and the said child is registered in the Child Adoption Resource Information and Guidance System with the Registration No......, for the purpose of adoption as envisaged in section 56 (1) of the Juvenile Justice Act.

- 4. That, the above named prospective adoptive parents (PAPs) are Non-Resident Indians (NRI)/Overseas Citizens of India (OCI)/Foreigner, presently living at ................................ (complete address).
- 5. That the prospective adoptive parents have been found eligible and suitable to adopt by the Authorised Foreign Adoption Agency (AFFA)/Central Authority (CA) (name and address), based upon their Home Study Report annexed and as per the law of the country of their residence. The proposal of prospective adoptive parents to adopt a child from India has been recommended by the said Authorised Foreign Adoption Agency and has been approved by the Central Authority concerned.

- 9. That the prospective adoptive parent(s) have undertaken through the Authorised Foreign Adoption Agency/Central Authority concerned that they will allow the authorised social worker/functionary of the Authorised Foreign Adoption Agency/Central Authority/concerned Government department to visit their home for undertaking post-adoption follow up to ascertain the progress and well-being of the child in the adoptive family, as envisaged under section 59 (11) of the Juvenile Justice Act.
- 10. That the prospective adoptive parents have also undertaken to up-bring the said child/children as their own and to accord the same status/rights/privileges to the child/children at par with the natural born child.
- 11. That the Applicant/Co-applicant want(s) to give the above named child/children and the said prospective adoptive parents have given their consent to take the child/children in adoption.
- 12. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied with in this adoption case.
- 13. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child/children.
- 14. The above named child is within the legal jurisdiction of this Hon'ble Court and hence this Hon'ble Court has jurisdiction to pass Adoption Order as per the provisions of sections 2 (23), 59 (7) and 61 of the Juvenile Justice Act.
- 15. That Central Adoption resource Authority (CARA) has issued No Objection Certificate (NOC) for the proposed adoption as provided in regulation 16 of the Adoption Regulations.
- 16. That the Applicants understand that the adopted child shall become the lawful child of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.
- 17. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other Court of Law.
- 18. That the prescribed court fees have been paid and affixed on this Application.
- 19. The Applicant(s), therefore, pray that:
- (a) The above named prospective adoption parents may please be declared as parents of the said child/children for all purposes allowed by the law and may be allowed to be taken to the country of their residence for upbringing the child/children as their own child.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue Birth Certificate for the said child/children within five working days from the date of application, as per the provisions of sub-regulation (5) of regulations 18 and regulation 36.
- (c) The Regional Passport Office (RPO) concerned may be directed to issue Passport for the said child/children within ten days from the date of application, as per sub-regulation (4) of regulation 18 and regulation 38.

Place: APPLICANT NO. 1
Date: APPLICANT NO. 2

Photograph of the child	Photograph of the adoptive parent(s)

#### **VERIFICATION**

and so	I/We, (1) Mr/Mrs, aged about, Superintendent/Maslemnly affirm that the contents of this Application e information and documents presented with this Ast on this day of	nager/Director of the Applica are true and correct to the best	nt No. 2), do hereby state on oatlest of my/our knowledge and belie					
Applic	cant No.1	Applica	ant No. 2					
		<u>Index</u>						
Ser No.	Documents to be annexed as provided in Schedule IX of the Adoption Regulations	Reference	Page No.					
	SCHE	DULE XXX						
		ulation 51 (5)]						
MOD	EL APPLICATION TO COURT FOR IN-COUN		ON					
In the	e Court of Ld. District and Sess Principal District Judge, Family Court or Civil Judge	sions Judge/Addl. District a	nd Sessions Judge, District					
Misc.	Civil Application (MCA) No	/Year.						
Child	Adoption Resource Information and Guidance Syste	em Regd. Number of prospecti	ve adoptive parents:					
1.	Mr S/o, Occupation: P.S, Dist State	Permanent Residentia	years, Citizen of address:					
2.			ears Citizen of					
2.	Mrs W/o Aged about years, Citizen of, Occupation: Permanent Residential Address: P.S,							
	Dist State							
		The state of the s	Applicants					
	A.7		rospective Adoptive Parent(s)					
2	Mr S/o	ND	years, Citizen of					
3.	, Occupation:	Aged about Permanent						
	;							
4.	MrsW/o		years, Citizen of					
	, Occupation:	Permanent	Residential Address:					
			Natural /biological Parents					
	eation in the matter of adoption of the child:							
	le Justice (Care and Protection of Children) Act, ion Regulations .	2015 (2 of 2016) read with	regulation 51 and 55 of the					
	pplicants most respectfully submit before this Ho							
1.	That the Applicants are prospective adoptive p (male/female) under see Children) Act, 2015 (2 of 2016) (hereinafter refer	ction 2 (52) of the Juvenile	Justice (Care and Protection of					
2.	That the Applicants are paternal uncle or aunt, o grandparents of the child	r a maternal uncle or aunt, or						
3.	That the Applicants are resident of							
4.	That the child wa and they are resident of	s born to the natural parents	on					
5.	That the natural parents are desirous of placing th							

No.

No.

Adoption Regulations

10.

#### SCHEDULE XXXI

#### [See regulation 55(3)]

#### MODEL APPLICATION TO COURT FOR INTER-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

Court	e Court of Le /Principal District Judge, Famil	y Court or Civil Ju						
	Civil Application (MCA) No		/Ye	ear				
	Adoption Resource Information				ospective a	dontive n	arents:	
1.	Mr	_S/o		Aged about	years,	Citizen	of	<b>,</b>
2.	Mrs Occupation: State	W/o _ Permanent Resi	idential	_ Aged about Address:	years,	Citizen P.S	of	, , Dist.
								licant(s)
					Prospe	ctive Ado	optive P	Parent(s)
			AND					
3.	Mr S/o Occupation:							
4.	Mrs	W/o		_ Aged about	years,	Citizen	of	,
	Occupation:	_ Permanent Reside	ential A	.ddress:				_ <b>·</b>
	tion Regulations.  Applicants most respectfully so That the Applicants are pro	spective adoptive p	parents	and relative to nat	tural /biolog			
	Children Act, 2015 (2 of 20	female) under sect 16) (hereinafter ref				Care and	I Prote	ction of
2.	That the Applicants are pa maternal grandparents of the	ternal uncle or au	nt, or a	maternal uncle	or aunt, or	paternal	grandp	arent or
3.	That the Applicants are resid	dent of			·			
4.	That the childare resident of	was	s born	to the natural pare	ents on		a	and they
5.	That the natural parents are	desirous of placing	the chi	ld in adoption for	the reason _			•
6.	That prospective adoptive pa	arents are desirous	of adop	ting the child for t	the reason _			·
7.	That the Applicants and the with the Application.(In cas from the Child Welfare Con	e the natural paren	its are r	ot alive, documen	t related to	permissi	on for a	
8.	That the child proposed to b	e adopted is a mino	or (belo	w five years) who	is not able	to express	s his/he	r views.
			Or					
	That the child proposed to baccept the Applicants as par		given	nis /her consent fo	or the said a	doption a	nd is w	illing to
9.	That the adoption of the child of the child and the Applican							

That neither the Applicants have given or agreed to given, nor have the natural parents or guardians of the

child received or agreed to receive any payment or reward in consideration of the adoption.

- 11. That the Applicants have been found eligible and suitable to adopt the relative's child as provided in section 2 (52) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act, 2015 (2 of 2016).
- 12. That the family background report of the child has been conducted by the District Child Protection Unit (DCPU) where the child ordinarily resides with the natural family and the District Child Protection Unit has furnished its report as per regulation 54 (2) and (3) of the Adoption Regulations which is annexed hereto this application.
- 13. That the receiving country of the child where the Applicants ordinarily reside have issued necessary certificate or permission in accordance with Article 5/17 of the Hague inter-country Adoption for the adoption to proceed as per sub-regulation 5 of the regulation 54 which is annexed here to this application.
- 14. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act (2 of 2016) have been complied with in the case of proposed adoption.
- 15. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child/children.
- 16. The child ordinarily resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court and hence this Hon'ble Court has jurisdiction to pass Adoption Order as per the provisions of section 61 of the Juvenile Justice Act (2 of 2016).
- 17. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other Court of Law.
- 18. That the Applicants understand that the adopted child shall become the lawful child of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.
- 19. That the prescribed court fees have been paid and affixed on this Application.
- 20. The Applicant (s), therefore, pray that:

Place:

- (a) The above named prospective adoptive parents may be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue Birth Certificate for the said child/children within five working days from the date of application, as per the provisions of regulation 36 of Adoption Regulations.
- (c) The Regional Passport Office (RPO) concerned may be directed to issue Passport for the said child/children within ten days from the date of application, as per the provisions of sub regulation 4 of regulations 18 and regulations 38 of Adoption Regulations.

APPLICANTS

Date:					
Photograph of the biological parent(s)		Photograph of the child	0 1	Photograph of the adoptive parent(s)	
		<u>VERIFICATION</u>	- I		
Mr/Mrs state on knowledg	oath and solemnly affirnge and belief and the inf	aged a according to the contents of this Application ormation and documents presented with the contents on this aged a according to the contents of the conten	are true and corr	ect to the best of	f my/our
				Applic	eants
			Pro	ospective Adoptive	e Parents
		<u>Index</u>			
Ser No.	Documents to be annexed Adoption Regulations	d as provided in Schedule VI of the	Reference	Page No.	

#### SCHEDULE XXXII

[See regulation 52(4), 55(2)]

	EL APPLICATION TO COURT FOR ADOPTION OF CHILD/CHILDREN BY STEP & OGICAL PARENT					
Court/l	Court of Ld. District and Sessions Judge/Addl. District and Sessions Judge, District Principal District Judge, Family Court or Civil Judge/Addl. Civil Judge (Senior Division), at out whichever is not applicable).					
Misc. (	Civil Application (MCA) No/Year.					
Child A	Adoption Resource Information and Guidance System Regd. Number of prospective adoptive parents:					
1.	Mr S/o Aged about years, Citizen of,					
	Occupation: Permanent Residential Address: P.S,					
	Dist State					
	Applicant					
	Biological Father/Father Adopting the Child(ren)					
	AND					
2.	Mrs W/o Aged about years, Citizen of, Occupation: Permanent Residential Address					
	Applicant  Pickerial Mather Mather Adopting the Child (con)					
. 1.	Biological Mother/Mother Adopting the Child(ren)					
	ation in the matter of adoption of the child: (male/female, DOB:) under section 56 of the Juvenile (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) (hereinafter referred to as "Juvenile Justice Act")					
	ith regulations 52 (4) and 55 (2) of the Adoption Regulations.					
The A	pplicants most respectfully submit before this Hon'ble Court as under:-					
1.	That the Applicants are biological parent and step-parent (legally wedded spouse of the biological parent) of the child/children with details as given in <b>Schedule XX</b> .					
2.	That the Applicants are resident of					
3.	That the child/children with sex (Male/Female) and Date of Birth(s) was/were born to the natural parents (biological parent) and on					
	and they are resident of					
4.	That the biological parent (applicant) is desirous of sharing the legal relationship of the child/children with the spouse adopting the child/children(applicant), being legally married him/her and he/she is wanting to adopt the child(ren).					
5.	That the consent of the other biological parent has been obtained /the other biological parent is deceased. (Strike out whatever is not applicable)					
6.	That the biological parent and step-parent adopting the child/children (applicants) understand that the adoption of the child/children will create a permanent parent-child relationship with them.					
7.	That the consent(s) as required for adoption in <b>Schedule XX</b> of the Adoption Regulations are annexed with the Application.					
8.	That the child(ren) proposed to be adopted is a/are minor(s) (below five years) who is/are not able to express his/her/their views.					
9.	That the conditions laid down in Section 61 (1) of the Juvenile Justice Act (2 of 2016) have been complied with in the case of proposed adoption.					
10.	That the child ordinarily resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court and hence this Hon'ble Court has jurisdiction to pass Adoption Order as per the provisions of sub-section 2 of section 56 read with subsection (1) of section 112 of the Juvenile Justice Act (2 of 2016).					
11.	That there is no litigation for custody of the said child/children in any Court of Law within the country or overseas.					
12	That the Applicants have not filed any other Application for the adoption of the said child/children in any					

That the Applicants understand that the adopted child/children shall become the lawful child/children of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child/children.

other Court of Law within the country or overseas.

13.

- 14. That the prescribed court fees have been paid and affixed on this Application.
- 15. The Applicant(s), therefore, pray that:
- (a) That the legal relationship of father/mother of above named child/children may please be transferred to the step-parent adopting the child/children (applicant) along with the biological mother/father (applicant) and they be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.

(	The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue/modify the Birth Certificate for the said child/children within five working days from the date of application, as provided in regulation 36 of Adoption Regulations.							
Place:		APPLICANTS						
Date:								
Photograph of the biological mother/father		Photograph of the child	Photograph of the adoptive mother/father					
VERIFICATION  I, Mr								
	with this Application are a day of	genuine. In witness whereof we have sign	ned the same at	on this				
	Applicants							
(Biological Parent and Step-Parent Adopting the Child/Children)								
		<u>Index</u>						
Ser No.	Documents to be annexed Adoption Regulations	d as provided in Schedule VI of the	Reference	Page No.				
			IE No. 10 0	C/2014 CW/ III				

[F. No. 18-06/2014-CW-II]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.